राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 10] तेरहवीं विधान सभा के दसवें सत्र का पन्द्रहवां दिवस [संख्या : 7

गुरुवार,

7 मार्च, 2013

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : डा. जसवन्त सिंह यादव।

अलवर जिले में स्वीकृत पेयजल योजनाएं

104. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला अलवर में पेयजल आपूर्ति हेतु गत 5 वर्ष में कौन-कौनसी योजनाएं स्वीकृत की गईं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजनाओं के तहत विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के कितने गांव/ढाणियां लाभान्वित हुईं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल में कोई अलाउ नहीं होगा।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कोई अलाउ नहीं होगा। कृपया शांत रहें। कोई अंकित नहीं होगा।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल है, कोई अंकित नहीं होगा।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है। अंकित ही नहीं हो रहा।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल चलने दें, अंकित नहीं हो रहा है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है। मंत्रीजी।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (डा. जितेन्द्र सिंह): (1) जिला अलवर के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सामान्य एवं सुचारु बनाये रखने के लिये विभाग द्वारा विगत 5 वर्षों में पेयजल सम्बन्धी कुल 8168 योजनाओं/कार्यों हेतु राशि 289.45 करोड़ की स्वीकृतियां आवश्यकतानुसार जारी की गयी हैं। वांछित विस्तृत विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) जिला अलवर हेतु उक्त अवधि में जारी स्वीकृतियों में से विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सामान्य एवं सुचारु बनाये रखने के लिये पेयजल सम्बन्धी कुल 317 योजनाओं/कार्यों हेतु राशि 13.15 करोड़ की स्वीकृतियां आवश्यकतानुसार जारी की गयीं। इन स्वीकृतियों के विरुद्ध 180 योजनाएं/कार्य पूर्ण कर अब तक 75 ग्राम एवं 10 ढाणियों (पूर्व में आंशिक रूप से लाभान्वित) को स्वच्छ पेयजल आपूर्ति से पूर्ण रुप से लाभान्वित किया गया है तथा शेष 137 योजनाओं/कार्यों को माह जून, 2013 तक पूर्ण कर 65 ग्राम एवं 20 ढाणियों को पूर्ण रुप से लाभान्वित करना प्रस्तावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को जो उन्होंने जवाब दिया मेरे यहां की योजनाओं के बारे में, वाकई में पेयजल में जो हमारी स्थिति सम्भाली है उसके लिये धन्यवाद देना चाहता हूं। अब मेरी कुछ क्वैरीज हैं-बहरोड़ विधान सभा क्षेत्र में हैंड पम्प एवं सिंगल फेज योजना में स्वीकृत कार्यों की गहराई 100 मीटर आपने रखी है, जबकि हमारे यहां डार्क जोन है, आप क्या इस गहराई को बढ़ाएंगे या पानी लगने तक इसका करेंगे? इसी तरह से ढहरा वाली ढाणी जिससे 9 ढाणियां जुड़ती हैं, उनमें जो आपने योजना की मंजूरी की है वह कब तक पूरी कर दी जाएगी? तीसरा है, वर्तमान में बहरोड़ विधान सभा क्षेत्र में कितने कार्य प्रगति पर हैं और जो पैंडिंग कार्य हैं जिनमें किसी में विद्युत कनेक्शन नहीं लगा या किसी में खुदाई नहीं हुई है, वे कब तक पूरे कर लोगे? बहरोड शहर के अन्तर्गत वार्ड नम्बर 19 और 20 में लम्बे समय से मांग चल रही है, लोगों में पानी के लिये त्राहि-त्राहि मची हुई है, उनकी पानी की समस्या को कब तक पूरा कर देंगे?

डा. जितेन्द्र सिंह (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): अध्यक्ष महोदय, बहरोड़ विधान सभा क्षेत्र में भू-जल के गिरते हुए स्तर को देखते हुए हैंड पम्प्स के लिये 90 मीटर का एक प्रेस्क्राइब्ड डैप्थ है। 90 मीटर से नीचे यह

(डा. जितेन्द्र सिंह)

फिजिबल नहीं होता है कि हैंड पम्प्स में आप पानी को लिफ्ट कर लें। सिंगल फेज के लिये कोई अलग से राइडर नहीं है। सिंगल फेज के लिये जहां तक भी लोअर लेवल तक पानी की उपलब्धता होती है, वहां तक उसको ड्रिल किया जा सकता है।

नम्बर दो, बहरोड़ से आने वाले वरिष्ठ माननीय सदस्य ने जो पूछा है, एक बड़ी ही समस्याग्रस्त इनकी ढहर वाली ढाणियां थी, लम्बे समय से वहां पानी की दिक्कत थी। मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा कि ढहर वाली ढाणी में 26.94 लाख की योजना स्वीकृत की गयी है जिसमें 8 किलो मीटर पाइप लाइन ढहर वाली ढाणी तक आएगी। वह काम प्रगति पर है। जो नलकूप आलरेडी ड्रिल हो चुके थे उनके लिए निर्देश दे दिये गये हैं कि इनके इलेक्ट्रिक कनेक्शन कर दिये जाएं। मुझे आशा है कि 2 माह में ये कार्य पूर्ण हो जाएंगे। वर्तमान समय में बहरोड़ विधान सभा क्षेत्र में 90 कार्य प्रगति पर हैं और 47 कार्य पैंडिंग हैं। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि जून, 2013 तक ये कार्य पूर्ण हो जाएंगे।

आपने बहरोड़ सिटी के प्रोजेक्ट के लिये कहा कि बहरोड़ सिटी में पानी की समस्या है। आपने स्पेसिफिकली मेंशन किया। आपके 2 वार्ड हैं वार्ड नम्बर 19 और 20, उनमें 35.78 लाख की योजना स्वीकृत कर दी गयी है। इनमें ड्रिलिंग का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। जो ट्यूबवैल हैं उनके मैंने निर्देश दे दिये हैं और मैं आशा करता हूं कि अप्रैल माह में ही ये दोनों कार्य पूर्ण हो जाएंगे।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): धन्यवाद। मैं संतुष्ट हूं।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री सुखराम।

सरस उत्पादों में प्लास्टिक थैलियों का उपयोग

105. श्री सुखराम (बसेड़ी): क्या डेयरी राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरस उत्पादों में पैकिंग हेतु प्रति वर्ष प्लास्टिक की थैलियों की कितनी मात्रा उपयोग में आती है? उत्पादवार 5 वर्ष का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्लास्टिक थैलियां किस फर्म से किस प्रक्रिया के तहत किस दर पर क्रय की जा रही हैं?

(3) पर्यावरण की सुरक्षा हेतु क्या सरकार खुले दूध की बिक्री को बढ़ावा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(श्री सुखराम)

(4) प्लास्टिक से हो रहे प्रदूषण को दृष्टिगत रखकर क्या सरकार पैकिंग के अन्य विकल्पों का उपयोग करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार एवं कब तक?

राज्य मंत्री, डेयरी (श्री बाबूलाल नागर): (1) (मात्रा मीट्रिक टन में)

क्र. सं.	उत्पाद का नाम	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 जनवरी 2013 तक
1	दूध	2094.759	2524.012	1992.44	2292.425	2599.521
2	छाछ	63.483	132.249	143.999	68.47	94.608
3	घी	47.734	47.341	40.977	45.238	46.659

(2) मिल्क फिल्मों की अनुमोदित फर्मों के नाम

1. मैसर्स ट्राइपैक
2. मैसर्स वर्धमान पोलीफिल्म्स
3. मैसर्स ऋषभ पैकेजिंग
4. मैसर्स रेन्बो पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड
5. मैसर्स इन्दू पैकेजिंग (दमन) लिमिटेड
6. मैसर्स शकुन प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड
7. मैसर्स मल्टी-पैक प्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड

घी फिल्म की अनुमोदित फर्म का नाम

मैसर्स शकुन प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड

आरसीडीएफ के द्वारा दूध, लस्सी, छाछ व घी पोली फिल्म को क्रय करने के लिये खुली निविदा प्रक्रिया अपनाते हुए 1 वर्ष की अवधि के लिये फर्मों की दर अनुमोदित की जाती है।

वर्तमान में चल रहे रेट अनुबन्ध में मिल्क फिल्म दर रुपये 113.21 प्रति किलो व घी फिल्म दर रुपये 130.00 प्रति किलो के हिसाब से क्रय की जा रही है।

(3) जी नहीं। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 और विनियम, 2011 के खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) नियमावली, 2011 (प्रदर्श 'क') के अनुरूप मानकीकृत दूध को खुले में नहीं बेचा जा सकता। इसको पाश्च्युरीकृत करने के उपरांत पैक करके ही उपभोक्ता को उपलब्ध कराया जा सकता है।

(श्री बाबूलाल नागर)

राजस्थान सरकार के पर्यावरण विभाग द्वारा 21 जुलाई, 2010 की अधिसूचना के अन्तर्गत खाद्य सामग्री के लिये प्रयुक्त प्लास्टिक कैरी बैग को कैरी बैग नहीं माना है। (अधिसूचना की छाया प्रति प्रदर्श-'ख' पर संलग्न है)

आरसीडीएफ द्वारा प्रयुक्त द्रव्य दूध के लिये प्रयुक्त पैकिंग भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप होता है। (द्रव दूध के लिये पोलीथिन की थैलियां-विशिष्ट (दूसरा पुनरीक्षण) की छाया प्रति प्रदर्श 'ग' पर संलग्न है)

आरसीडीएफ द्वारा खुले दूध की बिक्री को बढ़ावा देने का कोई विचार नहीं है क्योंकि यह खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अनुरुप नहीं है।

(4) जी नहीं।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री सुखराम (बसेड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं यह जानना चाहूंगा कि जो ये प्लास्टिक के कैरी बैग हैं, ये प्लास्टिक के कैरी बैग्स पशुधन और कृषि विभाग के लिये हानिकारक हैं या नहीं?

दूसरा प्रश्न, सरस का चाहे छाछ हो, दूध हो, घी हो, इनमें प्रयुक्त की जाने वाली जो प्लास्टिक है, वह पर्यावरण के लिये हानिकारक नहीं है? अगर नहीं है, तो ऐसे कौन से मापदण्ड हैं जिनके आधार पर अन्य खाद्य वस्तुओं के उपयोग में ली जाने वाली प्लास्टिक को तो बैन किया है और सरस के जो उत्पाद हैं उनमें जो प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है, उसको बैन नहीं किया गया है? मेरे इन दो प्रश्नों का जवाब दें।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खादी एवं ग्रामोद्योग): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पर्यावरण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना की ओर इंगित किया है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा कि 21 जुलाई, 2010 को पर्यावरण विभाग द्वारा जो अधिसूचना जारी हुई उसके स्पष्टीकरण में इंगित किया है जो मैंने माननीय सदस्य को उपलब्ध करवायी है। इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिये प्लास्टिक कैरी बैग का वही अर्थ होता है जो प्लास्टिक निर्माण, विक्रय, उपयोग नियम, 1999 में परिभाषित है। खाद्य सामग्री दूध व नर्सरी में उन्नत पौधों की पैकेजिंग के लिये प्रयुक्त आधार कैरी बैग नहीं है। अध्यक्ष महोदय, उसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि दूध में और नर्सरी में, दूध की पैकिंग के लिये जो थैलियां बनायी जाती हैं तथा उन्नत पौधों की पैकेजिंग के लिये काम में ली जाने वाली कैरी बैग में पर्यावरण ने नहीं माना है।

(श्री बाबूलाल नागर)

इसके अलावा माननीय सदस्य ने जानना चाहा कि कृषि विभाग के लिए हानिकारक है या नहीं है, इसकी तो मुझे कोई जानकारी भी नहीं है और मेरे से सम्बन्धित भी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जो मानक हैं, पैकिंग के सम्बन्ध में हमारा इंडियन स्टैण्डर्ड 11805-2007 है, इसमें स्पष्ट प्रोविजन किया गया है कि दूध की पैकिंग के लिये कौन से मापदण्ड हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा इंगित किया गया कि दूध की थैलियों में कौन-कौन से तत्व डाले जाते हैं उन तत्वों को डालने के बाद भारतीय मानक ब्यूरो के जो निर्धारित मापदण्ड हैं, इंडियन स्टैण्डर्ड बताया है, उस इंडियन स्टैण्डर्ड के अनुसार है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भारतीय मानक ब्यूरो ने जो इंगित किया है उसी की पालना के अनुरूप आर सी डी एफ द्वारा या जिला दूध संघों द्वारा थैलियां दूध में काम में ली जा रही हैं। वह भारतीय मानक ब्यूरो के अनुरूप है।

कृषि के सम्बन्ध में मैंने आपको निवेदन कर दिया कि इसकी मुझे कोई जानकारी भी नहीं है और कृषि से सम्बन्धित है, मेरे से सम्बन्धित भी नहीं है।

श्री सुखराम (बसेड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न आपके माध्यम से और करना चाहूंगा, क्या पर्यावरण विभाग ने और जो भी स्टैण्डर्ड बनाये, उन्होंने इनको कैरी बैग नहीं माना है? पशुधन चाहे गाय है, भैंस है या जो भी है, वह इसको खाएगा तो उसके लिये सुपाच्य है क्या? उसे पच सकता है या कोई बीमारी होगी? बताएं, मंत्री महोदय।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): अध्यक्ष महोदय, कितने माइक्रोन थिकनैस को अलाउ किया, यह आपने बताया नहीं है। ट्वंटी माइक्रोन्स के ऊपर है नहीं। आपको जानकारी नहीं है, मंत्री महोदय।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खादी एवं ग्रामोद्योग): अध्यक्ष महोदय, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा स्किल्ड मिल्क पाउडर पैकेजिंग और डेयरी के दूध की पैकिंग के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पोलीथिन जो फिल्म है यह आक्सटेन बेस रखते हुए बराबर की मात्रा में पचास-पचास प्रतिशत एल डी पी, लो डेनसिटी पोली एथेलिन व एल एल डी पी लो लीनियर डेनसिटी पोली एथेलिन, इन दोनों के मिश्रण से बनायी जाती है। काक्स फेडेड वर्जिन व दूध ग्रेड की होती है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जो भी यह यूज की जा रही है वह भारतीय मानक ब्यूरो व खाद्य सुरक्षा के मापदण्डों को पूरा करते हुए है।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): इसकी थिकनैस तो बताओ।

श्री सुखराम (बसेड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह प्रश्न नहीं है। मेरा प्रश्न यह है कि क्या यह सुपाच्य है या नहीं है? इस पोलीथिन को अगर कोई पशुधन खाता है तो यह सुपाच्य है या नहीं है, मेरा प्रश्न सीधा-सा यह है?

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खादी एवं ग्रामोद्योग): अध्यक्ष महोदय, जब पर्यावरण विभाग, खाद्य सुरक्षा अधिनियम और भारतीय मानक ब्यूरो, तीनों के तहत इसको प्रतिबंधित नहीं किया गया है, उसी के मापदण्ड के अनुसार पैकिंग का काम किया जा रहा है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : क्या बचा है?

श्री सुखराम (बसेड़ी): सुपाच्य है क्या? (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): अध्यक्ष महोदय, इसी गुणवत्ता की थैलियां सभी चीजों के लिये आप अलाउ करेंगे क्या?(व्यवधान)

श्री सुखराम (बसेड़ी): यह खाने योग्य है कि नहीं है? इस प्रश्न को... (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): यदि प्लास्टिक में ... (व्यवधान) क्या इसी गुणवत्ता की थैलियां सभी चीजों के लिये आप अलाउ करेंगे? (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): यह पशुधन के लिये हानिकारक है क्या? अगर पशु खा गया यह थैली, यह तो बता दो, पच जाएगी क्या पशु के पेट में?

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खादी एवं ग्रामोद्योग): अलाउ करने का मामला तो पर्यावरण विभाग, भारतीय मानक ब्यूरो, खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम...(व्यवधान) जो द्रव्य दूध है, 45 से 50 माइक्रोन्स से अधिक मोटाई की इसकी परत होती है जो कि किसी भी प्रकार के कोई जानवरों के लिये...(व्यवधान)

श्री सुखराम (बसेड़ी): यह मेरा प्रश्न नहीं है...(व्यवधान) हजारों गायें मर रही हैं इससे...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री रामहेत सिंह...(व्यवधान)

श्री सुखराम (बसेड़ी): अध्यक्ष महोदय, पूरे देश में नुकसान हो रहा है...(व्यवधान)

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): प्रश्न संख्या 106

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): पशुधन मर रहा है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय राजस्व मंत्रीजी...(व्यवधान)

श्री सुखराम (बसेड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा कोई जवाब नहीं दिया है...(व्यवधान) मेरा यही प्रश्न है...(व्यवधान) जवाब नहीं तो मैं धरने पर बैठता हूं यहां पर। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का कोई जवाब नहीं आया, मैं धरने पर बैठता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपका विषय नहीं है। (व्यवधान)

हरसौली (अलवर) में उप तहसील स्थापना प्रकरण

106. श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में हरसौली को उप तहसील बनाकर 11 फरवरी, 2003 को तत्कालीन उप मुख्य मंत्री द्वारा कार्यालय का उद्‌घाटन किया गया था? यदि हां, तो क्या उप तहसील, हरसौली में नायब तहसीलदार एवं स्टाफ कर्मचारियों द्वारा कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है? यदि नहीं, तो कब तक उक्त उप तहसील का कार्य प्रारम्भ कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त उप तहसील के कार्यालय में कार्य प्रारम्भ करने में देरी के लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं? क्या सरकार द्वारा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यो ?

राजस्व मंत्री (श्री हेमाराम चौधरी): (1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में हरसौली को उप तहसील बनाकर 11 फरवरी, 2003 को तत्कालीन उप मुख्य मंत्री द्वारा कार्यालय का कोई उद्‌घाटन नहीं किया गया था। विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में हरसौली नाम की कोई उप तहसील राज्य सरकार से स्वीकृत नहीं है। राज्य सरकार के पत्र संख्या प.9(110)राज./ ग्रुप-1/2002 दिनांक 25.10.2002 के द्वारा केवल मात्र अकाल राहत कार्यों व राजस्व सम्बन्धी मामलों में निस्तारण हेतु नायब तहसीलदार कोटकासिम का मुख्यालय हरसौली किया गया था, जो वर्तमान में प्रभावी नहीं है। शेष प्रश्न का उत्तर उप तहसील घोषित नहीं होने के कारण अपेक्षित नहीं है।

(2) राज्य सरकार द्वारा तहसील किशनगढ़ बास में हरसौली को उप

(श्री हेमाराम चौधरी)

तहसील आदिनांक तक घोषित नहीं करने के फलस्वरूप कार्य प्रारम्भ करने में देरी के लिये कोई अधिकारी दोषी नहीं है।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न के जवाब में विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में हरसौली को उप तहसील दिनांक 11 फरवरी, 2003 को तत्कालीन उप मुख्य मंत्री द्वारा कार्यालय का कोई उद्‌घाटन नहीं किया होना बताया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि राजस्थान पत्रिका में 9 जनवरी, 2003 को हरसौली में उप तहसील का उद्‌घाटन 11 फरवरी को उप मुख्य मंत्री डा. कमला करेंगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व जिला प्रमुख दीपचन्द खैरिया करेंगे। 11 जनवरी को कार्यक्रम हुआ और 12 जनवरी के अलवर भास्कर अख़बार में छपा। उप तहसील कार्यालय के उद्‌घाटन पर चुनावी सभा जैसा भाषण दिया डिप्टी सीएम ने और इसमें छपा, उप मुख्य मंत्री डाक्टर कमला ने आज हरसौली में उप तहसील के उद्‌घाटन के अवसर पर इतिहास के पन्नों को खोलकर पूरी तरह से चुनावी भाषण दिया, बिना किसी राजनीतिक दल का नाम लिए दलों को कोसा और इस अवसर पर उन्होंने घोषणा की कि...

श्री अध्यक्ष : आपका प्रश्न क्या है?

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): मेरा प्रश्न इसमें यह है, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि जिलाधीश महोदय अलवर के कार्यालय से 4.1.2003 को तहसीलदार कोटकासिम के नाम एक आदेश निकला है-नव सृजित नायब तहसील मुख्यालय को स्टाफ उपलब्ध करवाने के क्रम में। क्या जिलाधीश अलवर के द्वारा आदेश निकाला गया है वहां पर स्टाफ उपलब्ध कराने का? इसी प्रकार से 7 फरवरी, 2003 को नायब तहसीलदार के नव सृजित मुख्यालय हरसौली पर फर्नीचर व्यवस्था एवं अपनी मांग कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु बजट राजस्व विभाग को आबंटन करने हेतु पत्र लिखा गया है दूसरी बात? तीसरा, एक और पत्र है जिसमें नाम हैं जिनवी नायब तहसीलदार की वहां पर पोस्टिंग रही है, नायब तहसीलदार हरसौली रहे हैं- घनश्याम लाल अग्रवाल 2 जनवरी, 2003 से 26.6.2004 तक, विश्वम्भर दयाल 7.7.2004 से 3.12.2007 तक, राजेन्द्र सिंह नरूका 3.12.2004 से 30.9.2008 तक और विपुल अग्रवाल 4.11.2008 से 27.8.2009 तक। और आप कह रहे हैं कि कार्यालय का उद्‌घाटन नहीं किया। बाकायदा राजस्व रिकार्ड में भी आज की डेट में दर्ज है। राजस्थान सरकार के राजस्व रिकार्ड में

(श्री रामहेत सिंह)

जमाबंदी में है उप तहसील कार्यालय हरसौली, यह बाकायदा दर्ज है। जो दानदाता था जिसने भवन दिया था, उसकी भी मैं फोटो लाया हूं, उस पर भी लिखा हुआ है, उप तहसील कार्यालय हरसौली। जिन-जिन महानुभावों ने भाषण दिया, पूर्व उप मुख्य मंत्री महोदय का जो उद्घाटन का पत्थर है, उस पर भी बाकायदा यह लिखा हुआ है, उप तहसील हरसौली कार्यालय का उद्घाटन माननीय डाक्टर कमलाजी, उप मुख्य मंत्रीजी, राजस्थान सरकार के कर कमलों द्वारा दिनांक 11 फरवरी, 2003 को सम्पन्न हुआ। निवेदक में श्री जगदीश प्रसाद चौधरी, सरपंच, हरसौली, यह पत्थर है, जिसका उद्घाटन किया है, जो उस भवन पर बना हुआ है, लगा हुआ है। माननीय सदस्य मुण्डावर ने भी भाषण दिया है, उसमें है कि आज यह उप तहसील खोली है, लोगों को फायदा होगा। यह उनका भाषण देते हुए फोटो है।

श्री अध्यक्ष : अब आप पूछ क्या रहे हो?

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): कलक्टर महोदय ने जो आदेश निकाले फर्नीचर के, नायब तहसीलदार की नियुक्ति की, राजस्थान सरकार से मांग की गई, यह पत्र गलत है क्या? और राजस्व रिकार्ड में जो भवन दर्ज है...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): हमने खोली और आपकी सरकार ने बंद कर दी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, ...(व्यवधान) राजस्व मंत्रीजी।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): आपने उद्घाटन किया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी आपके पूरक प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य, जवाब देने दीजिये। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष : आपका एक भी शब्द अंकित नहीं हुआ है। (व्यवधान) जवाब दिलवा रहा हूं उनसे। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने

(श्री हेमाराम चौधरी)

प्रश्न के खण्ड एक में 25.10.2002 के पत्र का हवाला दिया, 25.10.2002 को राज्य सरकार ने कुल 42 स्थानों पर नायब तहसीलदार को अकाल राहत और राजस्व के मामलों के समाधान के लिए वहां पर बैठाया था, व्यवस्था के लिये। उन 42 में से यह हरसौली भी शामिल है। उनमें से भी कई जगह अभी पिछले बजट में, इस साल के बजट में उप तहसील खोल दी गई है। यह जो आदेश बता रहे हैं, उसमें कहीं भी राज्य सरकार का आदेश तहसील खोलने का कहीं नहीं है। उपरोक्त विषय में लेख है कि वर्तमान में नीचे अंकित तहसील मुख्यालय पर जो नायब तहसीलदार कार्यरत हैं, वह अब उनके सामने अंकित स्थानों पर बैठकर अकाल राहत कार्यों की देखरेख करेंगे तथा अपने स्तर पर समस्त अन्य राजस्व सम्बन्धी मामलों का भी निस्तारण करेंगे। यह आदेश था, इस आदेश के तहत ...(व्यवधान) आप सुनो न।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): यह जो शिलान्यास किया गया है, जो पत्थर लगा है उद्‌घाटन का, उसमें लिखवाते न आप? जिस दानदाता ने एक करोड़ रुपये की बिल्डिंग दान की और उसको राजस्व रिकार्ड में बाकायदा उप तहसील लिखवाया है, आपने उसके नाम से दान कराया है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। यह अस्थायी व्यवस्था थी।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): अस्थायी। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आपके दल के लोग आपको नहीं बोलने दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): आप जवाब दे देने दो एक मिनट। यह अस्थायी व्यवस्था इस आदेश के तहत 42 स्थानों पर नायब तहसीलदारों को बैठाकर, जिस पत्र का मैंने आपको उल्लेख किया था, सरकार का जो आदेश है उसका मैंने उल्लेख किया, 42 स्थानों पर व्यवस्था की। इसमें से कई सारे स्थानों पर पिछले वर्ष में और इस साल के बजट में उप तहसीलें खोल दीं। तहसीलें और उप तहसीलें खोलने का जो राज्य सरकार का मापदण्ड है, गाइडलाइन है उसके अनुसार सामान्य क्षेत्र में एक तहसील के लिए 30 पटवार मण्डल होने चाहिए और उप तहसील के लिए 15 पटवार मण्डल होने चाहिए। यहां पर 15 पटवार मण्डल और 30 पटवार मण्डल नहीं हैं। (व्यवधान) मैं एक मिनट में अपनी बात कह दूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): इसमें आप विषयान्तर हो रहे हैं। मैं आपको सही कर दूं, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष : आप पहले जवाब तो सुन लें। आपको अवसर दूंगा, इनका जवाब पूरा हो जाए। आपको अवसर दिया जाएगा, इनका जवाब पूरा हो जाए। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): ऐसा है कि यह मापदण्ड बता रहे हैं, हरसौली में तहसील खोली कि नहीं खोली, इस बात का निर्णय करना है।

श्री अध्यक्ष : जवाब तो आने दो, फिर आपको भी अवसर दूंगा।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): यह मापदण्ड है 30 और 15 का उप तहसील के लिए 15 का और तहसील के लिए 30 का। इन मापदण्डों के अनुसार तहसील और उप तहसील खोली गईं। इसके अलावा भी भौगोलिक और प्रशासनिक दृष्टि से अगर कम पटवार मण्डल हैं कहीं और उपयुक्त समझा गया तो वहां पर इससे कम होने पर भी खोले गए हैं। यह अभी आपकी बात आई है। हम इस पर भौगोलिक और प्रशासनिक दृष्टि से परीक्षण करवा लेंगे और परीक्षण करवाकर रिपोर्ट माननीय मुख्य मंत्री महोदय को प्रस्तुत कर देंगे, उसके बाद माननीय मुख्य मंत्रीजी उसके हिसाब से निर्णय लेंगे। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): प्रश्न का जो जवाब आया है, विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में हरसौली नाम की कोई उप तहसील राज्य सरकार ने स्वीकृत नहीं की है, यह आपका उत्तर है।

श्री अध्यक्ष : यह बात यह भी कह रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं इसलिए कह रहा हूं कि 7.2.2003 को जिला कलक्टर अलवर ने पत्र लिखा है। तहसील कोटकासिम, राजगढ़, थानागाजी के नायब तहसीसलदार के नव सृजित मुख्यालय हेतु फर्नीचर बाबत मांग प्रस्तुत करने के क्रम में यह पत्र है। विषयान्तर्गत आपके अधीनस्थ नायब तहसीलदार के नव सृजित मुख्यालय हरसौली, टहला, नारायणपुर के लिए फर्नीचर व्यवस्था हेतु अपनी मांग इस कार्यालय को प्रस्तुत करें ताकि बजट में राजस्व मण्डल को अवगत कराया जा सके। यह कलक्टर की चिट्ठी है 7.2.2003 की। तो कलक्टर किस अथोरिटी से यह पत्र लिखेगा कि आपको फर्नीचर की क्या आवश्यकता है? यह पत्र इंगित करता है कि कलक्टर ने तहसील सृजित होने के बाद ही 7 फरवरी, 2003 को यह पत्र लिखा है। इसी तरह 4.1.2003 का भी पत्र है, वह अतिरिक्त जिला कलक्टर ने लिखा है। तहसील थानागाजी, कोटकासिम, राजगढ़ नव सृजित मुख्यालयों पर

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

नायब तहसीलदार को स्टाफ उपलब्ध करवाने के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि नव सृजित मुख्यालयों पर कार्यरत नायब तहसीलदारों को एक कनिष्ठ लिपिक तथा चार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उपलब्ध करावें। यह पत्र है। उसके बाद आपका एक जिसको माननीय सदस्य ने यहां रिकार्ड कराया, क्या यह सही है कि इस नायब तहसील पर घनश्याम अग्रवाल 22.01.2001 से लेकर 28.06.2001 तक नियुक्त रहा?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस बात को सरकार स्वीकार कर रही है कि अस्थाई व्यवस्था थी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं थी। यह कलक्टर का पत्र जिसको मैंने आपके सामने यहां उद्दत किया, वह किस हैसियत से कलक्टर बिना नायब तहसील के बने हुए .....

श्री अध्यक्ष : अस्थाई व्यवस्था थी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अस्थाई व्यवस्था के लिए कैसे पत्र लिखेगा कलक्टर? (व्यवधान)

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): ऐसा है, तमाशा कर दिया वोट की खातिर। कांग्रेस ने नारायणपुर में खोल दिया था, बीच में बंद कर दिया और अब वापस कर फिर वाहवाही लूट ली, नारायणपुर को, यह क्या मजाक है? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): यह पत्र तो इस बात को साबित कर रहा है कि इसका आदेश हुआ। कलक्टर ने 7 फरवरी को पत्र लिखा और उसके बाद 11-12 फरवरी के दिन उस समय के जो मंत्री थे, उन्होंने जाकर विधिवत् उसका उद्घाटन किया। जो रिकार्ड उपलब्ध है। यह इतने सालों तक यहां काम करती रही, उसके बाद यह किस ढंग से हटी? वह आप बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता। पर रिकार्ड इस बात का एप्रूव्ड है, यह कलक्टर की चिट्ठी इस बात को साबित कर रही है। इसमें लिखा है कि अधीनस्थ नायब तहसीलदारों के नव सृजित मुख्यालय हरसौली, टहला और नारायणपुर, तीनों को पत्र लिखकर उसने अपने नीचे के अधिकारी को भेजा है। यह किस हैसियत से लिखकर भेज सकता है? अगर यह सृजित नहीं होती तो यह किस हैसियत से लिखकर भेज सकता है? (व्यवधान)

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, मेरे नारायणपुर में

(श्री रोहिताश कुमार)

नहड़ा ओर वाल का झगड़ा है, न जाने मुख्य मंत्रीजी को कौन फीड बैक देता है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बात हरसौली की हो रही है।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): क्या?

श्री अध्यक्ष : बात हरसौली की हो रही है।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): हरसौली और नारायणपुर एक ही आर्डर है। उसी नारायणपुर को दुबारा खोल दिया। इनको न जाने कौन फीड बैक देता है? इनको वहां की भौगोलिक स्थिति का ज्ञान नहीं है। वहां नहड़ा और वाल का झगड़ा है। 15 पटवारघर उप तहसील के बनेंगे तो नारायणपुर में 15 तो हैं ही नहीं, वह तो नहड़ा के जोड़ने पड़ेंगे आपको। तो यह क्या तमाशा बना दिया आपने? यह क्षेत्रवाद का झगड़ा चलाओगे। हम तो कभी सब डिवीजनल हैडक्वार्टर उसको बना ही नहीं पाएंगे। हमारे साथ इतनी बड़ी विसंगति कर दी नारायणपुर में इन लोगों ने।

श्री अध्यक्ष : अब आप विराजो, जवाब सुनो।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): तो यह गलत है, राजस्व मंत्री को क्षमा मांगनी चाहिए हाउस से। इसमें अमैंडमेंट करना चाहिए और जन प्रतिनिधियों को बुलाकर एक डिबेट करानी चाहिए। यह वोट की राजनीति का तरीका है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपकी डिबेट पूरी कर दी। (व्यवधान)

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): यह वोट की राजनीति का तरीका है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : डिबेट पूरी कर दी आपकी।(व्यवधान)

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): कोई भी तहसील, उप तहसील बनाते हो ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं होगा।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): ×××

श्री अध्यक्ष : राजस्व मंत्रीजी।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री अध्यक्ष : राजस्व मंत्रीजी।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): ×××

श्री अध्यक्ष : जवाब आ रहा है।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): ×××

श्री अध्यक्ष : आप भी तो वाहवाही लूटने के लिए ही कर रहे हो।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): ×××

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए, अंकित नहीं होगा।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री अध्यक्ष : किसी भी माननीय सदस्य का अंकित नहीं हो रहा है, केवल राजस्व मंत्रीजी का अंकित होगा।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): ×××

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं होगा, केवल राजस्व मंत्रीजी का अंकित होगा।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): ×××

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): ×××

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): ×××

श्री अध्यक्ष : किसी भी माननीय सदस्य का अंकित नहीं होगा। राजस्व मंत्रीजी जवाब देना चाहते हैं। अगर आप जवाब नहीं सुनना चाहते हैं तो मैं नहीं अलाउ करूंगा। (व्यवधान) अंकित नहीं हो रहा है।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): ×××

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा):

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने कहा, अस्थाई व्यवस्था के तहत नायब तहसीलदार को अकाल राहत के और राजस्व सम्बन्धित मामलों के निस्तारण के लिए वहां बैठाया गया था। (व्यवधान)

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): ×××

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): आप बात सुनो, फिर आप अपनी बात कहना। आपने नायब तहसीलदार के पदस्थापन की बात कही, अग्रवाल की, वह तो मैं खुद स्वीकार कर रहा हूं कि व्यवस्था के तौर पर नायब तहसीलदार को हमने वहां पर डेप्यूट किया और उसने वहां पर नायब

(श्री हेमाराम चौधरी)

तहसीलदार की हैसियत से अकाल राहत के और राजस्व के काम किये। जब वहां पर व्यवस्था के तौर पर नायब तहसीलदार को बैठाया तो एक मंत्री महोदय ने वहां पर जाकर उस कार्यालय की अस्थाई व्यवस्था की थी, उसका उद्घाटन किया।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): ×××

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): उसका उद्घाटन किया था और यह 2002 में ...(व्यवधान)

श्री विजय बंसल (भरतपुर): ×××

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): उसके बाद में आपकी सरकार आ गई।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): ×××

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): उसके बाद में आपने उसको बंद कर दिया, हम उस व्यवस्था को चलाते रहते। (व्यवधान) पकी सरकार ने बंद किया है ...(व्यवधान)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): ×××

श्री विजय बंसल (भरतपुर): ×××

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना): ×××

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): यदि उपयुक्त पाया गया तो जरूर इस पर विचार करेंगे इसलिए मैंने आपको यह बात तो कह दी। अगर उपयुक्त पाया गया तो इस पर जरूर विचार करेंगे।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): ×××

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री अध्यक्ष : किसी माननीय सदस्य का अंकित नहीं हो रहा है।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री अध्यक्ष : नहीं, मैं क्या निर्णय दूं? जवाब तो सरकार देगी, मैं क्या निर्णय दूं?

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): ×××

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना): ×××

श्री अध्यक्ष : वो मंत्रीजी कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): ×××

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): मुझे किसी ने भ्रमित नहीं किया है, आप भ्रमित हैं। आप भ्रमित हैं उसका मेरे पास इलाज नहीं है। मुझे न तो किसी ने भ्रमित किया है, न मैं भ्रमित हूं। हमने अस्थायी व्यवस्था की थी और आपने उस अस्थायी व्यवस्था को बन्द कर दिया इसलिए उसके लिए दोषी आप हैं। हमने तो फिर भी कहा कि विचार करेंगे। आपने उस व्यवस्था को बन्द किया।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): ×××

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त करें। अगला प्रश्न, श्री केसाराम चौधरी। विराज जाओ। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

मारवाड़ में इन्दिरा आवास आबंटन में व्याप्त अनियमितता

107. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) मारवाड़ जंक्शन विधान सभा क्षेत्र में इन्दिरा आवास योजना के तहत बी.पी.एल. परिवारों के किन-किन व्यक्तियों को जनवरी, 2008 से 31 जनवरी, 2012 तक इन्दिरा आवास स्वीकृत किये गये तथा कितनों को प्रथम किश्त व कितनों को पूर्ण भुगतान किया गया? किन-किन के मकान व शौचालय बनकर पूर्ण हो गये, कितनों के अपूर्ण हैं? ग्राम पंचायतवार प्रत्येक व्यक्ति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त परिवारों के पूर्व में ही इन्दिरा आवास बने हुए हैं और पुन: दुबारा उन्हीं लोगों के परिवारों को स्वीकृति जारी की गई है? यदि हां, तो जिन्हें दुबारा इन्दिरा आवास हेतु स्वीकृति जारी की गई है, उनके नाम मय पते सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि एक ही परिवार को दो बार इन्दिरा आवास की स्वीकृति जारी की जा सकती है? यदि हां, तो किन नियमों के तहत तथा क्या सरकार ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है

(श्री केसाराम चौधरी)

जिन्होंने एक ही व्यक्ति को दो बार इन्दिरा आवास की स्वीकृति जारी की है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री महेन्द्र जीत सिंह): (1) मारवाड़ जंक्शन विधान सभा क्षेत्र में इन्दिरा आवास योजना के तहत बी पी एल परिवारों को जनवरी, 2008 से 31 जनवरी, 2012 तक 1438 इन्दिरा आवास स्वीकृत किये गये तथा 1438 परिवारों को ही प्रथम किश्त की राशि हस्तान्तरित की गई। इनमें से 715 आवास पूर्ण हो गये हैं तथा इन्हें पूर्ण भुगतान भी कर दिया गया है। इन आवासों में 165 शौचालय पूर्ण हो गये हैं तथा 142 शौचालय अपूर्ण हैं। ग्राम पंचायतवार पूर्ण व अपूर्ण आवासों एवं शौचालयों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संवेदनशील सरकार का उदाहरण यह है कि चार साल में 1438 इन्दिरा आवास स्वीकृत हुए और उनमें से 715 पूर्ण हुए हैं। 1438 इन्दिरा आवासों में 165 शौचालय पूर्ण हुए और 142 अपूर्ण। यह सरकार की संवेदनशीलता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके उत्तर से ही स्पष्ट है कि चार साल में मात्र 715 इन्दिरा आवास पूर्ण किये। तो ये कब तक पूर्ण करवा देंगे? 1438 में से केवल 165 शौचालय पूर्ण हुए और 142 अपूर्ण हैं। अगर दोनों को पूर्ण मान लें तो 1131 आवासों में शौचालय वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं हुई।

दूसरा, मैंने खण्ड दो में यह पूछा था कि जिन परिवारों को इन्दिरा आवास स्वीकृत हुए क्या उनके पूर्व में आवास बने हुए हैं, उनको आपने दुबारा इन्दिरा आवास की स्वीकृति दी है। इसके जवाब में उन्होंने 'जी नहीं' बताया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत निवेदन करता हूं कि जिन लोगों के इन्दिरा आवास पूर्व में बने हुए हैं उन इन्दिरा आवास की यह फोटो है, आप कहें तो मैं टेबल कर दूंगा। इसमें कन्हैया/मांगीलाल मीणा के नाम जो सूची दी गई है, 234 नम्बर है। 250 पर कुकी/ढगलाराम मेघवाल, 258 पर गंगादेवी/अमराराम मेघवाल, 259 पर सुन्दर/उदाराम नायक, 260 पर दाकु/मेघाराम मेघवाल, 261 पर कसना देवी/केसाराम मीणा, 265 पर बदरी/चेनाराम मेघवाल, 266 पर घीसी/पकाराम सरगरा है, इन 8 व्यक्तियों के

(श्री केसाराम चौधरी)

इन्दिरा आवास पूर्व में बने हुए हैं जिसकी फोटो भी है, जिसे आप कहें तो मैं बता सकता हूं। इसके अलावा जो जवाब दिया है उसके क्रम संख्या 186 पर मूली/नेमाराम मीणा इन्दरवाड़ा है, इसका इन्दिरा आवास पूर्ण हो गया, 35 हजार रुपये का भुगतान भी कर दिया मगर इस नाम का कोई भी व्यक्ति उस इन्दरवाड़ा गांव में नहीं है। यह भुगतान किसको किया और किसको नहीं किया, यह माननीय मंत्री महोदय बताएं।

तीसरा है पीथाराम/पूराराम जिसको मुख्य मंत्री आवास स्वीकृत हुआ है जबकि इसका इन्दिरा आवास में पूर्व में मकान बना हुआ है। एक है मिश्रीलाल/ताराराम मीणा, इसका भी इन्दिरा आवास में पहले मकान बना हुआ है और मुख्य मंत्री आवास में इसको और स्वीकृति दी है। फिर आप यह कहते हैं कि हमने दुबारा एक भी स्वीकृति नहीं दी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कमला/अचलाराम मेघवाल बिठौड़ा कलां जो प्रेरक है, उसको भी इन्दिरा आवास में स्वीकृति दी गई है। कमला सिलाई मशीन का काम कर रही है, प्रेरक के रूप में दो हजार रुपये मंथली मानदेय मिलता है फिर भी उसके भाई के नाम से इन्दिरा आवास, उसके पिताजी के नाम से इन्दिरा आवास है। इस प्रकार एक ही परिवार को तीन-तीन इन्दिरा आवास दिये हुए हैं। मुझे तो यह लिस्ट शाम को सात बजे मिली है उसके बाद मैंने इसमें देखा तो यह मुझे ज्ञात हुआ है। अगर इसकी मुझे पूर्व में सूचना मिल गई होती तो मैं आपको बता देता कि कितने-कितने डबल-डबल, ट्रिपल-ट्रिपल और अधूरे, बिना नाम के व्यक्तियों को भी भुगतान किया गया है। मंत्री जी इसका जवाब दें।

श्री अध्यक्ष : जवाब आने दो। मंत्रीजी।

श्री महेन्द्र जीत सिंह (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो अपना प्रश्न पूछा है, वो 2008 से 2012 तक का पूछा है। 2002 की बीपीएल सेंसस है इसकी मैरिट लिस्ट बनी हुई है, और वार्ड सभा, ग्राम सभा मजमेआम में इसे तय करती है। इसमें सरकार का सीधा-सीधा कोई सम्बन्ध नहीं है, सीधा जनता का सम्बन्ध है। (व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ....इसका कोई सम्बन्ध ही नहीं है।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार

(श्री रविन्द्र सिंह बोहरा)

की कोई जिम्मेदारी नहीं है? (व्यवधान) यह कह दीजिए कि कोई जिम्मेदारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप जवाब नहीं सुनना चाहते क्या? जवाब तो आने दीजिये। आप सुनिये तो सही।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): माननीय अध्यक्षजी, जवाब यह आता है कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मारवाड़ जंक्शन विधान सभा क्षेत्र से सम्बन्धित है, बैराठ का नहीं है, जवाब आने दीजिये।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): बैराठ का नहीं, यह सरकार का मामला है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सरकार का उत्तर ही नहीं आने दे रहे हैं। अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री महेन्द्र जीत सिंह (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं फिर इसी बात को कह रहा हूं कि यह लिस्ट बिलकुल बंधी हुई है, पंचायत घर के बाहर लटकी हुई है, आम आदमी इसको पढ़ सकता है, सुन सकता है। जो आदमी बाद में मैरिड है, उसको पता है कि मेरा नम्बर कब आने वाला है। सरकार की इतनी बिलकुल साफ पारदर्शिता है। कोई गलत काम इसमें नहीं हुआ है, लेकिन इसमें जो प्रश्नकर्ता है...

श्री अध्यक्ष : जवाब सुनिये, जवाब सुनिये।

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बड़ा परिवार है, उस बड़े परिवार में पहले सब लोग साथ रह रहे थे, शादी के बाद में अलग हो गये और दुबारा उसका सर्वे में नम्बर आ गया तो लगता ऐसा है कि एक ही परिवार को हम बार-बार दे रहे हैं। यह एक अलग विषय है लेकिन एक व्यक्ति को एक ही नम्बर के ऊपर दो बार इन्दिरा आवास नहीं दिया जा सकता। बिलकुल नहीं दिया जा सकता।

श्री अध्यक्ष : आप माननीय मंत्री महोदय का जवाब सुनो। (व्यवधान) जवाब पूरा आने दीजिये, उसके बाद आपको अवसर दूंगा।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): ×××

श्री अध्यक्ष : आपको अवसर दूंगा, पहले जवाब तो पूरा आ जाने

(श्री अध्यक्ष)

दीजिये। जवाब पूरा आ जाने दीजिये। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा।

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री):... उसके बाद भी अगर माननीय सदस्य को उसकी जानकारी है, जैसे नाम आपने अभी रखे हैं, उन नामों की हम पूर्ण रूप से जांच कराएंगे। अगर किसी ने गलती की है तो उसके खिलाफ हम सख्त कार्यवाही करेंगे।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बिलकुल स्पष्ट पूछा है, 'क्या यह सही है कि उक्त परिवारों के पूर्व में भी इन्दिरा आवास बने हुए हैं?'' जो उत्तर दिया है, वह तो मैंने पूछा ही है मगर इसके पहले, 'पूर्व में 'पूछा है। इसके जवाब में दिया है कि पूर्व में किसी के नहीं बने हुए हैं। मैंने आपको पूर्व का पूछा है, न कि यह जो लिस्ट दी है।

इसके अलावा मैं दूसरा और कहना चाह रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां पर सूचना के अधिकार के तहत इन इन्दिरा आवासों के लिए एक व्यक्ति ने 7.5.2012 को विकास अधिकारी से इन आवासों की सूची मांगी, जो नहीं दी गई। 15.5.2012 को फिर नोटिस दिया तो नहीं दी गई। 11.8.2012 को फिर सूचना के अधिकार के तहत नकलें मांगीं, मगर विकास अधिकारी ने नहीं दीं। 12.12.2012 को फिर सूचना के अधिकार के तहत इन आवासों की सूचना मांगी, जो नहीं दी गई। राजस्व कैम्प, 5.2.2013 में उसी व्यक्ति के द्वारा वापस कैम्प में ही सूचना मांगी गई कि पहले कितने आवास बने हैं, उसकी सूची मुझे दी जाए। मगर तथ्यों को छिपाने के लिए सूचना का अधिकार की भी अवहेलना उस अधिकारी ने की है। ऐसे अधिकारी के खिलाफ में कोई कार्यवाही करने का विचार रखते हैं या नहीं?

श्री अध्यक्ष : बैठ जाओ। आसन पांवों पर है। जिन तथ्यों की चर्चा करते हुए माननीय सदस्य ने शंकाएं पैदा की हैं और आपने भी कहा है कि कहीं कोई दोष होगा तो जांच करेंगे, तो इन सारे तथ्यों की जो कहा गया है, जांच करा लें और जांच कराने के बाद में जो आवश्यक कार्यवाही हो, वह कार्यवाही कर लें। चर्चा समाप्त करनी चाहिए। श्री ज्ञानदेव आहूजा।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह इन्दिरा आवास कालोनी बनी हुई है, ये क्या जांच करवाएंगे? गलत जवाब दिया है। सदन को गुमराह किया है माननीय मंत्री ने। ये अधिकारी लोग जैसे इनको देते हैं, उसके अनुसार इन्होंने सूचना दे दी। इनको कोई ज्ञान ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): प्रश्न संख्या 109.

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): प्रश्न संख्या 108. आप पहले मेरा प्रश्न है।

डिप्लोमा होल्डर कनिष्ठ अभियन्ताओं का पदोन्नति प्रकरण

108. श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या डिप्लोमा होल्डर कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) की पदोन्नति सहायक अभियन्ता के पद पर करने हेतु वर्ष 1996-97 में विभागीय पदोन्नति समिति की प्रथम बैठक 10 जनवरी, 1997 को हुई थी? यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे?

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान सर्विस आफ इंजीनियर नियम, 1954 के अनुसार डिप्लोमा होल्डर सहायक अभियन्ता का सेवाकाल लगातार 15 वर्ष का होने पर ही आगामी पदोन्नति अधिशासी अभियन्ता के पद पर होती है? यदि हां, तो तत्सम्बन्धी नियम की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या विभागीय पदोन्नति समिति की वर्ष 1996-97 में हुई बैठक के अनुसार जिन डिप्लोमा होल्डर सहायक अभियन्ताओं का सेवाकाल सहायक अभियन्ता के पद पर 10 जनवरी, 1997 से 10 जनवरी, 2012 तक 15 वर्ष होता है, को क्या सरकार अधिशासी अभियन्ता के पद पर पदोन्नत करने का विचार रखती है? यदि नहीं तो क्यों?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका प्रश्न सार्वजनिक निर्माण विभाग से सम्बन्धित है और वह मैटर सबजुडिस है, इस वजह से इसको स्थगित किया है। इसलिए मैंने अगला प्रश्न पुकारा है। सबजुडिस मैटर का जवाब यहां नहीं दिया जा सकता। श्री ज्ञानदेव आहूजा।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह देखिये, इन्दिरा आवास कालोनी बनी हुई है और इसमें मकान है माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। श्री ज्ञानदेव आहूजा।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ...सदन को गुमराह किया गया है।

अलवर जिले में फसली नुकसान के आकलन हेतु सर्वे

109. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में अत्यधिक सर्दी पड़ने एवं जनवरी, 2013 में बारिश होने के कारण जिला अलवर एवं विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में किसानों की 40 से 80 प्रतिशत तक सरसों व अन्य फसलें खराब हो गई हैं? क्या सरकार द्वारा सर्दी एवं बारिश से होने वाले नुकसान के आकलन हेतु सर्वे करवा लिया गया? यदि हां, तो सर्वे के क्या परिणाम रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सर्वे अधिकारियों द्वारा कृषि के नुकसान का आकलन 40 से 80 प्रतिशत तक फसली नुकसान को कम करके आधा से भी कम आंका गया है? यदि हां, तो उक्त क्षेत्र में हुए वास्तविक नुकसान का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार जिला अलवर एवं विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ के किसानों को फसलें खराब होने के कारण आर्थिक सहायता एवं मुआवजा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितना मुआवजा निर्धारित किया गया एवं नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता (श्री बृजेन्द्र सिंह ओला): (1) प्रारम्भिक सर्वे के अनुसार जिला अलवर एवं रामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में फसलों के खराबे का विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है। फसल के नुकसान के आकलन हेतु एक फरवरी से पांच मार्च तक गिरदावरी करवाई गई है जिसकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर फसल के वास्तविक नुकसान की स्थिति ज्ञात हो सकेगी।

(2) प्रारम्भिक सर्वे में किसी भी स्तर से नुकसान को कम करके नहीं आंका गया है। दिनांक 5 मार्च, 2013 तक की गई गिरदावरी से फसल खराबे की सही स्थिति ज्ञात हो जाएगी।

(3) भारत सरकार द्वारा निर्धारित एसडीआरएफ/एनडीआरएफ मापदण्डानुसार 50 या 50 प्रतिशत से अधिक फसल खराबे पर पात्र किसानों का सहायता देय है।

(विवरण के लिए परिशिष्ट-1 देखें)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): समय हो रहा है। माननीय मंत्री महोदय, गिरदावरी पूरी तरह से नहीं की गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछ रहा हूं, प्रारम्भिक सर्वे जो किया गया है, उसके बाद दो बार

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

ओले पड़ चुके हैं वर्षा और पाले के बाद, वह आपने दिया है। जो कलक्टर के द्वारा रिपोर्ट आई है, उसमें आपने कहा है कि अभी सर्वे जारी है। लेकिन जो सर्वे किया गया है, वह बहुत कम किया गया है। मैं स्वयं इन गांवों में गया हूं और एसडीएम साहब, लक्ष्मणगढ़ और रामगढ़ के तहसीलदार साहब, उनसे भी मेरी बात हुई। पटवारी और गिरदावरों को उन्होंने आदेश दिया। इन गांवों के नाम मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं-रामगढ़ तहसील में अग्यारा, खूंटेटा खुर्द, नांगलटप्पा, पाली और माली बास, यहां 100 प्रतिशत का नुकसान हुआ है मेरे विधान सभा क्षेत्र में। लक्ष्मणगढ़ तहसील की गोविन्दगढ़ उप तहसील में घाट, घाट की तीन ढाणियां, जो एससी की ढाणियां हैं, पंडत का बास, बुंटियाना, बूंटोली, क्षेणपुर, थादेड़ा, रेस्ती का बास, फाहरी, भैंसड़ावत, सेमला, छेमलादरावद, तालड़ा, बीज़वा, सिरमौर, चिडवई पंचायत के तीन गांव, खेड़ा महमूद, बन्धेड़ी, शाहपुर, सेमलाखुर्द, सलारपुर, बुल्लाहेड़ी, दोगड़ी और दोगड़ीबास, इनमें 80 से 100 प्रतिशत नुकसान हुआ है, माननीय मंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि यहां जो सर्वे किया गया है, पंचायतवाइज किया गया है और उसकी एवरेज निकाली गई है। अभी सर्वे जारी है, यह इन्होंने कलक्टर के पत्र के माध्यम से दिया है। सर्वे अगर जारी है तो कृपा करके पुन: करवाएं, मंत्री महोदय से निवेदन है। ओलावृष्टि और बरसात का अलग-अलग नुकसान हुआ है। ये जो गांवों के नाम मैंने पढ़कर सुनाये हैं, इसमें 80 से 100 प्रतिशत, 50 से 80 प्रतिशत, 20 से 30 प्रतिशत, 40 से 50 प्रतिशत, 60 से 80 प्रतिशत, आपने यह दिया है, केन्द्र सरकार के मापदण्डानुसार। मेरे प्रश्न का जवाब है कि केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित एसडीआरएफ/एनडीआरएफ मापदण्डानुसार 50 या 50 प्रतिशत से ज्यादा फसल खराबे पर पात्र कृषकों का सहायता देय है। लघु कृषकों को दिया है। इस सम्बन्ध में मैंने माननीय मुख्य मंत्रीजी को पत्र दिया है, चीफ सैक्रेटरी साहब को पत्र दिया है। दौरेवार गांव मैंने उनको गिनाये हैं, मैं वहां होकर आया हूं। वहां पुन: सर्वे जो हो रहा है, एक बार फिर आपसे रिक्वैस्ट है अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को, कि इन गांवों का फिर सर्वे करवाएं। एसडीएम एग्री हैं, तहसीलदार एग्री हैं, पटवारी-गिरदावर एग्री हैं लेकिन आपका आदेश गया है कि केन्द्र सरकार के आदेश के अनुसार 50 प्रतिशत से ज्यादा नुकसान नहीं करना तो वे उसको कम गिना रहे हैं और पंचायतवाइज सर्वे कर रहे हैं। कृपा करके आप सर्वे करवाएंगे या नहीं करवाएंगे गांव और ढाणीवाइज, यह बताने का कष्ट करें?

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, इंदिरा गांधी नहर परियोजना): माननीय अध्यक्ष महोदय, 24 फरवरी को माननीय मुख्य मंत्रीजी की अध्यक्षता में आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की बैठक आयोजित की गई थी और उसमें जैसा रामगढ़ से आने वाले विधायक महोदय फरमा रहे हैं, स्वयं मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा कि जन प्रतिनिधियों से जो बात आ रही है और अधिकारियों से आ रही है, उसमें डिफरेंस है। उसको मद्देनजर रखते हुए मुख्य मंत्रीजी ने प्रमुख शासन सचिव, राजस्व को उसी दिन निर्देश दिये थे कि गिरदावरी पूरी संवेदनशीलता से की जाए, हर स्तर पर उसकी मानिटरिंग की जाए और कहीं भी किसी भी स्तर पर इसमें गलती नहीं रहे। आपके विधान सभा क्षेत्र के सम्बन्ध में मैंने आज सुबह ही कलक्टर से फोन पर जानकारी ली है, चूंकि रिपोर्ट आने में तो समय लगेगा, उसके अनुसार भी मैं निवेदन कर देता हूं कि पांच गांव तो आपकी रामगढ़ तहसील के हैं और आठ गांव लक्ष्मणगढ़ तहसील के हैं, जिनमें आपने नाम लिये हैं, कुछ वे गांव भी सम्मिलित हैं। कहीं भी ये निर्देश राज्य सरकार के नहीं हैं कि गिरदावरी गलत की जाए। अलबत्ता राज्य सरकार के निर्देश ये हैं कि गिरदावरी पूरी संवेदनशीलता से किसानों के हित में की जाए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से स्पेसिफिक प्रश्न है, कि आप प्रत्येक गांव और ढाणीवाइज सर्वे करेंगे या पंचायतवाइज करेंगे? मेरा निवेदन है कि मुझे गांव और ढाणीवाइज चाहिये क्योंकि पंचायतवाइज अनुसार करेंगे तो एवरेज निकलता है और उस एवरेज में किसानों को नुकसान हो रहा है। लघु कृषकों की बजाय बड़े किसानों का भी नुकसान हुआ है। लाखों नहीं, करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है। दो बार ओलावृष्टि और एक बार पाला और वर्षा से नुकसान हुआ है। यह बताएं।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, इंदिरा गांधी नहर परियोजना): प्रत्येक राजस्व ग्राम के अनुसार सर्वे और गिरदावरी हुई है, माननीय सदस्य। ढाणी तो उसी गांव में सम्मिलित होती है।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): माननीय मंत्री महोदय, गिरदावरी तो एक-एक खेत की होती है तो फिर ग्राम पंचायतवाइज क्यों करा रहे हो? एक-एक खेत को नुकसान है तो गिरदावरी भी एक-एक खेत की होगी न।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, इंदिरा गांधी नहर परियोजना): हां, मैं वही कह रहा हूं। गिरदावरी प्रत्येक खेत की होती है।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ... इस समय केवल लीपापोती का काम सरकार कर रही है। 50 प्रतिशत से कम खराबा। आप जाकर देखिये, स्वयं एक टीम भेजकर देखिये, फसलों का सत्यानाश हो गया है। माननीय सदस्य की पीड़ा सही है। आप खेत की गिरदावरी करवाइये, सही रिपोर्ट मंगवाइये। सरकार के निर्देश हैं कि 50 प्रतिशत से कम का खराबा दिखाया जाए। किसान को क्या फायदा मिलेगा?

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, इंदिरा गांधी नहर परियोजना): कोई ऐसा नहीं है। माननीय विधायकजी के क्षेत्र में भी 13 गांव आये हैं जिनमें पचास प्रतिशत से अधिक खराबा है। प्रत्येक काश्तकार का सर्वे होता है, फार्म 7-डी में बहुत सारी जानकारियां आती हैं उसके अनुसार यह सारी कार्यवाही की जाती है। यह कहना गलत है कि सरकार ने यह किया है कि पचास प्रतिशत से कम दिखाया जाए। अलबत्ता 24 तारीख को मुख्य मंत्रीजी ने राजस्व सचिव को विशेष निर्देश दिये थे कि गिरदावरी पूरी तरह सही कराई जाए, किसानों के हित में की जाए। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान का किसान मर चुका है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): सर्वे गांव और ढाणियोंवाइज पूछा है मैंने, रेवेन्यूवाइज नहीं। रेवेन्यू विलेज नहीं, ढाणियों का भी है कि नहीं? ऐसी तीन ढाणियां हैं उनमें नुकसान हुआ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त।

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

चेतराम मीणा, श्री, पूर्व राज्य मंत्री

माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं हाल ही में दिवंगत हुए राजस्थान के पूर्व राज्य मंत्री एवं इस विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री चेतराम मीणा के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

पूर्व राज्य मंत्री श्री चेतराम मीणा का जन्म 8 सितम्बर, 1933 को भरतपुर जिले के महाराजसर ग्राम में हुआ। आपने बी.ए., एलएल.बी. एवं वर्क्स मैनेजमेंट में डिप्लोमा की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री चेतराम मीणा सातवीं एवं पांचवीं राजस्थान विधान सभा में टोडाभीम निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक रहे। श्री मीणा 19 जुलाई, 1981 से

(श्री अध्यक्ष)

23 फरवरी, 1985 तक राज्य सरकार में विभिन्न विभागों के राज्य मंत्री रहे। इस दौरान आपके पास बाढ़ एवं अकाल राहत विभाग के साथ-साथ जनजाति क्षेत्रीय विकास, समाज कल्याण एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग का स्वतंत्र प्रभार भी रहा। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप गृह समिति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति के सदस्य रहे। श्री मीणा समाज कल्याण एवं जनजाति क्षेत्रीय विकास विभागों की संसदीय परामर्शदात्री समिति के सभापति भी रहे।

केन्द्रीय सचिवालय में विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं देने वाले श्री मीणा पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय उपयोगकर्ता सलाहकार समिति एवं राज्य नियोजन सलाहकार समिति के सदस्य तथा सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक के अध्यक्ष रहे। आप मीणा सुधार समिति, भरतपुर: राजस्थान मीणा महासभा, जयपुर तथा राजस्थान आदिवासी संघ, जयपुर के विभिन्न पदों पर रहे। कांग्रेस से सम्बद्ध रहे श्री मीणा जिला कांग्रेस कमेटी, भरतपुर के अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी, सवाई माधोपुर के कार्यकारिणी सदस्य तथा राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे। आप राजस्थान आदिवासी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी रहे।

श्री चेतराम मीणा का दिनांक 4 मार्च, 2013 को निधन हो गया।

मैं अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगत श्री चेतराम मीणा के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं तथा श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे तथा उनके शोकसंतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

हैदराबाद में आतंकवादी घटना में मृत व्यक्ति

दिनांक 21 फरवरी, 2013 को आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में हुए दो बम विस्फोटों में कई व्यक्तियों की मौत हो गई तथा अनेक लोग घायल हो गये। आतंक फैलाने वाली इस बर्बर एवं कायरतापूर्ण कार्यवाही की यह सदन घोर निन्दा करता है।

मैं इस हादसे में मारे गये व्यक्तियों की मृत्यु पर भी शोक प्रकट करता हूं तथा पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं।

माननीय सदस्यगण कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें।

(तदनन्तर सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गई)

(श्री अध्यक्ष)

अनुपस्थिति अनुमति

कन्हैयालाल झंवर, श्री, सदस्य को 6 मार्च, 13 से सत्रान्त तक

मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री कन्हैयालाल झंवर, सदस्य, विधान सभा ने शारीरिक अस्वस्थता के कारण दिनांक 6 मार्च, 2013 से अंत:सत्र तक, सत्रान्त तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है। क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई। दिनांक 7 मार्च, 2013 को अनुमति प्रदान की गई।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

1. श्री जसवन्त सिंह यादव एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में वर्षा व ओलावृष्टि से किसानों की रबी की 80-90 प्रतिशत फसल नष्ट होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
2. श्री चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्य की ओर से राज्य में आधार कार्ड बनाने में हो रही अनियमितता से जनता को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।
3. डा. दिगम्बर सिंह एवं तीन अन्य सदस्यों की ओर से प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था के हालात अत्यधिक खराब होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
4. श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से प्रदेश के सरकारी विश्वविद्यालयों में व्याप्त अनियमितता के सम्बन्ध में।
5. श्री ज्ञानचन्द पारख, सदस्य की ओर से जिला पाली के सरदार समंद बांध के कैचमेंट इलाके में मा. उच्च न्यायालय के निर्देश के बावजूद अनेक एनीकट एवं अन्य निर्माण होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
6. श्री कैलाश चन्द भंसाली, सदस्य की ओर से जोधपुर शहर में फैली स्वाइन फ्लू की महामारी को रोकने हेतु विशेष प्रयास नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं।

7. श्री अमराराम, सदस्य की ओर से राज्य विधान सभा के सामने अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन करने आये अधिवक्ताओं पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्य श्री अमराराम एक अन्य विषय पर आज पर्ची के माध्यम से सदन में अपने विचार रखेंगे, अत: इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

8. श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से चाकसू विधान सभा क्षेत्र में 1 मार्च, 2013 को पोखर उर्फ बाबू की बस ड्राइवर व कन्डक्टर द्वारा कथित हत्या की घटना के सम्बन्ध में।

9. श्रीमती अनिता भदेल एवं चार अन्य सदस्यों की ओर से अजमेर के सावित्री कन्या महाविद्यालय एवं विद्यालय के गैर अनुदानित पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को ग्रामीण राजकीय सेवा में समायोजित नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

10. श्री पेमाराम, सदस्य की ओर से राजकीय आवासीय विद्यालय, पावटा (डीडवाना) में अध्ययनरत कुंवारी छात्रा के दिनांक 5 मार्च, 2013 को सन्तान पैदा होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

11. श्री राजेन्द्र राठौड़ एवं श्री ओम बिरला एवं अन्य सदस्यों की ओर से राजस्थान बार कौंसिल के तत्वाधान में 6 मार्च, 2013 को विधान सभा भवन के पास अधिवक्ताओं के प्रदर्शन पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज एवं आंसू गैस के गोले छोड़े जाने की घटना के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा, श्रीमती अनिता भदेल, श्री पेमाराम एवं श्री राजेन्द्र राठौड़ तथा श्री ओम बिरला को अपने-अपने प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्री छोटूसिंह भाटी, सदस्य की ओर से जिला जैसलमेर की नहरी आबादी के चकों में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

2. श्री ग्यारसाराम कोली, सदस्य की ओर से जिला भरतपुर में ट्रांसफार्मर आबंटन में अव्यवस्था एवं भ्रष्टाचार होने के सम्बन्ध में।

3. श्री अब्दुल सगीर खां, सदस्य की ओर से धौलपुर की बसावट को देखते हुए समुचित पुलिस चौकियां स्थापित करने के सम्बन्ध में।

4. श्री ज्ञानदेव आहूजा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) की सड़कों को चुस्त दुरस्त करने के सम्बन्ध में।

5. श्री अर्जुन लाल, सदस्य की ओर से दिनांक 14 फरवरी, 2013 को जोधपुर शहर में बेरू निवासी शिवलाल की गाड़ी (पिकअप) पर हमला करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के सम्बन्ध में।

6. श्री ओटाराम देवासी, सदस्य की ओर से सिरोही जिला मुख्यालय पर नवनिर्मित ट्रोमा सेन्टर को जल्द शुरू करवाने के सम्बन्ध में।

7. श्री रविन्द्र सिंह बोहरा, सदस्य की ओर से जिला धौलपुर की राजाखेड़ा एवं धौलपुर तहसील में ओलावृष्टि से फसल को हुए नुकसान का मुआवजा देने के सम्बन्ध में।

8. श्री मदन प्रजापत, सदस्य की ओर से औद्योगिक क्षेत्र बालोतरा के विकास को मद्देनजर रखते हुए चतुर्थ फेज में आबंटन की प्रक्रिया पूर्ण करने के सम्बन्ध में।

9. डा. जसवन्त सिंह यादव, सदस्य की ओर से फल एवं सब्जी गौण मण्डी यार्ड गढ़ के पास, बहरोड़ में प्लेटफार्म नहीं होने से किसानों में आक्रोश के सम्बन्ध में।

10. श्री सुखराम कोली, सदस्य की ओर से जिला करौली के खिलाड़ी लाल एण्ड ब्रदर्स द्वारा राशन केरोसीन का तेल पेट्रोल पम्पों को बेचे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

11. श्री बाबूलाल बैरवा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कठूमर की सड़कों की दुर्दशा के सम्बन्ध में।

12. श्रीमती कमसा मेघवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ (जोधपुर) के कतिपय विद्यालयों को क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

(श्री अध्यक्ष)

मैं माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति दूं उससे पहले माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा स्पष्टीकरण के लिए।

आय व्ययक

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2013-14 के कतिपय आंकड़ों में संशोधन

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन को निवेदन करना है कि कल दिनांक 6 मार्च, 2013 को जब मैं वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक का उपस्थापन कर रहा था, तत्समय बोलते समय कुछ आंकड़े विषयक अशुद्धि रह गईं। पैरा नम्बर 124 में महात्मा गांधी नरेगा की केन्द्रीय योजना में 100 दिन के रोजगार प्रावधान को 125 दिन तक का रोजगार उपलब्ध करवाने की घोषणा की थी जबकि जो मुद्रित भाषण माननीय सदस्यों को उपलब्ध करवाया गया है उसमें इस प्रावधान को बढ़ाकर 150 दिन करने की घोषणा अंकित है, जिसमें 50 दिन के अतिरिक्त...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सुनिये, सुनिये। सुनिये, सुनिये।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): जिसमें 50 दिन के अतिरिक्त रोजगार का खर्चा राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना प्रस्तावित है। राज्य सरकार महात्मा गांधी नरेगा योजना में राजस्थान के श्रमिकों को 50 दिन का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध करवाने की मंशा रखती है।

इसी प्रकार पैरा नम्बर-130 में बायोगैस के उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु आगामी वर्ष में 20 हजार प्रति प्लांट अनुदान देने की घोषणा मेरे द्वारा की गई, जबकि मुद्रित भाषण के अनुसार यह 25 हजार प्रति प्लांट है। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार बोलते समय स्लिप आफ टंग के कारण कुछ आंकड़ों में यह गलती रही है। अत: मेरा आपसे निवेदन है कि कार्यवाही वृत्तान्त में मुद्रित बजट भाषण के अनुरूप संशोधन करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा।

अनुरोध एवं मांग

खान आबंटन में हुई नियमों की अवहेलना की जांच

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, निवेदन आपसे यह है, सदन के नेता भी विराजमान हैं, कल आपने

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

स्वयं भावना प्रकट की कि खान आबंटन में नियमों की अवहेलना होकर कुछ लोगों को की है। लोगों की मान्यता है कि यह गलत तरीके से हुई है और आपने उसको स्वीकार किया है कि उसके बारे में जांच की जाए। कल हाउस का, सबका मानस था कि इस हाउस की कमेटी बनाकर इसी सत्र समाप्त होने के पहले-पहले उस कमेटी की रिपोर्ट आ जाए ताकि कम से कम इस सच्चाई का फैसला हो जाए। नहीं तो यह एक तरह से अंधेरे में रहेगा तो शंकाएं कई पचास तरह की पैदा होंगी। वह स्थिति नहीं रहे और स्थिति स्पष्ट हो जाए, मेरी आपसे प्रार्थना है, सदन के नेता भी विराजमान हैं, सदन की एक कमेटी बनाकर इन सारे डाक्यूमेंट को देखकर वह अपनी रिपोर्ट पेश करे।

श्री अध्यक्ष : विराजें। श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि कोई तथ्यों में, प्रक्रिया में गलती हुई है। मैंने कहा, जो कुछ भी अख़बार में आ रहा है, जिस प्रकार से बताया गया, उसका मैं खण्डन करता हूं। आज भी परन्तु मैंने कहा कि जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वह अध्यक्ष महोदय से बात करके अध्यक्ष महोदय जो चाहेंगे, जिस प्रकार से जांच कराना चाहेंगे, वह मुझे मंजूर है। यह मैंने कल कहा था, यह मैं रिपीट करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आपसे यह प्रार्थना ही तो कर रहा हूं मैं और हाउस में सबके सामने कर रहा हूं कि आप जो भी किसी की कमेटी बना दें। उस कमेटी को इस बात के लिए पाबंद करें कि वह रिपोर्ट पेश करे। यही तो मांग कर रहा हूं मैं, और कोई नई मांग तो कर नहीं रहा हूं। मैं चाहता हूं, आपके ऊपर ही यह अधिकार दिया हमने, आप यह कमेटी बनाओ और इसी हाउस के समाप्त होने के पहले-पहले रिपोर्ट आ जाए।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा। माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, घनश्याम तिवाड़ीजी ने जो प्रश्न उठाये, वे लिंक्ड हैं इससे ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ...(व्यवधान) जब सदन के नेता ने आप पर, आसन पर सब कुछ छोड़ दिया और आसन सर्वोपरि है, प्रतिपक्ष के नेता ...(व्यवधान) कमेटी बना दो, उसका सामना करने के लिए तैयार हैं ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): किस कारण से घनश्याम तिवाड़ीजी

(डा. रघु शर्मा)

की तबीयत खराब हुई है, वह अस्पताल में भर्ती हुए, उनका ब्लड प्रैशर हाई हुआ है। किन परिस्थितियों में उन्होंने यहां जो बातें कही हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : किसी माननीय सदस्य का अंकित नहीं होगा। किसी माननीय सदस्य का अंकित नहीं होगा। श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा। किसी माननीय सदस्य का अंकित नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है, अंकित नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री अध्यक्ष : किसी माननीय सदस्य का अंकित नहीं होगा।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री अध्यक्ष : विराजें आप, किसी का अंकित नहीं हो रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, कटारिया साहब और कई बहुत वरिष्ठ माननीय सदस्य बैठे हुए हैं वह सब सदन में होंगे या उसके पहले सुना भी होगा, ऐसे मुद्दे कई बार सदन में आये हैं। और हाउस में मुख्य मंत्री या सदन के नेता ने यह कहा है पहले भी कई बार कि नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष बात कर लें और जिस प्रकार से, डाक्यूमेंट देख लें, कहां गलती हुई है या नहीं हुई है, उसके बाद में कोई फैसला हो। परन्तु मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं कि इतना विश्वास आप सबके सदस्यों का आपके ऊपर होना चाहिए कि अगर मैंने, यह आपके लिए कहा है तो कुछ सोचकर कहा

(श्री अशोक गहलोत)

होगा। मैं जानता हूं कि अगर मेरे पर कोई जिम्मेदारी डाली जाएगी तो मैं उसको मेज पर देखकर फैसला करुंगा। इतना विश्वास, उस दिन मैंने कहा था कि सदन में यह स्थिति पैदा होनी चाहिए कि अगर नेता प्रतिपक्ष कहे तो मुख्य मंत्री सदन के नेता कहेंगे, वह मुझे मंजूर है या वह देखेंगे और स्पीकर को रिपोर्ट कर देंगे कि वास्तव में मैं यह महसूस करता हूं। इसी प्रकार अगर मैं कहूं कि मुझे आप पर विश्वास है, आप डाक्यूमेंट देखें कि कैबिनेट का फैसला है, पूरी प्रक्रिया से फैसला हुआ है, कोई पिक एण्ड चूज नहीं हुआ है-जो फैसला माइंस के अलाटमेंट का एक-एक हैक्टेयर का हुआ है। वह खाली जो स्टोन पार्क है, उस पूरे पार्क के अन्दर जो बसे हुए हैं उन्हीं तक सीमित रखकर फैसला हुआ है। फिर भी डाक्यूमेंट आप देखना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। इतना विश्वास सदन को भी, राजस्थान की जनता को होना चाहिए कि सदन में कम से कम यह परम्परा वहां पर शुरू हुई है। अगर मैं सदन का नेता आपसे कहूं, आप पहले डाक्यूमेंट देखें कि प्रक्रिया क्या थी। अब यह किसी को ही नहीं मालूम है। खाली एक रिपोर्ट आ गई, अख़बार में खबर छप गई, उसके आधार पर अगर हम लोग फ़ैसले सदन में करेंगे तो परम्परा गलत पड़ेगी। जैसा माननीय सदस्य ने कहा उप तहसील के लिए, फोटो दिखाकर फ़ैसले नहीं हो सकते हैं। जब माननीय मंत्री महोदय ने कह दिया कि इलाक़े की ज्योग्राफी और प्रशासन की स्थिति क्या है उसके आधार पर वह विचार कर लेंगे, मुख्य मंत्री को रिपोर्ट कर देंगे, इसके क्या मायने होते हैं? अगर उप मुख्य मंत्री महोदय ने उसका शिलान्यास किया है या उद्घाटन किया है, यह मान लीजिए, यह बता रहे हैं फोटो, फोटो के आधार पर आप यह उम्मीद मत करो, फैसले हाउस के अन्दर होने चाहिए। परन्तु फोटो तो आपको मालूम है, पहले चालीस-चालीस पत्थरों की फोटो लग गई थी चुनाव से पहले शिलान्यास की, आज एक भी शिलान्यास का वहां पर पूरा काम नहीं हो पाया। इसलिए कृपा करके जब मैंने कहा है कि अध्यक्ष महोदय पर छोड़ दें, वह आपको बुलाकर चर्चा कर लेंगे, आप जो चाहेंगे वह। आपको हम लोग जो कैबिनेट फैसला किया हुआ है, बता देंगे। आप फैसला करना। यह कोई पिक एण्ड चूज से किसी को नहीं किया गया है। कल मैंने प्रेस कान्फ्रेंस में क्लीयर कर दिया है कि मैंने कोई रिश्तेदार को, एक मेरा भांजा, एक मेरा भाई की वाइफ और उनकी बेटे की पत्नी के नाम तीन मैंने देखे, और वह भी कोई विश्वास करे या नहीं करे, मैं तो यह सोचता हूं कि मुझे तो खाली एक जसवंत सिंह कछवाहा जो मेरा भांजा है, उसके बारे में मुझे मालूम था, उसकी कोई वहां पर माइंस

(श्री अशोक गहलोत)

ली हुई है। माइंस क्या, उसका प्लाट है उसके पार्क के अन्दर। अध्यक्ष महोदय, 2003 की बात है, यह पार्क कंट्री का पहला पार्क है जो पत्थर की छिलाई करके वहां पर स्थापित किया गया है। ऐसी जगह पर इस प्रकार से, या केन्द्र सरकार छूट देती है एक्साइज में या ड्यूटी में, उसी प्रकार से प्रमोट करने के लिए इस ज़ोन को बनाया गया जोधपुर के अन्दर। उस ज़ोन को बने हुए आज दस ग्यारह साल हो गए, उसके अन्दर जिन-जिन लोगों ने एप्लाई किया था, उन्हीं तक सीमित रखकर फैसला हुआ है। कोई पिक एण्ड चूज करके इस तरह के कारण से किसी को अलाट नहीं की गई है। फिर भी एक बार आप उसको समझ लें। अधिकारियों से समझ लें, डाक्यूमेंट देख लें। जो कैबिनेट का मीमो है वो आप देख लें। उसके बाद में अगर आपको लगे कि वास्तव में इसमें और कोई इंक्वायरी की जरूरत है, तो अध्यक्ष महोदय पर छोड़ते हैं। ये जो भी फैसला करेंगे वो हम सब को मंजूर होगा, यह मैं कहना चाहूंगा। पर यह परम्परा मत डालो आप कि इस प्रकार से अविश्वास पैदा करें। कृपा करके यह परम्परा नहीं होनी चाहिए। इतना विश्वास तो आपस में होना ही चाहिए। उसके बाद में भी अभी किसी को मिला नहीं है प्लाट। जब मैं 28-29, दिसम्बर को जोधपुर गया तो वहां पर क्षेत्र के लोग आये थे, उन्होंने कहा कि यह जो फैसला हुआ है उसमें हमें वंचित कर दिया गया है। तो मैंने कहा कि अगर आपको वंचित कर दिया गया है तो आप उस जोन में नहीं होंगे। फिर भी मैंने उसी वक्त कलक्टर को कहा कि जो प्रक्रिया चल रही है उसको रोक दो, अभी जब तक कि सबके दिमाग में स्पष्टीकरण नहीं हो तब तक प्रक्रिया को आगे मत बढ़ाओ। उसके बाद 29 दिसम्बर से प्रक्रिया रुकी हुई है। वहां पर किसी को प्लाट नहीं मिला है। उसके बावजूद भी जो स्थिति अख़बार में या मीडिया में आई है, उसको लेकर मैं समझता हूं कि इस प्रकार की बहस नहीं होनी चाहिए। अगर सदन का नेता या प्रतिपक्ष का नेता या कोई भी आरोप लगे तो मैं समझता हूं कि आरोप लगने चाहिए, बहुत गम्भीरता के साथ में इतना मैं कहना चाहूंगा।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट मैं निवेदन करना चाह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : अब छोड़िये इस बात को, मुख्य मंत्रीजी सारी बात कह चुके हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): एक मिनट मैं निवेदन करना चाह रहा हूं। माननीय नेता महोदय ने जो ये...

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्रीजी के बाद क्या बच गया? सारी बात कह चुके हैं मुख्य मंत्रीजी। श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह परिपाटी खतम होनी चाहिए। यह जिस तरीके की नयी परिपाटी डाली जा रही है, जब यह तय हो गया था, आपको अधिकार दे दिया गया था मुख्य मंत्रीजी के द्वारा कि आप इसमें तय कर दीजियेगा तो फिर बात ही खतम हो गयी थी।

श्री अध्यक्ष : अब हो गयी न बात खतम।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आज ये नयी तरह से इश्यू उठाने वाली क्या बात थी? नहीं, क्या बात थी? ऐसी क्या बात थी?

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्रीजी ने कह दी उसके बाद आपको भी कोई आवश्यकता नहीं कोई बात कहने की।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मुख्य मंत्रीजी ने चलाकर आपको अधिकार दे दिया कि आप जो फैसला करना चाहें वो फैसला कर लें, फिर ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई थी कि आज इस बात को उठाया जा रहा है?

श्री अध्यक्ष : ठीक है, बात खतम हो गई। अब आप विराजें।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): घनश्याम तिवाड़ी जी ने मांग की उस पर नहीं बोले आप लोग क्योंकि उसमें आप सब लोग एक्सपोज हो रहे थे। सब लोग वहां पर एक्सपोज हो रहे थे। उसमें आपके सब पत्ते खुल जाते, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

श्री गिर्राजसिंह (संसदीय सचिव): : ...(व्यवधान) तिवाड़ी जी वाली पर। तिवाड़ी जी को हास्पिटल किसने भेजा? (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय कटारिया साहब, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं लेकिन ऐसी भी स्थिति मत बनने दो कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। ये पीछे से जो दो चाबियां आपके लिये लगा रखी हैं न, उधर से भरते हैं और आप उतना-उतना चल देते हो यह गलत है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): एक आप मन में पक्का विश्वास कर लो कि इस आदमी में न तो किसी की चाबी लगती है न किसी की चलती है। जो करते हैं अपने दिल से सोचकर करते हैं। सही निर्णय करने

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

का प्रयास करते हैं। कहीं भी कभी जाने अनजाने में भी गलती नहीं हो सकती, इतना आत्मविश्वास है। इसलिए आप ...(व्यवधान) ये केवल...

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आपको विनम्रतापूर्वक निवेदन कर रहा हूं कि पूरा सदन देखता है पीछे से बोलते हुए।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): इनकी बात सुनो। विपक्ष के नेता के बीच-बीच में क्यों दखल कर रहे हो?

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय, यह आपके पद के अनुरूप नहीं है। आप खुद ज्ञानी हैं, वरिष्ठ हैं, आपको लम्बा अनुभव है, पीछे से बोलते टाइम, हर बात पर इंटरवीन करते टाइम पूरा सदन देखता है इसलिए मैंने कहा है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): मुख्य मंत्री जब बात कहते हैं तो आप भी चाबी भरते हो क्या मुख्य मंत्रीजी के?

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): और एक आपसे अपेक्षा है घनश्याम जी के बारे में, वो आपके पुराने साथी हैं, पार्टी के कमिटेड नेता हैं, विचाराधारा से जुड़े हुए हैं, आज ऐसा तो मत करो कि जनता दल, कांग्रेस पार्टी के ठुकराये हुए लोग कब्जा कर लें आपकी पार्टी पर और आपके निष्ठावान लोग अस्पताल में भर्ती हो जाएं आपके कामों की वजह से। कम से कम उनका नाम तो ले लो।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): माननीय मुख्य सचेतक महोदय, पत्ते मत खुलवाओ आपके भी।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): कटारिया साहब, आप बहुत ईमानदार आदमी हो, मैंने कहा है सदन में कि आप ईमानदार आदमी हो, चैनल पर कहा है। (व्यवधान) आप विराज जाएं।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): आप भी विराजो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मेरा न तो कोई दूसरा विचार था मैंने तो आपकी उस बात का ही स्वागत किया। चाहता था कि जब आप इतना अपना मन इसके बारे में बना करके इसकी सच्चाई तक पहुंचना चाहते थे...(व्यवधान)...

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ...(व्यवधान) कटारिया साहब के सामने। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): ...(व्यवधान) तो उस कारण से कि कोई कमेटी बना देते तो उसका और अच्छा ठीक स्वरूप बनता जिसमें आप लोग भी होते, हम भी होते। कमेटी का निर्णय मैं सोचता हूं कि कहीं कोई गड़बड़ नहीं होती।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): मेरी बात सुनिये। आप यहां तो कमेटी की बात कर रहे हैं, दिल्ली में जे.पी.सी. बनाई यू.पी.ए. गवर्नमेंट ने तो आपकी पार्टी ने विरोध किया। कमेटी बनने के मायने क्या होते हैं, आप समझ सकते हो, मेरे मुंह से क्यों कहलवाते हो? कृपा करके जो मैंने कहा, कि इतना विश्वास सदन के नेता पर और नेता प्रतिपक्ष पर सदन का कायम रहना चाहिए जिससे कि तमाम पक्षों के लोगों को यह विश्वास रहे कि जिनको बनाया गया है नेता प्रतिपक्ष या सदन का नेता, उनको उन पार्टियों ने, उन विधायकों ने सोच-समझकर बनाया होगा, उनकी क्रेडीबिलिटी होगी इसलिए बनाया गया होगा। यह विश्वास सदन में कायम रहना चाहिए, मैं यह कहना चाहूंगा। जब आप डाक्यूमेंट देखेंगे उसके बाद फैसला करें, अध्यक्ष जी को कह दीजिये। अध्यक्ष जी फैसला करेंगे कि क्या करना है।

श्री अध्यक्ष : चलिये।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

चाकसू में पोखर नामक बालक की मृत्यु का प्रकरण

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): अध्यक्ष जी, एक तारीख को पोखर नाम का एक बच्चा जिसकी हत्या हो गई, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। वो बच्चा मिनी बस में सफर कर रहा था तो कंडक्टर और ड्राइवर से बहस हो गई किराये को लेकर या गाली-गलौज हो गई। उसके बाद वह बच्चा लापता हो गया और उसके बाद उसकी लाश रेल पटरी पर मिली। उसके शरीर के टुकड़े हुए पड़े थे। जब रेलवे पुलिस से जानकारी चाही तो उन्होंने साफ मना कर दिया, चार रेल ड्राइवरों ने साफ मना कर दिया कि हमारी रेल से कोई भी किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट नहीं हुआ। अब बात यह है कि उसके चार-पांच टुकड़े मिले, उसका एक पैर दो किलोमीटर दूर मिला। उसका कमर का हिस्सा कटा हुआ था। जब उसका दाह संस्कार किया गया तो दाह संस्कार के समय विस्फोट हुआ। चौसला गांव का मैटर है, चौसला गांव का श्मशान घाट एक किलोमीटर दूर है और उसके पास का जो बलमपुरा गांव है उस तक उस विस्फोट की आवाज गई। मेरे कहने का मतलब है कि चाकसू में पांच दिन से बाजार बंद है। पूरा प्रशासन वहां पर है लेकिन पांच दिन बाद भी अभी तक

(श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा)

पता नहीं चल रहा है कि इसकी हत्या हुई है या आत्महत्या हुई है। रेलवे पुलिस वाले कह रहे हैं कि हमारी रेल से कोई आदमी नहीं कटा। मैं यह कहना चाहूंगी कि सर्वसमाज का समर्थन है, चार-पांच दिन तक बाजार बंद रहे और दहशत का माहौल फैला हुआ है। यह हत्या हुई है न कि आत्महत्या, जबकि पुलिस प्रशासन उसको आत्महत्या का रूप दे रहा है। उसके शरीर पर निशान भी हैं। तो पोस्टमार्टम करते वक्त क्या डाक्टर्स को पता नहीं चला कि इसके शरीर में विस्फोटक पदार्थ रखा गया था? खुदा न खास्ता, अगर ट्रेन उसके धड़ के ऊपर से चली जाती तो रेल को भी हानि हो सकती थी और रेल में बैठी हुई सवारियों को भी हानि हो सकती थी। दाह संस्कार के वक्त विस्फोटक पदार्थ का बहुत जोर से धमाका हुआ और उसकी लकड़ियां भी चारों ओर फैल गयी थीं। लोग-बाग़ दूर भाग गये। गुर्जर समाज का बच्चा पोखर उसको सर्व समाज ने परसों श्रद्धांजलि दी। कल हम लोग मिले और एस.पी. साहब से सबसे बात भी की तो उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक पता नहीं चल रहा कि उसकी हत्या हुई है या आत्महत्या। यही एक मैटर नहीं है।

इसके अलावा मेरे पास में नौ हत्याओं के मामले हैं जिनको प्रशासन ने आत्महत्या के मामले बना रखा है। इससे पहले दो बच्चे तालाब में डूबे एक तो शुभम थावर जिसकी एफ.आई.आर. नं. है 402, यह 8 तारीख को मरा तालाब में डूब कर। उसके साथ ही 8 तारीख को सूरज राव, उनका भी अभी तक कोई खुलासा नहीं हो रहा कि इनकी हत्या किसने की किसने नहीं की। देखा जाए तो, मैं कह रही हूं, चाकसू में एक दहशत का माहौल फैला हुआ है क्योंकि सिलसिलेवार हत्याएं हो रही हैं, नौजवान बच्चों की हो रही हैं, लड़कों की हो रही हैं। तीन बच्चे कुए में डूब कर मरे, उनका भी अभी तक पता नहीं चल रहा है। इसलिए मैं गृह मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि ये जो हत्याएं हो रही हैं, उसका आप खुलासा करें, जल्दी से जल्दी इसके बारे में बताएं कि हत्याएं किसने की हैं और उनको पकड़कर अरैस्ट किया जाए।

इसके साथ में एक निवेदन और करना चाहूंगी कि ये जो मिनी बसें चल रही हैं, आपको पूर्व में भी मैंने निवेदन किया था कि लो फ्लोर बस लगा दें जिससे कि इस तरह की बात न हो सके। अब चाकसू में यह माहौल है कि अब लोग-बाग घरों में यह देख रहे हैं कि अब किसका बच्चा बलि चढ़ेगा, क्योंकि सभी जो नौजवान बच्चे हैं, सफर कर रहे हैं, किसी का भी किसी से झगड़ा होता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। तो मेरा निवेदन है, आज ही घोषणा कीजिये कि मिनी बस को हटाकर, बंद कर लो फ्लोर चलायी जाए।

(श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा)

इसका खुलासा किया जाए कि यह हत्या किसने की है और साथ ही उस बच्चे के परिजनों को पांच लाख का मुआवजा दिया जाए और उसके परिवार में किसी को सरकारी नौकरी दी जाए क्योंकि तीन ही बच्चे हैं और वो ही बच्चा कमाने वाला था। पढ़ाई के बाद वो काम करता था और अपने मां-बाप का और अपने परिवार का पेट पालता था। मेरा तो निवेदन है, गृह मंत्रीजी लो फ्लोर का और इसका खुलासा करें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय मंत्री महोदय, आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या को अपनी बात पूरी कर लेने दें, आप विराजें। बीच में डिस्टर्ब नहीं।

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): मैं यही कहना चाह रही हूं कि ये जो सिलसिलेवार हत्याएं हो रही हैं, उनको पूरा का पूरा प्रशासन दबा रहा है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो गलत आ रही है, उसकी जांच की जाए। मैं चाहती हूं कि इसकी जांच सीबीआई से हो कि बॉडी पार्ट में विस्फोटक पदार्थ कहां से आया। यह बहुत ही संवेदनशील मामला है कि दाह संस्कार के वक्त विस्फोट होता है। यह आप बताएं।

श्री अध्यक्ष : माननीय कटारिया जी। (व्यवधान) नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं आपको ध्यान ही नहीं है, नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इसी चाकसू थाने में यह छठा मर्डर है और लगातार इसी प्रकार का संदेह वहां के लोगों में है कि यह जो वास्तव में आत्महत्या दिखा रहे हैं यह सच में आत्महत्या न होकर मर्डर है लेकिन थाना इसे आत्महत्या में परिवर्तित कर रहा है। लोगों में एक लंबे समय से भारी असंतोष है। जिस ढंग से इस पोखर की मृत्यु हुई तो जो दो-तीन महीने पुराना गुस्सा था, एक के बाद एक घटना को आत्महत्या में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसके कारण से लोगों में आक्रोश है। चार दिन तक लगातार पूरा का पूरा बाजार और आसपास के गांव बंद रहना, यह कोई सामान्य घटना नहीं है। इसको गम्भीरता से लेकर किसी अच्छे अधिकारी की टीम बनाकर थाने में पिछले तीन महीने में जितने मर्डर हुए हैं, उन सारे मर्डर का ठीक प्रकार से इन्वेस्टिगेशन करें और उसकी तह तक पहुंचने की कोशिश करें। इसमें न तो किसी की मंशा बचाने की

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

होगी न किसी को कुछ करने की होगी लेकिन लोगों में कैसे विश्वास जमे कि हमारे यहां किसी चीज का न्याय होता है और किसी गरीब और बेसहारा को भी न्याय मिलता है। इसके लिये मंत्री महोदय कम से कम आश्वस्त कर दें। कोई भी टीम लगाकर इन पांचों-छहों केसेज को जिनको आत्महत्या में कन्वर्ट कर दिया, इन सबकी ठीक प्रकार से इन्वेस्टिगेशन करके इन केसेज को खोलें। इस केस को वे ट्रेन एक्सीडेंट बता रहे हैं, जितनी ट्रेनें गुजरी हैं उन सबसे बयान ले लिये, किसी ने नहीं कहा कि ट्रेन से किसी प्रकार का एक्सीडेंट हुआ है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि न्याय मिलना चाहिये। जनता में विश्वास पैदा करो कि वास्तव में किसी के साथ अन्याय हुआ है उसकी तह तक हम पहुंचेंगे। उसके लिये मैंने स्वयं भी कमिश्नर साहब से बात की है, आप भी उनसे बात करके कोई टीम लगाकर इस सारे के सारे केस को खोलें।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय, इतना महत्वपूर्ण मामला चल रहा है और गृह मंत्रीजी गायब हैं। गृह मंत्रीजी का पता ही नहीं, कहां हैं वह।

(12.38 बजे)

(श्री रामनारायण मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): कागज लेने गये होंगे।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): ...(व्यवधान) गृह मंत्रीजी यहां बैठे थे लेकिन जैसे ही इसके उत्तर देने की बात आई, सदन छोड़कर चले गये। मेरा आपसे निवेदन है कि गृह मंत्रीजी से इसका उत्तर दिलाया जाए।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ...(व्यवधान) इसमें कोई उत्तर नहीं होता। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, इसमें उत्तर होता ही नहीं है। (व्यवधान)

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): ...(व्यवधान) आप गृह मंत्रीजी को आदेश दीजिए कि वह यहां आएं और इसका उत्तर दें। ऐसे तो इसका काम चलेगा नहीं। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ...(व्यवधान) इसी तरह स्वतंत्रता सेनानी ...(व्यवधान) हत्या हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, केवल गृह राज्य मंत्रीजी।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप जवाब नहीं सुनना चाहते। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप जवाब सुनना चाहते हैं या नहीं सुनना चाहते हैं? केवल गृह राज्य मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने अभी चाकसू थाना क्षेत्र में जो कि आपका विधान सभा क्षेत्र भी है, पोखर बाबू की कथित हत्या के संबंध में विषय उठाया। मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस संबंध में एक प्रकरण दर्ज हुआ है मुकदमा संख्या 94/2013, धारा 143, 364, 302, इसमें मृतक के पिता ने नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। एक तारीख को उनके लापता होने के समय से उनका मोबाइल स्विच आफ आ रहा था, 2 तारीख को प्रात: साढ़े नौ बजे थाने पर सूचना प्राप्त हुई कि एक शव रेलवे ट्रैक पर देखा गया है और उस शव की शिनाख्त होने पर जाना गया कि वह पोखर जो कि लापता थे, उनका शव है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकरण में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सहायक पुलिस आयुक्त, चाकसू के द्वारा वर्तमान में जांच की जा रही है। माननीय सदस्या ने विस्तार के साथ में इस पूरी घटना का जिक्र किया है, अभी पुलिस किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई है। हत्या और आत्महत्या, ये दोनों ही बिन्दु हैं जिन पर जांच की जा रही है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि पूर्ण पारदर्शिता के साथ में निर्णय पर पहुंचने के साथ प्रभावी कार्यवाही की जाएगी। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्रीमती अनिता भदेल।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): ×××

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आपका जवाब आ गया, सदन चल रहा है आप विराजिए। केवल अनिता भदेल। (व्यवधान)

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): ×××

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल अनिता भदेल जी का।

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): ×××

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, एक मिनट, आप विराजिए। गृह राज्य मंत्रीजी ने बिना आसन की इजाजत के स्टेटमेंट दे दिया है। उन्होंने कहा कि जांच चल रही है। सदन एक महीने तक चलेगा, सारा निर्णय आज करना है क्या? (व्यवधान) आप सुनिए बात, हर केस में आप स्टेटमेंट मांगोगे। (व्यवधान)

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप सुनिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आप सुनिए, आप विराजिए। आप कितनी दफा सदन में आये हो, गृह राज्य मंत्री जी आपसे सीनियर हैं, आप बात को सुनिए। आप अपनी सीमा में रहिए। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य आप विराजिए। आप ज्यादा समझदार हैं, आप सदन में सम्माननीय माननीय सदस्य हैं। हर मामले में स्टेटमेंट दिया जा रहा है फिर भी आप इस तरह करोगे तो जरूरी नहीं है कि स्टेटमेंट दें। यह कम्पलशन भी नहीं है, मैं आपसे अर्ज करता हूं। सदन चल रहा है, कुछ दिनों बाद नतीजा आ जाएगा। आप उसमें लिख रहे हैं कि कंडक्टर ने मारा है, एवीडेंस आएगी तो निश्चित तौर पर सज़ा आएगी। नहीं आएगी तो कैसे होगी? (व्यवधान) आप सुनिए। माननीय श्रीमती अनिता भदेल।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): ×××

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल माननीय श्रीमती अनीता भदेल।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप बोलिए, केवल आपका ही अंकित हो रहा है।

अजमेर के सावित्री कन्या महाविद्यालय व विद्यालय के कर्मचारियों का राजकीय सेवा में समायोजन

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा की दृष्टि से अजमेर की एक बहुत पुरानी संस्था सावित्री कन्या महाविद्यालय और सावित्री विद्यालय, उनके गैर अनुदानित कर्मचारियों के बारे में अपनी बात कहना चाहूंगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले चार-पांच दिनों से वे क्रमिक अनशन पर हैं, भूख हड़ताल पर हैं और उन्होंने सरकार से इच्छा मृत्यु के लिये अनुमति मांगी है कि सरकार हमें इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दे तो हम स्वयं ही अपनी जीवनलीला समाप्त कर लें। मंत्री महोदय यहां विराजमान हैं, मेरा निवेदन है कि ये मात्र 18 कर्मचारी हैं और पूरे राजस्थान

(श्रीमती अनिता भदेल)

के जितने भी अनुदानित महाविद्यालय हैं उनसे यह अलग प्रकार का मामला है, अलग प्रकार का विषय है। यह संस्था 1974 से सरकार के आदेशों से चल रही है। प्रबंध कार्यकारिणी इसमें भंग कर दी गई हैं और इतने दिनों से हमारे ए डी एम साहब इसको चला रहे थे। सरकार ने वहां प्रशासक तैनात किये हुए थे और ये जो 18 कर्मचारी हैं इनको भी महाविद्यालय में इन प्रशासक महोदय की अनुशंसा पर ही लगाया गया था। बहुत स्क्रूटनी से विज्ञापन जारी करने के बाद में इन कर्मचारियों को वहां लगाया गया। इसके अतिरिक्त अब यह महाविद्यालय राजकीय महाविद्यालय घोषित हो चुका है। जो दूसरे गैर अनुदानित महाविद्यालय हैं वे राजकीय महाविद्यालय घोषित नहीं हुए हैं। इस महाविद्यालय के पास में अरबों-खरबों की सम्पत्ति है, वह सारी की सारी सम्पत्ति अब सरकार के हैंड में है, सरकार के पास है। जब सरकार ने पूरे संसाधनों सहित इस महाविद्यालय को टेक ओवर किया है तो इन 18 कर्मचारियों को भी वे ले सकते थे। अब उम्र के ऐसे पड़ाव पर ये कर्मचारी हैं कि किसी की 40 साल उम्र है, किसी की 45 साल उम्र है, किसी की 55 साल उम्र है। ऐसी उम्र में ये कर्मचारी महाविद्यालय छोड़कर कहीं अन्यत्र रोजगार ढूंढने के लिए नहीं जा सकते। यहां से यदि हटाये जाते हैं तो उनके पास कोई विकल्प नहीं है अपने परिवार के भरण पोषण का। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से इतना निवेदन करना चाहूंगी कि पूरे राजस्थान में यह अलग प्रकार का मामला है, मात्र 18 कर्मचारी हैं, आपने इतने हजार कर्मचारियों को समायोजित किया है और अरबों-खरबों की सम्पत्ति सरकार के पास आई है, तो मात्र 18 कर्मचारियों को भी किसी न किसी तरह, वे तो ग्रामीण सेवा में जाना चाहते हैं कि हमें ग्रामीण सेवा में भेज दें, जितनी भी हमारी सर्विस शेष बची है उसको हम गांव में जाकर देने को तैयार हैं। सरकार को इन्होंने आठ पत्र लिखे हैं,एक भी जवाब इनके पास नहीं आया है। अब पिछले चार दिन से वे आमरण अनशन पर हैं। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि मात्र 18 कर्मचारी हैं, सरकार के मंत्री यहां बैठे हैं, कुछ न कुछ इनके बारे में कहें ताकि उन 18 लोगों के परिवार के भरण पोषण की व्यवस्था के लिए वे सुनिश्चित हो सकें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय से मेरा इतना निवेदन है।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरे क्षेत्र का है। चार दिन पहले भी यह मुद्दा उठाया, ये लोग 20 साल, 25 साल से परेशान हैं। (व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): महाविद्यालय भले ही मेरे विधान सभा क्षेत्र में नहीं होगा परन्तु कर्मचारी अजमेर में रहता है। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): कर्मचारी हित में है। इनको अवसर दिलाएं। (व्यवधान) इनको आप व्यवस्थित करो, यह इस प्रकार का बताया है, बेचारे बीस साल से हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री से दिलवाएं। इनको नियमित कराओ, इनकी सर्विस दिलाओ। 20-25 साल से ये लोग नौकरी कर रहे हैं। इनका परिवार सड़क पर है पांच दिन से, यदि किसी के जीवन के साथ कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदार सरकार होगी।

श्री उपाध्यक्ष: कुछ कहना चाहते हो आप?

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय उपाध्यक्ष जी, मंत्रीजी से जवाब दिलवाएं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री पेमाराम जी।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है, माननीय मंत्री महोदय बोलना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: आप नियम जानते हैं, मंत्री जवाब देना चाहें आसानी से, नहीं देना चाहें....

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मंत्रीजी, आपसे मेरा निवेदन है। ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: यह स्थगन प्रस्ताव है। माननीय श्री पेमाराम जी। (व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय मंत्रीजी, मेरा आपसे निवेदन है, यह 18 लोगों के परिवार का मामला है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री पेमाराम जी।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): एक व्यक्ति का मामला नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: केवल पेमाराम जी का।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): ×××

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री पेमाराम जी, केवल पेमाराम जी।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): ×××

पावटा, डीडवाना के राजकीय आवासीय विद्यालय की अविवाहित छात्रा के उत्पन्न संतान

श्री पेमाराम (धोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत एक ऐसी घटना का जिक्र करना चाहूंगा ....

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण):×××

श्री पेमाराम (धोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक ऐसी घटना का जिक्र करना चाहूंगा जो घटना वाकई में शर्मसार करने वाली घटना है। यह एक राजकीय आवासीय विद्यालय डीडवाना के नजदीक पावटा में है, जहां गरीब की बेटियां अध्ययन करती हैं; वहीं पर छात्रावास में रहती हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं पीड़िता का नाम तो उजागर नहीं करूंगा, मगर पीड़िता की हालत यह है कि पीड़िता जब अपनी मां के पेट में 8 महीने की थी उस दौरान उसके पिता का स्वर्गवास हो गया। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे इलाके में प्रावधान है कि कोई नौजवान विधवा हो जाती है तो उसे चूड़ी पहना देते हैं वह आगे चली जाती है। उसकी मां इण्डाली गांव चली गई और जो बच्ची पैदा हुई वह अपने नाना के, सुजानगढ़ के नजदीक तवरा गांव है वहां अपने नाना के पास रहकर वह बच्ची पली। उस बच्ची को पावटा राजकीय आवासीय विद्यालय में प्रवेश दिलवाया गया। पावटा में ही यह बच्ची अध्ययन करती, रात को वहीं पर छात्रावास में रहती। उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली की एक दामिनी ने पूरे देश को झकझोर दिया था, यहां एक कुंआरी बेटी 11वीं क्लास में पढ़े, दलित की बेटी, गरीब की बेटी, छात्रावास में उससे शारीरिक संबंध बनाये गये। उसकी परिणति यह हुई कि पूरे नौ महीने का बेटा छात्रावास में उस टायलेट में जिस टायलेट में साधारणतया बच्चे-बच्चियां नहीं जाते, उस टायलेट में ताला रहता है, वह ताला खुलकर वहां वह बच्चा पैदा हुआ। पूरे नौ महीने का। मुझे यह कहना है कि सरकारी संस्था का छात्रावास पिछली सरकार ने इसीलिए खोला था कि गरीब की, दलित की बेटियां वहां पढ़ेंगी और पढ़कर अपना भविष्य सुधारेंगी। अफसोस की बात है कि नौ महीने, निश्चित तौर पर, उपाध्यक्ष महोदय, आप मुझे रोकेंगे...

श्री उपाध्यक्ष: थोड़ा शार्ट करें, आप बात रिपीट नहीं करें। मेरा अर्ज करना है, एक बार जो बात कह दी उसको बार-बार रिपीट नहीं करें। आप बात करिये अपनी पूरी।

श्री पेमाराम (धोद): मैं तो आप कहोगे तो बैठ जाऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, नहीं, गम्भीर मसला है।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): यह दलित बालिकाओं का भविष्य है, साहब। क्या दिशा और दशा इस देश की होगी, कहने दें, साहब, पूरा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपका नहीं है। दलितों की जनसंख्या 16 प्रतिशत है राजस्थान में।

श्री पेमाराम (धोद): उपाध्यक्ष महोदय, उसके बाद योजनाबद्ध तरीके से, प्रायोजित तरीके से उस बच्ची के नाना को बुलाया गया। 5 मार्च को बच्चा पैदा हुआ, 6 मार्च, 2013 को राजस्थान की विधान सभा में बजट पेश हुआ, उसके एक दिन पहले। 5 मार्च को उसके नाना को बुलाकर, डीडवाना के अस्पताल में भर्ती नहीं करवाया गया, मीठड़ी के पी एच सी में उस जच्चा और बच्चा दोनों को भर्ती करवाया गया, जहां जच्चा और बच्चा दोनों ठीक थे। वहां भी जब मीडिया वाले पहुंचे, लोग वहां पहुंचे तो, मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं राजनीति प्रभावी है, वहां से भी छुट्टी देकर रात को उस बेटी को उसके नाना के घर भेज दिया। वहां पर फिर तहसीलदार जी जाते हैं, पूरा का पूरा स्कूल प्रशासन जाता है, उस बच्ची पर दवाब डालता है। वह बच्ची कल 6 तारीख को हमारे सीकर जिले के राजकीय श्री कल्याण चिकित्सालय में इलाज कराने के लिए भर्ती हुई। सदन छूटने के बाद मैं यहां से सीकर के श्री कल्याण चिकित्सालय में जहां एम.सी.डब्ल्यू.सी. वार्ड में वह भर्ती है, जाकर मिलकर आया। वह बौखला रही है, वह कह रही है कि मेरे से दस्तखत करवा लिये, मेरे को कहा है कि जेल जाना पड़ेगा। मतलब उसके परिवार को, उस बच्ची को, जिसके मां-बाप नहीं है, इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है कि आप किसका नाम लोगी। उसका नाना तो यह कहता है कि मंगेतर, सगाई कर दी थी। वह लड़की कहती है कि नहीं। ऐसी सूरत में यह जघन्य अपराध, उपाध्यक्ष महोदय, साढ़े तीन बजे सीकर के कल्याण अस्पताल में भर्ती होना, अफसोस, इसलिए कहना पड़ेगा कि एक साजिश के तहत हो रहा है। जांच भी करेंगे तो किसकी करेंगे? सीकर के कल्याण अस्पताल में वह बेटा, मीठड़ी का अस्पताल कहता है कि जो जन्मा है वह पूरे नौ महीने का है, ठीक है। मीठड़ी के अस्पताल के डाक्टर, कम्पाउण्डर लाकर कल्याण अस्पताल में भर्ती करवाते हैं, नागौर के बजाए। साढ़े तीन बजे वह लड़का मर जाता है। सीकर के कल्याण अस्पताल में रिकार्ड दर्ज नहीं करवाते हैं। न उस लड़के के खून का नमूना लेते

(श्री पेमाराम)

हैं कि असली आरोपी कौन है उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाने वाला। आज वह आवासीय विद्यालय, उसके शिक्षक संदेह के घेरे में हैं। राजनीतिक तौर पर उनको बचाने के लिए सारी की सारी साजिशें रची जा रही हैं, उसमें, उपाध्यक्ष महोदय, पूरा का पूरा प्रशासन भी सम्मिलित है। यह सवाल कोई पार्टियों का नहीं है। दिल्ली की दामिनी के लिए पूरा देश एक हो सकता है, राजस्थान में गरीब के घर या दलित के घर कोई बेटी पैदा हो गई तो मैं समझता हूं कि हम सबकी बेटी है। एक तो मेरा निवेदन है कि उस परिवार को, उस लड़की को सुरक्षा दी जाए। दवाब बन रहा है, मानसिक तौर पर टार्चर है, सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। दूसरा मेरा यह है कि उसको मुआवजा भी दिया जाए। तीसरा मेरा यह है कि जो दोषी है वह नहीं बचे। कुंआरी के साथ, अभी 18 की उम्र भी नहीं पाई है, 17 से कम है, वह नौ महीने का बेटा पैदा करे, जिस आवासीय छात्रावास में रहे। नौ महीने किसी भी लड़की के पेट में होता है तो पेट से आ जाती है, लेकिन उस आवासीय विद्यालय ने मेडिकल तक नहीं करवाया और अब सारे सबूत नष्ट करने में लगे हुए हैं। मेरा निवेदन है, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से भी अपील करना चाहूंगा कि यह एक संवेदनशील मामला है। मुख्य मंत्री महोदय सदन में नहीं हैं, इधर धारीवाल साहब बैठे हैं, इधर कटारिया जी बैठे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: आप अपनी बात कहिये।

श्री पेमाराम (धोद): उपाध्यक्ष महोदय, आप कहोगे तो मैं बैठ जाऊंगा। मैं कोई गुनाह कर रहा हूं?

श्री उपाध्यक्ष: आपने तीन दफा कह दिया।

श्री पेमाराम (धोद): मैं कोई यह गुनाह कर रहा हूं?

श्री उपाध्यक्ष: आप समाप्त करिये।

श्री पेमाराम (धोद): सरकारी संस्था में पढ़ने वाली बेटी के साथ उस स्कूल में रहने वाले अध्यापक शारीरिक सम्बन्ध बनाएं और 9 महीने पूरे होने के बाद बेटा पैदा हो जाए, यह कहना कोई गुनाह है तो आप चाहेंगे तो मैं बैठ जाउंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये, विराजिये।

श्री पेमाराम (धोद): लेकिन मैं आपके मार्फत न्याय की फरियाद लेकर आया हूं कि जांच हो।

श्री उपाध्यक्ष: विराजिये, आप विराजिये।

श्री पेमाराम (धोद): मुआवजा मिले। पीड़िता बच्ची जो मानसिक प्रताड़ित है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं रात को सीकर के कल्याण अस्पताल में पीड़िता से मिलकर आया हूं, वह भयभीत है। जब बजट के बाद सदन छूट गया, उसके बाद मैं जाकर आया हूं। उसका नाना कुछ कहता है। वह कहते हैं, दस्तख्त करवा लिये। हमें कह रहे हैं, जेल में जाना पड़ेगा। काहे पर दस्तख्त करवाया है, किसने करवाया है, कौन भेज रहा है जेल में? नाना को कौन भेज रहा है? पीड़िता के साथ जिसने शारीरिक सम्बन्ध बना लिये, उस पीड़िता को कौन जेल भेज रहा है? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप समाप्त करें, समाप्त करें।

श्री पेमाराम (धोद): उपाध्यक्ष महोदय, समाप्त तो कर लूंगा, लेकिन कौन सुनेगा? मैं समझता हूं, राजस्थान की विधान सभा का बजट सत्र चले, उसके एक दिन पहले 5 मार्च, 2013 को उसी विद्यालय में पूरा 9 महीने का बेटा पैदा हो जाए, वह फरियाद लेकर किसके पास जाएगी, कहां जाएगी, साहब?

श्री उपाध्यक्ष: अब आप समाप्त करें। आप एक मिनट में समाप्त करें।

श्री पेमाराम (धोद): तो मेरा निवेदन है कि पी़डिता को मुआवजा मिले, पी़डिता को सुरक्षा मिले।

श्री उपाध्यक्ष: आप समाप्त करें।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): उससे भी भयंकर अपराध है। (व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): उपाध्यक्ष महोदय,, आप पूरे बिंदुओं पर बोलने से रोक रहे हैं। दलित छात्रा के साथ इस तरह का व्यवहार ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: केवल पेमारामजी।

श्री पेमाराम (धोद): राजनीतिक दबाव हो रहा है। उसका बच्चा मर गया...(व्यवधान) उस बच्चे के खून का नमूना नहीं लिया। (व्यवधान) मैंने कल्याण अस्पताल में जाकर रिकार्ड देखा है,...(व्यवधान) बच्चे को भर्ती नहीं कराया। उपाध्यक्ष महोदय, बच्चे को भर्ती नहीं कराया, खून का नमूना नहीं लिया।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): ×××

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप जवाब सुनना चाहते हो? आप जवाब चाहते हो? माननीय मंत्रीजी।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): ×××

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी। आप सुनना चाहते हो कि नहीं चाहते हो?

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल मंत्रीजी, केवल मंत्रीजी।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): ×××

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल मंत्रीजी, केवल मंत्रीजी। (व्यवधान) आप नहीं सुनना चाहते। मंत्रीजी, विराजिये। माननीय श्री राजेन्द्रजी राठौड़। (व्यवधान) नहीं सुनना चाहते? मंत्रीजी विराजिये आप। (व्यवधान)

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप सुनिये, जवाब सुनना ही नहीं चाहते आप।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: हर मामले में नहीं। माननीय मंत्रीजी।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस छात्रा का पावटा आवासीय विद्यालय में प्रसव हुआ है, उसकी जन्म तिथि 04.12.95 है, मतलब 17 साल की नाबालिग है। बालिका छात्रा कक्षा 9 से ही इस आवासीय विद्यालय में पढ़ती है और वहीं हास्टल में रहती है। वहां की छात्रावास अधीक्षिका श्रीमती हेमलता को सबसे पहले प्रथम दृष्ट्या दोषी माना है कि, आया कि बालिका के प्रसव हुआ, उसके पहले जो शारीरिक रूप से उसकी बनावट में परिवर्तन आते रहे और लक्षण दिखते रहे तो उसने उसका पूरा ख्याल क्यों नहीं रखा। यह सूचना प्रशासन को और उसके परिवार को क्यों नहीं दी गयी। तो यह कहीं न कहीं उसके कार्य के प्रति, अपने राजकीय कार्य के प्रति उसने निर्वहन नहीं किया। गैर जिम्मेदार मानते हुए उसको हमने निलम्बित कर दिया है। निलम्बन के कलक्टर महोदय के आदेश 146 से

(श्री अशोक बैरवा 'खण्डार')

05.03.13 को उसको निलम्बित कर दिया गया है। और जो राइस का प्रिंसिपल है उसको भी हमने दोषी माना है, उसको भी वहां से हटा दिया। वहां के सहायक निदेशक को आवासीय विद्यालय का चार्ज दे दिया है। अब आपने छात्रा के परिवार को एक तो सुरक्षा की मांग की है, मुआवजा देने की बात की है, दोषियों को सज़ा देने की बात की है। मैंने सारी बातें लिखी हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमने, पुलिस विभाग ने यौन शोषण से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत मामला दर्ज कर तफ्तीश प्रारम्भ कर दी है। इसके अलावा जिला कलक्टर के निर्देश से अतिरिक्त जिला कलक्टर डीडवाना को इस पूरे मामले की गम्भीर तहकीकात करके ठोस निर्णय पर पहुंच कर दोषियों के बारे में जानकारी करके शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये कहा गया है ताकि दोषियों को पकड़ा जा सके, सच्चाई सामने आ सके।

वहां वर्तमान में जो जानकारी है, उसके हिसाब से बालिका के नाना-नानी ने आकर बालिका को रिसीव किया है और जच्चा-बच्चा दोनों को वे लेकर गये हैं। वहां से वे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मीठड़ी में ले गये हैं। माननीय सदस्य का कहना है कि वह दूर है, डीडवाना में क्यों नहीं कराया गया है। नाना-नानी का यह भी कहना है कि इसकी सगाई हो गयी थी और इसके मंगेतर से आना-जाना था। चूंकि यह मामला 05/03/2013 का है, आप इससे नौ महीने पीछे जाएंगे तो यह समय आ जाता है मई-जून का। उस दौरान हमारे आवासीय विद्यालयों की छुट्टी रहती है। तो कहीं न कहीं उनकी बातों में भी सच्चाई लगती है और कहीं न कहीं दोषी भी हो सकते हैं। कहीं न कहीं जो शिक्षकों पर आरोप लगा, वह भी हो सकता है। विषय कई हो सकते हैं। पर मेरा निवेदन इतना है कि आप 9 महीने पीछे जाएंगे तो मई-जून का समय आता है, जहां हमारे आवासीय विद्यालयों की छुट्टी रहती है। बालिका उस दौरान अपने नाना-नानी के घर गई हुई थी। तो सारे एंगल से, सारे दृष्टिकोणों से हम लोग जांच कर रहे हैं और जो भी दोषी होगा, मैं निवेदन करना चाहता हूं और सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। परिवार को मुआवजा देने की बात जो आपने रखी है, उसके बारे में निश्चित रूप से सहानुभूतिपूर्ण विचार किया जा रहा है। धन्यवाद।

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): ×××

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: जवाब आ गया।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री राजेन्द्रजी राठौड़। (व्यवधान) अब जवाब आ गया, जवाब आ गया। माननीय श्री राजेन्द्रजी राठौड़।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सचेतक महोदय। (व्यवधान) केवल राजेन्द्रजी राठौड़। केवल राजेन्द्रजी राठौड़।

अधिवक्ताओं के प्रदर्शन पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज एवं आंसू गैस

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान, आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक अत्यन्त लोमहर्षक और नादरशाही, बर्बरतापूर्ण हुई घटना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, यह पहली बार हुआ राजस्थान के अन्दर।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सचेतक महोदय, वह बजट वाला भी है, थोड़ा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह पहली बार हुआ है, उपाध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान के वे लोग जिनको हम प्रबुद्ध मानते हैं, कानून-विज्ञ मानते हैं, जो ओपीनियन मेकर भी हैं, उन पर पुलिस बर्बर लाठीचार्ज करे, 50 से ज्यादा लोग घायल हो जाएं। उपाध्यक्ष महोदय, यह बात नहीं कि इन्हीं पर लाठीचार्ज हुआ हो। सरकार को आदत पड़ गई, जब कभी भी किसी वर्ग ने, किसी भी समूह ने संगठित होकर अपनी न्यायसंगत मांगें सरकार के सामने रखीं, सरकार ने गौर नहीं किया और जब कभी इस लोकतंत्र के मंदिर का दरवाजा खटखटाने के लिये कोई भी वर्ग आया, सरकार ने लाठी की भाषा से उनसे बात की। चाहे वह ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच रहा हो, चाहे वह सुदूर क्षेत्रों में शिक्षा की अलख जगाने वाला शिक्षाकर्मी रहा हो, होमगार्ड रहा हो, कर्मचारी रहा हो। किस-किस की बात करूं। नर्सिंग कर्मी रहा हो। उपाध्यक्ष महोदय, यह नहीं कि अधिवक्ताओं ने अचानक आकर मार्च करना प्रारम्भ कर दिया। इसी 28 फरवरी को राजस्थान बार कौंसिल के अध्यक्ष संजय शर्मा की अगुवाई में एक शिष्टमण्डल राज्य के मुख्य मंत्री से मिलता है, ज्ञापन देता है, गुहार करता है कि उनकी मांगों के सम्बन्ध में सरकार उनसे वार्ता करे। मुख्य मंत्री रुखे व्यवहार से उन्हें टरका देते हैं। वे वहीं कहकर आते हैं कि हम अपनी न्यायसंगत मांगों के लिये गांधीवादी तरीके से आन्दोलन करेंगे, संघर्ष करेंगे। एक मार्च को पूरे राज्य के 80 हजार अधिवक्ता राजस्थान बार कौंसिल के नेतृत्व में अपने काम को बंद करते हैं, हड़ताल पर जाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

लोकतंत्र में वार्ता के जरिये सभी समस्याओं का हल होता है। एक तारीख को पूरा राजस्थान भी ठप होता है, 80 हजार अधिवक्ता हड़ताल पर जाते हैं। सरकार बात नहीं करती। चार मार्च को जयपुर के बनीपार्क न्यायालय परिसर के अन्दर राज्य के बार कौंसिल्स के 50 से ज्यादा प्रतिनिधि इकट्ठे होते हैं और फैसला करते हैं कि हम गांधीवादी तरीके से छह मार्च को राजस्थान की विधान सभा पर प्रदर्शन करेंगे। फैसला करने से पहले जयपुर के पुलिस कमिश्नर को कहते हैं कि हम 6 मार्च को अम्बेडकर सर्किल तक पैदल मार्च करेंगे, वहां से आप कृपया हमारे शिष्टमंडल को मुख्य मंत्री और विधि मंत्री, जो कि स्वभाव से +++ हैं, उनसे मिलाने का प्रबंध करें।

(13.00 बजे)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल जब राजस्थान के मुख्य मंत्री बजट के माध्यम से थोथी घोषणाओं का अम्बार लगा रहे थे, उस वक्त राजस्थान की विधान सभा के बाहर साढ़े दस बजे शांतिपूर्वक मार्च करते हुए अधिवक्ता आ रहे थे, राजस्थान की विधान सभा की तरफ आ रहे थे। राजस्थान उच्च न्यायालय के सामने उनकी संख्या बढ़कर छह हजार हो गई।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उन अधिवक्ताओं का नेतृत्व कौन कर रहे थे। बार कौंसिल के अध्यक्ष कर रहे थे। पर उनके साथ एक ऐसी शख़्सियत भी थी, भंवरलालजी शर्मा जो कि सात बार इस सदन के सदस्य रहे। आंखों से दिखता कम है पर वे पेशे से अधिवक्ता हैं जिस तरह से आप अधिवक्ता हैं, आप ज्ञानी हैं, उसी तरह से वे उनका नेतृत्व कर रहे थे। उनका नेतृत्व कर रहे थे सज्जन राज सुराणा, इस राज्य के सीनियर एडवोकेट, उम्र है 67 साल। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): पी.पी. रहे हैं इनके राज में। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उनका नेतृत्व कर रहे थे ओंकार सिंह लखावत, उम्र है 65 वर्ष। वहां पर अचानक एडिशनल एस.पी. रघुवीर सैनी देखते हैं कि नेतृत्व जिनका हो रहा है, वे वो लोग हैं जो लोग किसी न किसी रूप में सरकार की आंख में किरकिरी हैं। बिना चेतावनी दिये हुए, बिना अश्रु-गैस छोडे, बिना वाटर कैनन का यूज किये हुए, महिला अधिवक्ताओं सहित, ये बर्बर तरीके से आदेश देते हैं कि टूट पड़ो। टूट पड़कर इनको आगे बढ़ने मत दो। राजस्थान के अन्दर पुलिस की बर्बरता का एक नया इतिहास रचा गया।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक दो नहीं 52 लोग अपनी 14 सूत्रीय मांग पत्र के लिए घायल हुए। एस.एम.एस. हास्पिटल में गये। एस.एम.एस. हास्पिटल वालों ने कहा कि आप बाहर जाइए, आपकी एम.एल.सी. नहीं करेंगे क्योंकि कोई एफ.आई.आर. दर्ज उनकी हुई नहीं। आज की तारीख में भी तीन अधिवक्ता राजस्थान के सवाईमानसिंह चिकित्सालय में मौत और जीवन से संघर्ष कर रहे हैं। उनकी मांगें क्या हैं? उनकी मांगें यही हैं कि राज्य के अन्दर जो अधिवक्ता हैं, उन अधिवक्ताओं को न्यूनतम दर पर आप आवास की सुविधा दें। हमने पत्रकारों को दे दिया। हमने लम्बी-चौड़ी घोषणा-पत्र में घोषणाएं कर डालीं। यह घोषणा-पत्र, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस राजस्थान में अशांति पैदा किए हुए है। रोज नई-नई घोषणाएं तो घोषणा-पत्र में हैं, उनको लेकर राज्य के अधिवक्ता से लेकर सब लोग कहते हैं कि हमारी न्यायसंगत मांगों के लिए हम आज राज्य के मुख्य मंत्री को याद दिला रहे हैं। आपकी सरकार ढलान पर है। सरकार वेंटिलेटर पर है। सरकार अंतिम चरण में है। आप अपने जीवन का अंतिम बजट पेश कर रहे हो। हमारी इन न्यायसंगत मांगों के लिए आपने समय-समय पर जिनकी घोषणाएं कीं, उनका क्या हुआ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं इनकी मांगों पर जाऊंगा तो मांग भी इतनी न्यायसंगत है कि जो अधिवक्ता 5 वर्ष से कम अनुभव के हैं, उनको दो हजार रुपये तक का स्टाई-पण्ड दिया जाए। अधिवक्ता कल्याण कोष में ... (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने यह कहा, माननीय सदस्य, मैं आपका सम्मान करता हूं, जीवन का अंतिम बजट, तो जीवन को तय करने की आपकी कोई ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): कांग्रेस की सरकार का अंतिम बजट ... (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): जीवन का अंतिम ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): कांग्रेस की। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): नहीं, नहीं, आप प्रोसीडिंग उठाकर देख लो। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): जीवन का नहीं बोला।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): दुबारा मौका नहीं मिलेगा।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): चिंता मत करो, दुबारा मौका नहीं मिलेगा। विराजो आप। आप विराजो।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): नहीं, मैं विराजो नहीं, मैं तो आसन से निवेदन कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप इसके खिलाफ हो क्या? मैं आसन के सामने राज्य के अधिवक्ताओं की बात रख रहा हूं, आप उनके खिलाफ हो तो कह दो कि आप खिलाफ हो। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नहीं-नहीं, आप खिलाफ हो न। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आप तो बहुत महान हैं। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मेरे को एतराज नहीं है। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): मैं तो उनके पक्ष में हूं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अगर केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य अधिवक्ताओं की न्यायसंगत मांगों के खिलाफ हैं तो ठीक है। इसलिए मेरी मांग है कि...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप तो यह संक्षेप में कहें क्योंकि आप ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): इसकी न्यायिक जांच हो और लाठीचार्ज जो हुआ है उसकी...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी अर्ज तो सुन लो। यह इन्होंने रिकार्ड पर दर्ज करवाया है कि मैं अधिवक्ताओं की मांग के खिलाफ हूं। आप इसको निकलवाओ सदन की कार्यवाही से। ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप इतना लम्बा क्यों कर रहे हो? यह लम्बा हो रहा है। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये चालाकीपूर्वक यहां पर कुछ भी बोल देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय, आप मुख्य सचेतक हैं, इस पर स्टेंडिंग इंस्ट्रक्शंस है कि जो भी शब्द असंसदीय होगा, वह स्वत: ही निकाल दिया जाएगा। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): यह असंसदीय नहीं है, यह तो आरोप है इनका। ये तो आरोप मेरे पर लगा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप कृपा करके विराजो। (व्यवधान) आप उत्तेजना मत फैलाओ।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): इसको निकलवाओ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सही कहो न।

श्री उपाध्यक्ष: क्या-क्या निकलवाऊंगा, यह आसन जानता है, आप ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए इस निरंकुश सरकार से मेरी मांग है कि कल हुए लाठीचार्ज की न्यायिक जांच हो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट। माननीय, मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि कोई भी ऐसी स्पीच नहीं दें जिसका सोल्यूशन नहीं चाहकर, अपन केवल उत्तेजना पैदा, यह थोड़ा सा, मेरा अनुरोध है आपको। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी मांग है कि कल के लाठीचार्ज की न्यायिक जांच हो और कल जिन पुलिस अधिकारियों ने बर्बरतापूर्वक कार्यवाही की है, उनके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज हो, उन्हें निलम्बित किया जाए। वकीलों को बुलाकर राज्य के विधि मंत्री अपने स्वभाव के विपरीत क्योंकि आप किसी से वार्ता करना ही नहीं चाहते, आप तो सिर्फ अपने अहम में रहते हैं, उनको बुलाकर बात करें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप कृपया आसन से बात करें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): समस्या का समाधान करें और कल की घटना की न्यायिक जांच हो, यह मेरी मांग है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कुछ कहना चाहते हैं?

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): मेरा भी है।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट उनका भी साथ ही में आ जाएगा।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): सात-आठ जने भी साइन कर देते हैं कई बार, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। आप फरमाइये।

श्री उपाध्यक्ष: ओमजी बिरला, इसी पर है न आपका?

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): हां।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): सर, मैंने भी पर्ची भेजी है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: संक्षेप में। देखिए, बात सब आ गई।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): मैं भी अलग से अपनी बात कहना चाहता हूं। आप देख लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष: जिसका नाम है उसी का होगा। यह डिबेट का विषय नहीं है। आप कृपया शार्ट में कहें। बात सारी कह ही दी राजेन्द्रजी ने। थोड़ा शार्ट में। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की विधान सभा के अन्दर राजस्थान के 80 हजार वकीलों की बुनियादी मांगों को लेकर जब राजस्थान का अधिवक्ता शांतिपूर्ण तरीके से आ रहा था, उसमें राजस्थान के सब वरिष्ठतम अधिवक्ता भी थे। किसान हों चाहे मजदूर हों, चाहे पैराटीचर्स या अध्यापक हों, विद्यार्थी मित्र हों, राजस्थान के नौ हजार सरपंच हों, लोग यहां पर प्रदर्शन करने आना चाहते हैं, अपने बुनियादी सवालों को प्रजातंत्र/लोकतंत्र के अन्दर सरकार के सामने रखना चाहते हैं। विधान सभा जब चलती है तो लोगों को अपेक्षा रहती है कि सरकार हमारी बात को सुनेगी, बुनियादी मांगों को हल करेगी। लेकिन, सरकार के अन्दर अधिवक्ता जैसे बुद्धिजीवी लोगों से जो सरकार वार्ता नहीं करना चाहे, और तो और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप खुद वकील हैं, बर्बरता की हालत यह है कि आप डंडा चलाएं, आप घोड़ा चलाकर मारें। आप घोड़ा दौड़ा कर लोगों को मारना चाहते हो, ऐसे सरकार चलाना चाहते हो? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान का इतिहास कहता है, वकीलों पर घोड़े दौड़ा-दौड़ा कर मारे, क्या वे राजस्थान की विधान सभा को जलाने आ रहे थे? क्या राजस्थान के अन्दर वो मां-बहिनों की छेड़छाड़ कर रहे थे? ऐसी कौनसी परिस्थितियां आ गई थीं कि जिसके कारण पुलिस अधिकारियों ने लाठीचार्ज ही नहीं किया बल्कि घोड़ा दौड़ाकर बहुत दूर तक मारा? आज भी 50 से ज्यादा अधिवक्ता अस्पताल में भर्ती हैं। राजस्थान

(श्री ओम बिरला)

के स्वायत्त शासन मंत्रीजी यहां पर बैठे हैं, उनके कोटा में भी वकील 15 दिन से बुनियादी मांगों को लेकर बैठा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अब कृपया आप समाप्त कीजिए।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की सरकार जब तक इनकी बुनियादी मांगों और जिन लोगों ने लाठीचार्ज किया है उन लोगों के खिलाफ कार्यवाहीं नहीं करेगी, राजस्थान की विधान सभा चुप बैठने वाली नहीं है। राजस्थान का 80 हजार वकील अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठा है जिसके कारण मुवक्किल परेशान होगा। इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में न्याय मिले, जल्दी न्याय मिले और वकीलों से शांतिपूर्ण वार्ता तुरन्त हो और जिन अधिकारियों ने लाठीचार्ज और घोड़ा चलाकर कुचला है, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही हो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: विराजो-विराजो। (व्यवधान)

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की स्थिति है। महिला अधिवक्ताओं को भी दौड़ा-दौड़ाकर पीटा गया है। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): महिला अधिवक्ताओं को भी दौड़ा-दौड़ाकर पीटा गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महिला अधिवक्ताओं को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा गया है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप नहीं सुनना चाहते? (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): हमारे माननीय सदस्य विधायक हैं। (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष: ... (व्यवधान) अब आप जवाब नहीं सुनना चाहते? आप बोलें।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से यह सरकार दमन का कार्य कर रही है, राजस्थान के अधिवक्ताओं के साथ ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप बोलना चाहते हो? जाइये वहां, बोलिये।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): उनके ऊपर निर्ममता से लाठीचार्ज करके

(श्री अमराराम)

उनके हकों पर कुठाराघात किया गया है। इस तरह से बगैर चेतावनी के सरकार ने, पुलिस ने निर्ममतापूर्वक ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपको इजाजत नहीं मिली। आप कैसे बोल रहे हैं? (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): जिस तरह से लाठीचार्ज करके दर्जनों वकीलों को घायल करने का काम किया है, वर्तमान हाई कोर्ट के जज से... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपके माननीय सदस्य बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): न्यायिक जांच करवाई जाए और जो भी दोषी पुलिस अधिकारी हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। (व्यवधान)

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का मौका दिया है उसके लिए तो आपको धन्यवाद। कृपया इनको बैठाएं।

श्री उपाध्यक्ष: आप जवाब सुनना नहीं चाहते हो?

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): न्यायिक जांच करवाई जाए। दोषी पुलिस अधिकारी हो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाए।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष: आप जवाब सुनना चाहते हो?

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): मुझे आपने मौका दिया है। (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आपने मौका दिया है।

श्री उपाध्यक्ष: आप जवाब सुनना चाहते हो? आप जवाब सुनिये न। जवाब दे रहे हैं। मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, आप कृपा करके जवाब सुनिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): जवाब देने दो न।

श्री उपाध्यक्ष: जवाब सुनिये। (व्यवधान)

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): दो मिनट बोलने का आपने मुझे मौका दिया है। मंत्रीजी के जवाब से पहले मैं दो मिनट बोलना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी, एक मिनट वह भी बोल लें। अब आप बिलकुल दो लाइन में कोई बात कहनी हो तो कह दो। लम्बा नहीं।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): जी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल वकीलों का जुलूस आ रहा था। पुलिस की, जो भी कोई जुलूस आता है, एक व्यवस्था होती है कि वे आकर अपना शांतिपूर्वक प्रदर्शन करें।

श्री उपाध्यक्ष: कोई नई बात कहना है क्या?

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): मैं दो मिनट में कह रहा हूं। शांतिपूर्वक प्रदर्शन करके अपना ज्ञापन दे, अपनी मांगों के संबंध में सरकार से वार्ता करे। सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गयी कि कोई पांच आदमियों का प्रतिनिधिमण्डल आकर उनसे बातचीत करके उनकी समस्याओं का समाधान करे। दूसरी बात और है, पुलिस कमिश्नर साहब का स्टेटमेंट आया है कि कानून बनाने वाले लोगों ने, कानून की रक्षा करने वाले लोगों ने कानून तोड़ा है। एक निवेदन करना चाहूंगा कि जब इतने सारे लोगों का जुलूस आ रहा था, बैरिकेडिंग एक लगाया हुआ था। मान लो, कुछ वकील बैरिकेडिंग तोड़कर गये भी, तीन-तीन बैरिकेडिंग लग सकते थे। कानून व्यवस्था की स्थिति को जब मेन्टेन करती है सरकार, तो एक बैरिकेडिंग के बाद में दूसरा बैरिकेडिंग लग सकता था, तीसरा बैरिकेडिंग लग सकता था। वकीलों पर या अन्य प्रदर्शनकारियों पर, शांतिपूर्वक प्रदर्शनकारियों को ...

श्री उपाध्यक्ष: अब आप समाप्त करिये।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): जो अपनी मांगों के लिये आ रहे थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज करना, उन पर घोड़े दौड़ाना, उनके साथ अधिकारियों द्वारा अभद्र व्यवहार करना, यह स्थिति ठीक नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: कृपया समाप्त करिये आप। यह डिबेट नहीं है। फिर मंत्रीजी का जवाब नहीं होगा। फिर मंत्रीजी का जवाब नहीं होगा।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जनतांत्रिक सरकार है, यह लोकतांत्रिक सरकार है, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का, मांग को रखने का अधिकार है। विधान सभा के बाहर प्रदर्शन करने का अधिकार है। लेकिन कानून व्यवस्था की स्थिति को मेन्टेन करने की जिम्मेदारी पुलिस के अधिकारियों पर है। वे घोड़े नहीं चला सकते हैं, घोड़े दौड़ा नहीं सकते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी। आप जवाब नहीं सुनना चाहते?

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): महिला पुलिस नहीं थी, उसके बाद महिला अधिवक्ताओं को जिस प्रकार से दौड़ा-दौड़ाकर पीटा गया ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: केवल मंत्रीजी का अंकित करें।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मोहनलाल जी, माननीय कालीचरण जी, कृपा करिये। अब इनका जवाब आने दो। वह खड़े हो गये। कृपा करके उनका जवाब आने दो।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप जवाब नहीं चाहते हो क्या? (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल माननीय गृह राज्य मंत्रीजी।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजिये।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप जवाब नहीं सुनना चाहते क्या? केवल मंत्रीजी का अंकित होगा।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल मंत्रीजी का ही अंकित होगा, और किसी का अंकित नहीं होगा।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपकी भावना की हमने कद्र की है, अब आप विराजो। सुनिये, मंत्रीजी खड़े हो गये। अब आप बैठो।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल मंत्रीजी का अंकित होगा। अब आप सरकार का वर्जन नहीं सुनना चाहते हो तो बात अलग है। यह तो वर्जन है केवल। (व्यवधान) आपके लीडर की बात नहीं मानते हो। आप पीछे बैठते हो, आगे बैठते हो।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (गृह राज्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने अधिवक्ताओं पर हुए कल के प्रदर्शन के दौरान जो घटना हुई, उसके क्रम में सदन का ध्यान आकृष्ट किया है। साथ ही माननीय ओम बिड़ला जी, अमराराम जी साहब और मोहनलाल जी गुप्ता साहब ने भी उसी विषय पर बात को आगे रखते हुए राज्य की वर्तमान

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

स्थिति और गत वर्षो का भी जिक्र करते-करते अपने कार्यकाल को भी याद करवाया कि कब-कब ब्राह्मणों पर लाठीचार्ज हुआ, कब-कब व्यापारियों पर लाठीचार्ज हुआ, कब-कब किसानों पर गोलीकाण्ड हुआ, कब-कब छात्रों को पीटा गया। इन सब घटनाओं का जिक्र करते हुए आज के आन्दोलन को याद कराया गया।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल मंत्रीजी का ही अंकित होगा। केवल मंत्रीजी।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): ×××

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (गृह राज्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस पर सिलसिलेवार पूरी बात रखते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि कल दिनांक 6.3.2013 को माननीय मुख्य मंत्री महोदय की ओर से बजट प्रस्तुतीकरण के दौरान राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों से अधिवक्तागण अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विधान सभा पर प्रदर्शन के लिये सैशन न्यायालय जयपुर शहर, विभिन्न सम्भागों एवं माननीय उच्च न्यायालय, राजस्थान, जयपुर से एकत्रित होकर स्टेच्यू सर्किल पर स्थित उद्योग मैदान पहुंचे। जहां से समय करीब 11.50 बजे प्रदेश भर के अधिवक्तागण राजस्थान हाई कोर्ट बार एसोसियेशन के अध्यक्ष, महासचिव, जयपुर सैशन कोर्ट बार एसोसियेशन के अध्यक्ष, महासचिव एवं जिला बार एसोसियेशन के अध्यक्ष के नेतृत्व में समय करीब 12.10 बजे जनपथ पर राजस्थान विधान सभा की ओर कूच किया। अम्बेडकर सर्किल से आगे एल आई सी कार्यालय के बराबर प्रथम बैरीकेड पर ड्यूटी पर पुलिस उपायुक्त (दक्षिण), अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर पश्चिम, सहायक पुलिस आयुक्त अशोक नगर, सहायक पुलिस आयुक्त सदर, थानाधिकारीगण ज्योतिनगर, विधायकपुरी, बनीपार्क एवं कम्पनी कमाण्डर आर ए सी मय जाप्ता के साथ तैनात थे। ये सब वहां तैनात थे जिनके द्वारा अधिवक्तागण के जोश से नारेबाजी करते हुए विधान सभा की ओर अग्रसर हुजूम को रोका गया। पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर दक्षिण ने आदेश धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता से अवगत कराया कि यदि अधिवक्तागण का समूह विधान सभा की ओर आगे बढ़ेगा और कानून व्यवस्था की स्थिति भंग करेगा तो उस स्थिति में यह विधि विरुद्ध जमाव होगा। साथ ही, उनके प्रतिनिधिमण्डल को वार्ता के लिये निमन्त्रण दिया गया। अधिवक्तागण प्रतिनिधि मण्डल भेजने हेतु राज़ी नहीं हुए और अधिवक्ताओं ने

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

बैरीकेड तोड़कर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों से धक्का-मुक्की कर हाथों में लाठियां व डण्डे लेकर भारी बल प्रयोग किया एवं समूह में उत्तेजनापूर्वक नारेबाजी करते हुए कानून व्यवस्था को भंग करने के आशय से विधान सभा की ओर यह कहकर कूच किया कि आज और आगे बढ़ते हुए अमर जवान ज्योति के पास .... (व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): ×××

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (गृह राज्य मंत्री): बैरीकेड पर अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, थाना प्रभारी श्याम नगर, थाना प्रभारी महेश नगर व प्रथम व द्वितीय बैरीकेड का समस्त जाप्ता मौजूद था। प्रथम बैरीकेड पर लगे अधिकारीगण पुलिस उपायुक्त जयपुर दक्षिण, श्री डॉन के जोस एवं उनके साथ पुलिस बल इस बैरीकेड पर सहायतार्थ पहुचं गये थे।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजिये। (व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): ×××

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (गृह राज्य मंत्री): उपद्रवी अधिवक्ताओं को इस बैरीकेड पर सभी उच्च अधिकारीगण व मुलाजमान को आगे बढ़ने से रोकने के लिये समझाइश की। प्रतिनिधि मण्डल को वार्ता के लिये पुन: आमन्त्रित किया। किन्तु जोश-खरोश से ओत-प्रोत वकीलों पर इसका कोई असर नहीं हुआ।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): ×××

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (गृह राज्य मंत्री): पुलिस आयुक्त श्री बी एल सोनी एवं अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (द्वितीय) श्री बीजू जार्ज जोसफ ने भी मौके पर आकर उपद्रवी वकीलों एवं उनके नेतृत्व कर्ताओं को समझाने का काफी प्रयास किया। पुलिस बल से यहां भी उन्होंने जबरदस्त धक्का-मुक्की कर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए सरकार व पुलिस के प्रति अशिष्ट भाषा का प्रयोग किया तथा पुलिस पर हिंसक बल प्रयोग किया एवं पुलिसकर्मियों के डण्डे, ढाल, हैलमेट छीनकर पथराव प्रारम्भ कर दिया।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (गृह राज्य मंत्री): जिससे वहां मौजूद पुलिस

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)
उपायुक्त जयपुर शहर दक्षिण श्री डान के. जोस के पत्थर की चोट लगने से जबड़ा चोटग्रस्त हो गया। थाना प्रभारी भोपाल सिंह पुलिस निरीक्षक की पसलियों व पैरों पर गम्भीर चोटें आईं एवं अन्य मुलाजमानों श्री प्रदीप सिंह उप निरीक्षक, श्री आशुतोष कानिस्टेबल व अन्य के भी पथराव व डण्डों से चोटें आईं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): ×××

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (गृह राज्य मंत्री): इस पर विधि अनुसार हिंसाग्रस्त वकीलों को वार्निंग फ्लैग का डिस्प्ले व पब्लिक एड्रेस सिस्टम से सहायक पुलिस आयुक्त, अशोक नगर द्वारा लोक शांति भंग होने की संभावना के मद्देनजर हिंसा पर उतारू वकीलों के जमाव को विधि विरुद्ध जमाव घोषित करते हुए इस हिंसा पर उतारू विधि विरुद्ध जमाव को तितर-बितर होने का आदेश दिया।

श्री उपाध्यक्ष: ज्ञानदेवजी, यह जरूरी नहीं है कि इस गवर्नमेंट का वर्जन दिलवाया जाए। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (गृह राज्य मंत्री): जिस पर भी वकीलों ने किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया और अपना जमाव जारी रखा। लोक शांति व लोक सुरक्षा बनाये रखने के लिए मौके पर मौजूद सहायक पुलिस आयुक्त, अशोक नगर द्वारा अश्रु गैस पार्टी के कुल 7 शैल फायर करवाये गये। वकीलों की भीड़ पर पुलिस बल के अश्रु गैस का कोई प्रभाव नहीं हुआ।

अधिवक्तागण के इस विधि विरुद्ध जमाव ने पथराव और धक्का मुक्की जारी रखते हुए पुलिस वाहनों व बैरीकड्स की तोड़फोड़ शुरू कर दी एवं वार्निग फ्लैग को छीन लिया। एल आई सी कार्यालय के पास के बैरीकड को कुछ वकीलों द्वारा जला दिया गया। वकीलों के लगातार पथराव को रोकने व विधान सभा की ओर कूच किये जाने से रोकने के लिए सहायक पुलिस आयुक्त, अशोक नगर द्वारा पुन: पब्लिक एड्रेस सिस्टम से लाठी चार्ज की चेतावनी दी गई।

चेतावनी का कोई असर नहीं होने पर एवं वकीलों की उग्र भीड़ को देखते हुए सरकारी सम्पत्ति के नुकसान व मानव हिंसा को रोकने के लिए लोक सुरक्षा व लोक व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के मद्देनजर मौके पर

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

मौजूद सहायक पुलिस आयुक्त, अशोक नगर से नियंत्रित बल प्रयोग के आदेश प्राप्त किये गये तथा पुन: चेतावनी देकर तितर-बितर होने का आदेश दिया गया। लेकिन हिंसक कार्यवाही से बाज नहीं आने व लोक सुरक्षा व कानून व्यवस्था बनाये रखने व आदेश की अवहेलना कर तितर-बितर नहीं होकर हिंसा पर उतारू रहने पर नियंत्रित बल प्रयोग किया गया।

वकीलों के विधि विरुद्ध जमाव पर नियंत्रण का प्रयास किया गया। इसके बाद वकीलों ने वापस अमर जवान ज्योति के सामने आकर आम जन आवागमन का रास्ता अवरुद्ध कर दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, उसी दौरान दो बैरीकेड्स पर जबरदस्ती चढ़ने व लांघने के प्रयासों के दौरान बैरीकेड्स को धक्का-मुक्की से तोड़ने के दौरान व असन्तुलित होकर गिरने पड़ने से एवं वकीलों की भीड़ के पिछले हिस्से से हुए पथराव से कुछ वकीलों के भी चोटें आयीं।

इस घटनाक्रम के उपरान्त उच्च पुलिस अधिकारियों व प्रशासनिक अधिकारीगण उन वकीलों को पुन: समझाइश की कोशिश करते रहे किन्तु इन लोगों ने पुलिस बल के विरोध स्वरूप एकत्रित होकर रास्ता जाम कर दिया।

इस सम्पूर्ण घटनाक्रम में पुलिस मुलाजमानों के साथ मारपीट, सरकारी सम्पत्ति के नुकसान, आम रास्ता अवरुद्ध करने में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा संख्या 57 एक दर्ज किया गया। मुकदमा संख्या 103 जो कि एक अलग में दर्ज किया गया और तीसरा मुकदमा ज्योति नगर थाने में दर्ज किया गया।

इसी के साथ-साथ, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सवाई मानसिंह अस्पताल में चोटग्रस्त डीसीपी को भी भर्ती करवाया गया था, अन्य पुलिस अधिकारियों को भी भर्ती करवाया गया था। वहीं अधिवक्तागण की ओर से भी जिनके चोटें आना बताया जा रहा है पथराव के दौरान, उनके द्वारा भी..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप वर्जन तो सुनिए।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (गृह राज्य मंत्री): उनके वहां पहुंचने के साथ अस्पताल में इलाज लिये जाने के क्रम में मौके पर मौजूद डाक्टर्स, सबसे पहली बात तो इसमें यह आती है, उपाध्यक्ष महोदय, कि वहां की जो चौकी के प्रभारी हैं महावीर सिंह, उन्होंने अपनी ओर से रिपोर्ट दी कि मैं सवाई मान सिंह अस्पताल के पोलीट्रोमा वार्ड को चैक कर लिफ्ट से बाहर निकला तो

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

लिफ्ट के बाहर खड़े 25-30 अधिवक्तागण ने, इनके बार के अध्यक्ष भी साथ थे, उन्होंने मैन हैण्डलिंग उनके साथ की। उनको पकड़कर जो भी हुआ, वे शब्द कहे और उन्होंने वहां का वातावरण दूषित करने का अपना प्रयास जारी रखा। इसके अलावा अस्पताल में कुछ तोड़फोड़ भी हुई। इस क्रम में भी एक प्रकरण दर्ज किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अपनी ओर से आगे बढ़ते हुए, पूर्व के समय में जब कभी भी अधिवक्तागण या अन्य आम जन द्वारा जो भी मांगें रखी गईं, उसके क्रम में कल के प्रस्तुत अपने बजट भाषण में सबके लिए प्रावधान किये जिसमें अधिवक्तागण के लिए भी किये गये जो कि दस करोड़ रुपये की राशि यहां रिकार्ड में दर्ज है। आज राज्य में एक ऐसा माहौल बनकर आया है कि राज्य का हर वर्ग बहुत आशावान है और उन आशाओं की पूर्ति मुख्य मंत्री महोदय के माध्यम से इस लोक कल्याणकारी सरकार से करवाना चाहता है। इस क्रम में, अधिवक्तागण द्वारा जो अभी प्रस्ताव दिये गये, समयानुसार उनके ऊपर उचित कार्यवाही हो, यह माननीय मुख्य मंत्री महोदय की सोच है। कल जो घटना हुई वह सही दिशा में, अधिवक्तागण से हम बहुत आशावान हैं, न्याय की पालना कराना उन्हीं का कार्य है, उनसे आशा करते हैं कि वे उचित वातावरण के अन्दर अपनी बात को रखेंगे और उसके ऊपर सरकार समयानुसार फैसला लेगी, यही मेरा निवेदन है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, आपके स्टेटमेंट से तो, आपने लाठी चार्ज क्यों किया? कानूनी जामा पहनाने के लिए जो-जो शब्द आवश्यक हैं, जो-जो कृत्य आवश्यक हैं, उसकी आपने लम्बी फेहरिस्त बना दी। कम से कम अधिवक्ता कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको आप बात करके और समझाइश के आधार पर नहीं समझा सकते। हो सकता है, दो-पांच लोग होंगे, लेकिन जब इतनी बड़ी फोर्स आपकी थी तो क्या समझाइश होकर बात नहीं हो सकती थी? लाठी चार्ज ही उसका एक मात्र हल था? इतने लोगों को पीटना ही उसका हल था? मान लीजिए, किसी प्रकार की कोई बात भी हुई, जिस प्रकार का वहां नंगा नृत्य हुआ वह राजस्थान के अधिवक्ताओं के ऊपर किया हुआ जुर्म, क्या राजस्थान की जनता ने टीवी और अन्य पर देख कर आपको शाबाशी दी होगी? अपनी बात को जमाने के लिए आपने जो लाठी चार्ज किया वह बहुत अच्छा काम किया? आपको सर्टिफिकेट

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मिलना चाहिए? मैं सोचता हूं कि इस प्रकार के स्टेटमेंट देने से आप स्वयं अपने मन में ही कष्ट पाओगे। पुलिस को अपनी बात को साबित करने के लिए कि उन्होंने लाठी चार्ज किया, वह बहुत आवश्यक था। उसके बिना कन्ट्रोल हो ही नहीं सकता था, इसलिए एक को नहीं पचास को पीट डाला। 80 साल के बूढे को भी पीट दिया जो कहीं दूर खड़ा होगा। जब लाठी जाती है, वह वहां जाए जहां हुडदंग हो, तब तो समझ में आ सकता है। दो-दो सौ मीटर तक जाकर लाठी भांजना, यह कहां का न्याय हो सकता है? यह कौनसा लाठी चार्ज हो सकता है? उन महिलाओं को, जो आपके उस घेरे के आसपास ही नहीं थीं, उनके ऊपर लाठी चार्ज करने की कहां आवश्यकता थी? केवल अपना गुस्सा दिखाने की दृष्टि से जिस प्रकार का आपने लाठी चार्ज किया ऐसे वर्ग पर जो सामान्यत: आपको और हमको न्याय दिलाने का प्रयास करता है। अपनी मांग लेकर आना लोकतंत्र में सबको अधिकार प्राप्त है। उनकी बात को सुनना आपका और मेरा कर्तव्य है क्योंकि हमें जन प्रतिनिधि का कर्तव्य निभाना चाहिए। लेकिन जिस ढंग का कृत्य कल आपकी पुलिस ने किया, वह शर्मनाक स्थिति थी। समझाइश से भी समस्या का समाधान किया जा सकता था। ऐसा स्टेटमेंट आपसे पढ़वाकर कहलवाया कि उन उद्दण्ड लोगों ने इस प्रकार का माहौल पैदा किया इसलिए आपने दण्ड दिया, मैं और मेरा दल आपके स्टेटमेंट के विरोध में वाक आउट करते हैं।

(भाजपा के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, सरकार के स्टेटमेंट के खिलाफ मैं और मेरा दल भी वाकआउट करते हैं।

(कम्युनिस्ट पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री उपाध्यक्ष: प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं। श्री छोटूसिंह भाटी।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

जैसलमेर के नहरी आबादी चकों में मूलभूत सुविधाएं

श्री छोटूसिंह भाटी (जैसलमेर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 295 के अन्तर्गत जैसलमेर जिले के नहरी आबादी चकों में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में आपके माध्यम से सदन को सूचना देना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसलमेर जिले में इंदिरा नहर आने के बाद

(श्री छोटूसिंह भाटी)

स्थितियों पर धीरे-धीरे परिवर्तन हुआ। खेती के लिए किसानों को पानी व भूमि उपलब्ध हुई। परन्तु मौके पर निवास करने के लिए आज भी जिले के निवासी तथा राजस्थान के शेष हिस्से से आने वाले आबंटी भी हैरान व परेशान हैं। यही कारण है कि जैसलमेर नहरी क्षेत्र में हजारों पोंग बांध विस्थापितों, कृषि स्नातकों, भूतपूर्व सैनिकों को लाखों बीघा भूमि आबंटन होने के बावजूद आज तक एक भी व्यक्ति स्थाई रूप से वहां निवास नहीं कर रहा है। उसका एक मात्र कारण यही है कि सरकार द्वारा हजारों चक आबादियों का कटान कर दिया गया है परन्तु वहां मौके पर एक भी चक आबादी में कोई भी मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं करवा पा रही है। लगभग सभी चक आबादियां सूनी पड़ी हैं, वहां कोई पानी, बिजली, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। अत: मजबूरन काश्तकारों को खेतों में ही निवास करना पड़ता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सदन के माध्यम से सरकार से यह अनुरोध है कि सरकार चक आबादियों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाए तथा किसानों को चक आबादियों में बसाने हेतु उन्हें पट्टे प्रदान करे। आबादियों को बिजली व पानी कनेक्शन से जोड़े तथा शिक्षा की समुचित व्यवस्था करे ताकि चक आबादियां आबाद हो सकें तथा लाखों पोंग बांध विस्थापित, कृषि स्नातक व भूतपूर्व सैनिक जो कि पलायन हेतु मजबूर हो रहे हैं, मुरब्बे बेचकर वापस जा रहे हैं, उनको रोका जा सके तथा सरकार द्वारा सीमा क्षेत्र पर भूतपूर्व सैनिकों को बसा कर सीमा सुरक्षित करने का जो सपना संजोया गया था, उसको बिखरने से रोका जा सके। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री ग्यारसाराम कोली।

भरतपुर में ट्रांसफार्मर आबंटन में अव्यवस्था एवं भ्रष्टाचार

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज बिजली आम जनता की आवश्यकता बन चुकी है, चाहे वह घरेलू उपयोग हो या कृषि, वाणिज्यिक या औद्योगिक कार्यकलाप। निश्चित ही बिजली का उपयोग गरीब से अमीर तक जीवन का एक अंग बन गया है। बेचारा उपभोक्ता इस विद्युत विभाग के चक्कर काटते-काटते परेशान हो रहा है। जहां तक भरतपुर जिले में ट्रांसफार्मर व्यवस्था का प्रश्न है, बड़े प्रयासों के साथ डैमेज रिपोर्ट, जे.ईएन. रिपोर्ट, फिर एस.ई.

(श्री ग्यारसाराम कोली)

कार्यालय को प्रेषण एवं प्राथमिकता से ट्रांसफार्मर का आबंटन होना बड़ा मुश्किल कार्य हो गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि सफल प्रयासों से ट्रांसफार्मर आबंटन हो भी जाता है तो स्टोर कीपर बाबू को जब तक सुविधा शुल्क नहीं पहुंचता, ट्रांसफार्मर मिलना सम्भव नहीं है। इस कार्य हेतु बयाना विद्युत विभाग में तो खुल्लम-खुल्ला खेल होता रहता है। इस कार्य हेतु स्थानीय लोगों को दलाल के रूप में कार्यालय के इर्द-गिर्द घूमते एवं सौदा करते देखा जा सकता है, जो स्थानीय अधिकारियों का नाम लेकर बाद प्राप्ति सुविधा शुल्क ही स्टोर बाबू या ट्रांसफार्मर वितरण का जिम्मेदार व्यक्ति हरी झंडी प्राप्त करता है। तब ही बेचारा उपभोक्ता, चाहे घरेलू या कृषि का हो, अपने नुकसान, फसल सूखने के कारण उनका चक्कर काटकर टांसफार्मर प्राप्त करने में सक्षम हो पाता है, जो कि अव्यवस्था एवं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है।

अत: मेरा प्रस्ताव है कि इस व्यवस्था में उच्चाधिकारियों से व्यक्तिगत ध्यान देकर इस कार्यवाही एवं भ्रष्टाचार को सुधार करने की कार्यवाही सरकार के माध्यम से कराएं, साथ ही ए.ईएन. को जिम्मेदार ठहराया जाए। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय श्री अब्दुल सगीर खां।

धौलपुर में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत व समुचित पुलिस चौकियों की स्थापना

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिए निवेदन करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, धौलपुर विधान सभा क्षेत्र का लगातार बसावड़ा बढ़ता जा रहा है, इस क्षेत्र में लगभग सौ से अधिक नई कालोनियां विकसित हुई हैं जहां सैकड़ों-हजारों की तादाद में मकान बने हुए हैं। जहां एक तरफ वहां के नागरिक मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं, जैसे पानी, बिजली, सड़क और आम नागरिक नारकीय जीवन व्यतीत करने पर मजबूर है, साफ सफाई और रोशनी की माकूल व्यवस्था नहीं है। वहीं दूसरी तरफ आर.यू.आई.डी.पी. के माध्यम से सीवरेज और सड़कों का निर्माण शहर में हो रहा है लेकिन धीमी गति से हो रहा है और अपने शिड्यूल से काफी पीछे चल रहा है। सम्पूर्ण शहर जगह-जगह खुदा पड़ा है। खुदने के बाद महीनों तक उस पर कोई कार्य नहीं होता है जिससे अनेकों दुर्घटनाएं हो रही हैं। बरसात का मौसम भी करीब आ रहा है, लोगों का जीवन नारकीय बन जाएगा अगर बरसात से पूर्व शहर के

(श्री अब्दुल सगीर खां)

सीवरेज के लिए की गई खुदाई और सड़कों का निर्माण पूर्ण नहीं हो जाता है। स्थानीय संबंधित अधिकारी ठेकेदारों से समय पर कार्य लेने में असमर्थ हैं। धौलपुर शहर में आर.यू.आई.डी.पी. द्वारा मचकुण्ड से नगर परिषद, हरदेव नगर तक सड़क व नालों का निर्माण अभी भी अधूरा है। लाइट लगाने की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुई है। जिसे हम गौरव पथ कहते हैं उस पर हमें अभी गौरव नहीं है। विकास की गति को तीव्र किया जाए, निर्माण कार्य अतिशीघ्र हो जिससे जनता को राहत मिल सके। कार्य समयबद्ध तरीके से पूर्ण हो जिससे वर्षा ऋतु में जनता को इसका खामियाजा नहीं भुगतना पड़े।

धौलपुर का बसावड़ा बढ़ने के कारण और समुचित पुलिस चौकियां न होने के कारण एक बड़ी समस्या खड़ी हो गयी है। मचकुण्ड रोड पर आये दिन घटनाएं होती हैं और विदेशी सैलानियों का आना-जाना इस रोड पर अच्छी संख्या में हो गया है। वक्त की मांग है कि शीघ्रातिशीघ्र वहां स्थाई चौकी कायम कर कानून राज स्थापित करे। इसी प्रकार धौलपुर पी.जी. कालेज जहां छात्र-छात्राएं एक साथ पढ़ते हैं, आये दिन छात्राओं की छेड़खानी की शिकायतें प्राप्त होती हैं, वहां पर अविलम्ब चौकी स्थापित की जाए जिससे छात्राओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ न हो सके। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री ज्ञानदेव आहूजा।

रामगढ़ (अलवर) की सड़कों का जीर्णोद्धार

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत क्षेत्र की सड़क से सम्बन्धित विशेष निवेदन के जरिए महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) की ओर विशेष रूप से दिलाना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र की ग्राम घाट की पूरी सड़क बहुत ही क्षतिग्रस्त हो गयी है। यह सड़क आगे मेरी खूंटेटा पंचायत ग्राम पाली, नांगलटप्पा होकर मालाखेड़ा-लक्ष्मणगढ़ रोड से जुड़ती है, इस सड़क का नवीनीकरण होने का मतलब है जनता का 15 किलोमीटर का फेरा बचना।

इसी प्रकार से ग्राम बुटियाना ग्राम पंचायत ग्राम रोणपुर का लगभग 800 मीटर सी.सी. होना अति आवश्यक है क्योंकि यहां लगातार पानी भरा रहता है और कीचड़ हो जाता है। साथ ही ग्राम चोरोटी इस्तपुरार का बीच का हिस्सा भी भारी क्षतिग्रस्त है, यहां भी सी.सी. रोड का बनना अति आवश्यक है। ग्राम खूंटेटा खुर्द भी सी.सी. के लायक है। ग्राम बाम्बोली ग्राम पंचायत

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)
बोबोली से खूंटेटा कलां होकर खूंटेटा खुर्द की सड़क भी क्षतिग्रस्त हो गयी है, इस सड़क का नवीनीकरण अति आवश्यक है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में प्रक्रिया के नियम 295 के माध्यम से मेरा पुन: सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय से विनम्र निवेदन है कि कृपा कर इन सड़कों का ध्यान विशेष रूप से रखकर इन सड़कों को चुस्त-दुरुस्त करने का कष्ट करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद।

सूचना

वकीलों पर लाठी चार्ज

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने फिर लाठीचार्ज कर दिया कलैक्ट्री पर ...(व्यवधान) यह सरकार क्या लाठियों से दबाना चाहती है? (व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): सरकार लाठी गोली की भाषा में बात कर रही है ...(व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कलैक्ट्री पर फिर वकीलों पर लाठीचार्ज ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री अर्जुन लाल। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अधिवक्ताओं पर फिर लाठीचार्ज ...(व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): लगातार वकीलों को कुचला जा रहा है, लगातार ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: पहले इस पर ...(व्यवधान) आप बोलिये, यह पूरा हो ...(व्यवधान) 295 पर बोलिए। (व्यवधान)

आपने सूचना दी है ...(व्यवधान) सूचना आ गयी। सरकार नोट कर लेगी ...(व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): इस सरकार को प्रजातंत्र में रहने का अधिकार नहीं है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप विराजें। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) केवल अर्जुन लालजी का।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): ×××

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री अर्जुन लालजी। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप नहीं बोलना चाहते? (व्यवधान)

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल अर्जुन लालजी का। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल अर्जुन लालजी।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण):

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): ×××

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): विराजो, विराजो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अर्जुन लालजी। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): ×××

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ×××

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): केसारामजी, विराजो।

श्री उपाध्यक्ष: अर्जुन लालजी।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

बेरू (जोधपुर) के सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्तियों को मुआवजा व दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, नियम 295 के तहत निवेदन है कि दिनांक 14.2.13 को जोधपुर शहर में बेरू निवासी शिवलाल पुत्र

(श्री अर्जुन लाल)

श्री भबूतराम विश्नोई, उम्र-30 अपने परिवार के सदस्य मां चन्दणी, उम्र-60 वर्ष, पत्नी श्रीमती भंवरी देवी, पुत्र श्री रमेश उम्र-10 वर्ष, भानजी रूक्मा व अन्य के साथअपनी गाड़ी संख्या पिकअप आर जे-19 जी बी 6732 के द्वारा अपने रिश्तेदार बाबूलाल खींचड के यहां शादी समारोह में मीरा नगर, झालामण्ड, जोधपुर से निवृत्त होकर सायं 04:00 बजे वापस अपने घर सपरिवार रवाना हुआ तो पुलिस थाना कुड़ी भगतासनी थाना के एस एच ओ नीतिन दवे व अन्य दो-तीन थानों के स्टाफ के कांस्टेबल पुलिस मुखबिरों व अन्य पुलिस के परिचित तस्करों की गाड़ियों में सिविल ड्रेस में बैठकर आये तथा शिव लाल की गाड़ी (पिकअप) का पीछा कर अन्य पुलिस थानों के एस एच ओ व अन्य स्टाफ को शिव लाल को एक उग्रवादी/आतंकवादी की तर्ज पर डी पी एस स्कूल के सामने शिव लाल व उसके परिवारजनों तथा गाड़ी को चारों तरफ से घेरकर रूकवा कर मारो मारो चिल्लाते हुए शिव लाल व उसके परिवार के सदस्यों को डराकर भागने हेतु मजबूर किया तथा कुछ ही देर में जोधपुर शहर कमिश्नरेट की सारी पुलिस गाड़ियां एवं सिविल ड्रेस में पुलिस बैठी।

तस्करों की गाड़ियों के द्वारा पिकअप के टक्करें मारने से तथा लाठियों से पिकअप में पीछे बैठे परिजनों के भी चोटें आईं। वहां के स्थानीय लोगों द्वारा बीच-बचाव किया गया। शिव लाल को भागने के लिए मजबूर कर दिया। वह अपने एनकाउंटर के भय से भागा। पीछे-पीछे पुलिस के षड्यंत्रपूर्वक हमला करके गाड़ी को टक्कर मार कर एक्सीडेंट में शिव लाल की माता चन्दणी देवी की हत्या कर दी गयी। शिव लाल को जान से मारने हेतु एक पुलिया के पास टक्कर मार दी जिसके कारण शिव लाल की गाड़ी असन्तुलित होकर गड्ढे में जा गिरी। शिव लाल की पत्नी, पुत्र, भाणजी सभी गम्भीर रूप से घायल हो गये। पुलिस ने अस्पताल लाते वक्त शिव लाल को पीट-पीट कर निर्मम हत्या का प्रयास किया। आखिर एम डी एम अस्पताल, जोधपुर में दिनांक 16.2.2013 को उसकी मौत हो गयी तब उसके परिजनों ने पुलिस पर हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया। जिसके फलस्वरूप पुलिस ने आकस्मिक दुर्घटना का झूठा मुकदमा दर्ज कर लिया। विश्नोई जाति के दो-तीन हजार लोग आंदोलन पर उतारू हैं तथा मृतक का दाह संस्कार भी नहीं किया जा रहा है। अत: मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि मृतक परिवार के सदस्यों को आर्थिक पैकेज के रूप में पच्चीस लाख रुपये, उनके परिवार के किसी सदस्य को सरकारी सेवा एवं घटना में लिप्त दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही हेतु न्यायिक जांच कराई जाए।

श्री उपाध्यक्ष: श्री ओटाराम देवासी। (व्यवधान)

आपका है ही नहीं। श्री ओटाराम देवासी। एक्सेस नहीं।

सिरोही जिला मुख्यालय पर नवनिर्मित ट्रोमा सेंटर की शुरूआत

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही): उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत निवेदन करना चाहता हूं कि सिरोही जिला मुख्यालय पर नवनिर्मित ट्रोमा सेंटर की सेवाएं शुरू नहीं होने से हादसों में घायलों को तुरन्त इलाज नहीं मिल रहा है, ऐसे में कई घायल अस्पताल में इलाज के दौरान अंतिम सांस ले रहे हैं और कुछ घायल रैफर होने की स्थिति में बीच राह में दम तोड़ देते हैं।

महोदय, जिला मुख्यालय पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद कोई काम नहीं आ रहा है ट्रोमा सेंटर। महोदय, तीन साल पहले बना था यह सेंटर लेकिन आज तक ताला ही लगा हुआ है। बेहतर इलाज देने के सरकारी दावे खोखले साबित हो रहे हैं। जिला अस्पताल में कोई आधुनिक सुविधाएं नहीं होने से गम्भीर घायलों को समय पर इलाज नहीं मिल रहा है। इसके अभाव में घायलों को अहमदाबाद और उदयपुर ले जाते समय में अनेक घायल लोग बीच रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं।

महोदय, जिला अस्पताल में पहले से ही डाक्टरों की कमी है, ऐसे में रैफर होने वाले घायलों की जिंदगी बीच में थम जाती है। जिला अस्पताल से हाल ही में एक और डाक्टर का तबादला किया गया है। जिला अस्पताल में ट्रोमा सेंटर की सुविधा फिलहाल न होने से हर गम्भीर को उदयपुर रैफर करना पड़ रहा है। हाइवे पर होने वाले हादसों में घायलों को डाक्टर प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर रैफर कर देते हैं। 120 किलोमीटर का सफर तय करने में तीन घंटे का वक्त लगता है लेकिन घायल 120 किलोमीटर से पहले ही दम-तोड़ देते हैं। सरकार तीन साल पहले बने ट्रोमा सेंटर को शुरू नहीं कर पाई। पिछले एक साल में 292 घायलों को रैफर किया गया, पांच लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि निजी अस्पतालों में रैफर होने एवं दम तोड़ने वालों की संख्या इससे भी अधिक है।

महोदय, जिला मुख्यालय पर तीन साल पहले बने इस ट्रोमा सेंटर में लाखों रुपये के उपकरण लगे हुए हैं, एक एम्बुलेंस भी है। यहां रिहैबिलिटी सेंटर भी बनाया गया है, इसके अलावा फिजियोथैरेपी की भी सुविधा है। सेंटर में 15 डाक्टर्स और अन्य नर्सिंग स्टाफ के पद मंजूर किये गये हैं। इन सबके बावजूद पिछले तीन साल से यह सेंटर आज तक बंद ही पड़ा है जिसके कारण इस

(श्री ओटाराम देवासी)
नवनिर्मित ट्रोमा सेंटर की सुविधा का फायदा जिलेवासियों को नहीं मिल रहा है। अत: उक्त नवनिर्मित ट्रोमा सेंटर को जल्द शुरू करवाते हुए जिलेवासियों को इलाज की सुविधा दी जाए।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रविन्द्र सिंह बोहरा।

राजाखेड़ा एवं धौलपुर तहसील में ओलावृष्टि से फसल को हुए नुकसान का मुआवजा

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिए निवेदन करना चाहता हूं कि दिनांक 23 व 24 फरवरी, 2013 को दस मिनट से भी कम समय में ओलावृष्टि से धौलपुर जिले के राजाखेड़ा एवं धौलपुर तहसील के गांवों में खड़ी फसल का बेहद नुकसान हुआ है। किसान की बेहद मुश्किल से उपजाई फसल देखते-देखते चौपट हो गई और आज किसान के परिवार पर दु:खों का पहाड़ टूट पडा है। समझ नहीं पा रहे कि क्या करें। मैं सरकार से पुरजोर अपील करता हूं कि फसल खराबे को देखते हुए किसानों के खराबे के मुताबिक उसे मुआवजा दें ताकि उसका परिवार मुसीबत के क्षणों में राहत की सांस ले सके। इस दिशा में सरकार स्थानीय प्रशासन से शीघ्र खराबे की रिपोर्ट मंगवाए ताकि मुआवजा देने का मार्ग प्रशस्त हो सके।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मदन प्रजापत।

बालोतरा औद्योगिक क्षेत्र में चतुर्थ फेज में आबंटन की प्रक्रिया

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण के तहत औद्योगिक क्षेत्र बालोतरा में चतुर्थ फेज में आवंटन के क्रम में निवेदन करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अनुसार 2004 में बालोतरा शहर में लगी औद्योगिक इकाइयों को बंद करवा रीको क्षेत्र में स्थापित करना प्रस्तावित है। औद्योगिक क्षेत्र बालोतरा के विस्तार के उद्देश्य से रीको द्वारा चतुर्थ फेज में उद्यमियों को भूमि आवंटन हेतु प्रक्रिया प्रारम्भ की गई थी तथा पात्रता रखने वाले उद्यमियों द्वारा आवंटन हेतु नियमानुसार आवेदन किये गये थे। जिला कलक्टर, बाड़मेर की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया तथा कमेटी ने आवेदन पत्रों की नियमानुसार जांच

(श्री मदन प्रजापत)

करके पात्रता रखने वाले उद्यमियों की सूची को अंतिम रूप भी दे दिया। सूची जारी करने से पूर्व तत्कालीन जिला कलक्टर का स्थानान्तरण अन्यत्र हो जाने के कारण सूची जारी नहीं हो सकी। वर्तमान जिला कलक्टर को कार्य ग्रहण किये कई माह व्यतीत हो चुके हैं लेकिन अभी तक सूची जारी नहीं की गयी है। सूची जारी नहीं करने का क्या कारण है? चतुर्थ फेज में आवंटन के अभाव में 8 वर्षों से बन्द पड़ी औद्योगिक इकाइयों को सुचारु करने में रुकावट आ गयी है तथा उद्यमियों में निराशा का वातावरण व्याप्त हो गया है।

औद्योगिक क्षेत्र बालोतरा के विकास को मद्देनजर रखते हुए चतुर्थ फेज में आवंटन की प्रक्रिया शीघ्र अमल में लायी जाकर सूची जारी की जाए।

श्री उपाध्यक्ष: डा. जसवन्त सिंह यादव।

बहरोड़ के फल एवं सब्जी मण्डी यार्ड गढ़ के पास प्लेटफार्म का अभाव

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): विधान सभा संचालन प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख।

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि बहरोड़ विधान सभा क्षेत्र में फल एवं सब्जी गौण मण्डी यार्ड गढ़ के पास, बहरोड़ में प्लेटफार्म नहीं बना हुआ है जिससे किसानों को फल व सब्जी मण्डी में अपना माल बेचने लाते हैं तो उसके लिये उचित स्थान नहीं मिलता। वहां कीचड़ व गन्दा पानी भरा रहता है जिससे किसानों व व्यापारियों में भारी आक्रोश है।

अत: आपसे निवेदन है कि उक्त गम्भीर समस्या का समाधान कराएं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री सुखरामजी कोली। इतने दिनों बाद आये हो आप।

श्री सुखराम (बसेड़ी): हां, काफी टाइम लग गया था धौलपुर से यहां तक।

श्री उपाध्यक्ष: रास्ता दिखा दीजिये। अच्छा होगा।

करौली में राशन कैरोसिन का लाइसेंस देने में अनियमितता

श्री सुखराम (बसेड़ी): प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के तहत आपका और सदन का ध्यान निम्न बातों की ओर दिलाना चाहता हूं:-

(श्री सुखराम)

करौली जिले में राशन कैरोसीन के थोक विक्रेता मैसर्स खिलाड़ी लाल एण्ड ब्रदर्स हैं। यह फर्म एक सांसद की है। सांसद बनते ही राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ आदेश, 1976 के खण्ड तीन के अनुसार जनसेवक होने के कारण इनकी फर्म के थोक प्राधिकार पत्र पर दिनांक 29.5.2009 को जिला कलक्टर ने रोक लगा दी थी। परन्तु 12 दिन के बाद ही राजस्थान के पूर्व खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रीजी ने प्रमुख शासन सचिव खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को छूट प्रदान करने के आदेश जारी करने के निर्देश दिये। खाद्य एवं नागरिक मंत्रीजी के आदेश की पालना में सरकार की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सांसद के निर्वाचित कार्यकाल के लिये छूट के आदेश जारी कर दिये। दिनांक 28.2.2012 को उप शासन सचिव ने अधिसूचना जारी कर पूर्व में जारी की गयी अधिसूचना को निरस्त करने एवं प्राधिकार पत्र निरस्त करने के आदेश जारी कर दिये, परन्तु जिला कलक्टर ने सांसद के प्रभाव के चलते उचित मूल्य के लाइसेंस को निरस्त नहीं किया, जिस पर पुन: दिनांक 29.6.2012 को निरस्त करने के आदेश जारी हुए। बाद में सांसद ने अपने लाइसेंस को बचाने के लिये अपनी पत्नी को अपनी फर्म में 49 प्रतिशत का साझेदार बनाकर पुन: छूट चाही। इस पर जिला कलक्टर ने सरकार से मार्गदर्शन चाहा। 4.10.2012 को उप शासन सचिव ने कहा कि लोक सेवक साझेदार होने की दशा में भी उचित मूल्य का कारोबार नहीं कर सकता। इस पर जिला कलक्टर, करौली ने सांसद की फर्म को कैरोसीन की सप्लाई बन्द करने के आदेश दिये। परन्तु सांसद के दवाब में दिनांक 13.12.2012 को सांसद की फर्म को पुन: बहाल कर दिया गया। इस तरह सांसद महोदय को जून, 2009 से जनवरी, 2013 तक लगातार कुल 135.48 लाख लीटर का नीला कैरोसीन का कोटा आबंटित किया जा चुका है। इसका वितरण करौली के उपभोक्ताओं को न होकर सांसद महोदय ने भारी मुनाफा कमाने के लिये पैट्रोल पम्पों को सप्लाई कर करोड़ों रुपये की काली कमाई की है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस मामले की जांच करवाकर उचित कार्यवाही करे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, व्यक्तिगत है यह। अब असैम्बली सैक्रेटेरिएट ने स्वीकार कर लिया इसलिये आपको पढ़ने की इजाजत दी है। बाकी व्यक्तिगत है। ऐसे 295 से बचना चाहिये। माफ करना, मैं आपको एल्डरली सजेशन भी दे सकता हूं।

श्री सुखराम (बसेड़ी): थैंक यू सर।

श्री उपाध्यक्ष: और मेरा अनुरोध है असैम्बली सैक्रेटेरिएट से, इससे बचें। माननीय श्री बाबूलालजी बैरवा।

कठूमर की सड़कों की दुर्दशा

श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर): विधान सभा संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख।

महोदय, विधान सभा क्षेत्र कठूमर, जिला अलवर के नगरपालिका क्षेत्र खेड़ली में खेड़ली बाइपास रोड अब स्टेट हाइवे से जुड़ गया है। पहले 60 फीट चौड़ा बाइपास था, 60 फीट ही स्वीकृत है, लेकिन कुछ व्यक्तियों ने अतिक्रमण कर रास्ते का स्वरूप बदल दिया है। इसका निर्माण एक ठेकेदार द्वारा करवाया गया था, जो अब सड़क बिलकुल ही टूट गयी है। चार-चार फीट गहरे गड्ढे हो गये हैं। नगरपालिका, खेड़ली ने बाजार की ओर लोहे के एंगल लगा दिये हैं जिससे भारी वाहन शहर में नहीं घुसकर बाइपास से गुजरते हैं। ट्रक, बस, ट्रैक्टर, सभी बड़े भारी वाहन इसी मार्ग से गुजरने के कारण पूरी सड़क टूट गयी है।

मेरा सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से निवेदन है कि इस बाइपास के 2 किलोमीटर टुकड़े को स्टेट हाइवे में शामिल करते हुए इसकी मरम्मत व सी.सी. सड़क का निर्माण करवाया जाए। अभी दिनांक 06/02/2013 को अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजगढ़ ने इस मार्ग को बनाने हेतु टेण्डर आमंत्रित किये थे लेकिन ठेकेदार व इंजीनियर की मिलीभगत से किसी भी ठेकेदार ने टेण्डर नहीं लगाया। इस प्रकार सड़क की हालत जस की तस है। जब तक मंत्रीजी भाग नहीं लेंगे, तब तक सड़क नहीं बनेगी। निचले स्तर पर भ्रष्टाचार के चलते यह 2 किलोमीटर बाइपास नहीं बन रहा है।

इसके साथ ही सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 5-5 किलोमीटर धार्मिक सड़कें दी गयी थीं, लेकिन विधान सभा क्षेत्र कठूमर में मुख्य सड़क से किरोड़ी कुण्ड सड़क मार्ग अभी तक शुरू ही नहीं हुआ है तथा दूसरी सड़क देवी धौलागढ़ की परिक्रमा की थी, वो अभी अधूरी है। तीसरा मार्ग धौलागढ़ देवी से गरीब दास आज़म ढाई किलोमीटर का था, वो अभी तक ज्यों का त्यों पड़ा है। ठेकेदारों ने पैसे उठा लिये लेकिन लगाये नहीं। कृपया इंजीनियर्स को आदेश फरमाएं कि उक्त धार्मिक सड़कों को पूरा करें। शेष सड़कें अधूरी क्यों हैं? या तो इन्हें पूरा करें या ठेकेदार द्वारा उठाई गयी रकम सरकार वापस ले।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती कमसा मेघवाल।

भोपालगढ़ (जोधपुर) के कतिपय विद्यालयों की क्रमोन्नति

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़): विधान सभा संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख।

महोदय, विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ (जोधपुर) शिक्षा क्षेत्र में जिला जोधपुर के ग्रामीण विद्यालयों में विद्यार्थियों एवं छात्र-छात्राओं के निवास क्षेत्र से नजदीक स्कूलों को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल दूर होने एवं बालिकाओं को आगे की पढ़ाई करने के लिये दूर स्कूलों में जाना पड़ता है, इस कठिनाई से कई छात्र-छात्राएं विद्यालय को छोड़ देते हैं, अपनी पढ़ाई आगे निरन्तर नहीं पढ़ पाते हैं। जनहित में निम्न विद्यालय हैं जिनको क्रमोन्नत करने की आवश्यकता है। इसके लिये ग्रामीण जनता के बच्चों को भी भविष्य बनाने के लिये पढ़ने में रुचि उत्पन्न होगी। अत: सरकार निम्न स्कूलों को क्रमोन्नत कर आम जनता एवं विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए विद्यालयों को क्रमोन्नत करने का आदेश प्रदान कर अनुग्रहित करें:-

1. राज. उच्च प्राथ. विद्यालय, लोरड़ी पण्डित को क्रमोन्नत कर राज.मा.वि.

   नोट:- ग्राम पंचायत मुख्यालय है-लोरडी पंडित (जोधपुर)
2. राज. मा. विद्यालय, हिरादेसर को राज. उ. माध्य. विद्यालय (तह. भोपालगढ़)
3. राज. मा. विद्यालय, मेलाणा (बावड़ी) को राजकीय माध्य. विद्यालय (तह. बावड़ी)
4. राज. उच्च प्राथ. विद्यालय खेड़ापा (बावड़ी) को राजकीय माध्य. विद्यालय (तह. बावड़ी)
5. राज. उच्च प्राथ. विद्यालय, बुचेटी को राजकीय माध्य. विद्यालय (तह. बावड़ी)
6. राज. उच्च प्राथ. विद्यालय, मण्डली को राजकीय माध्य. विद्यालय (तह. भोपालगढ़)
7. राज. मा. विद्यालय, कूड को राज. उच्च. माध्य. विद्यालय (पीपाड़-जोधपुर)
8. राज. बालिका उच्च प्राथ. विद्यालय, रामडावासकलां को राजकीय माध्य. विद्यालय (पीपाड़-जोधपुर)

(श्रीमती कमसा मेघवाल)

9. राज. प्राथ. विद्यालय, गादेरी को राजकीय उच्च प्राथ, विद्यालय (तह. भोपालगढ़)

10. राज. मा. विद्यालय, बिराई को राजकीय उच्च माध्य. विद्यालय (तह. बावड़ी)

उक्त विद्यालयों को क्रमोन्नत कराने का आदेश प्रदान कर अनुग्रहित करें।

श्री उपाध्यक्ष: बैठिये, माननीय सदस्य। पर्ची से उठाये जाने वाले विषय। माननीय श्री पवनजी दुग्गल।

(14.00 बजे)

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

रावला-घड़साना गोलीकाण्ड वर्ष 2008 की जांच हेतु गठित आयोग का प्रतिवेदन

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, आज सुबह से ही सदन के बाहर लाठियां चल रही हैं और सदन के अन्दर भी लाठियां चलने जैसा ही माहौल बना रखा है।

श्री उपाध्यक्ष: कम टू सब्जैक्ट।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आज जो लोग सत्ता के अन्दर बैठे हैं, वे सत्ता के नशे में हैं। जो आज सत्ता से बाहर इस तरफ बैठे हैं, जब उनका राज था तो लाठियां चलाने में इन्होंने भी कहीं कसर नहीं छोड़ी। लाठियां ही नहीं अपितु गोलियां तक चलायी हैं। आज सुबह से ही पक्ष और विपक्ष दोनों को हम देख रहे हैं, बड़े भावुक होकर कह रहे हैं कि सरकार लाठियां चला रही है। घोड़ों को दौड़ा-दौड़ा करके वकीलों को मरवा रही है। लेकिन यह काम इन्होंने इससे भी ज्यादा भयानक किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे याद है 2004 के अन्दर जब पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता के अन्दर थी और आज जो यह बात रख रहे हैं वे सब कैबिनेट मंत्री थे, घड़साना-रावला के किसान ने शांतिपूर्वक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, जो बात आज कह रहे हैं कि लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार है...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपकी जो पर्ची है...।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): उसी पर आऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष: यू कम।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): उसी पर आ रहा हूं। जो आज कह रहे हैं कि लोकतंत्र में किसान को, वकील को, सरपंच को अपनी बात रखने का अधिकार है, जब उस इलाके के किसान ने अपनी उजड़ रही खेती को बचाने के लिये पानी मांगा तो 2004 के अन्दर निहत्थे किसानों पर पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने न केवल लाठियां चलायीं, न केवल घोड़ों से दौड़ा-दौड़ाकर मारा बल्कि गोलियों का सहारा लेकर 7 किसानों के बेटों को मारने का इन्होंने काम किया। जब पुलिस से भी पार नहीं पड़ी तो एक बार नहीं 4-4 बार हिन्दुस्तान की मिलिट्री को घड़साना-रावला के किसानों की छाती पर इन्होंने भेजा।

उपाध्यक्ष महोदय, जो किसान का शोषण हुआ, आज सुबह माननीय मुख्य मंत्रीजी कह रहे थे कि मेरी 7 पीढ़ियो की चाहे मेरी जांच कमेटी बैठा दो, मैं निर्दोष साबित होऊंगा। ये भी कम नहीं हैं, ये इनसे ज्यादा कह रहे हैं कि हमारी 8 पीढ़ियों की बैठा दो, हम निर्दोष साबित होंगे। मगर इनका दोष साबित करेगा कौन? अगर किसी समस्या को ये सदन में लाएं, जांच को सार्वजनिक करें तो नि:संदेह पता लगेगा कि 7 पीढ़ियों, 8 पीढ़ियों की दुहाई देने वालों ने अपने कार्यकाल के अन्दर किस प्रकार के काले कारनामे किये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, 2004 के गोलीकांड के बाद में पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी ने आयोग बैठाया, केजरीवाल आयोग, गोयल आयोग और 2008 में उसकी रिपोर्ट सरकार को मिल चुकी थी। आज हमारे मुख्य सचेतक रघु शर्माजी बैठे हुए हैं, यह बड़े-बड़े भाषण देने घड़साना पहुंच गये थे। आज गृह मंत्री वीरेन्द्रजी बेनीवाल भी बैठे हुए हैं, यह भी गये थे, कि बहुत बुरा किया भारतीय जनता पार्टी ने। हम किसान के साथ हैं और जब हमारी सरकार आएगी तो किसान की बात रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिसने गोली चलायी, उसको कटघरे के अन्दर लेकर आएंगे। मगर क्या हुआ, रघुजी? आपको बत्ती मिल गयी, गृह मंत्री वीरेन्द्रजी बन गये, मगर आज भी उस इलाके की जनता इनसे नहीं, आपसे मांग करती है कि 2004 में जो घड़साना-रावला में गोलीकांड हुआ, 8-8 बहनों का जो सुहाग पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी ने उजाड़ा, आपने क्या किया? 2008 में रिपोर्ट आपके पास आ चुकी है, यह आपने मुझे प्रश्न के उत्तर में दिया है। आपके पांचों बजट आपने पेश कर दिये, लेकिन आपकी मानसिकता इतनी मजबूत नहीं कि पूर्ववर्ती सरकार ने जो

(श्री पवन कुमार दुग्गल)

गोलियां चलाकर 8 किसानों को मारा, उनको नंगा करें। किसने गोलियां चलाईं? किसके इशारे पर गोलियां चली थीं? 18 साल का कालासिंह, 25 साल का मांगेलाल, राजकुमार, जेठाराम, हजूरा सिंह, आज भी उनके परिवार और उस इलाके से आवाज आती है कि हमें आज भी न्याय नहीं मिला है। वे केवल भारतीय जनता पार्टी को नहीं, आपको भी कोसते हैं। मुझे याद है, जब चंदूराम को 8 दिन उठाकर घूम रहे थे तो रघु शर्माजी, आप साथ थे हमारे। मगर आज आप सत्ता में आकर भूल चुके हो। सत्ता में आकर किसान के बेटे का दर्द भूलने की कोशिश कर रहे हो। अगर इन्होंने गोली चलाई तो आप क्यों नहीं रिपोर्ट सार्वजनिक करते? क्यों नहीं आप इस बात को साबित करते कि किन अधिकारियों ने और किन पुलिस आफिसर्स ने गोलियां चलाकर किसानों के बेटों को मारा है?

उपाध्यक्ष महोदय, मगर याद रखो, अब आपका भी यही होगा। आप फिर इधर आ जाओगे और इधर वाले फिर उधर जाने की फिराक में बैठे हैं। मगर इससे किसान का भला कहां होगा? आप यह कह रहे हैं, जांच बिठाओ। आयोग बैठा, कितना रुपया आयोग पर खर्च हुआ? आपने क्यों आयोग बैठाया और उस आयोग का हुआ क्या? आप तो कह रहे थे कि पूर्व मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे के ऊपर भी बैठाया था। लेकिन वह आपकी राजनैतिक लड़ाई है। आप राजस्थान की जनता को गुमराह कर रहे हैं। सत्ता में आने के बाद दोनों भूल जाते हो कि आपने भी किसान के साथ बैठकर दु:ख और तकलीफ में खाना खाया था और उससे कोई वादा किया था।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यहां कहना चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्रीजी बैठे हैं, अगर हम गलत हैं, हमारा किसान गलत था, हमारी मांग नाजायज थी और हम लोकतांत्रिक तरीके से नहीं लड़ रहे थे तो सज़ा हमें दो, किसानों को दो। उस समय जिन्होंने गोली चलाई, आज उनके प्रमोशन हो गये। एसपी से वे आईजी हो गये। कलक्टर से कमिश्नर हो गये। लेकिन उस इलाके में आज भी वही हालात हैं। न तो कसर इधर वाले छोड़ रहे हैं और न कसर उधर वाले छोड़ रहे हैं। आपके माध्यम से मांग है, जो भी दोषी हैं, हम तो यह भी कह रहे हैं कि वकीलों पर लाठी चार्ज हुआ, उनका भी आप स्पष्टीकरण दो। जो बयान आज गृह मंत्री वीरेन्द्रजी ने दिया है पुलिस की तरफ से प्रोटेक्शन करते हुए, मुझे याद है कि वैसा ही बयान कभी गृह मंत्री गुलाब चन्दजी कटारिया ने इसी सदन में दिया था कि किसान गलत है और पुलिस सही है। कितने दिन आप पुलिस और प्रशासन को सही कहोगे? लोग

(श्री पवन कुमार दुग्गल)

आपको चुनकर भेजते हैं। जो लोग आपसे सरकार में जाने के बाद न्याय की उम्मीद करते हैं, आप वहां जाकर अपने पुलिस को, प्रशासन को बचाने का काम करते हो।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि साढ़े 4 साल निकल गये, यह आखिरी बजट है।

श्री उपाध्यक्ष: आप समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): समाप्त तो अपने आप हो जाएगा। इसके बाद में सदन में क्या होगा, वह तो जनता फैसला करेगी। लेकिन अगर इस प्रकार से आयोग बैठाने के बाद भी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करें तो मैं समझता हूं कि लोकतंत्र के अन्दर यह उससे भी घिनौना अपराध है। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि उस आयोग की रिपोर्ट आने के बाद जो भी दोषी है, उसको सार्वजनिक करना चाहिये और अगर नहीं करें तो बीजेपी को सज़ा मिल चुकी है, मुख्य सचेतक महोदय, आप भी उस सज़ा के भागीदार हो।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप रिपीट नहीं करें।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): आज आपके पास सत्ता की चाभी है, हम ललकार-ललकार करके कह रहे हैं, उस इलाके की पीड़ा को सदन में बार-बार रख रहे हैं, मगर आज आप उस बात को दबा रहे हो। एक तरफ तो कत्ल किये हैं, आप उस कातिल को बचाने का काम कर रहे हो।

श्री उपाध्यक्ष: विराजिये, माननीय सदस्य।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): इसलिए 7 पीढ़ी नहीं, 8 पीढ़ी, जांच एक-दूसरे की नहीं कर सकते, दोनों का मैच फिक्सिंग है। दोनों मिलकर राज करते हैं और जनता का शोषण करते हैं जब सरकार में आते हैं। सारा का सारा नाटक सदन में ही नहीं बाहर भी करते हैं। आज हमने खुद देख लिया, जब ये बोलते हैं तो बहुत तड़पकर बोलते हैं, राजेन्द्र राठौड़जी आज कह रहे थे, इनकी आंखों में तो आंसू ही आ गये थे। लेकिन भूल गये, जब उस इलाके के अन्दर गोलियां चलाकर किसान के बेटे को मारा गया था।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूं कि रिपोर्ट को सार्वजनिक करें। जो भी रिपोर्ट, जैसी भी रिपोर्ट आयी है, राजस्थान की जनता के सामने कांग्रेस सरकार सदन के पटल पर रखे।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। वह बहुत बोल लिये।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): नहीं, बोल तो लिये। मैं बोल नहीं रहा। मैं तो आपके माध्यम से इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार जब आयोग बैठाती है...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): कम से कम जवाब तो दिलाएं इस मामले में कि गोलियां किसने चलायीं। किसने मारा किसानों को?

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): जिस भी घटनाक्रम पर आयोग बैठाती है, जिस पर राजस्थान की जनता का लाखों रुपया खर्च होता है...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): और किनके कहने से चलायी?

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): उस आयोग की क्या फाइंडिंग है? यह सरकार का दायित्व है, चाहे कोई सरकार में रहे।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): किनके कहने से चलाई गोली?

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): कोई सरकार में रहे, उसका यह दायित्व है कि उस आयोग की रिपोर्ट को एक्शन-टेकन के साथ जिसने भी गलती की है, जिस भी अधिकारी ने गलती की है उसको सज़ा का एक्शन-टेकन के साथ राजस्थान की विधान सभा में रखा जाए, उस पर चर्चा हो। कार्यवाही करने की सरकार मंशा रखती है या उनको सबको बरी करने की मंशा रखती है? मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि सरकार ऐसे आयोग राजस्थान में जो भी बैठे हैं, उन आयोगों की रिपोर्ट एक्शन टेकन के साथ सदन में रखे और उन पर चर्चा कराए जिससे न केवल उन पर एक्शन होगा बल्कि आने वाले समय के लिए भी इस तरह कानून के खिलाफ जाकर अपनी मर्जी से, अपनी हेकड़ी के लिए जो लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं, वाजिब मांगों के साथ, उन पर रोक लग सकेगी। इसलिए इस पर चर्चा निश्चित रूप से होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। विराजिये।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): आन ए पाइण्ट आफ इन्फार्मेशन, सर।

श्री उपाध्यक्ष: जो चीज पहले सदन में आ गई, नई चीज हो तो बताइये आप। अभी कह दिया, लाठी चार्ज की बात आ गई।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): नई चीज है, सर।

श्री उपाध्यक्ष: आप पर्ची दीजिये, इन्फार्मेशन किस बात की देना चाहते हैं। पर्ची दीजिये आप।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): हां, पर्ची दे देता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप पर्ची दे दीजिये। (व्यवधान) केवल श्री भवानी सिंहजी राजावत, अंकित हो। (व्यवधान) उसका बाद में डिसाइड होता है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री भवानी सिंहजी राजावत।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ××× ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: और किसी का रिकार्ड न हो। केवल माननीय श्री भवानी सिंहजी राजावत का अंकित होगा।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये। (व्यवधान)

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री उपाध्यक्ष: होगा। आप पर्ची दीजिये। नियम बना दिया उसको नहीं तोड़ सकते। (व्यवधान) केवल भवानी सिंहजी राजावत।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ××× ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: केवल श्री भवानी सिंहजी राजावत। (व्यवधान) वह आ गई बात। अभी आप कहीं बाहर गये हुए थे। अब सदन में आ गई बात, सदन ने नोटिस ले लिया।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आ गई बात। माननीय श्री भवानी सिंहजी राजावत।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय भवानी सिंहजी राजावत, आपका रिकार्ड हो रहा है। बोलिये।

किसानों पर विद्युत वितरण निगम द्वारा किया जा रहा कुठाराघात

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप हाउस को आर्डर में लाइये।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान बिजली विभाग में फार्म हाउसिंग कनेक्शन वाले किसानों के ऊपर एक काला कानून निकालकर किये गये कुठाराघात की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री भवानी सिंह राजावत)

बिजली संकट ने पूरे राजस्थान में पिछले चार वर्षों से किसानों को तबाह कर दिया, बरबाद कर दिया-कभी बिजली का नहीं आना फसल के समय, सिंचाई के समय, कभी अघोषित बिजली कटौती कर देना, ट्रांसफार्मर जल जाने के बाद दर-दर की ठोकरे खाते हुए भी किसानों को ट्रांसफार्मर नहीं देना, फसलों का सूख जाना। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप भी किसान के बेटे हैं, आपको आश्चर्य होगा कि 2001 में प्राथमिकता के आधार पर कृषि का बिजली कनेक्शन जल्दी मिल जाए, किसानों ने फार्म हाउसिंग योजना में कनेक्शन लिया-15 हजार रुपये बिजली के पोल के दिये, 5 हजार रुपये कनेक्शन का चार्ज जमा कराया। उस समय सामान्य श्रेणी के किसान के लिये एक रुपया यूनिट की दर थी और फार्म हाउसिंग कनेक्शन 2 रुपये प्रति यूनिट की दर थी। लगातार धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते अभी दिसम्बर से पहले तक फार्म हाउसिंग कनेक्शन कृषक 3 रुपये 85 पैसे और सामान्य श्रेणी का किसान 2 रुपये 10 पैसे प्रति यूनिट बिजली का बिल चुका रहा था। लेकिन यह सरकार किसान को राहत देने के बजाय आहत करती जा रही है। दिसम्बर, 2013 में एक काला कानून निकाला, हिटलरशाही आदेश निकाला और जितने भी फार्म हाउसिंग योजना के किसान राजस्थान में थे उनको डोमेस्टिक श्रेणी में ले लिया। यह कौनसा न्याय है? उपाध्यक्ष महोदय, क्या खेती कामर्शियल है? क्या खेती को श्रेणी में बांटा जा सकता है? खेत में गेहूं पैदा कर रहा है फार्म हाउसिंग वाला किसान और सामान्य श्रेणी का किसान भी गेहूं पैदा कर रहा है। क्या फार्म हाउसिंग के किसान के गेहूं की दर 2000 रुपये प्रति क्विंटल है और सामान्य श्रेणी के किसान के गेहूं की दर 1500 रुपये प्रति क्विंटल है? आपका भाव नियत नहीं है तो किसानों के ऊपर यह कुठाराघात क्यों? खेती की बिजली को क्यों डोमेस्टिक किया गया? 2012 के बाद हालत यह हो रही है कि किसानों की जितनी भी खेती होती है जितनी भी उपज होती है, जितना मुनाफा होता है उससे दोगुना बिजली का बिल आ रहा है। किसान खेत के कुएं का कनेक्शन कटवाने के लिए पावर हाउस पर जा रहा है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में लगभग डेढ़ लाख बीघा से अधिक जमीन पर फार्म हाउसिंग योजना में किसान खेती करता है, लगभग 1500 किसान खेती करते हैं, उनको एक साल में 5 करोड़ रुपये अतिरिक्त बिल चुकाना पड़ा है। मैं पूछना चाहता हूं सरकार के विद्युत मंत्रीजी से कि आखिर ऐसा फैसला क्यों किया? किसानों के ऊपर यह कुठाराघात क्यों?

(श्री भवानी सिंह राजावत)

बजट में तो घोषणा करते हो, पहले बजट में कहा कि मैं एक रुपये बिजली का नहीं बढ़ाऊंगा, एक पैसा नहीं बढ़ाऊंगा। आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने इसी पवित्र सदन में घोषणा की थी, लेकिन उसके बाद लगातार बढ़ाते जा रहे हो। आज फार्म हाउसिंग कनेक्शन योजना के किसान को 6 रुपये, 7 रुपये प्रति यूनिट बिजली का बिल जमा कराना पड़ रहा है। कहां से देगा वह 6 रुपये, कहां से देगा 7 रुपये प्रति यूनिट का बिल? कभी विचार किया है सत्ता में बैठे हुए, हुकूमत में बैठे हुए लोगों ने? माननीय विद्युत मंत्री महोदय, इस पीड़ा को आपने भी अपने क्षेत्र में महसूस किया होगा। आज लाखों किसान राजस्थान की धरती पर फार्म हाउसिंग योजना में खेती कर रहे हैं, खेती करके अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वे अब खेती नहीं कर पा रहे हैं, बिल जमा नहीं कराने से उनके कुंओं के बिजली कनेक्शन कटते जा रहे हैं। किसान के परिवार के भूखों मरने की नौबत खड़ी होती जा रही है। इसलिए मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं, माननीय विद्युत मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह अंतर खतम करें, फार्म हाउसिंग योजना और सामान्य श्रेणी का। किसान जो खेती करता है, उसमें न मानें कि फार्म हाउसिंग योजना में तो कोई धन्ना सेठों के फार्म हाउस हैं। होंगे कोई 10 प्रतिशत लोग, लेकिन 90 प्रतिशत किसान हैं राजस्थान के जो फार्म हाउसिंग योजना में खेती करते हैं। इसलिए यह अंतर खतम करके बराबर की दरें करें। सामान्य श्रेणी और डोमेस्टिक में फार्म हाउसिंग के लिए है उसका भी बिल उतना ही हो, जितना सामान्य श्रेणी का हो। उतनी ही यूनिट, उतने ही पैसे उनसे लिए जाएं और किसानों के साथ न्याय किया जाए, यही अपेक्षा करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री अमरारामजी। (व्यवधान) केवल अमरारामजी, अंकित हो।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: जवाब देना चाहते हैं तो मुझे एतराज नहीं है।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री अमरारामजी।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2 मार्च, 2013 की उदयपुर की एक घटना की ओर मैं आपके माध्यम से सदन और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री उपाध्यक्ष: बात आ गई आपकी।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप कल आ सकते हो ...(व्यवधान)

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आपको अनुरोध कर दिया, आप अनुरोध नहीं कर रहे हो। केवल माननीय सदस्य अमरारामजी का अंकित होगा। (व्यवधान)

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आपकी बात सरकार तक पहुंच गई है।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल अमरारामजी ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, इसको सामान्य रूप से मत लीजिए। हाई कोर्ट में इस समय जिस प्रकार की स्थिति चल रही है, किसी भी समय गोली चलेगी और लोग मरेंगे। कारण यह है कि वहां गाड़ियां कौन जला रहा है, कौन नहीं जला रहा है, उस गाड़ी जलाने को ही आधार बनाकर वातावरण वहां क्रिएट हो रहा है। तुरन्त जो भी आपके अधिकारी हों, जाएं, मौके पर जाकर इसको कंट्रोल करें। नहीं, तो यह अप्रिय घटना और किसी रूप में चली जाएगी और उसमें सारा का सारा राजस्थान जल जाएगा। हाई कोर्ट कैम्पस में जजों ने अपने कमरे बंद कर लिये हैं, और जैसे कोई तूफान मचा हुआ है, चारों तरफ हाई कोर्ट कैम्पस में पुलिस अपना गुस्सा निकाल रही है। अगर इसको समय रहते और किसी समझदारी से ठीक तरह से टैकल नहीं किया तो यह अनहोनी घटना एक बहुत बड़ी घटना के रूप में हो जाएगी और पूरा प्रदेश जलेगा।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय अमरारामजी।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आपके लीडर ने कह दिया। केवल अमरारामजी।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अमरारामजी।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सदन आर्डर में तो आए।

श्री उपाध्यक्ष: केवल आपका अंकित हो रहा है।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): ×××

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): 2 मार्च, 2013 को उदयपुर के आदिवादियों की घटना की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप पर्ची दीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, पर्ची तो दीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): ×××

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल अमरारामजी।

उदयपुर जिले के झाड़ोल ग्राम ओगणा में आदिवासियों को जमीन से बेदखल किया जाना

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का और सरकार का एक घटना की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा 2 मार्च, 2013 को पुलिस थाना ओगणा, उदयपुर के झाड़ोल के आदिवासियों की, जिनको देश की सरकार ने वन अधिकार कानून के तहत 2006 में अधिकार दिया था। आदिवासी और जंगल का पीढ़ियों से संबंध है। राजस्थान का सबसे गरीब आदिवासी जंगलों में रहता है, पीढ़ियों से रहता है। आदिवासी इस पूरे देश में रहता है और जंगल के उत्पादों से अपना जीवन यापन करता है। देश में गरीबी की रेखा से नीचे जीने वालों में सबसे ज्यादा कोई संख्या है तो आदिवासियों की है। उनके संघर्ष करते-करते 2006 में देश की सरकार एक आदिवासी वन अधिकार कानून लेकर आई और इस बात की व्यवस्था की कि यह कानून आने तक जो भी आदिवासी जिस भी जंगल में खेती कर रहा है, बसा हुआ है, उसको किसी भी सूरत में हटाया नहीं जाएगा और उसका नियमन करके उसको पट्टा जारी किया जाएगा। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, प्रभावशाली लोग वन विभाग से, पुलिस से मिलकर आदिवासियों को

(श्री अमराराम)

उजाड़ने का काम कर रहे हैं। मैं तो एक घटना आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा। इस देश की संसद ने, सबसे बड़ी पंचायत ने अधिकार दे दिया कि 2006 के कानून के बाद जो भी आदिवासी जहां बसा हुआ है, जहां भी खेती कर रहा है, वन विभाग की जमीन पर, उसको हटाया नहीं जाएगा, उसको रैगुलराइज करके पट्टा दिया जाएगा-उसके घर का पट्टा दिया जाएगा, उसकी काश्त की जमीन का पट्टा दिया जाएगा। लेकिन 2 मार्च, 2013 को ओगणा थाना, झाड़ोल तहसील, उदयपुर में नादिया और डूंगरियावास के दर्जनों आदिवासी जो पीढ़ियों से वहां बसे हुए हैं, वहां काश्त कर रहे हैं, वन विभाग के अधिकारियों ने, वहां के प्रभावशाली लोगों ने, सौ-डेढ़ सौ लोगों ने जाकर सुबह 11 बजे इस बात के लिए कहा कि आप यह घर छोड़कर चले जाएं। तो उन्होंने कहा कि यहां हम बसे हुए हैं, यहां हमारे मकान हैं दर्जनों। इन दो गांवों के लोग जो आसपास बसे हुए हैं, उन्होंने इस बात का आग्रह किया कि हमारी ग्राम पंचायत के माध्यम से जो अटाटिया ग्राम पंचायत है, इनको रैगुलराइज करने के लिए प्रस्ताव पास करके पट्टा जारी करने के लिए प्रस्ताव भेज दिया है। उन्होंने कहा, हमें कानून पढ़ाते हो। वे प्रभावशाली लोग जिनकी उन जमीनों पर नजर है, कानूनी हक होने के बाद भी डेढ़ सौ, दो सौ लोगों ने उनके मकानों को जलाने का काम किया, उनमें जो कुछ भी था उसको लूटने का काम किया, जलाने का काम किया। उन जमीनों पर उन आदिवासियों का अधिकार होते हुए भी जिस तरह से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि कानून का राज नहीं है। कानूनी हक मिलने के बाद ग्राम पंचायत से प्रस्ताव पास करने के बाद उनका पट्टा जारी होना शेष है, उस वक्त जंगलात के अधिकारी, उस गांव और आसपास के प्रभावशाली लोग जिनकी जमीनों पर नजर है, वे नहीं चाहते कि उन गरीबों को जो कानूनी हक देश की संसद ने दिया है, उनको पट्टा मिले। उससे पहले उनको बेदखल कर, उनको उजाड़ कर उनको भयभीत कर उनके घरों को जलाया गया है, उनमें जो कुछ भी था उसको लूटा गया है, जलाया गया है। ऐसी घटनाएं आए दिन आदिवासी इलाकों में हो रही हैं इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है सरकार से, सरकार के मंत्री से, क्योंकि वन मंत्रीजी तो अभी बीमार चल रहे हैं, सरकार की तरफ से इस बात को एंश्योर करें कि जो भी आदिवासी इस कानून के बाद, क्योंकि सरकार ने उसके बाद भी 2012 में यह संशोधन भेजा है कि 2010 तक भी जो भी आदिवासी काबिज हैं, उनको नहीं हटाया जाए, उसको भी पट्टा दिया जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, उन आदिवासियों के नाम जो

(श्री अमराराम)

नादिया गांव में बसे हुए हैं-बस्सूराम, राजमल, धुलीराम, भूरीलाल, पेमाराम, डूंगरियावास जो सबसे गरीब हैं, मांगी थावरा, रंगला, होना, पूना, बीका, चला, छगना, परता ऐसे दर्जनों आदिवासी हैं जिनके कच्चे मकान को जला कर उनका जो कुछ भी थोड़ा बहुत था, उनको लूटने का काम किया है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है, ऐसे फोरेस्ट के अधिकारी जिन्होंने गांव के प्रभावशाली लोगों से मिलकर, पुलिस से मिलकर जो राजस्थान का सबसे गरीब है उसका अधिकार छीनने का काम किया है, उनके खिलाफ पूर्णतया जांच कराएं। जिन्होंने कानून विरुद्ध जाकर पंचायत के प्रस्ताव पास करने के बाद भी उनके घरों को उजाड़ने का काम किया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए और उनको सज़ा दिलाई जाए। जो पट्टे अभी बकाया हैं, निश्चित रूप से उनके घरों और जमीनों का पट्टा दिलाने का काम किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। श्री शांती कुमार धारीवाल, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, वित्त विभाग की दो अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखें।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

वित्त विभाग

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार वित्त विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

1. अधिसूचना संख्या : एफ.1(8)वित्त/साविलेनि/2011 दिनांक 24.1.2013 जिसके द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 विरचित किये गये हैं; एवं
2. अधिसूचना संख्या : एफ.1(8)वित्त/साविलेनि/2011 दिनांक 24.1.2013 जिसके द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 दिनांक 26 जनवरी, 2013 से लागू किये गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री राजेन्द्र पारीक, आबकारी मंत्री आबकारी विभाग की एक अधिसूचना सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से...

व्यवस्था का प्रश्न

सदन की बैठक आहूत होने के बाद राजस्व में छूट सम्बन्धी अधिसूचना जारी नहीं की जा सकती

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक, आबकारी मंत्री आबकारी विभाग की अधिसूचना संख्या इतना दिनांक 15.2.2013 जिसके द्वारा मासिक एकाकी विशेषाधिकार राशि की पूर्ति का 110 प्रतिशत से अधिक उठाव किये जाने पर अनुज्ञाधारी द्वारा मासिक एकाकी विशेषाधिकार राशि के 100 प्रतिशत से अधिक उठाई गई मदिरा की मात्रा पर देय आबकारी शुल्क में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है, यह अधिसूचना आप ला रहे हैं। क्या उद्देश्य है? क्या किसी ने शराब, मान लो, 100 बोतल उठानी है और उसकी जगह उसने 110 बोतल उठा ली तो जो 10 बोतल अधिक उठाई इसके कारण से उसको 10 प्रतिशत की छूट देने का अधिकार इस तरह से अधिसूचना जारी कर डिपार्टमेंट को दे देने का है क्या? उसको आप यहां आकर ओके करवा रहे हो, तो क्या यह अधिकार आपको पहले से था? क्या अधिसूचना के आधार पर इस प्रकार की छूट देना बजट की अवहेलना नहीं है?

श्री राजेन्द्र पारीक (आबकारी मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खास तौर से देशी मदिरा में कुछ ऐसी प्राब्लम्स हैं जैसे एक तो इल्लिसिट लिकर और दूसरी आस-पास के इलाकों से जो आयात होकर आती है वो। पहले बड़े समूह होते थे और वो आर्गेनाइज्ड वे में उनको रोकते थे। अब इंडिविजुअल शाप होती है, उस शाप के इर्द-गिर्द यदि ये बाहर के लोग आकर आयातित शराब बेचेंगे और आस-पास के इलाके में जो परम्परागत रूप से जहरीली शराब का निर्माण करते हैं वो लोग आकर निर्माण करेंगे और उस दुकानदार का जो हमारा लाइसेंसी है, यदि इसको डिसकरेज करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो उतनी ही लिमिट की शराब बेचेगा। लेकिन जब हम उसको इस तरह का इंसेंटिव देंगे तो इंसेंटिव से प्रभावित होकर वो उन लोगों को प्रभावी तरीके से रोकता है। हमारा उद्देश्य आयातित शराब है उसको रोकने का है, हमारा उद्देश्य जहरीली शराब के निर्माण में जो लोग लगे हुए हैं उनको डिसकरेज करने का है, यह इंसेंटिव देने का उद्देश्य एकमात्र यही है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, सरकार का जवाब दीजिये, यह व्यक्तिगत नहीं है इनका।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह अधिसूचना है 15.2.2013 की और हमारा हाउस 21 से शुरू होना था जिसका नोटिफिकेशन पहले निकल चुका था, तो जब हाउस मिलने वाला था, सूचना इसकी निकल चुकी थी तो फिर आपको अधिसूचना के द्वारा यह छूट देने का अधिकार कैसे मिला?

श्री राजेन्द्र पारीक (आबकारी मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमेशा से इस तरह की परम्परा रही है कि जब भी बाहर के लोगों का ज्यादा प्रैशर पड़ता है तो हम समय-समय पर अभियान भी चलाते हैं कि उनको डिसकरेज करें। लेकिन जो इंडिविजुअल शापकीपर है, लाइसेंसी है उसको जब तक हम एक्स्ट्रा इंसेंटिव नहीं देंगे तब तक प्रभावी रोकथाम में वो अपना प्रयत्न नहीं करेगा। जब हम उसको इंसेंटिव देते हैं तो उससे प्रभावित होकर वो उन लोगों को डिसकरेज करता है। हमारा उद्देश्य यहां पर शराब की बिक्री बढ़ाना नहीं है, हमारा सीधा-सा उद्देश्य यह है कि उस शराब को हम रोकें जो बाहर से आयात होकर आ रही है, हम उस शराब को रोकें जो अवैध तरीके से निर्मित होती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारा सीधा-सा उद्देश्य यही है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, सवाल बढ़ाने और घटाने का झगड़ा नहीं है, झगड़ा यह है कि जो अधिसूचना निकालकर इन्होंने छूट दी, हाउस को काल कर लेने के बाद, जब 21 का हाउस मिलने वाला था तो छह दिन में ऐसा कौनसा पहाड़ पड़ रहा था जिसके कारण से आपने अधिसूचना जारी करके 10 प्रतिशत की छूट दे दी, यह है सवाल। क्या मतलब है, बेकार है सब। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (आबकारी मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा कुछ भी नहीं है। यह रोजमर्रा की प्रैक्टिस में है, जब हम किसी को इंसेंटिव देंगे तब वो अपनी ओर से ज्यादा इनिशिएट करेगा। उपाध्यक्ष महोदय, खास तौर से यह हमारी रेवेन्यू का मामला है, यह रेवेन्यू से रिलेटेड मामला है, एक-एक दिन का हमारी रेवेन्यू पर फर्क पड़ता है। कभी भी कोई आदमी बाहर से आयातित शराब का कंजम्प्शन कर ले, कभी भी कोई जहरीली शराब का निर्माण करके वहां पर सप्लाई कर दे और उससे कल को कुछ कैजुएल्टी हो जाए। हमको एक-एक दिन सतर्क निगाह रखनी पड़ती है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, इस पर तो आपको व्यवस्था देनी पड़ेगी, व्यवस्था दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, कई माननीय अध्यक्षों के निर्णय पुस्तिका में लिखे हुए हैं। जब एक बार हाउस को आहूत कर लिया, नोटिफिकेशन जारी हो गया उसके बाद कोई भी किसी भी प्रकार की छूट चाहे वित्तीय छूट हो, कोई भी नीतिगत निर्णय बिना सदन को इन्फार्मेशन दिये नहीं लिये जा सकते, यह एक सैद्धांतिक सवाल है। अब आसन पर आप जैसा विद्वान बैठा हो, यह नई परम्परा चालू करनी हो तो हमें कोई एतराज नहीं है। प्रतिपक्ष के नेता ने जो बात उठाई है उस पर अगर हाउस काग्नीजेंस नहीं लेगा तो हमें कोई एतराज नहीं। विषय यह नहीं है कि छूट क्यों दी, क्यों नहीं दी गई, पर यह नोटिफिकेशन आया तो 15 तारीख को कैसे आया जब कि 21 दिन पहले नोटिस आ गया था और 21 तारीख को हाउस मिल रहा था? हाउस के नोटिफिकेशन के बाद या तो आप आज, आप श्रीमान् बैठे हैं आसन पर, या तो यह अध्यक्षीय व्यवस्था पूरी बदल दीजिये, आपको अधिकार है। आपको सर्वोपरि अधिकार है, नियमों के नियम 309 में आपको रेजीड्यूअल पावर है, आप कर दीजिये, उपाध्यक्ष महोदय, आज नया इतिहास भी रचा दीजिये।

श्री राजेन्द्र पारीक (आबकारी मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कैबिनेट ने 2012-13 की पालिसी में यह डिसीजन कर दिया था और नोटिफिकेशन भी जारी हो गया था।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न कैबिनेट का नहीं है, इनकी बात का जवाब दीजिये आप। कैबिनेट का क्या डिसीजन है यह नहीं है, आप तो इनकी बात का जवाब दीजिये।

श्री राजेन्द्र पारीक (आबकारी मंत्री): कैबिनेट से एप्रूव्ड है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई नई चीज नहीं है। आज जो मैं आपके सामने रख रहा हूं यह नोटिफिकेशन एप्रूव्ड नोटिफिकेशन है और कैबिनेट ने एप्रूव किया है।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): माननीय मंत्री महोदय, एक मिनट आप विराजें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आखिर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है। फाइनेंस का कंट्रोल और चैक्स एण्ड बैलेंस इस सदन का अधिकार है, किसी कैबिनेट या किसी मंत्री का अधिकार नहीं है। जब सदन आहूत हो जाता

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

है उसके बाद में किसी अधिसूचना को लाने से पहले सदन के पटल पर रखकर यहां चर्चा कराने के बाद में आप इस पर निर्णय ले सकते हैं। आप चाहें तो परम्परा डाल दें लेकिन परम्पराओं के माध्यम से संसदीय प्रणाली को और पार्लियामेंट्री डैमोक्रेसी के गले को घोंटा नहीं जा सकता। यहां 200 जो माननीय सदस्य बैठते हैं, वो दलों से ऊपर उठकर बैठते हैं। यहां जब बात होती है तो राजस्थान की जनता की बात होती है। अगर आप यहां इस प्रकार की प्रक्रिया डालेंगे, परम्परा डालेंगे तो हो सकता है कि पूरा का पूरा बजट अधिसूचना के नाम से आ जाए, आप पूरा का पूरा बजट पहले लागू कर दें और फिर यहां लाकर चर्चा करवा दें।

श्री राजेन्द्र पारीक (आबकारी मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सारे इश्यू को डाइल्यूट कर दिया। मैं आपके समक्ष रख चुका कि जो कैबिनेट से एप्रूव्ड हमारी 2012-13 की पालिसी है उसने एप्रूव कर दिया, डिसीजन आलरैडी हो चुका, नया इसमें कुछ भी नहीं है। मैं बार-बार आपसे निवेदन कर रहा हूं, हमें यह भय रहता है कि कहीं कोई इल्लिसिट लिकर बन गई और उसका कंजम्प्शन हो गया, कल को कोई अप्रिय घटना घट गई तो उसको रोकने के लिए हम एक-एक दिन उस पर नजर रखते हैं। इसलिए इसमें ऐसा नया कुछ भी नहीं है और यह हमेशा परम्पराओं में रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, एक परम्परा बता दें, यह परम्पराओं की किताब आपके सामने है जो.... (व्यवधान) एक परम्परा बता दें जिस परम्परा में सदन का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद हुआ हो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (आबकारी मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनकी तो यह परम्परा हो गई। रोज नान इश्यू को इश्यू बनाने की इनकी परम्परा हो गई। हाउस यहां आर्डर में नहीं चले, हाउस में किसी न किसी तरह से कोई व्यवधान डालें, यह रोजमर्रा की इनकी आदत हो गई। ऐसा कोई नया नहीं है, ऐसा परम्पराओं में रोज होता है। क्या कर दिया इसमें ऐसा नया? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): गुस्सा क्यों करते हो आप? आप नाराज मत हो, साहब। आप ब्रह्मदेवता हो, हम तो आपके सेवक हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (आबकारी मंत्री): कोई बात हो, कोई इश्यू हो तो आखिर उस पर चर्चा करें, पर नान इश्यू को इश्यू बनाने की परम्परा डालने में लगे हुए हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): हम तो, मंत्री महोदय, आपके सेवक हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह अध्यक्षीय व्यवस्था आपके सामने है, अब निर्णय आपको करना है। सदन का नोटिफिकेशन निकलने के बाद, सदन आहुत होने के बाद क्या कोई नीतिगत निर्णय, क्या किसी फाइनेंशियल मैटर में किसी प्रकार की छूट, कोई नोटिफिकेशन जारी करने का अधिकार मंत्री महोदय को है? वरना, उपाध्यक्ष महोदय, सदियों तक यह बात रहेगी कि आसन पर उपाध्यक्ष महोदय विराजे थे, रामनारायण जी विराजे थे, वरिष्ठ अधिवक्ता विराजे थे और उनके सामने परम्पराओं की धज्जियां उड़ गईं, अध्यक्षीय व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ गईं। इसलिए आप इस नोटिफिकेशन को वापस लेने के लिए माननीय मंत्री महोदय को कहें। मंत्री महोदय, आप भी संसदीय परम्पराओं में विश्वास रखते हैं, आप भी विद्वान हैं, गलती जो उधर बैठे हैं उन आपके अधिकारियों ने की, आप माफी मांगें, वापस उसको ले लें और उसके बाद विधिवत रूप से इसको वापस जारी करवा लें। उपाध्यक्ष महोदय, आज क्षमा मांगने से कोई छोटा थोड़े ही होता है, क्षमा तो वीरों का भूषण है, क्षमा मांगें और इसको विड्डा करें।

श्री राजेन्द्र पारीक (आबकारी मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य विद्वान भी हैं, अच्छे वक्ता भी हैं लेकिन कहां क्या बात कहनी चाहिए, वह सारी ऊपर से निकलती है। मैं स्पष्ट कर चुका कि कैबिनेट 2012-13 में हमारी पालिसी एप्रूव हो चुकी, नोटिफिकेशन जारी हो चुका और अगर नया कुछ होता तो मैं आपके सामने लाने में संकोच करता। नया कुछ भी नहीं है। बार-बार आपसे आग्रह कर रहा हूं, यह एक ऐसा है कि हम इल्लिसिट लिकर को डिसकरेज करने के लिए इस तरह के इंसेंटिव देते रहे हैं, पहले भी इस तरह के इंसेंटिव दिये गये हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, नोटिफिकेशन का मुलाहिजा फरमाएं। नोटिफिकेशन है संख्या प.4(1)वित्त/आबकारी/2012-पार्ट-1 दिनांक 15.2.2013, उपाध्यक्ष महोदय, क्या हो रहा है? कह रहे हैं कि पहले फैसला हो गया था और हमने लागू कर दी। यह नोटिफिकेशन आप 15.2.2013 को जारी कर रहे हो। यह जब सदन के अन्दर नोटिफिकेशन आया है तो हमारी सम्पत्ति है, हमारा अधिकार है कि हम आसन से यह प्रार्थना करें कि आप परम्पराओं को बचाओ, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री राजेन्द्र पारीक (आबकारी मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2012-13 की पालिसी में हमने इसे कैबिनेट से एप्रूव कर लिया, 2012-13 की कैबिनेट से एप्रूव्ड है यह।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): इस सर्वोच्च राजस्थान विधान सभा का इतिहास रहा है, संवैधानिक तौर पर इसका संसदीय इतिहास शानदार रहा है। यहां से भैरोंसिंह शेखावत जैसे महामानव उप राष्ट्रपति बने हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन सदन की परम्पराओं को टूटने नहीं दें, आप विद्वान आदमी हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक (आबकारी मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आबकारी विभाग की अधिसूचना संख्या:प.4(1) वित्त/आबकारी/2012-पार्ट-1 दिनांक 15.2.2013, जिसके द्वारा मासिक एकाकी विशेषाधिकार राशि की पूर्ति का 110 प्रतिशत से अधिक उठाव किये जाने पर अनुज्ञाधारी द्वारा मासिक एकाकी विशेषाधिकार राशि के 100 प्रतिशत से अधिक उठाई गई मदिरा की मात्रा पर देय आबकारी शुल्क में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वकीलों को फिर लाठी मार रहे हैं, गोलियां चला दीं रबड़ की। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रबड़ की गोलियां चला दीं उनको रुकवाओ। सदन चलते हुए अगर वकीलों पर लाठियां और रबड़ की गोलियां चलायेंगे, उनको कैद करके बुरी तरह से मारेंगे तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार यहां बैठी है....

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं हो यह। आप विराजिये। आप एक मिनट विराजिये।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप एक मिनट विराजिये। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

व्यवस्था

सदन की बैठक आहूत होने के बाद राजस्व में छूट सम्बन्धी अधिसूचना जारी करने से सरकार को बचना चाहिए

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये। माननीय नेता, प्रतिपक्ष ने जो बहुत अहम बात उठाई है, मैंने नियमों को भी देखा है, इस सम्बन्ध में कोई रूलिंग नहीं है, इसमें कोई दोराय नहीं है। सरकार को सदन आहूत होने के बाद ऐसे कोई भी नोटिफिकेशन को जारी करने से बचना चाहिए, इसमें कोई दोराय नहीं है और चूंकि नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, इसमें त्रुटि किस स्टेज पर हुई, शायद ये ध्यान नहीं रख पाये। इस तरह की चीजों से बचें माननीय मंत्री महोदय। इसमें कोई बड़प्पन नहीं है। कैबिनेट का क्या डिसीजन है और कैबिनेट का डिसीजन राजस्थान का डिसीजन है, सरकार का डिसीजन है, इसमें कोई

(श्री उपाध्यक्ष)
एतराज नहीं है सदन को। इन चीजों से बचे, सरकारी पक्ष को चाहिये कि इन चीजों से बचे। आज तो मैं इसकी इजाजत देता हूं, लेकिन इस तरह के नोटिफिकेशन से बचे। माननीय राजेन्द्रजी पारीक, रखिये आप।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

आबकारी विभाग

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार आबकारी विभाग की एक अधिसूचना सदन की मेज पर रखता हूं।

अधिसूचना संख्या: प4(1) वित्त/आबकारी/2012-पार्ट-1 दिनांक 15.2.2013 जिसके द्वारा मासिक एकाकी विशेषाधिकार राशि की पूर्ति का 110 प्रतिशत से अधिक उठाव किये जाने पर अनुज्ञाधारी द्वारा मासिक एकाकी विशेषाधिकार राशि के 100 प्रतिशत से अधिक उठायी गयी मदिरा की मात्रा पर देय आबकारी शुल्क में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की गयी है।

श्री उपाध्यक्ष: वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे। डाक्टर जितेन्द्र सिंह, ऊर्जा मंत्री, राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के वर्ष 2007-08 के लेखों की आडिट रिपोर्ट एवं उस पर टिप्पणी सदन की मेज पर रखेंगे।

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के वर्ष 2007-08 के लेखों की आडिट रिपोर्ट एवं उस पर टिप्पणी

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के वर्ष 2007-08 के लेखों की आडिट रिपोर्ट एवं उस पर टिप्पणी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष: हर मामले में नहीं रखते हैं।

व्यवस्था का प्रश्न

प्रतिवेदन, लेखों आदि का सदन में विलम्बित उपस्थापन

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नहीं, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि लेखे आ रहे हैं 2007-2008 के, श्रीमान् देख लीजिये। हम वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक अनुमान पर विचार-विमर्श कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: अब तो रख चुके वो। अब तो वह रख चुके हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मतलब, आप इन्हें अनुमति दे रहे हैं। आगे आप देखें। 2003-04 के प्रतिवेदन आ रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हो क्या रहा है? मतलब, सारी प्रक्रियाओं को ताक में रखने का निर्णय ले लिया है। अभी उच्च शिक्षा मंत्रीजी रखेंगे। कोटा विश्वविद्यालय का 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, मतलब, यह सदन को मजाक बनाना अगर तय कर लिया है...

व्यवस्था

प्रतिवेदन, अंकेक्षण प्रतिवेदन आदि समय पर सदन में उपस्थापित होने चाहिए

श्री उपाध्यक्ष: अब आप एक बार विराजिये। एक मिनट, धारीवालजी, यह तो मंगवाकर असैम्बली सैक्रेटेरिएट देखे कि 2003-2004 में कौन था, क्या था, ऐसे नहीं आना चाहिए। लेकिन ये चीजें देरी से आई हैं। आपकी बात जायज है। आपने कहा है, उसके बाद में आया है, यह भी जल्दी आना चाहिए। बार-बार सदन में यह मामला उठा है। (व्यवधान) माननीय सदस्य, यह आज का नहीं है लेकिन फिर भी इन बातों से सतर्कता होनी चाहिए। माननीय श्री डाक्टर जितेन्द्र सिंह जी, आपने रख दिया?

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): हां रख दिया।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री राजेन्द्रजी पारीक, उद्योग मंत्री, वित्त अधिनियम, 1951 की धारा 37(7) के अन्तर्गत 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राजस्थान वित्त निगम के लेखों का अंकेक्षण प्रतिवेदन तथा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड का 43वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-2012 सदन की मेज पर रखेंगे।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन व लेखे

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखता हूं:-

राजस्थान वित्त निगम के वर्ष 2011-12 के लेखों का अंकेक्षण प्रतिवेदन

(1) वित्त अधिनियम, 1951 की धारा 37(7) के अन्तर्गत 31 मार्च,

(श्री राजेन्द्र पारीक)

2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राजस्थान वित्त निगम के लेखों का अंकेक्षण प्रतिवेदन, तथा

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड का 43वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-12

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड का 43वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-2012.

श्री उपाध्यक्ष: डाक्टर दयाराम परमार, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री कोटा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 की धारा 43 के अन्तर्गत कोटा विश्वविद्यालय, कोटा के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 सदन की मेज पर रखेंगे।

कोटा विश्वविद्यालय, कोटा के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2003-04 से 2011-12

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कोटा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 की धारा 43 के अन्तर्गत कोटा विश्वविद्यालय, कोटा के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन। श्री श्रवण कुमार, सभापति, पिछड़ा वर्ग के कल्याण सम्बन्धी समिति, 2012-13 के तृतीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।

समिति प्रतिवेदन

पिछड़ा वर्ग के कल्याण सम्बन्धी समिति (क्र. सं. 3)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार पिछड़े वर्ग के कल्याण सम्बन्धी समिति, 2012-13 के तृतीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर विचार। डाक्टर रघु शर्मा, सरकारी मुख्य सचेतक कार्य सलाहकार समिति के 29वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।

कार्य सलाहकार समिति (क्र. संख्या-29)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के 29वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

कार्य सलाहकार समिति की बैठक बुधवार, दिनांक 06 मार्च, 2013 को मध्याह्न पश्चात् 2.15 बजे माननीय अध्यक्ष के वेश्म (चैम्बर) में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि दिनांक 07 मार्च, 2013 से 22 मार्च, 2013 तक सदन में अग्रेत्तर लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाए:-

गुरुवार, दिनांक 07 मार्च, 2013	आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2013-14 पर सामान्य वाद-विवाद।
शुक्रवार, दिनांक 08 मार्च, 2013	आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2013-14 पर सामान्य वाद-विवाद।
शनिवार, दिनांक 09 मार्च, 2013 रविवार, दिनांक 10 मार्च, 2013	बैठक नहीं होगी।
सोमवार, दिनांक 11 मार्च, 2013 मंगलवार, दिनांक 12 मार्च, 2013	आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2013-14 पर अग्रेत्तर सामान्य वाद-विवाद एवं राज्य सरकार की ओर से उत्तर।
बुधवार, दिनांक 13 मार्च, 2013 गुरुवार, दिनांक 14 मार्च, 2013 शुक्रवार, दिनांक 15 मार्च, 2013	आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2013-14 से सम्बन्धित अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान।
शनिवार, दिनांक 16 मार्च, 2013 रविवार, दिनांक 17 मार्च, 2013	बैठक नहीं होगी।
सोमवार, दिनांक 18 मार्च, 2013 मंगलवार, दिनांक 19 मार्च, 2013 बुधवार, दिनांक 20 मार्च, 2013 गुरुवार, दिनांक 21 मार्च, 2013	आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2013-14 से सम्बन्धित अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान।

(आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2013-14 से सम्बन्धित अनुदान की शेष मांगें मुखबंद का प्रयोग किया जाकर दिनांक 21 मार्च, 2013 को मतदान हेतु प्रस्तुत की जाएंगी)

(डा. रघु शर्मा)

शुक्रवार, दिनांक 22 मार्च, 2013	1. राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2013 पर विचार एवं पारण। 2. राजस्थान वित्त विधेयक, 2013 पर विचार एवं पारण 3. गैर सरकारी कार्य दिवस। 4. (मध्याह्न पश्चात् 3.00 बजे से मध्याह्न पश्चात् 5.00 बजे तक)

श्री उपाध्यक्ष: सरकारी मुख्य सचेतक यह प्रस्ताव करेंगे कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 29वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 29वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 29वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गई।

याचिकाओं का उपस्थापन। श्री अर्जुन लाल, सदस्य, विधान सभा तीन याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे।

याचिका

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं:-

बिलाड़ा के चिकित्सालयों में चिकित्सकों की कमी-पूर्ति

1. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में मरुधर केसरी राजकीय रेफरल चिकित्सालय, बिलाड़ा/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पीपाड़ शहर/बोरूंदा एवं पीएचसी खारिया मीठापुर में चिकित्सकों की कमी से उत्पन्न स्थिति बाबत।

बिलाड़ा में एन एच-112 पर खारिया मीठापुर से पिचियाक का निर्माण व नवीनीकरण का अभाव

2. बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र में निर्माणाधीन बिलाड़ा-खारिया मीठापुर

(श्री अर्जुन लाल)

(बाईपास) एनएच-112 पर स्थित खारिया मीठापुर से पिचियाक (किमी 36/0 से 52/0) के निर्माण एवं नवीनीकरण के नहीं करने से उत्पन्न स्थिति बाबत।

बिलाड़ा क्षेत्र में गांवों को पेयजल की शीघ्र उपलब्धि

3. माणकलाव-दांतीवाड़ा से बिलाड़ा एवं पीपाड़ शहर नगरपालिका क्षेत्र सहित 119 गांवों को पीने का पानी (पेयजल) उपलब्ध कराने की योजना को तीव्र गति से प्रारम्भ कर शीघ्र पेयजल उपलब्ध कराने बाबत।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री द्वारा वक्तव्य। श्री बृजेन्द्र सिंह ओला, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता राज्य मंत्री, प्रदेश में ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक वक्तव्य देंगे।

शासकीय वक्तव्य

प्रदेश में ओलावृष्टि से फसलों को कारित नुकसान

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक 15 एवं 16, 22 एवं 23 फरवरी को प्रदेश में हुई ओलावृष्टि से 14 जिलों की 33 तहसीलों के लगभग 449 गांवों में फसलों में खराबा 50 प्रतिशत से अधिक हुआ है। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 17 फरवरी, 2013 को ओलावृष्टि से रबी की फसलों को हुए नुकसान से प्रभावित काश्तकारों को राहत प्रदान किये जाने के उद्देश्य से एसडीआरएफ नार्म्स के अन्तर्गत देय सहायता को सम्मिलित करते हुए राहत पैकेज जारी किया गया है जो निम्न अनुसार है:-

(1) राहत आपदा निधि एसडीआरएफ से जिन लघु, सीमान्त एवं अन्य कृषकों की 50 प्रतिशत से अधिक फसल क्षतिग्रस्त हुई है, उनको अधिकतम दो हैक्टेयर तक असिंचित क्षेत्र हेतु 3000 रुपये प्रति हैक्टेयर, बिजली के कुओं एवं नहरों से सिंचित क्षेत्रों हेतु 6000 रुपये प्रति हैक्टेयर तथा डीजल पम्प से सिंचित क्षेत्र हेतु आठ हजार रुपये प्रति हैक्टेयर की दर से कृषि आदान अनुदान देय है। राहत पैकेज कृषकों के वास्तविक जोत के आधार पर उन कृषकों को भी दिया जा सकता है जिनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं हैं किन्तु भूमि पर ठेकेदारी, बांटेदारी से कृषि कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित सहायता ओलावृष्टि से प्रभावित पात्र काश्तकारों को ही दी गई है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, बीच में डिस्टर्ब नहीं करें। मंत्रीजी वक्तव्य दे रहे हैं, इनके बाद में कोई बात करनी हो तो...(व्यवधान)

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): सर, सारी विधान सभा यहां बैठी हुई है, यहां गृह मंत्रीजी बैठे हुए हैं, जयपुर शहर में गोलियां चलेंगी तो, आपकी दया होगी क्या, सर?

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट, इनकी बात पूरी आने दो।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): आपकी दया कब होगी? (व्यवधान) आपकी दया कब होगी?

श्री उपाध्यक्ष: पूरी आने दो उसके बाद। (व्यवधान)

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): आपकी दया कब होगी?

श्री उपाध्यक्ष: वक्तव्य आने दो। (व्यवधान) पूरी बात तो आने दो। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): यह क्या किसान, आप भी किसान के क्षेत्र से आते हो....(व्यवधान)

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): वकीलों को वहां से आने नहीं दे रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष: केवल मंत्रीजी का । बृजेन्द्रसिंहजी ओला का।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): ××× (व्यवधान)

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, इंदिरा गांधी नहर परियोजना): उनके चार माह के बिजली के बिल माफ किये जाएंगे। रबी फसल की गिरदावरी 1 फरवरी से 5 मार्च तक करवाई गई है। रबी फसल की 7-डी रिपोर्ट में गिरदावरी की सूचना प्राप्त होने पर ओलावृष्टि से प्रभावित छह हजार....

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, इंदिरा गांधी नहर परियोजना): से अधिक फसल को नुकसान हुआ है वहां अभाव घोषित किया जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष: सरकार बोल रही है, बोलने दीजिये आप। वक्तव्य दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, इंदिरा गांधी नहर परियोजना): अभावग्रस्त घोषित गांवों के प्रभावितों से भू-राजस्व वसूली स्थगित की जाएगी तथा सहकारी अल्पकालीन ऋणों की वसूली स्थगित कर मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित की जाएगी। अभी तक जिलों द्वारा मांग किये जाने पर चौदह जिलों

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

को लगभग 49 करोड़ रुपये राशि का आबंटन विभाग द्वारा एसडीआरएफ मद से किया गया है।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, इंदिरा गांधी नहर परियोजना): विभाग के निर्देशानुसार प्रभावित काश्तकारों के बैंक खातों में राशि का हस्तांतरण किया जा रहा है। (व्यवधान) ताकि वास्तविक काश्तकारों को सुगम एवं सही तरीके से राशि प्राप्त हो सके।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी का वक्तव्य तो सुनिये।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, इंदिरा गांधी नहर परियोजना): दिनांक 1 फरवरी से 5 मार्च तक.....

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: इनके बाद पूछना न, इनके बाद में कोई क्लैरिफिकेशन लेना है तो ले सकते हैं, हां-हां।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, इंदिरा गांधी नहर परियोजना): ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का वास्तविक आकलन करवाये जाने हेतु राजस्व विभाग के प्रमुख शासन सचिव ने 25.2.2013 को भी सर्कुलर जारी कलक्टरों के नाम किया है कि पूरी तरह से संवेदनशीलता से और बिना कोताही बरते हुए गिरदावरी को सही तरीके से करवाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: हां, क्या, डाक्टर साहब?

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष: पहले डाक्टर जसवन्त यादव, एक-एक। एक-एक, एक-एक। डाक्टर जसवन्त यादव, फिर हबीबुर्रहमान। (व्यवधान) मैं एक-एक को, आप क्लैरिफिकेशन कोई चाहें, ले सकते हैं लेकिन मेरा अनुरोध है कि लिमिटेड संख्या में लें तो अपना बिजनस आगे चले। डाक्टर जसवन्त यादव।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): उपाध्यक्ष महोदय, जो मंत्रीजी ने वक्तव्य दिया है, क्या किसानों का इससे गुजारा हो जाएगा? क्या किसान अपने बच्चों का पालन कर सकेंगे? उनकी फसल पूरी चौपट हो गई, आप चार महीने का बिल माफ करने की कह रहे हैं। आप बहुत थोड़ा अनुदान दे रहे हैं। आप जिस तरह से इधर से, बिजली मंत्रीजी भी यहां बैठे हुए हैं, दुगना-दुगना, चार-चार गुना, 1450 रुपये पर यूनिट के हिसाब से चार्ज लगाकर भेज दिया,

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

आखिर किसान बेचारा कहां जाए? कैसे अपने बच्चों का पालन करेगा? उसे इसी समय में अपने बच्चों को भी पालना है, बच्चों को रोजी-रोटी भी देनी है, बच्चों को अपने स्कूल भी भेजना है, शादी-ब्याह भी करना है, घर का गुजारा भी करना है। यह किसान को आप खैरात नहीं दे रहे हैं। जरा-सा एक्सीडेंट के अन्दर कोई मर जाए, पांच लाख और दस लाख रुपये। केवल कि वोट की राजनीति होनी चाहिए और किसान बिलकुल तबाह हो गया, उसको दो-दो, तीन -तीन हजार के ऊपर समेटना चाहते हो। वह तो उसकी मौत से ज्यादा है जिस किसान की फसल खत्म हो गई, जिसके खाने को दाने नहीं, जिसके अन्दर कर्ज चुकाने को पैसा ही नहीं, बिजली का जो बिल भर नहीं सके। कि, साहब, चार महीने का बिल कर रहे हैं मंत्रीजी। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सरकार से अनुरोध है कि पूरे एक साल का बिल माफ किया जाए और जिस तरह से जितना जिसका नुकसान हुआ है उस हिसाब से उसको दिया जाए। न आप फसल बीमा योजना लागू कर सकते। किसान को तो आपको पूरी की पूरी बिजली माफ कर देनी चाहिए, हिम्मत करो, किसान आपका है। आपको रेवेन्यू भी देता है, आपको लगान भी देता है और किसान मर गया तो आप भी नहीं बच पाएंगे, जिस तरह से आप दे रहे हैं। यह हकीकत है, आज सुबह कह रहे थे, आपने आर्डर नहीं दिये पर आपने जो इनडाइरेक्ट वे में उसको कह रखा है, जहां अस्सी-अस्सी प्रतिशत, सत्तर-सत्तर प्रतिशत फसलें बर्बाद हो चुकी है वहां आपकी गिरदावरी हो रही है चालीस प्रतिशत की। उनको तो कुछ नहीं मिलेगा, वह बर्बाद तो हो चुका है। किसान को छलने से कोई लाभ नहीं मिलेगा, किसान आपका है। किसान मर गया, किसान बर्बाद हो गया तो राजस्थान भी बर्बाद हो जाएगा और इस सरकार का कोई ठिकाना बचेगा नहीं, यही मेरा कहना है।

श्री उपाध्यक्ष: एक-एक। हबीबुर्रहमानजी। हां, उसके बाद। हबीबुर्रहमानजी। (व्यवधान) देखिये, शार्ट में, एक तो हबीबुर्रहमानजी, पिन पाइंट बात करिये।

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): शार्ट में, शार्ट में। उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष: वक्तव्य के बाद में स्पष्टीकरण आवश्यक नहीं है, फिर भी भावना है सदन की तो शार्ट में, बिलकुल।

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी

(श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा)

ने जो वक्तव्य दिया है, किसान की पहले तो फसल नष्ट हो गई और अभी गेहूं की फसल खड़ी है। मेरे विधान सभा क्षेत्र नागौर में विद्युत विभाग जिस किसान ने बिल नहीं भरा तो ट्रांसफार्मर उतारने लग गया है। सरकार ने कहा है कि हम छह महीने का बिल माफ करेंगे। (व्यवधान) चार महीने का। वह तो उसकी बारी बहुत बाद में आएगी, मैं मंत्रीजी से कहना चाहूंगा, विद्युत मंत्रीजी से भी, जो ये बिल लग रहे हैं, इन बिलों को रोका जाए और किसान के जो ट्रांसफार्मर उतार रहे हैं वे नहीं उतारे जाएं। जिस किसान की फसल हुई है उसकी किश्तें कर दें बिल की जिससे किसान को राहत मिले। जो गिरदावरी हो रही है उसमें भी सही गिरदावरी नहीं हो रही है। यों कहें, कहीं-कहीं तो खेत पूरे नष्ट हो गये हैं। इसलिए गिरदावरी पर, भी मंत्री महोदय, आप ध्यान दें, इतना ही मैं आपसे कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: हां, माननीय अमरा रामजी। देखिये, आप कम से कम, जरूरी नहीं है सब बोलें।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से एक तो यह जानना चाहूंगा कि आपने पचास प्रतिशत की रखी है, किसी का 49 प्रतिशत अगर खराबा हो गया? पड़ौसी राज्यों में जितना नुकसान हुआ है उसके अनुसार, आपके पैकेज के अनुसार दिया जा रहा है। पचास प्रतिशत से कम, मान लो एक प्रतिशत, 49 प्रतिशत का नुकसान हो गया उसको आपके इस पैकेज में एक नया पैसा भी नहीं मिलेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मौसम आधारित बीमा है, ओलावृष्टि उसके अन्दर शामिल नहीं है, इसलिए उसमें उसको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए पचास प्रतिशत से नीचे जिनका खराबा हुआ है, उनको भी आप देना चाहेंगे या नहीं देना चाहेंगे, एक तो यह स्पष्ट करें? क्योंकि उनको भी....

श्री उपाध्यक्ष: मैं एक बात अर्ज कर दूं। यह गवर्नमेंट आफ इण्डिया के द्वारा अनुमोदित होता है, वहीं से आर्डर्स आते हैं। इस पर जानकारी व्यक्तिगत नहीं, आथेंटिक होनी चाहिए, सुनी-सुनाई बात नहीं होनी चाहिए क्योंकि किसानों से सम्बन्धित मसला है। देखिए, मैं सजैस्ट नहीं कर रहा हूं, मैं एक अनुरोध कर रहा हूं, किसी चीज पर कोई निर्णय आपदा से सम्बन्धित है इसलिए कि उस पड़ौसी राज्य में क्या हो रहा है, क्योंकि नार्म्स जो डिसाइड होते हैं वे वहां से डिसाइड होते हैं, इसलिए आप थोड़ा-सा उसके आधार पर बोलें।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र के नार्म्स हैं,

(श्री अमराराम)

राजस्थान की सरकार भी तो बजट रखती है। पड़ौस में हरियाणा में जितना नुकसान हो रहा है, पचास प्रतिशत से कम हो रहा है, जब हरियाणा की सरकार उन किसानों को दे सकती है तो राजस्थान की सरकार सीआरएफ के अलावा, सेंटर के नार्म्स के अलावा अपने बजट से भी तो दे सकती है? उसके लिए क्यों नहीं दे सकती? दूसरा मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जो छह हजार रुपये हैक्टेयर का है, उपाध्यक्ष महोदय, ये नार्म्स उस समय के हैं जब आठ रुपये लीटर डीजल था, जब डीएपी दो सौ रुपये में एक थैला था। आज 1260 रुपये में है, आठ रुपये वाला डीजल 51 रुपये में है। इसलिए आज नार्म्स जो बने हुए हैं, नार्म्स भी चेंज सरकार करती है। इसलिए एक तो पचास प्रतिशत से नीचे जिनका नुकसान हुआ है, वह और ये नार्म्स छह हजार से नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, आज एक हैक्टेयर की बुवाई का छह हजार से ज्यादा लग रहा है। उसकी खाद, बीज, मेहनत, पूरा चौपट, एक साल की मेहनत है। यह रबी की फसल ही है, आप अंदाजा कीजिये, जो प्याज पैदा करता है, उसके एक हैक्टेयर में बीस हजार रुपये, पन्द्रह हजार रुपये तो लागत आ गई और आप उसको छह हजार रुपये देकर उसके आंसू पोंछने की बात कर रहे हैं। इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि एक तो ये नार्म्स बदले जाएं पचास प्रतिशत से नीचे जिनका नुकसान हुआ है उनके लिए। और यह पैकेज है....

श्री उपाध्यक्ष: संक्षिप्त करें।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): उस किसान को पूरी नहीं दे सकते, लेकिन कम से कम उसकी मेहनत, उसका खाद-बीज, उसकी तो सरकार भरपाई करे।

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये, विराजिये। माननीय प्रभुलालजी सैनी। (व्यवधान) अब आप।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री महोदय ने...

श्री उपाध्यक्ष: यह लम्बा हो जाएगा, पड़ौसी एक-दूसरे को सजैस्ट कर दें।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): नहीं-नहीं, बहुत छोटी बात इसलिए कहूंगा, आप किसान हैं, आप भी समझते हैं मेरी बात को।

(15.00 बजे)

(श्री प्रभुलाल सैनी)

इस वक्तव्य के बारे में मैं सिर्फ इतना निवेदन करना चाहूंगा कि निश्चित रूप से राजस्थान में ओलावृष्टि से फ़सलों को नुकसान हुआ है और सरकार यह कहती है कि हमने गश्त गिरदावरी के माध्यम से पता लगाने का प्रयास किया है कि कितना नुकसान हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि पटवारी सिर्फ जमीन की गिरदावरी करता है, फसल की नहीं करता है, नम्बर एक। नम्बर दो, फसल का खराबा 50 परसेंट हुआ, 40 परसेंट हुआ, यह पटवारी नहीं जानता है। इसका काम करते हैं कृषि वैज्ञानिक जो भी होते हैं। या कृषि के जो अधिकारी हैं वे ही इस बात को बता सकते हैं कि कितने नार्म्स पर फसल खराब हुई या नहीं हुई। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि.....

श्री उपाध्यक्ष: अब आप समाप्त करें। यह कामन है, दोनों का शामिल है कृषि और राजस्व।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है, इसको ऐसा करना चाहिए। दूसरी बात, आपके इस पैकेज के अन्तर्गत फसल खराबा का एक पैसा भी ये नहीं दे रहे हैं। ये सिर्फ पैसा दे रहे हैं उस आदान का। फसल का कितना नुकसान हुआ, वह नहीं देते हैं। इसलिए मेरा सरकार से यह अनुरोध होगा कि आप फसल के खराबे का पैसा दें, आदान का नहीं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री राव राजेन्द्र सिंहजी।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से सिर्फ इतना-सा निवेदन करना चाहता हूं, जहां बात आदरणीय हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य ने छोड़ी। पटवारी को यह तो मालूम है कि बुआई कितने क्षेत्र में हुई लेकिन पटवारी क्वालिफाइड नहीं है, he is not an agricultural scientist. वह कृषि वैज्ञानिक नहीं है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन आफिसर्स हैं, आप इन दोनों को एक साथ लगाइये और दोनों की आप रिपोर्ट लीजिए। कृषि विभाग एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर्स या एईओ के माध्यम से या ग्राम सेवक के माध्यम से लेगा और पटवारी की जो रिपोर्ट आएगी उसका विश्लेषण आप करिए, तब जाकर आपको यह पता लगेगा कि फसल को वाकई में नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है। जिस प्रकार से अतिवृष्टि हुई है, कहीं ओले पड़े हैं, कहीं और तरीके की बर्बादी हुई है, और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, यह सिर्फ क्राप्स तक सीमित नहीं है। अबके ठण्ड

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

पड़ने के बाद में खड़े पेड़ होर्टीकल्चर के, आपने नीम के पेड़ सूखे हुए नहीं देखे होंगे। पन्द्रह-पन्द्रह साल की उम्र के, बीस-बीस साल की उम्र के पेड़ खड़े-खड़े सूख गये। जिन्होंने होर्टीकल्चर कर रखा है उनके साथ जो नुकसान हुआ है, वह कौनसी आपदा में आप कवर करेंगे, क्योंकि वानिकी भी अपने आप में एक कृषि प्रधान कार्य है? इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके ऊपर आप गौर करें।

श्री उपाध्यक्ष: विराजें आप। माननीय श्री राजेन्द्र सिंहजी राठौड़। आप केवल सजेशन दीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मंत्री महोदय, आपने अभी जिक्र किया कि 15, 16 और 22, 23 तारीख को जो फ़सलों में नुकसान हुआ, उसमें 33 तहसील में 449 गांवों में खराबा 50 परसेंट है। उपाध्यक्ष महोदय, 24 तारीख को जब विधान सभा चल रही थी तब मुख्य मंत्रीजी ने आपदा प्रबंधन सहायता विभाग की बैठक करके घोषणाएं की थीं, उसमें 12 जिलों के 7973 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया था। मंत्री महोदय, इनमें से कौनसी बात सही है, यह बता दें आप? जिस गिरदावरी को आपने जनवरी के दूसरे सप्ताह में करने के निर्देश दिए थे, इस गिरदावरी की रिपोर्ट के आने से पहले आपको यह कैसे मालूम पड़ गया कि कितने गांव हैं, उनमें कितने परसेंट खराबा हुआ है? इसका कौनसा आपका मापदण्ड था? मुझे अंतिम बात यह बता दें, क्या यह सही है कि आपकी पार्टी के पूरे शासन का आधार चुनाव घोषणा पत्र में आपने यह वादा किया था कि आप एक नीति लेकर आएंगे। किसान की फसल अगर बर्बाद होगी तो उसके लिए अलग से, ओलावृष्टि और उनसे प्रभावित किसानों के लिए मुआवजा नीति बनाने की घोषणा की थी, वह नीति आप कब बनाएंगे? ये तीनों बातें आप बता दें।

श्री उपाध्यक्ष: अब समाप्त करें प्लीज। माननीय ओमजी बिरला।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय मंत्री महोदय, इस सारे प्रकरण में यह जो कोआपरेटिव का ऋण है क्या इस कोआपरेटिव ऋण को डैफर करेंगे या कोआपरेटिव के ऋण को माफ करेंगे? आपदा राहत की राशि के लिए राज्य सरकार ने कब-कब केन्द्र सरकार को प्रयास किया? आपदा राशि है वह बहुत कम है। जिस तरीके से पूरी धनिया की फसल नष्ट हुई है, उस धनिया की फसल का एक्चुअल मूल्य जो किसान बोता है, कम से कम वह तो मिलना चाहिए। यह आप अपने वक्तव्य में स्पष्टीकरण करें कि राज्य सरकार ने, मुख्य मंत्रीजी ने आपदा राशि बढ़ाने के लिए पत्र कब-कब सरकार को लिखे।

श्री उपाध्यक्ष: समाप्त करें आप। माननीय कमसाजी मेघवाल। एक लाइन में, एक या दो स्पष्टीकरण लेते हैं।

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, किसानों की जो फसल खराब हुई है, पटवारियों ने घर में बैठकर गिरदावरी रिपोर्ट बनाई है। किसी भी विधायक से और किसी भी सरपंच से इन्होंने नहीं पूछा है कि हमने रिपोर्ट बनाई यह सही या गलत है। मैं तो चाहती हूं कि जो रिपोर्ट बनती है वह पंचायत समिति के माध्यम से और जिला परिषद के माध्यम से सरकार तक आए।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री जीवाराम जी।

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात भी पूरी नहीं हुई है।

श्री उपाध्यक्ष: आपकी बात आ गई है।

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़): जो लोग बोल रहे हैं इन्होंने खेत भी नहीं देखा है, मैं तो असली बात बता रही हूं आपको।

श्री उपाध्यक्ष: यह बात पहले दूसरे माननीय सदस्य ने बता दी, अब आप नई बात बताइए।

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़): जिन किसानों ने ऋण लिया है उनके ऋण माफी की आप योजना बनाएं। जिन्होंने ऋण लिया है वह ऋण माफ किया जाए और किसानों के बिजली के जो बिल आये हुए हैं, वे बिल भी माफ किए जाएं। पटवारियों को निर्देश दिए जाएं कि विधायक से, सरपंच से और पंचायत समिति के सदस्यों से, सबसे सलाह मशविरा करके फिर अपनी रिपोर्ट पेश करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय जीवारामजी। कोई नई बात हो तो बताओ, जरूरी नहीं है बोलना।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नर्मदा का पानी आने के बाद में अरबों-खरबों रुपए की जीरे की फसल होती थी और इस...

श्री उपाध्यक्ष: आज आपका व्यवहार ठीक है, एक-एक बोल रहे हो।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): इस बार वह सारी फ़सल चौपट हो गई है। मेरा जीरा जो है उसको कामर्शियल करें, आज 150 रुपए किलो की आइटम है वह। मेरा सरकार से निवेदन है कि सही जांच करवा कर काश्तकार को जो मदद सम्भव हो सके, ऐसी व्यवस्था करें, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: कोई नई बात कहनी है, पेमाराम जी? कोई सजेशन हो तो दीजिए।

श्री पेमाराम (धोद): हां, सजेशन ही दे रहा हूं मैं। इन्होंने गिरदावरी कराई है, हमारे जिले में कृषि विभाग खराबा ज्यादा मान रहा है और सरकार पटवारी को आधार मानकर, पटवारियों से कहकर...

श्री उपाध्यक्ष: सजेशन की बात करिए, नियम की बात करिए आप।

श्री पेमाराम (धोद): यह सुझाव ही तो है जब कृषि विभाग ज्यादा मान रहा है तो इसका मतलब सरकार की नीयत में खोट है। पटवारियों से कम खराबा करके न देने की बात है। दूसरा मेरा सुझाव यह है कि बिजली के जो बिल हैं उनके आधार ...(व्यवधान) पशुधन मर गए हैं ओले से ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपके पड़ोसी ने बता दिया है। डाक्टर साहब।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): बीकानेर में मेरे विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला का मामला भी है, जो इन्होंने गिरदावरी कराई है वह बिलकुल गलत है। हमारे क्षेत्र में भी ओलों से फ़सलों को खराबा हुआ है। गिरदावरी बिलकुल गलत है, पचास परसेंट कम गिरदावरी है इसलिए हमारे क्षेत्र का भी ध्यान रखा जाए।

श्री पेमाराम (धोद): इनके पशु मरे हैं, इनका सब चौपट हो गया। सरकार को चाहिए कि पटवारियों से वापस गिरदावरी कराएं। इन्होंने कंठ भींच रखा है पटवारियों का और कह रहे हैं कि कम करो गिरदावरी। निवेदन है कि या तो आप कृषि विभाग की मानें या पटवारियों से सही गिरदावरी करवाएं। और मुआवजा दें।

श्री उपाध्यक्ष: बहुत हो गया। नेता प्रतिपक्ष महोदय।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): ओलावृष्टि और पाला जुड़ा हुआ नहीं था, पिछली बार ओलावृष्टि और पाला उसमें जुड़ गया कि उसमें से आपको मदद मिल जाएगी। आपके माथे क्या वज़न आया अगर इतनी राहत हमको उस कोष में से मिल रही है जो अब तक नियमों के तहत नहीं मिलती थी? तो यह दस परसेंट, बीस परसेंट, तीस या पचास परसेंट खराबे को भी कहीं न कहीं अपने को इंगित करना चाहिए और उसी स्तर पर राज्य सरकार अपने किसी न किसी फण्ड से इसकी मदद करे। जहां आपको लगता है दस परसेंट खराबा है, बिजली का बिल माफ करने से उसका काम चल जाएगा तो वह कर दीजिए। जहां लगता है कि उसको खाद और बीज की और मदद करनी चाहिए,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

स्टेट फण्ड से जितना पैसा दिया जा सकता है, जितना परसेंटेज खराबा हुआ, उतना परसेंटेज के हिसाब से जो आपने तीन हजार और छह हजार तय किया है उसके हिसाब से टुकड़े कर दें। आप पर क्या वज़न आया? जब आपने इन दोनों को ही आपदा प्रबंधन में जोड़ लिया तो अपने गांठ से भी तो किसान की मदद करो जिससे किसान को कुछ राहत पहुंचे। कम से कम जो कुछ आपका ऋण ले रखा है, उसको ब्याज मुक्त कर दीजिए। जिस ढंग से भी मदद कर सकते हैं, राज्य सरकार का भी तो कोई मैसेज जाना चाहिए कि हमने इसमें किसान को यह मदद की। वो जो पचास परसेंट से कम है, उनचास और पचास परसेंट में इतना बड़ा अंतर नहीं है कि उनचास है इसलिए उसको तो कुछ नहीं मिलेगा। मैं सोचता हूं कि जो परसेंटेज का खराबा आता है, दस परसेंट खराबा आता है उसे दस परसेंट का लाभ दे, बीस परसेंट का खराबा आता है बीस का, तीस का आता है तो तीस का। कम से कम उस किसान को भी तो कुछ मिलना चाहिए जिसके इस त्रासदी के कारण से नुकसान हुआ है। राज्य सरकार की अपनी गांठ से किसी प्रकार की सहयोग करने की मंशा नहीं है। अगर हो तो आप बता दें। अगर नहीं है तो मैं और मेरा दल कि आपने उस किसान की मदद के लिए केवल आंसू बहाये, ईमानदारी से अपने फण्ड से किसी प्रकार की राहत देने का काम नहीं किया, इसलिए हम वाक आउट करते हैं। और अगर देना है तो वह बता दें, हम रुक जाएंगे।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट। मंत्रीजी, एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी को बोलने दो, आपकी पार्टी के मंत्री हैं।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, इंदिरा गांधी नहर परियोजना): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तारानगर से आने वाले माननीय विपक्ष के मुख्य सचेतक जी ने कहा...

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): इनका पैंसठ हजार का बिल है किसान का...

श्री उपाध्यक्ष: केवल मंत्रीजी का अंकित होगा।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): ×××

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, इंदिरा गांधी नहर परियोजना): कि मुख्य मंत्रीजी ने आपदा प्रबंध प्राधिकरण की मीटिंग लेकर घोषणा की थी। वो

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

ख़रीफ़ फसल के लिए था। हमको इसका उस दिन नहीं पता था कि कितना नुकसान हुआ है, कितना नहीं हुआ है। आज भी मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि इन आंकड़ों में भी बदलाव हो सकता है, क्योंकि जब 7डी में आएगा तो हो सकता है कि कुछ और इसमें जुड़ जाए। इसलिए यह तो आपका वो है। दांतारामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने हरियाणा की चर्चा की। यहां कहने मात्र से कुछ नहीं है, कोई आथेंटिक बात हरियाणा की है नहीं। जहां तक एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के नार्म्स हैं...

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आथेंटिक तो कागज पर होती है। आप विराजें। बात आने दो।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल मंत्रीजी का। अब आप विराजिये। स्टेटमेंट स्टार्ट होने के बाद नहीं।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, इंदिरा गांधी नहर परियोजना): सारे देश में एनडीआरएफ के अनुसार चलते हैं। सारे देश में एनडीआरएफ के नार्म्स चलते हैं, हमको उनके अनुसार चलना पड़ता है। आप जब इधर बैठते थे तब भी उनको मानते थे और हम उधर बैठते थे तब भी आपकी आलोचना करते थे। मैं यह कहना चाहता हूं कि दो सौ सदस्य जो इस सदन में बैठते हैं, कोई भी किसान विरोधी नहीं है, हर सदस्य किसानों का भला चाहता है। आदरणीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार भी अपने माथे कुछ ले, चार महीने के जो बिजली के बिल माफ किये हैं, वो सरकार के उससे किये हैं, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ से नहीं किये हैं। जो ये नार्म्स हुए हैं इनकी बात आपने कही। ये 2012 में रिवाइज हुए हैं, आपकी सरकार ने भी लिखा था और हमने भी लिखा। ओलावृष्टि तो पहले से शामिल थी, पर अब पाला और शीतलहर गत 13 अगस्त को इसमें शामिल हुआ है। आपने भी बहुत सारी चिट्ठियां लिखी थीं और हमने भी लिखी हैं। और स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी लिखीं। हरियाणा के मुख्य मंत्री ने भी हमारे मुख्य मंत्रीजी को लिखा, उसके बाद उसको हम उसमें शामिल कराने में सफल हुए हैं। यहां एक यह बात आ रही है मुआवजा, माननीय सदन को मैं बताना चाहता हूं मुआवजा नहीं ये तो हम आदान-अनुदान दे रहे हैं किसानों को। जो आदान-अनुदान...

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आपका आ रहा है। आपका फिर आ रहा है। डॉ. साहब, केवल मंत्रीजी का होगा। आप सुनिये। बैठिये आप।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ×××

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, इंदिरा गांधी नहर परियोजना): उसके लिए सम्बन्धित बिजली कंपनियों ने आदेश जारी कर दिये हैं। मैं उनसे प्राप्त कर आपको भिजवा दूंगा।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजिये। विराजिये न आप।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, इंदिरा गांधी नहर परियोजना): इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों ने जो भावनाएं प्रकट की हैं, सरकार उनका पूरी तरह ध्यान रखेगी।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): पिछले साल भी 75 प्रतिशत शीतलहर से बताया था, इसलिए मैं और मेरा दल इस सरकार की किसान विरोधी नीतियों के लिए वाक आउट करते हैं।

(भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं और मेरा दल वाक आउट करते हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

आधे घंटे की चर्चा

(तारांकित प्रश्न संख्या-82 दिनांक 27 फरवरी, 2013)

शराब ठेकेदारों से बकाया राजस्व की वसूली से उत्पन्न मुद्दे

श्री उपाध्यक्ष: आधे घण्टे की चर्चा। डा. जसवन्त सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा के शराब ठेकेदारों से बकाया राजस्व की वसूली विषयक तारांकित प्रश्न संख्या 82(599/आबकारी) का उत्तर जो दिनांक 27 फरवरी, 2013 को दिया गया था, से उत्पन्न मुद्दों पर डा. जसवन्त सिंह यादव, सदस्य विधान सभा आधे घण्टे की चर्चा उठाएंगे।

डा. जसवन्त सिंह यादव।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): उपाध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: डिस्टर्ब नहीं करें।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): संसदीय मंत्रीजी, क्या बोल रहे हैं आप?

श्री उपाध्यक्ष: डा. साहब, अपने विषय पर आइये। (व्यवधान) माननीय मदनजी। हां, बोलिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): उपाध्यक्ष महोदय, फरवरी, 2012 के अन्दर एक प्रश्न मैंने पूछा था, उस प्रश्न का मैं फर्स्ट बिन्दु पढ़ कर सुनाना चाहता हूं आपको। 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 में, उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुनना, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय को अपनी बात फिर दुबारा पढ़कर सुना देता हूं। 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 में शराब ठेकेदारों में कितना राजस्व बकाया था? विवरण सदन की मेज पर रखें। यह सवाल बार-बार उठाया इसलिए गया, मेरी कोई मंशा खराब नहीं थी। जब यह प्रश्न लगा उस दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। दुबारा जब लगा तो नम्बर नहीं आया। इसलिए भी लगाना पड़ा कि पहले के अन्दर जो जवाब मिला तो उसमें शंका हुई कि इतने ठेकेदार, इतनी लूट-खसोट, कई सारे मामले हुए, तो इतना ही बकाया कैसे रह गया। फिर दूसरे में जो मेरे पास जवाब आया, सेम एक वर्ड भी नहीं बदला, नाट ए सिंगल पाइंट। मैंने जब दुबारा लगाया तो उसमें लिखा 2008-09, एक कोमा का भी फर्क नहीं किया, 2009-10 एवं 2010-11 में ठेकेदारों में कितना राजस्व बकाया था, विवरण सदन की मेज पर रखें। पहले का जवाब आया, 4.6 लाख और 40.09 लाख। दुबारा फिर मुझको जवाब मिला उसमें भी 'में' ही शब्द था, 'तक' नहीं था। माननीय मंत्री महोदय का मैंने इलेक्ट्रोनिक मीडिया में बयान सुना कि 'तक' और 'में' की गलती थी। इसमें भी 'में' था पर 'में' के अन्दर 2008-09 के अन्दर इतना बड़ा डिफरेंस आया, 15501.52 लाख। 2009-10 में आया 15206.54 लाख और 2010-11 के अन्दर आया 151247, इतना बड़ा डिफरेंस दोनों 'में' के अन्दर है। कुदरती दोनों बार डिस्कसन में नहीं आया। स्टार्ड तो लगा और मेरे मन में था कि आखिर सही जवाब तो मिले, कि पहला जवाब सही था या बाद का? इन्होंने...

श्री उपाध्यक्ष: आधा घण्टा तो आपका इसी में खतम हो जाएगा। कनक्लूजन पर आइये आप तो।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): सर, आधा घण्टा की चर्चा हुई क्यों है, जब तक मैं आपको यह नहीं बताऊंगा, फिर चर्चा कर क्यों रहा हूं मैं? इन्होंने मुझे सूची भेजी कि फलां के ऊपर इतना, फलां के ऊपर इतना-वो टोटल मैंने जोड़ा। पहले खुद जोड़ा तो उसमें भी अलग आया। फिर कम्प्यूटर से जोड़ा तो उसमें भी अलग आया। फिर किसी और से जुड़वाया तो उसमें भी अलग

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

आया। मैंने जो लगाया उसके अन्दर भी ये लगा कि 2008-09 से 2010-11 तक ठेकेदारों में कितना बकाया था। इसमें 'तक' लगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। 'में' वाले के अन्दर फर्क आ गया, बहाना लिया कि 'तक' लग गया। तो 'तक' में भी अन्तर आ गया। इसके अन्दर तीनों के अन्दर जवाब अलग-अलग हैं। तीन बार क्वेश्चन लगा। मेरा यह था, मन के अन्दर पीड़ा होती है। अनस्टार्ड क्वेश्चन जो होते हैं उनमें चाहे जैसे जवाब आ जाते हैं, मन को मसोस कर रह जाते हैं सरेआम हम देखते हुए भी कि अधिकारी लोग, मंत्री लोग गलत जवाब दे रहे हैं, हम कुछ कर नहीं सकते। पर जब स्टार्ड के अन्दर भी इस तरह का होगा, सदन एक सर्वोच्च स्थान है, यह किसी मंत्री के खिलाफ या किसी और के खिलाफ मेरी द्वेषता नहीं है, पर कम से कम जब सदन पवित्र स्थान है यहां पर जो जवाब दिया जाए वह जवाब सत्य आना चाहिए और अगर जवाब सत्य नहीं है तो मंत्रीजी को अपनी गलती मानने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बल्कि मंत्रीजी को यह कहना चाहिए था कि जिन अधिकारियों ने गलत जवाब दिया है, मैं उनके खिलाफ कार्यवाही करूंगा क्योंकि उन्होंने सदन को गुमराह किया है। इस तरह से आखिर शराब ठेकेदारों की जो मनमानी चल रही है इससे आदमी के मन में पीड़ा होती है। रात के आठ बजे देखो तो दारू ले आओ, दिन में देखो, रोज दुनिया भर की हरियाणा की निर्मित शराब बिक रही है। तो कहीं तो अंकुश लगे। न इनसे आप पैसा ले सकते हो न इनसे आप उगाही कर रहे हो। सरकार की लाचारी क्या है? और फिर जवाब मिलता है तो गलत मिलता है। और उसमें भी मंत्री महोदय एक बात कह देते हैं कि इसमें 'तक' और 'में'। मंत्रीजी को पता ही नहीं था कि तीसरा बीच में 'में' वाला भी लगा हुआ है। तो मैं निवेदन करता हूं, मंत्रीजी पहले यह बताएं, मैं कुछ और पूछूं, कि इन तीनों के अन्दर राशि की संख्या अलग-अलग है, आखिर मैं कौन से जवाब को सत्य मानूं? तब कोई और बात करूं।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने फरवरी में प्रश्न संख्या 624 के माध्यम से जानकारी चाही कि वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 में शराब ठेकेदारों में कितना राजस्व बकाया है। जब यह जानकारी चाही तो जनरली जब हम इंडिवीजुअल वर्षों की बात करते हैं, 2008-09, 2009-10, 2010-11 और अंत में उसमें 'में' लगा हो, हम ऐसा मान कर चलते हैं, ऐसा प्रिजम्शन करते हैं कि वर्षवार जानकारी चाही होगी। विभाग ने इनको वर्षवार जानकारी दी। 2008-09 में 4.60 लाख, 2009-10 में

(श्री राजेन्द्र पारीक)

शून्य, 2010-11 में 40.24 । वही प्रश्न सितम्बर में फिर रिपीट किया, प्रश्न संख्या 206 । जब विभाग के सामने दुबारा वह बात आई तो हमने मन में यह विचार किया कि माननीय सदस्य और ज्यादा स्पष्ट जानकारी चाहते हैं या उनको कोई शंका हुई होगी तो हमने क्युमुलेटिव दिया 2008-09 के दिन जितना कैरी फारवर्ड हुआ और 2008-09 के बाद में 2008-09 की रिकवरी, 2009-10 की रिकवरी और 2010-11 की रिकवरी उसको इन्क्लूड करते हुए टोटल दे दिया। उसके बाद में फिर माननीय सदस्य के मन में कोई जानकारी हुई। उपाध्यक्ष महोदय, जब 206 के प्रश्न में हमने माननीय सदस्य को सारी जानकारी दी तब हमने उनमें परिशिष्ट भी लगाये। जबकि पहला जो प्रश्न था फरवरी माह का, उसमें परिशिष्ट नहीं लगाये थे। लेकिन मन में यह लगा कि माननीय सदस्य कहीं न कहीं कोई शंका कर रहे हैं, उनके मन में शायद लग रहा है कि पूरी जानकारी उनको नहीं मिल रही है तो हमने उसमें परिशिष्ट लगाये- परिशिष्ट 1, परिशिष्ट 2, परिशिष्ट 3 । उन परिशिष्ट में स्पष्ट अंकित किया गया है, परिशिष्ट के कालम 104, 105, 106 में- 104 में 2008-09 की बकाया, 2009-10 में शून्य, 2010-11 में दो पार्टियों की जो बकाया थी उसको इन्क्लूड करते हुए हमने पूरे परिशिष्ट इनके समक्ष पेश किये। माननीय सदस्य चाहते तो परिशिष्टों को देखकर अपनी शंका का समाधान कर सकते थे। माननीय सदस्य ने नहीं किया। फिर जानकारी चाही तो प्रश्न संख्या 624 और प्रश्न संख्या 599 का उत्तर एक ही है। हालांकि आपका कथन सही है कि प्रश्न संख्या 624 और 599 में 'में' और 'तक' का फर्क होते हुए भी एक है। लेकिन प्रश्न संख्या जिस दिन आपने यहां उद्दत की 206 और 599 उसमें 'में' और 'तक' का फर्क था। बार-बार आप यह कह रहे हैं कि प्रश्न संख्या 599 और 206 में किसी तरह का कोई अंतर नहीं है। माननीय सदस्य, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि प्रश्न संख्या 206 और 599 में जो बड़ा अंतर है वह एक तो है 'में' और 'तक' का। दूसरा उसमें वर्ष का भी अंतर है। प्रश्न संख्या 206 में ...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): इतना लम्बा करने की क्या जरूरत है?

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे स्पष्ट निवेदन करुं कि ये जो प्रश्न हैं खास तौर से आबकारी विभाग के, इसमें, उपाध्यक्ष महोदय, वर्षवार आडिट होती है ...

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से बीच में एक बात कहना चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): मैं यही तो आपसे स्पष्ट करना चाह रहा हूं।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): एक बार प्यार से सुनें। एक गलती को छुपाने के लिये मंत्रीजी को सौ असत्य बोलना पड़ रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हैं। जवाब तो आपके अधिकारी देते हैं, अगर गलत दिया है तो उनके खिलाफ एक्शन लो। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी को बताना चाहता हूं, चाहें तो लिख लें।

श्री उपाध्यक्ष: उनका जवाब नहीं सुनना है क्या?

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): उपाध्यक्ष महोदय, पहले मेरी शंका तो ...

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय सदस्य जवाब सुनने के बजाय, उपाध्यक्ष महोदय, यह आधे घंटे की चर्चा इसलिए रखी जाती है ... (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि मैं न तो सदन का समय बर्बाद करना चाहता, न मैं किसी को गुमराह करना चाहता, न मैं किसी को ठेस पहुंचाना चाहता, पर मेरी बात तो सुनें आप।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): मैंने आपकी बात सुन ली, आप मेरी बात सुनिए। मैं आपकी पूरी बात सुन चुका, उसके बाद जब मैं रिप्लाई दे रहा हूं तब आप सुनना नहीं चाहते।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): आप फिर 'में' और 'तक' में ले गये। उपाध्यक्ष महोदय, एक बार सुन लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष: फिर क्या मंत्रीजी से बैठने का अनुरोध करें ?

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): हां ।

श्री उपाध्यक्ष: फिर बाद में उनका पूरा हो जाएगा। एक दफा सुन लीजिए उसके बाद आप बोल लेना। हां, मंत्रीजी, पूरा जवाब आने दीजिए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं या स्टोरी सुना रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष: जो भी है।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): आप सुनना नहीं चाहते। बार-बार

(श्री राजेन्द्र पारीक)

आप व्यवधान डालते हैं, सुनना नहीं चाहते। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष को निवेदन करना चाहूंगा, एक्साइज की जो भी बकाया होती है, उसकी जो रिकवरी होती है उसमें हमारी रैगुलर प्रोसेस में जो रिकवरी होती है, वह भी होती है और बीच-बीच में जो एमनेस्टी स्कीम लागू की वह भी उसमें समाहित थी। मैंने आपको स्पष्ट किया कि तीन प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछे, इनके पीछे क्या उद्देश्य था, मुझे नहीं पता (व्यवधान) अब आप सुनना नहीं चाहते

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): उद्देश्य यह था कि एक बार नम्बर नहीं आया था, एक बार पीछे नम्बर था, हाउस एडजोर्न हो गया था ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): ...(व्यवधान) मैं बार-बार इंगित कर रहा हूं, बार-बार स्पष्ट कर रहा हूं, बार-बार आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं, एक-एक बात स्पष्ट कर रहा हूं, उसके बावजूद भी आप सुनना नहीं चाहते।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ...(व्यवधान) इसलिए कि आज जनता को जो शराब के ठेकेदार लूट रहे हैं, उनको उजागर करना था कि उनसे वसूली कैसे हो।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फिर यह इस तरह की बात रहती है तो कोई मिनिस्टर कैसे अपनी बात रखेगा?

श्री उपाध्यक्ष: जब तक मंत्रीजी का जवाब पूरा नहीं हो जाए तब तक केवल इन्हीं का रिकार्ड होगा।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): आप सुनना नहीं चाहते ।

श्री उपाध्यक्ष: आप बोलिए, बोलिए।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय नेता प्रतिपक्ष, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने शब्दों के हेर-फेर के बारे में आपको स्पष्ट किया। फरवरी, 2012 और सितम्बर, दोनों के प्रश्न समान थे। फरवरी, 2013 के उत्तर में 'में' और 'तक' का फर्क था। उसके भाग तीन में जो बड़ा फर्क था वह यह था, दिसम्बर, 2011 और फरवरी, 2013 का जो प्रश्न था उसमें था दिसम्बर, 2012 और मैंने आपको सितम्बर में जो रिप्लाई दिया उस रिप्लाई में मैंने परिशिष्ट 1, 2, 3 लगा दिये। परिशिष्ट में पूरी लिस्ट है, किस-किस ठेकेदार में कितनी-कितनी बकाया है उसकी पूरी लिस्ट दी हुई है। उसके पृष्ठ 104, 105, 106 में स्पष्ट अंकित किया गया है कि 2008 में इतनी बकाया थी, 2009 में इतनी बकाया थी, 2010-11 में इतनी बकाया थी।

(श्री राजेन्द्र पारीक)

इंडिवीजुअल बकाया है, उसका हमने पूरा जोड़ लगाकर बता दिया। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को परिशिष्ट 3 में मैंने यह स्पष्ट जानकारी दी है कि वर्ष 2008 में 4.60, वर्ष 2009 में शून्य, वर्ष 2010-11 में 40, और व्यक्तिगत रूप से बताया कि इस ठेकेदार में इतनी बकाया है, इस ठेकेदार में इतनी बकाया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसी का क्या उद्देश्य हो सकता है? खास तौर से एक्साइज के जो भी इ्यूज होते हैं, जो भी रिकवरी होती है उसकी आडिट होती है। आडिट के बाद में खुद माननीय नेता प्रतिपक्ष पीएसी के मैम्बर हैं। एक-एक वर्ष की जब आडिट होती है, एक-एक वर्ष की जब सारी बात होती है फिर किसी भी आदमी का यहां खड़े होकर किसी ठेकेदार को बचाने का क्या उद्देश्य हो सकता है? मैं सदन को यह जानकारी देना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाही, पहली बार जब फरवरी में पूछा तो हमने यह मानकर कि वर्षवार जानकारी चाही है, हमने वर्षवार जानकारी दे दी। इन्होंने वही प्रश्न रिपीट किया सितम्बर में तो हमको यह लगा कि यह और ज्यादा जानकारी चाह रहे हैं तो हमने इसकी पूरी तरह से जानकारी दे दी। वही प्रश्न फिर आपने पूछा तो मुझे लगा कि पता नहीं इनके मन में क्या शंका है, तो हमने वर्षवार एक-एक व्यक्ति का परिशिष्ट रखते हुए आपके समक्ष जानकारी रख दी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा स्पष्ट- परिशिष्ट सम्मिलित करना, एक एक ठेकेदार की जानकारी देना, किस ठेकेदार में कितनी बकाया है यह जानकारी देना, वर्षवार जानकारी देना, मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा स्पष्ट उत्तर कोई हो ही नहीं सकता। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आधे घंटे की चर्चा का यह उद्देश्य होता है कि यदि कोई शंका हो, यदि उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई छुपाया जा रहा है तो उसे स्पष्ट करने का उद्देश्य होता है। आधे घंटे की चर्चा का उद्देश्य यह है कि इसको हम क्लेरिफाई करें और मैं यह क्लेरिफाई कर रहा हूं, 2008-09, 2009-10, 2010-11 में जो पूछा उसका वर्षवार दे दिया। उसके बाद फरवरी में आपने जो पूछा, 2008-09, 2009-10, 2010-11 तक तो हमने पूरा रिकार्ड दे दिया। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें छुपाने जैसा है क्या? मैं माननीय सदस्य को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी तरह का कुछ नहीं छुपाया गया है। जो भी हमारे प्रावधान हैं उन प्रावधानों में ठेकेदारों से वसूली हम कर रहे हैं, ठेकेदारों में जो बकाया वसूली नहीं हो पाई उनके खिलाफ कोर्ट में जाकर हम कार्यवाही कर रहे हैं। एमनेस्टी स्कीम के माध्यम से जो रिकवरी करनी थी, वह रिकवरी हम कर रहे हैं।

(श्री राजेन्द्र पारीक)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रिकवरी का परसेंटेज इनके काल के बजाय हमारे काल में ज्यादा अच्छा रहा है, यह भी मैं स्पष्ट करना चाहूंगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विवाद इस विषय का नहीं था, विवाद यह था कि सेम प्रश्न जब फरवरी 2012 में लगा तो उसकी जो भाषा, जिस तरह का कामा-फुल स्टाप थे उसमें आपने केवल 2008-09, 2009-10 और 2010-11 का जो बकाया था केवल उतना दिया। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा, सेम वही, उन्होंने कोई बदला नहीं, उसमें आपने दूसरे नये जवाब में पूरा का पूरा अमाउण्ट जोड़कर 152 करोड़, 155 करोड़, 151 करोड़ दे दिया और उसके पीछे आपने अपनी सूची लगाई। फिर यही प्रश्न अभी इस सत्र में लगा। इस सत्र में आपने वह लिस्ट तो सारी हटा ली, केवल अमाउण्ट लिख दिया कि इस साल में इतना, इस साल में इतना। हमारा कहना है कि इसमें पैसे की हेराफैरी का मामला नहीं है। विभाग ने उत्तर देकर जिस प्रकार का काम किया, पहला प्रश्न आपका फरवरी का है उसमें भी 'में' है और उसके बाद आपका अक्टूबर में जो सत्र चला उसमें प्रश्न 206 नम्बर का है उसमें भी 'में' है। उसमें आप पैसा बता रहे हो 155 करोड़, 152 करोड़, 151 करोड़। तो कन्फ्यूजन तो आपके डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने किया। हम यह कह रहे हैं आपको कि एक ही सवाल का दो जवाब आपके डिपार्टमेंट ने दिया, यह इस सदन को एक तरह से मिसलीड करने का काम किया जो इनके अधिकार में नहीं है। सवाल इस बात का आ रहा है कि एक ही प्रश्न के दो जवाब क्यों बने। तीसरा तो समझ में आ सकता है कि आपने 'तक' लगाया, इसका मतलब पुरानी पूरी फेहरिस्त आ गई। वह समझ में आ गई, वहां तो सवाल समझ में आता है कि 'तक' और 'में' में फर्क है। लेकिन दोनों सवाल जब 'में' के थे, कामा भी नहीं बदला तो फिर दो उत्तर क्यों आये, इसके लिए इस हाउस में कौन जिम्मेदार है, इसका सवाल है।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सितम्बर में जब इन्होंने दुबारा प्रश्न पूछा तो वाजिब है, हमें भी इस बात का यह लगा कि क्या जानकारी चाह रहे हैं, तब हमने और ज्यादा जानकारी दी। लेकिन परिशिष्ट नहीं देखा इन्होंने, इन्होंने केवल प्रश्न के आंकड़े देखे। परिशिष्ट तीन का यदि आप अवलोकन कर लेते तो परिशिष्ट तीन में मैंने स्पष्ट लिखा है। यह आपके समक्ष रखूं?

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): आपने जो टोटल संख्या दी। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): परिशिष्ट तीन में ...(व्यवधान) परिशिष्ट तीन का अवलोकन फर्मा लें आप एक बार।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): तीन भी है और उस पर लाइनें भी की हुई हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): परिशिष्ट तीन में मैंने स्पष्ट अंकित किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, परिशिष्ट तीन में मैंने स्पष्ट अंकित किया है 104, 105 और 106 में। 2008-09 में 4.60, 2009-10 में शून्य और 2010-11 में 40, स्पष्ट अंकित किया है। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा स्पष्ट नहीं हो सकता। इससे ज्यादा स्पष्ट नहीं हो सकता।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आपके अधिकारियों की गलती छिपाने ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): यह केवल इस तरह से भ्रम पैदा करने की कोशिश है। क्यों है, मुझे पता नहीं। (व्यवधान) लेकिन मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष से यह उम्मीद जरूर करता हूं किसी भी मंत्री की, जब आप प्रश्न पूछते हैं, आप जानकारी चाहते हैं, यदि पहले प्रश्न में आपको कहीं यह लगा, 4.60 देखकर यह लगा तो हमने और ज्यादा स्पष्ट कर दिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आपको कोई इसमें नहीं है, मैं यह कह रहा हूं कि आपका जो डिपार्टमेंट है वह पुराने प्रश्नों को कभी ध्यान में ही नहीं रखता और नये प्रश्न के हिसाब से उत्तर दे देता है। जिसका आप जवाब एक बार दे चुके हो, उसका जवाब देते समय कम से कम आपके अधिकारी यह देखें तो सही...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि यह नहीं होता तो हम परिशिष्ट नहीं लगाते। हमारे समक्ष यह बात थी कि माननीय सदस्य किस बात की जानकारी चाह रहा है तो हमने ...(व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): एक रुपये का भी अंतर नहीं आना चाहिए था। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): परिशिष्ट में एक रुपये का भी अंतर नहीं है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): हम जो बात कह रहे हैं ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): सारी जानकारी परिशिष्ट तीन में दी गई है। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): मंत्री महोदय ने जो टोटल (व्यवधान) अभी भी गलती मानने को तैयार नहीं हैं। (व्यवधान) माफी मांगनी चाहिए।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): कौन से वर्ष में कितना बकाया है, इस बात की जानकारी दी गई है।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): सदन को गुमराह कर रहे हैं, सदन से माफी मांगनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माफी तो आपको मांगनी चाहिए कि सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं आप लोग। आपका रोजमर्रा का काम हो गया, सुबह क्वेश्चन आवर शुरू होता है तब ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी ...

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी कुछ कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): उसके बाद पूरे दिन सदन में आप इस तरह का व्यवधान पैदा करते हैं। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): हम धमकियों में आने वाले नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): आपको जानकारी से मतलब नहीं है, सदन में व्यवधान डालकर ...(व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): चुप करना चाहते हैं ... (व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप पर छोड़ता हूं अब फैसला। इससे ज्यादा स्पष्ट क्या हो सकता है? परिशिष्ट एक, दो, तीन में स्पष्ट अंकित किया है। इससे ज्यादा स्पष्ट क्या हो सकता है? (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, स्पीकर महोदय से मैंने ही निवेदन किया था कि यह प्रश्न जिस प्रकार से यहां पर उठाया जा रहा है, प्रतिपक्ष के नेता के द्वारा भी यहां पर दो प्रश्न प्रस्तुत किये गये मेज पर और जिस पर बाकायदा आपने दस्तखत भी किए हैं, यह कहकर दस्तखत किये कि आज का प्रश्न का उत्तर और पिछली फरवरी में जो प्रश्न माननीय जसवंत सिंहजी ने उठाया था उस प्रश्न का उत्तर, दोनों का उत्तर अलग-अलग है और दोनों के प्रश्न की प्रकृति

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

एक है। यह सवाल उठाया गया था, सिर्फ दो बातें थीं और आपने इसी पर दस्तखत करके दो कागज दिये थे। तीसरे प्रश्न को आपने उस वक्त नहीं उठाया था और न वहां पर मेज पर रखा था।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): मेज से क्या हो गया, मंत्री महोदय, अगर तीसरा मिल गया तो? प्रश्न ...(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मेहरबानी करके, जसवंत सिंहजी मैंने भी आपको सुना, आप भी सुनें। (व्यवधान) पहला जो आपने रखा, आपने जिस पर सिगनेचर किये, स्पीकर साहब को आपने पेश किया और दूसरा उस रोज का जो सवाल था 27 फरवरी का।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): जो प्रश्न एक बार हाउस में आ जाए वो हाउस की प्रापर्टी हो जाता है, उसमें हाउस का काम है उन चीजों को देखना। वह हाउस की प्रापर्टी होता है चाहे एक बार उठाओ, दो बार उठाओ या तीन बार उठाओ। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप सुनिये, उसके बाद कोई क्लैरिफिकेशन ...(व्यवधान)...

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): हाउस में जितनी बार, एक बार प्रश्न आ जाता है वह हाउस की प्रापर्टी होता है।

श्री उपाध्यक्ष: आधा घण्टा हो गया है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर सिर्फ दो बिन्दु थे जिस पर मैंने आधे घण्टे की चर्चा मांगी थी। एक बिन्दु तो था पिछले साल का प्रश्न और इस साल का प्रश्न, क्या दोनों बराबर हैं? आपका जैसा कथन था उस रोज कि इसमें एक फुल स्टाप, कामा या कोई भी एक भी चीज नहीं बदली गई। पहली चीज तो आपने यह कही थी, जिसको आप मंजूर कर रहे हैं। दूसरी बात आपने यह कही कि दोनों के उत्तर अलग-अलग हैं। मैं दोनों प्रश्नों को पढ़कर आपके सामने बता देता हूं। जो पुराना आपका प्रश्न था, आपका प्रश्न था सत्र 8 में, जिसमें आपने पूछा 2008-09, 2009-10, 2010-11 में शराब के ठेकेदारों में कितना राजस्व बकाया था, जिसका जवाब मंत्री महोदय ने आपको साफ-साफ दिया, एक में 4 लाख 60 हजार था, दूसरे में शून्य था और तीसरे में 40.9 लाख था। क्या गलत था? 'में', का मतलब 2008 में कितना था, 2009 में कितना

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

था और 2010 में कितना था। उसका जवाब साफ-साफ था। (व्यवधान) आप मुझे बोल लेने दीजिए मेहरबानी करके। दूसरा प्रश्न जो उस रोज 27 फरवरी को लगा उसमें, इसमें तो 'में' लिखा हुआ है और इसमें, दूसरा प्रश्न मैं पढ़कर सुनाता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2008-09 से 2011 तक, 'तक' का क्या मतलब होगा? 'तक' का मतलब यह होगा कि शुरू से लेकर 2008-09 तक कितना बकाया था और 2008 के बकाया को भी जोड़ते हुए 2009-10 तक कितना बकाया था और फिर 2010 और 2011 तक कितना बकाया था। उसका जवाब भी आपने दिया। दोनों का अलग-अलग जवाब होगा। प्रतिपक्ष के नेता महोदय, मैं आपसे फिर निवेदन करना चाहता हूं कि सदन को इस तरीके से गुमराह करके उत्तेजना पैदा करना यह बिलकुल अशोभनीय कृत्य था। आपने पूरे सदन को मिसलीड किया है, गुमराह किया है आपने बिलकुल बाकायदा। हर मंत्री हमारा अपना उत्तरदायित्व (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता प्रतिपक्ष): आप अपनी गलती को छिपाने का प्रयास मत कीजिए। ...(व्यवधान)..

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): गलती मानने की बजाए ... (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपने सिग्नेचर तक किये हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आप अपनी गलती को छिपाने का प्रयास मत करिये। (व्यवधान) आपके तीनों सवालों का जवाब, आपके द्वारा दिया हुआ, आपके अधिकारियों का दिया हुआ, एक ही प्रश्न के जवाब ...(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): कोई गलत जवाब नहीं था, जवाब बिलकुल सही था ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): ऐसा है, जो सवाल 206 नम्बर का है यह भी आपका अमाउण्ट दे रखा है, कितना बाकी है, कितना बाकी नहीं है और वहीं 'में' वाले में ही बाकी है। 'में' वाले में ही आप लिख रहे हो, ये तीन सवाल जो हुए न...

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): आप खण्ड तीन भी पढ़िये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): टोटल पूछा है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): गलती की है ...(व्यवधान) 'में' और 'तक' में समझ में नहीं आ रहा क्या? (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): आप सदन की परम्पराओं को खण्डित कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, दिसम्बर 2012 तक ...(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सुनो आप, एक मिनट बैठो आप।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): एक वर्ष का अंतर।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यह सवाल पूछा जाए कि माननीय गुलाबचन्द जी कटारिया सन् 55 से ले करके 57 तक किस प्रकार के जन प्रतिनिधि थे, किस प्रकार के जन प्रतिनिधि थे ...(व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): उपाध्यक्ष महोदय, सदन के अन्दर प्रश्न...(व्यवधान) ये तो प्रश्न इसी सदन में लगे हैं, इसी सदन में पूछे गये।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): तो जवाब आएगा कि साहब वे लोक सभा के सदस्य थे। अगर यह सवाल पूछा जाएगा कि सन् 90 से लेकर वर्ष 2003 तक गुलाबचन्द कटारिया क्या थे ...(व्यवधान) इसका यह जवाब आएगा कि वह विधायक थे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): ये सवाल के जवाब मैंने नहीं दिये।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): 'तक' और 'में' में बहुत फर्क है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): एक ही सवाल के तीन बार लगे हुए जवाब मैंने नहीं दिये, आपके डिपार्टमेंट ने जवाब दिये हैं तीनों बार। तो आपका डिपार्टमेंट अलग-अलग जवाब देता है।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): गलत बात। आप इसका खण्ड तीन भी पढ़ लीजिए।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपने मिसलीड किया है हाउस को। गलत तथ्य बताते हुए अशोभनीय कृत्य है आपके बिहाफ पर।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): नो मिसलीडर। ये आपके रिप्लाई मेरे पास हैं, यहां रख देता हूं तीनों सवालों के जवाब। (व्यवधान) तीनों सवालों के जवाब जो तीन साल में आये हैं वह आपके सामने रखता हूं। (व्यवधान) जो भी आपने जवाब दिया। और क्या कहकर दे रहे हो?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय कटारिया साहब, माननीय कटारिया साहब। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय नेता प्रतिपक्ष से मैं आग्रह करुंगा कि खण्ड तीन भी पढ़ लीजिए इसका। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, एक मिनट। माननीय कटारिया साहब। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आपने क्या दिया, यह हाउस में है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय कटारिया साहब, माननीय नेता, प्रतिपक्ष।... (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): जो आपके अधिकारी ने मुझे उपलब्ध कराया वह रिकार्ड है। मेरे घर से नहीं लाया।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपने प्रश्नों को समझा ही नहीं। आपने प्रश्नों को समझा ही नहीं और उत्तेजना पैदा की है यहां पर। कंफ्यूजन पैदा किया है सारा का सारा। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैंने तो पढ़ा है। आपने ठीक ढंग से नहीं पढ़ा है। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सरकार की तरफ से जो जवाब थे, माननीय मंत्री महोदय का जो जवाब था, वह अप-टू-डेट था, अप-टू-मार्क था।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): एक बार मैं फिर कह रहा हूं। एक बार आपके एक ही सवाल के तीनों सवालों को साथ रखकर पढ़ लो, आपको लगेगा कि आपके डिपार्टमेंट ने आपको गलत सूचना दी कि नहीं दी। आपको स्वयं पता लग जाएगा।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नेता, प्रतिपक्ष से निवेदन करुंगा। (व्यवधान) एक मिनट, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय, आप विराजिये पहले।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): एक मिनट, एक मिनट। मैं बड़े विनम्र शब्दों में नेता, प्रतिपक्ष से निवेदन करना चाहूंगा कि प्रश्न के खण्ड तीन को आप थोड़ा पढ़ने का श्रम करें।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): बात तो पहले की थी।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): एक मिनट मैं पढ़ूं। एक मिनट में पढ़ देता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप संतुष्ट हो जाएं।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): खण्ड तीन में आपने यह पूछा है, क्या यह सही है कि दिसम्बर, 2011 तक कुल इतने लाख रुपये बकाया थे। यह आपने पूछा है आपके पूर्व प्रश्न में। और फरवरी, 2013 में आपने पूछा है, दिसम्बर, 2012 तक कुल कितना राजस्व वसूल किया गया। एक तरफ आप यह कह रहे हैं कि एक शब्द का भी अन्तर नहीं है, दूसरी तरफ अन्तर इतना बढ़ा है। एक तरफ आप जानकारी चाह रहे हैं दिसम्बर, 2012 तक।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): उपाध्यक्ष महोदय, यह 'तक' और उसकी बात करते हैं तो इतना अंतर कहां से आ गया?

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): यह वर्ष का जो अंतराल है, उसको तो यह मानते ही नहीं। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): 2011 में तो 2011 का ही पूछेंगे और 2012 में 2012 का पूछेंगे। 2011 में 2012 का प्रश्न कैसे पूछ लेंगे? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): तो यह कैसे कह रहे हैं कि दोनों में कोई अंतर नहीं है?

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): गुमराह कर रहे हैं। अभी भी गुमराह कर रहे हैं। अभी भी अपनी बातों को मानने को तैयार नहीं हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): प्रश्न भिन्न-भिन्न हैं। प्रश्न में जब अलग-अलग पूछा गया है तो उत्तर भी उसी तरह से दिया जाएगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अब आप देखिये, आधे घण्टे से ज्यादा हो गया। व्यक्तिगत डिस्कशन से ...(व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): तो आधे घण्टे का कोई ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट, विराजिये आप।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): आप यह बताइये, मंत्री महोदय अपनी गलती को मानने के लिये क्यों संकोच कर रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष: अब आप बैठिये। आप नहीं समझ रहे। (व्यवधान) माननीय बिड़लाजी, देखिये, आधे घण्टे की चर्चा है, आधे घण्टे से ज्यादा समय हो गया है और उसका अर्थ यह है कि प्रश्न की जो रिप्लाई आई उसमें त्रुटिवश स्वीकार कर गये या वह कन्फर्म रहे, वह कन्फर्म रहे। जो भी है लेकिन ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): नहीं, नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, प्लीज।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट, एक मिनट।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): प्लीज, उपाध्यक्ष महोदय, बड़े विनम्र शब्दों में कहना चाहूंगा। (व्यवधान) कोई गलती नहीं है।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री फंस जाते हैं यहां पर।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): उपाध्यक्ष महोदय,, मंत्री की दादागीरी इस तरह की नहीं हो सकती है। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी धमकाते हैं यहां पर सदन में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को। (व्यवधान) मंत्रीजी धमका रहे हैं।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): उपाध्यक्ष महोदय,, यह आसन का सम्मान नहीं करना चाहते। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आधे घण्टे की चर्चा समाप्त हुई। आधे घण्टे की चर्चा समाप्त हुई।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी सदन में बैठे हैं और वहां लाठियां चलाईं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: शांती कुमार धारीवाल, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री वर्ष 2012-13 के लिये राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगें (द्वितीय संकलन) का उपस्थापन करेंगे। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): वकीलों पर लाठीचार्ज कल किया, आज कोर्ट में वकीलों पर लाठीचार्ज फिर किया जा रहा है। रबड़ की गोलियां चलाई गयी हैं। दो वकील घायल हो गये। (व्यवधान)

अनुपूरक अनुदान की मांग (द्वितीय संकलन) का उपस्थापन

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2012-13 के लिये राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगों (द्वितीय संकलन) का उपस्थापन करता हूं। (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में आगमन व नारेबाजी)

घोषणा

आय-व्ययक पर वाद-विवाद हेतु समय का बटवारा

श्री उपाध्यक्ष: आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2013-14 पर सामान्य वाद-विवाद एवं समय का आबंटन, घोषणा।

मुझे सदन को सूचित करना है कि आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2013-14 पर सामान्य वाद-विवाद के लिये लगभग 16 घण्टे उपलब्ध हैं। उपलब्ध समय में सरकार द्वारा उत्तर दिये जाने का समय भी सम्मिलित है। मैं विभिन्न पार्टियों के लिये समय का बटवारा निम्न प्रकार करता हूं:-

इंडियन नेशनल कांग्रेस – 8 घंटे 8 मिनट

भारतीय जनता पार्टी – 6 घंटे 19 मिनट

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) – 15 मिनट

जनता दल – 5 मिनट

समाजवादी पार्टी – 5 मिनट

लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी – 5 मिनट

निर्दलीय – एक घंटा 03 मिनट

कुल आबंटित समय – 16 घंटे ...(व्यवधान)

सूचना

न्यायालय परिसर में वकीलों पर लाठीचार्ज

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा चल रही है, सरकार विधान सभा में बैठी है और जिस प्रकार के हालात जयपुर, राजस्थान की राजधानी में हैं, मैं समझता हूं, दुर्भाग्यजनक हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2013-14, सामान्य वाद-विवाद। राज्य के आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2013-14 पर सामान्य वाद-विवाद। (व्यवधान) माननीय राव राजेन्द्र सिंहजी।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, जंगल राज है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मजाक ही हो रही है। कोई जवाब देने को तैयार नहीं है, गोलियां चल रही हैं। चारों तरफ से हाई कोर्ट को घेरकर पुलिस दमन पर, गोलियां चला रही है, आंसू-गैस छोड़ रही है। आगजनी कर रही है पुलिस स्वयं और यहां जवाब देने को तैयार नहीं हैं सरकार में से कि आखिर हो क्या रहा है कोर्ट में। (व्यवधान)

(सदन कूप में नारेबाजी)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने शानदार बजट पेश किया। इनके पास में कोई तर्क नहीं हैं। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, इस शानदार बजट का कोई जवाब नहीं है विपक्ष के पास में, इसलिये भागना चाहते हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सरकार बताए तो सही कि कोर्ट में हो क्या रहा है। (व्यवधान) सैशन कोर्ट में पुलिस वकीलों को घेर कर जिस प्रकार से अत्याचार कर रही है, गोलियां चला रही है, आंसू-गैस छोड़ रही है, गाड़ियां जो बाहर खड़ी हैं वह जला रही है, ऐसे समय में कोई सरकारी पक्ष का मंत्री या कम से कम जो स्टेट होम मिनिस्टर हैं, बताएं तो सही कि वास्तव में वस्तुस्थिति क्या है। हम यहां जयपुर में बैठे हैं, हमारी नाक के नीचे हालत अब बदतर स्थिति में पहुंच रही है, कभी भी कोई भी आदमी गोली का शिकार होकर मर जाएगा, उसके बाद यहां जवाब देने को खड़े होंगे? पहले ही बताएं कि वस्तुस्थिति क्या है। हम तो यह जानना चाहते हैं आपसे कि सैशन कोर्ट में इस प्रकार का जो आज वातावरण बना हुआ है, वस्तुस्थिति सरकार बताए तो सही हाउस को। (व्यवधान) कि वास्तव में किस प्रकार का काण्ड हुआ है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): क्या वातावरण बना हुआ है, घनश्यामजी कहां हैं?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): इतना बताने में भी सरकार को शर्म आ रही है क्या? (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): घनश्यामजी तिवाड़ी कहां हैं? आपका वातावरण क्या बना हुआ है पार्टी के अन्दर? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपकी पार्टी के नेता बोल रहे हैं।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, यह जंगलराज चल रहा है, जंगलराज।

एक माननीय सदस्य: पहले बी.जे.पी. के राज में ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप अपने आसन पर जाएं, आपके लीडर बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): जवाब चाहिये। (व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): उपाध्यक्ष महोदय, हम भी घनश्यामजी की पीड़ा क्या है, जानना चाहते हैं। (व्यवधान) घनश्यामजी दु:खी हैं कल बीमार होकर। इनकी पीड़ा क्या है?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): कोई जिम्मेदार मंत्री आकर जवाब देने को तैयार नहीं है। राजस्थान के 80 हजार वकीलों का इतना अपमान ...(व्यवधान) कि कोई भी मंत्री जवाब देने को तैयार नहीं है। यहां हाउस में कोई उपस्थित नहीं है। इतना महत्वपूर्ण विषय है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपके लीडर बोल रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं। आप लीडर को तो बोलने दें। (व्यवधान) आप भाषण देने जाएंगे तब ही न। (व्यवधान)

श्री पेमाराम (धोद): उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर में जो गोलीकाण्ड हो रहा है, सरकार को निर्देशित करें, सरकार का कोई मंत्री ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप आसन पर जाओगे तब ही न। (व्यवधान) आप आसन पर जाइये न। (व्यवधान) हां, हां, आसन पर जाइये। (व्यवधान) आप आसन पर जाइये, आप आसन पर पधारिये।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप से प्रस्थान)

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): उपाध्यक्षजी, आप जवाब तो दिलवाएं। आज सुबह से मंत्रीजी कर क्या रहे हैं? गृह मंत्रीजी, आप इन वाली रिपोर्ट भी सार्वजनिक कर दो। साथ के साथ ये भी चुप हो जाएंगे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

से जानना चाहते हैं कि राजस्थान की राजधानी में सैशन कोर्ट के अन्दर क्या यह सही है कि राज्य के अधिवक्ताओं को घेरकर पुलिस पीट रही है, गाड़ियां जला रही है? हम जानना चाहते हैं, यह सदन जानना चाहता है, गृह राज्य मंत्री इस पर वक्तव्य दें। उपाध्यक्ष महोदय, यह हमारी आपके माध्यम से मांग है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर रबर की गोलियां चलाई गई हैं, दो वकील घायल हो गये। उसमें एक कमलेश नाम का वकील आज बहुत बुरी स्थिति में है। हम सरकार से चाहेंगे कि इस बात का जवाब दे कि ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: एक-एक करके बोलिए।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ...(व्यवधान) वापस छावनी बनाया जाए तो...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: एक-एक। उनका। अब आपने बोल दिया। खाचरियावास साहब। एक-एक। कोई बात करनी है तो एक-एक करके कहें। सभी पक्षों की बात सुनकर सरकार कोई कार्य करेगी। एक-एक। (व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की राजधानी जयपुर में कल जो घटना घटी, उसमें कल भी बहुत वकीलों के लगी, आज भी। अभी भी बनीपार्क कोर्ट में, बनीपार्क कोर्ट मेरे विधान सभा क्षेत्र में आता है, वहां पर पुलिस और वकीलों में झड़प हो रही है। वकीलों के भी लगी है और पुलिस के भी लगी है लेकिन पुलिस की मोरल ड्यूटी ज्यादा बनती है। वकीलों की तरफ से कुछ भी हुआ है तो ऐसे में पुलिस की मोरल ड्यूटी यह है कि वह वकीलों के पक्ष को समझे और हमारे सदन की मोरल ड्यूटी यह है कि हम पार्टीबाजी से ऊपर उठकर पक्ष-विपक्ष के लोग, दोनों पक्षों को बुलाकर ऐसी व्यवस्था करें जिससे राजधानी में शांति व्यवस्था हो सके। उन पुलिस वालों के खिलाफ भी कार्यवाही हो जिन पुलिस वालों ने कल लाठीचार्ज में आगे बढ़कर भूमिका निभाई हो और आज भी कुछ पुलिस वालों ने यदि बदले की भावना से वकीलों पर लाठीचार्ज किया है तो उनकी भी जांच होनी चाहिए। इस जयपुर में यह व्यवस्था होनी चाहिए कि वापस इस तरह की स्थिति पैदा नहीं हो कि कोर्ट में वकीलों में और पुलिस में झड़प हो। यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। यह सदन, सिर्फ हंगामे से कोई बात करें इससे तो अच्छा यह होगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि इसका कोई

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

रास्ता निकालना चाहिए पार्टीबाजी से ऊपर उठकर क्योंकि वकीलों के भी लगी है और पुलिस के भी लगी है। कोई पुलिस अधिकारी यदि दोषी है तो उसके खिलाफ कार्यवाही करने में हमें कोई गुरेज़ नहीं करना चाहिए और जयपुर में अमन-चैन की व्यवस्था हमको कायम करनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: एक-एक।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): वकील घायल हुए हैं। पूरे कोर्ट परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया। कोई भी वकील बाहर नहीं निकल सकता। जो वकील बाहर आना चाहते हैं उनको डंडे मारे जा रहे हैं। अश्रु गैस के कम से कम 250 गोले कोर्ट परिसर में छोड़े गये हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति नहीं हो सकती। हम यह चाहेंगे कि सरकार जवाब दे कि वास्तविक स्थिति क्या है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मोहनजी। (व्यवधान) आपके साथी हैं। देखिए, यह सब्जैक्ट नहीं है, डिस्कशन नहीं है। (व्यवधान) मंत्रीजी अपनी बात कहेंगे। (व्यवधान) इसको जनरल नहीं। (व्यवधान) मंत्रीजी कुछ कहना चाहते हैं, आप विराजिए।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया है।

श्री उपाध्यक्ष: आप बोलिए दो मिनट में। वैसे बात आ गई।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वकीलों की जो मांग है वह जायज मांग है। उस पर सरकार ने कल दस करोड़ रुपये का अनुदान देने की घोषणा की है। उनका एक प्रतिनिधि-मंडल बुलाकर उनकी मांगों पर विचार करके सहानुभूतिपूर्वक घोषणा करनी चाहिए कि हम ये मांगें मान रहे हैं। उनकी एक मांग और है कि उच्चस्तरीय जांच की घोषणा की जाए। (व्यवधान) एक मिनट, सुनिए। कोई न्यायिक अधिकारी की अध्यक्षता में एक घोषणा, जांच समिति बैठे। जांच समिति बैठकर इस पूरी घटना की जांच करें और उसके बाद जो दोषी लोग हैं उनको दंडित किया जाए। अभी आज वापस कलक्टरेट परिसर में, सैशन कोर्ट परिसर में वकीलों में और पुलिस वालों में लाठी-भाटा जंग हो रहा है। यह स्थिति बड़ी खराब है। मैं सुबह से यह कह रहा हूं, चार-पांच बार कह चुका कि ऐसी स्थिति न आ जाए कि कहीं गोली चलानी पड़े। यहां पर विधान सभा चल रही है। आखिर हम सब जिम्मेदार लोग हैं, जयपुर के लोगों की व्यथा को

(श्री मोहनलाल गुप्ता)

सुनाने के लिए पांच-छह बार मैं खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे आज्ञा नहीं दी। उसके बाद मैं हमारे माननीय प्रतिपक्ष के नेता के पास गया। उनसे बात की, मुख्य सचेतक से बात की कि जयपुर शहर में आखिर क्या हो रहा है। यह किस प्रकार से सरकार चल रही है? सरकार संवेदनशील है ही नहीं? हमारे प्रतापसिंहजी बोल रहे हैं कि हां, दोषियों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से जो पुलिस अधिकारी दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: अब विराजिए आप।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): क्यों भड़काते हैं बार-बार? निपटाओ न मामले को। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिए।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): हमारा तो काम ही यही है। (व्यवधान) आरोप...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: विधान सभा सर्वोपरि है। आप विराजिए। मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उनका एक प्रतिनिधि-मंडल बुला लिया जाए। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सवाल आरोपों का नहीं है। आज जिस तरह की स्थिति हो रही है कोर्ट में, जिस तरह से घेरा जा रहा है, ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप जवाब सुनना चाहते हो या नहीं? (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): सवाल यह है कि बदले से पुलिस कार्यवाही कर रही है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: विराजो, विराजो।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): आज वकीलों का यह हाल है तो आम जनता का क्या हाल होगा? जिस तरह से जंगल राज हो रहा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: विराजिए। माननीय हनुमानजी। माननीय हनुमानजी, आप कुछ कहना चाहते हो क्या? एक मिनट, मंत्रीजी। आप संयत भाषा में बोलोगे तो अलाउ करूंगा। (व्यवधान) नहीं, हनुमानजी कुछ कहना चाहते हैं।

(श्री उपाध्यक्ष)

(व्यवधान) संयत भाषा। मेरा अनुरोध है, आसन का अनुरोध है कि आप संयत भाषा में बोलें। आप संयत भाषा में बोलें। व्यक्तिगत आक्षेप नहीं। व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगाओगे। संयत भाषा में बोलें। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): साहब, कल जो वकीलों पर लाठीचार्ज हुआ है, इससे बड़ी बात राजस्थान के अन्दर हो नहीं सकती। पहले सरपंचों को पीटा, फिर वकीलों को और अब मुझे लग रहा है कि विधायकों पर लाठीचार्ज होने वाला है। तो वह भी हो जाए तो एक-दो दिन में ही हो जाए ताकि एक साथ ही सारा सुलट जाए, जो कुछ भी होना है। फिर चुनाव के अन्दर जाएंगे लोग-बाग़। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: विराजिए। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मेन बात यही थी कि विधायकों पर भी जल्दी करवा दें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: क्यों उकसा रहे हो आप? माननीय मंत्रीजी। अब शांति से देखो ... (व्यवधान) बात का निष्कर्ष तब निकलेगा जब शांति से एक-एक बोलेंगे। (व्यवधान) अब आप शांत रहिए कृपया। अभी सुबह स्टेटमेंट हुआ, फिर दुबारा एक दिन में नहीं होता। सरकार ... (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): दुबारा लाठीचार्ज हुआ है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप सुनिए। सुबह के स्टेटमेंट के बाद दुबारा सरकार स्टेटमेंट दे रही है, इससे ज्यादा गम्भीरता क्या हो सकती है? (व्यवधान) आप विराजिए।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): वहां पर शांति हो गई है क्या?

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिए। केवल मंत्रीजी का अंकित होगा।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज पुन: सदन में यह विषय उठा और वकीलों द्वारा अपनी आयोजित बैठक के उपरांत कलेक्टरेट के बाहर और जुडीशियल कोर्ट के बाहर के क्षेत्र में जो उपस्थित पुलिसकर्मी थे, उनके साथ पुन: वाद-विवाद से आगे बढ़ते हुए कुछ पथराव की स्थिति भी पैदा हुई। उस पथराव की स्थिति को देखते हुए पुलिस द्वारा उनको, जो सड़कों पर वकील आ गए थे पथराव को

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

करते हुए, उनको पुश बैक किया गया और उनको वापस उस परिसर में धकेला गया। इस विवाद के बढ़ने के साथ ही एक पी. सी. आर. वैन को भी आग लगा दी गई। डी.सी.पी. महेन्द्र सिंह, वे भी चोटग्रस्त हुए। हैड-कांस्टेबल लक्ष्मण प्रसाद हैं, वो भी चोटग्रस्त हुए। फखरूद्दीन, कांस्टेबल हैं, वो भी चोटग्रस्त हुए। इसी स्थिति में, इस पथराव के कारण ही कुछ वकीलों के भी, दो-तीन के चोटें आना बताया जा रहा है। अजय सिंह... (व्यवधान)

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: सगीर खांजी, विराजिए। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ×××

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान) उसके हाथ में चोट आना और...(व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): बताया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): ... (व्यवधान) उपयोग किया गया।

वर्तमान समय में टकराव की स्थिति जो यथावत बनी हुई है, यह कुछ नियंत्रण में है, यह मैं आपके माध्यम से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन से निवेदन करना चाहता हूं। साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो विषय बार-बार उठा रहे हैं कि उनके प्रतिनिधिमंडल से बात कर लें और... (व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ×××

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): ... (व्यवधान) दोषियों पर कार्यवाही की जाए। जो सदन की भावना है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन की भावना है कि दोषियों पर कार्यवाही की जाए। दोषियों पर निश्चित रूप से

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

कार्यवाही की जाएगी नियमानुसार और जो प्रकरण दर्ज हुए हैं, दोषियों पर निश्चित रूप से कार्यवाही की जाएगी।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: श्री राव राजेन्द्र सिंहजी। एक दिन में दो-दो बार स्टेटमेंट होता है क्या? (व्यवधान) दो मर्तबा स्टेटमेंट आ गया।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

नहीं, एक मिनट। (व्यवधान) एक मिनट। माननीय राव राजेन्द्र सिंहजी। यह बहस का विषय नहीं है। केवल राव राजेन्द्र सिंहजी का अंकित होगा।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): हाउस तो आर्डर में आने दो। (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

(16.00 बजे)

श्री उपाध्यक्ष: राजेन्द्र सिंहजी, बिजनेस तो पूरा कर लें। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी एवं शोर-शराबा)

माननीय राव राजेन्द्र सिंहजी, आप बोलना चाहते हो? अब क्या करें, बताओ? माननीय श्री महेन्द्रजी चौधरी। (व्यवधान)

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री श्री अशोकजी गहलोत ने 6 मार्च को बतौर वित्त मंत्री जो बजट पेश किया है, उस बजट के पक्ष में बोलने के लिये, धन्यवाद देने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। (व्यवधान) इसमें कैसे बोलें? (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी एवं भारी शोर-शराबा)

श्री उपाध्यक्ष: मेरा अनुरोध है कि हाउस आर्डर में आए। दो दफा

(श्री उपाध्यक्ष)

स्टेटमेंट हो गया, दो दफा। यह सदन सभी सदस्यों का है, एक पक्ष का नहीं है।

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्री उपाध्यक्ष: वेल में नहीं आना चाहिये। आप तो पुराने सदस्य हैं। (व्यवधान)

(16.07 बजे)

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : सदन की बैठक शुक्रवार, 8 मार्च, 2013 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 16.07 बजे शुक्रवार, दिनांक 08 मार्च, 2013 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

नदबई के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का क्रमोन्नयन

110. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर 'दीपा' (नदबई) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र नदबई के ग्राम मई एवं पहरसर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र नदबई के गांव लुलहारा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र नदबई के ग्राम पहरसर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है परन्तु ग्राम मई में उप स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पहरसर पंचायत समिति नदबई के अन्तर्गत आती है। आगामी वित्तीय वर्षों में वित्तीय संसाधन की उपलब्धता/गुणावगुण/आवश्यकता के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किये जाने के प्रयास किये जायेंगे।

(2) जी हां। ग्राम लुलहारा पंचायत समिति नदबई के अन्तर्गत आता है। आगामी वित्तीय वर्षो में वित्तीय संसाधन की उपलब्धता/गुणावगुण/आवश्यकता के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के प्रयास किये जायेंगे।

रायपुर (पाली) तहसील मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

111. श्रीमती संजना आगरी (सोजत) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पाली जिले में राजकीय विधि महाविद्यालय के निकास हेतु गेट नहीं है तथा स्वयं की जमीन भी नहीं है? क्या सरकार उक्त

(श्रीमती संजना आगरी)

विधि महाविद्यालय से निकास हेतु भूमि दिलाने का विचार रखती है? हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार सोजत राजकीय महाविद्यालय को क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि रायपुर तहसील मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त तहसील मुख्यालय पर महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजकीय विधि महाविद्यालय, पाली हेतु राजकीय महाविद्यालय, पाली की 104 बीघा भूमि में से 20 बीघा भूमि आबंटित की गई है किन्तु राज्य सरकार द्वारा प्रथम चरण में केवल 08 राजकीय विधि महाविद्यालयों को भवन निर्माण हेतु बजट आबंटित किया गया था, जिसमें पाली विधि महाविद्यालय का नाम नही था, इस कारण इसका स्वयं का भवन निर्मित नहीं किया गया व अलग से निकास हेतु गेट का निर्माण नहीं कराया गया।

(2) जी नहीं। राज्य सरकार के सीमित संसाधनों के कारण वर्तमान में राजकीय महाविद्यालय, सोजत सिटी को क्रमोन्नत किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

(3) जी हां। राज्य सरकार के सीमित संसाधनों के कारण वर्तमान में रायपुर तहसील मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय खोला जाना प्रस्तावित नहीं है।

कुम्भाराम लिफ्ट सिंचाई योजनान्तर्गत लाभान्वित ग्राम

112. श्री अमराराम (दांतारामगढ़) : क्या इन्दिरा गांधी नहर परियोजना राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कुम्भाराम लिफ्ट सिंचाई योजना में कितनी भूमि सिंचित होनी थी और वर्तमान में कितनी भूमि सिंचित हो रही है?

(2) तहसील भादरा, तारानगर, राजगढ़ और सरदारशहर के कितने गावों को उक्त योजना से पेयजल व सिंचाई होना प्रस्तावित है?

(3) उक्त योजना के तहत कितने गावों में चक बंदी कर दी गई है? यदि नहीं, तो चक बंदी कार्य पूर्ण नहीं किये जाने के क्या कारण हैं?

(4) उक्त योजना से पेयजल व सिंचाई की योजना को कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1997 में लिए गए निर्णय उपरान्त कुम्भाराम आर्य (तत्कालीन साहवा) लिफ्ट सिंचाई योजना में 2,40,000 हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र प्रस्तावित था। जिस सहित इं.गां.न. परियोजना का कुल सिंचित क्षेत्र 19.63 लाख हैक्टेयर निश्चित हुआ। राज्य सरकार ने वर्ष 2005 में इं.गां.न. परियोजना का सिंचित क्षेत्र 16.17 लाख हैक्टेयर तक सीमित कर दिया, जिसमे से इस योजना का सिंचित क्षेत्र 102622 हैक्टेयर है। इस पूरे क्षेत्र को इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की नहरों के जल वितरण कार्यक्रम में सम्मिलित कर लिया गया है। कमाण्ड क्षेत्र विकसित नहीं होने से पूरे क्षेत्र में सिंचाई नहीं हो पा रही है। इस कमाण्ड क्षेत्र में खालों के निर्माण के स्थान पर फव्वारा सिंचाई प्रस्तावित है, जिसके कार्य पायलट प्रोजेक्ट अन्तर्गत 8541 हैक्टेयर में ही करवाये गये हैं। शेष क्षेत्र में केन्द्र सरकार से ए.आई.बी.पी. योजना अन्तर्गत अनुदान प्राप्त होने पर कार्य करवाये जायेंगे।

वर्ष 2011-12 में इस लिफ्ट योजना से 13210 हैक्टेयर में सिंचाई हुई है।

(2) इस योजना से तहसील भादरा के शून्य, तारानगर के 38 गांव, राजगढ़ के शून्य और सरदारशहर के 7 गांवों में सिंचाई होना प्रस्तावित है। तहसील भादरा के शून्य, तारानगर के 85 गांव, राजगढ़ के 183 और सरदारशहर के 161 गांवों को पेजयल देना प्रस्तावित है।

(3) इस योजना में पूर्व में ही 14 गांवों में चकबन्दी कर दी गयी थी। इसके अतिरिक्त शेष 83 गांवों में चकबन्दी सर्वे के कार्य किये जा चुके हैं। चक योजनाओं की स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(4) इस सिंचाई योजना को पूरा कर लिया गया है, कमाण्ड क्षेत्र को विकसित करने के कार्य के प्रस्ताव ए आई बी पी के तहत भारत सरकार को प्रस्तुत किये गये हैं। स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्य पूर्ण कर लिये जायेंगे। पेयजल योजनाओं बाबत् जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग द्वारा दी गई सूचना अनुसार उनके द्वारा ये कार्य माह नवम्बर, 2015 में पूर्ण किया जाना लक्षित किया गया है।

पेयजल उपभोक्ताओं से इन्फ्रास्ट्रक्चर राशि की वसूली

113. श्री ओम बिरला (कोटा-दक्षिण) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री ओम बिरला)

(1) क्या यह सही है कि कोटा सहित राज्य के छह शहरों में पेयजल व सीवरेज ट्रीटमेंट हेतु लिए गए ऋण को चुकाने के लिए पानी के बिलों में इन्फ्रास्ट्रक्चर राशि जोड़कर उपभोक्ताओं से विगत दो वर्षों में वसूली की जा रही है? यदि हां, तो लिए गए ऋण की राशि, शर्तें, राज्य सरकार का अनुदान तथा उसके अन्तर्गत किए गए कार्यों का निकायवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) कोटा व जयपुर शहर में उपभोक्ताओं से इन्फ्रास्ट्रक्चर राशि वसूल करने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जनवरी, 2009 से जनवरी, 2013 तक उक्त मद में कितने-कितने उपभोक्ताओं से कितनी-कितनी राशि वसूली गई? जिलेवार, वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य के छह शहरों क्रमश: जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर एवं बीकानेर में पानी के बिलों में आधारभूत विकास (जल) सरचार्ज की राशि ऋण चुकाने हेतु उपभोक्ताओं से वसूल नहीं की जा रही है अपितु, इन छह शहरों में पेयजल एवं सीवरेज के कराये गये आधारभूत कार्यों के संचालन एवं संधारण व्यय को वित्तीय रूप से तार्किक बनाये रखने हेतु एशियन डवलपमेन्ट बैंक से प्राप्त ऋण की शर्तों के अनुसार पानी के बिलों में सरचार्ज राशि जोड़कर राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 17 सितम्बर, 2007 के अनुसार उपभोक्ताओं से वसूल की जा रही है जिसकी प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है ।

राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना (आर.यू.आई.डी.पी.) द्वारा राज्य के उक्त छह शहरों में पेयजल, सीवर व्यवस्था सहित अन्य आधारभूत कार्यों की संरचनाओं के विकास हेतु अनुमानित लागत 362 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग रुपये 1630 करोड़) की परियोजना स्वीकृत हुई थी। स्वीकृत परियोजना अन्तर्गत एशियन डवलपमेन्ट बैंक द्वारा प्रदत्त ऋण 250 मिलियन अमरीकी डालर एवं राज्यांश 112 मिलियन अमरीकी डालर प्रावधित था। इन आधारभूत संरचनाओं के विकास कार्यों हेतु लिये गये ऋण की शर्तें एवं आर.यू.आई.डी.पी. द्वारा करवाये गये कार्यों का शहरवार विवरण क्रमश: परिशिष्ट-ब व स पर संलग्न है।

(2) उपरोक्तानुसार।

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

(3) वांछित विवरण परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर डेयरी लिमिटेड द्वारा परिवहन एवं विज्ञापन पर व्यय राशि

114. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) : क्या डेयरी राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान कापरेटिव डेयरी फैडरेशन लिमिटेड की इकाई जयपुर डेयरी लिमिटेड में विज्ञापन एवं परिवहन में हुई अनियमितता की जांच करवाई गई है? यदि हां, तो क्या जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जांच में कौन-कौन दोषी पाये गये एवं दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के अधीन दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों पर जून एवं जुलाई 2008 में ग्रामीण क्षेत्र की दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों में बिना निविदा आमंत्रित किये डेयरी द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा योजना का विज्ञापन फलेक्स बोर्ड जिस पर तत्कालीन मुख्य मंत्री पशुपालन एवं डेयरी मंत्री तथा जयपुर डेयरी के अध्यक्ष श्री ओमप्रकाश पूनिया के फोटो के फलेक्स बोर्ड लगाये गये थे जिसकी शिकायत होने पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में अपराध संख्या 20/2009 दिनांक 30.01.2009 को प्रकरण दर्ज हुआ जिसकी जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा की गई डेयरी स्तर पर जांच नहीं की गई तथा परिवहन सम्बन्धी अनियमितता की जांच जयपुर डेयरी स्तर पर की गई जिसमें अनियमितता पाये जाने वाले प्रकरणों के विरुद्ध डेयरी स्तर पर भी कार्यवाही की गई तथा कई प्रकरणों में ठेकेदारों के खिलाफ सम्बन्धित पुलिस थानों में एफ.आई.आर. दर्ज करवायी गई जिसमें कई प्रकरणों में पुलिस द्वारा जांच पूरी कर मुल्जिम के खिलाफ न्यायालय में चालान प्रस्तुत कर दिया गया है।

जी हां। विज्ञापन सम्बन्धी जांच का विस्तृत ब्यौरा प्रदर्श-क पर संलग्न है।

तथा परिवहन सम्बन्धी अनियमितताओं की डेयरी स्तर पर की गई है। प्रकरणों में अनियमितता पाये जाने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही की गई है

(डेयरी राज्य मंत्री)

तथा कुछ प्रकरणों में सम्बन्धित पुलिस थानों में डेयरी प्रशासन द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई है, जिसकी जांच रिपोर्ट एवं विस्तृत विवरण प्रदर्श-ख पर ख-1 से ख-7 पर संलग्न है।

(2) विज्ञापन सम्बधी

विज्ञापन सम्बन्धी (फ्लेक्स विद बोर्ड) में दोषी पाये गये अधिकारियों/ कर्मचारियों के नाम

1. श्री आर.एस. तोमर, तत्कालीन प्रबन्ध संचालक जयपुर डेयरी।
2. श्री अतुल कुमार शुक्ला, उप प्रबन्धक (विपणन)
3. श्री राकेश गोस्वामी लेखाकार
4. श्री कैलाश चन्दव शर्मा, वरिष्ठ लिपिक (सेवानिवृत्त)
5. श्री राजेन्द्र गठाला, मैसर्स चौधरी प्रिन्टर्स।

विज्ञापन सम्बन्धी फ्लेक्स विद बोर्ड में की गई कार्यवाही

इस प्रकरण में अभियोजन चलाये जाने की स्वीकृति चाही गई थी, जिसे जयपुर डेयरी द्वारा दिनांक 26.06.2012 को अभियोजन स्वीकृति दे दी गई है।

माननीय न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में अभियोजन स्वीकृति एवं निलम्बन पर स्टे आदेश दिये गये। वर्तमान में प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

परिवहन सम्बन्धी अनियमितता पर की गई कार्यवाही का विवरण प्रदर्श-ख पर ख-1 से ख-7 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जैसलमेर जिले के पशुपालकों हेतु आबादी भूमि की सीमा में शिथिलता

115. श्री छोटूसिंह भाटी (जैसलमेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) आबादी भूमि कटान हेतु प्रति व्यक्ति आबंटित भूमि के सम्बन्ध में बनाये गये नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) जैसलमेर जिला बड़ा क्षेत्रफल होने के कारण नियमानुसार 35 व्यक्तियों पर ढाई बीघा आबादी भूमि आबंटन का प्रावधान रखा गया है, जो कि

(श्री छोटूसिंह भाटी)

पर्याप्त नहीं है? क्या सरकार इसे बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार पशुपालकों के लिए आबादी भूमि के अतिरिक्त अन्य प्लाट/भूमि आबंटन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) आबादी भूमि कटान हेतु कोई नियम बने हुए नहीं हैं किन्तु इस सम्बन्ध में परिपत्र क्रमांक 5(12) राज-4/78/27 दिनांक 22.10.1983 जारी किया हुआ है। जिसकी प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है ।

(2) जी नहीं। जैसलमेर जिले में 35 व्यक्तियों पर ढाई बीघा आबादी भूमि आबंटन का प्रावधान पर्याप्त है। क्योंकि राज्य में उक्त प्रावधान क्षेत्रफल के आधार पर न होकर जनसंख्या के आधार पर किया हुआ है।

(3) जी नहीं।

परिशिष्ट-अ

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप-4) विभाग

क्रमांक :-प.5(12)राज/4/78/27 दिनांक 22.10.1983

प्रेषित :—

समस्त जिलाधीशगण।

महोदय,

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत बने राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 के नियम 7 में, विज्ञप्ति समसंख्यक दिनांक 28.9.1983 द्वारा, संशोधन कर यह व्यवस्था की गयी है कि आबादी विस्तार हेतु चरागाह भूमि का आरक्षण जिलाधीश 5 एकड़ प्रति गांव तक कर सकते हैं। पूर्व में यह सीमा 2 एकड़ प्रति गांव तक की थी। उपरोक्त प्रावधान में परन्तुक के द्वारा यह भी व्यवस्था की गयी है कि यदि वास्तविक आवश्यकता हो तो चरागाह भूमि का आरक्षण

आप दस एकड़ प्रति गांव तक भी कर सकेंगे, बशर्ते कि उसी सम क्षेत्रफल की गैर मुमकिन सिंचाई चक भूमि का आरक्षण उसी गांव में चरागाह हेतु किया जाय।

2. नगरपालिका क्षेत्र के लिए यह प्रावधान है कि जयपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार के अतिरिक्त, अन्य नगरपालिका क्षेत्र में आप आबादी विस्तार हेतु पांच एकड़ तक पूंजीगत मूल्य प्राप्त कर, चरागाह भूमि का आबंटन कर सकेंगे एवं सार्वजनिक उद्यानों के लिए भी नगरपालिका/नगर सुधार न्यास के अनुरोध पर, पांच एकड़ तक चरागाह भूमि का आबंटन उन्हें पृथक से कर सकेंगे।

3. जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी विस्तार हेतु, चरागाह भूमि का आवासीय प्रयोग के लिए आबंटन करने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया है कि एक परिवार में पांच सदस्यों की एक इकाई आंकी जाय। यह माना गया है कि आवासीय मकानात, जानवरों के लिये बाड़े, चाराघर आदि के लिए प्रत्येक परिवार को 1/7 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है। अत: आवासीय प्रयोजनार्थ प्रत्येक गांव के लिये वांछित कुल भूमि के निर्धारण हेतु गांव की जनसंख्या से अंक को 35 से भाग देने से जो संख्या आवे, उतनी एकड़ भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ आबंटन योग्य मानी जाय।

4. इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक प्रयोजनार्थ, मय स्कूल, पंचायतघर, पटवारघर, चौपाल, सड़क एवं खुले स्थान हेतु, निम्न प्रकार से भूमि की आवश्यकता का अनुमान किया जावे। एक हजार तक की आबादी के गांव हेतु 10 एकड़ भूमि एवं प्रत्येक अतिरिक्त 1000 या उसके भाग की आबादी हेतु पांच एकड़ भूमि की आवश्यकता मानी जावे।

5. उपरोक्त मापदण्ड एवं आबंटन की सीमा, तथा राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम, 1957 के नियम 7 के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए ही ऐसे मामलों में आप निर्णय लिया करें, या यथा आवश्यकता, इस विभाग को प्रस्ताव भेजा करें।

भवदीय,
आनन्द मोहन लाल
राजस्व सचिव

नरेगा योजनान्तर्गत प्रति परिवार औसत रोजगार दिवस

116. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : क्या ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में वर्ष 2009 से 2012 तक नरेगा में कुल कितने कार्य दिवस बनाये गये? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त वर्षों में प्रति परिवार औसत रोजगार दिवस में कितना-कितना रोजगार दिया गया? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त वर्षों में रोजगार लेने वाले लोगों की संख्या में कमी आई है? यदि हां, तो कितनी-कितनी तथा प्रत्येक वर्ष में कितने-कितने लोगों को रोजगार दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में वर्ष 2009-10 से वर्ष 2011-12 तक सृजित किए गए मानव दिवस निम्नानुसार है :-

वर्ष 2009-10 4498.09 लाख

वर्ष 2010-11 3026.65 लाख

वर्ष 2011-12 2107.71 लाख

(2) राज्य में वर्ष 2009-10 से वर्ष 2011-12 तक दिए गए औसत रोजगार दिवस प्रति परिवार निम्नानुसार है :

वर्ष 2009-10 69 दिवस

वर्ष 2010-11 52 दिवस

वर्ष 2011-12 47 दिवस

(3) महात्मा गांधी नरेगा योजना मांग आधारित योजना है एवं इसमें रोजगार मांग के आधार पर प्रति परिवार अधिकतम 100 दिवस तक का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। राज्य में वर्ष 2009-10 से वर्ष 2011-12 तक निम्नानुसार परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है :-

वर्ष 2009-10 65.22 लाख

वर्ष 2010-11 58.24 लाख

वर्ष 2011-12 45.23 लाख

इस प्रकार रोजगार प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या में वर्ष 2010-11 में वर्ष 2009-10 की तुलना में 6.98 लाख तथा वर्ष 2011-12 में वर्ष 2010-11 की तुलना में 13.01 लाख की कमी हुई है।

बायतू में मिसिंग लिंक योजनान्तर्गत जारी स्वीकृति

117. कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा मिसिंग लिंक योजना के तहत प्रदेश में सड़कों का निर्माण करवाया जा रहा है? यदि हां, तो बायतू विधान सभा क्षेत्र में कुल कितनी मिसिंग लिंक सड़क मार्ग है? उपखण्डावार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) बायतू विधान सभा क्षेत्र में जनवरी, 2009 से 31 जनवरी, 2013 तक कितनी सड़कों का निर्माण करवाया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि मिसिंग लिंक के तहत हीरे की ढाणी में सड़क स्वीकृत की गई थी तथा विवाद के कारण निर्माण कार्य नहीं करवाया गया है?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त कार्य को निरस्त करते हुए दानजी की होदी के पास मिसिंग लिंक हेतु प्रस्ताव भिजवाये गये हैं व उक्त स्वीकृति जारी कर दी गई है? यदि हां, तो स्वीकृति आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें व नहीं, तो कब तक स्वीकृति जारी कर दी जायेगी?

उत्तर

(1) जी हां। बायतू विधान सभा क्षेत्र में 3 मिसिंग लिंक हैं। सूची परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) बायतू विधान सभा क्षेत्र में जनवरी, 2009 से आज तक कुल 29 सड़कों में 85.20 कि.मी. का निर्माण करवाया गया है। सूची परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(3) जी हां।

(4) जी नहीं। विवादित सड़क हीरे की ढाणी का प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है तथा इसकी स्वीकृति निरस्त नहीं की गई है। दानजी की होदी के पास मिसिंग लिंक सड़क का निर्माण राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

पूर्वी राजस्थान में पाला/ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों का सर्वे

118. डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर) : क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गत दो माह के अन्दर समय-समय पर पूर्वी राजस्थान के जिलों में पाला पड़ने से सरसों, आलू, चना और अरहर की फसलों को भारी नुकसान हुआ है? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इसकी गिरदावरी करवायी गयी व नहीं, तो क्यों?

(2) पाला और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान के लिए मुआवजे के मानदण्ड क्या-क्या हैं ?

(3) क्या सरकार उक्त जिलों में पाला पड़ने से हुए भारी नुकसान हेतु किसानों को मुआवजा देने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो कब तक और कितना-कितना? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पूर्वी राजस्थान के जिलों में केवल भरतपुर जिले में पाला पड़ने से सरसों, अरहर, चना एवं आलू की फसल में 50 प्रतिशत से कम नुकसान हुआ है। एसडीआरएफ/एनडीआरएफ मानदण्डांनुसार 50 प्रतिशत से कम खराबे पर सहायता देय नहीं है। रबी फसल 2013 की 1 फरवरी से 5 मार्च 2013 तक गिरदावरी करवाई गई है।

(2) इस बाबत भारत सरकार द्वारा निर्धारित एस डी आर एफ/एन डी आर एफ मानदण्डों की प्रति परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(3) बिन्दु संख्या 01 के जवाब के अनुरूप।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

चल चिकित्सा इकाई पर व्यय राशि

119. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा मोबाइल मेडिकल यूनिट (चल चिकित्सा इकाई) की स्थापना की गई है? यदि हां, तो कब, कहां-कहां व किस योजना के तहत? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना में कितने वाहन किस-किस जिले हेतु क्रय किये गये तथा इस पर कितना व्यय हुआ? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री बनवारी लाल सिंघल)

(3) क्या यह सही है कि उक्त योजना राजस्थान के कई जिलों में बंद हो चुकी है? यदि हां, तो किस कारण से? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त योजना के प्रचार-प्रसार पर व्यय की गई राशि का मदवार व जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत मेडिकल मोबाइल यूनिट की स्थापना की गई। यह योजना वर्ष 2008 में राज्य में प्रारम्भ की गई। इस योजना के तहत 52 मेडिकल मोबाइल यूनिट क्रय की गई जिनके जिलेवार आबंटन की वर्तमान स्थिति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त योजना में 52 डायग्नोस्टिक वाहन एवं 52 स्टाफ वाहन क्रय किये गये। इन दोनों वाहनों को मिलाकर 1 मेडिकल मोबाइल यूनिट होती है। इसके अतिरिक्त इस योजना के अन्तर्गत 150 मेडिकल मोबाइल वैन भी क्रय की गई।

मेडिकल मोबाइल यूनिट तथा मेडिकल मोबाइल वैन वाहनों के क्रय पर खर्च की गई राशि का वाहनवार तथा उपकरणवार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

मेडिकल मोबाइल यूनिट तथा मेडिकल मोबाइल वैन का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(3) यह योजना मेडिकल मोबाइल यूनिट तथा मेडिकल मोबाइल वैन के माध्यम से जैसलमेर के अतिरिक्त सभी जिलों में संचालित है।

(4) इस योजना के प्रचार प्रसार पर व्यय की गई राशि का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अजमेर राजकीय महाविद्यालय द्वारा बी.एस.टी.सी. परीक्षा आयोजन हेतु गठित समिति

120. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय महाविद्यालय, अजमेर में गत 5 वर्षों में बी.एस.टी.सी. की परीक्षा का आयोजन किया गया? यदि हां, तो परीक्षा

(श्री वासुदेव देवनानी)

में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या व उनसे लिये गये शुल्क का विवरण वर्षवार सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त परीक्षाओं में कितना व्यय हुआ? मदवार व वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त परीक्षा के आयोजन हेतु कोई समिति बनाई गई थी? यदि हां, तो गठन हेतु निर्धारित मानदंड व सदस्यों के पद अनुसार नामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) महाविद्यालय के व्याख्याता तथा संचालन हेतु गठित समिति के सदस्यों को दिये गये मानदेय का विवरण सदस्यवार व वर्षवार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजकीय महाविद्यालय, अजमेर में गत 5 वर्षों में बी.एस.टी.सी. की परीक्षा का आयोजन किया गया व इस परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यार्थियों की संख्या व उनसे लिये गये शुल्क का वर्षवार विवरण परिशिष्ट-1 सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) उक्त परीक्षा में हुए व्यय का मदवार व वर्षवार विवरण परिशिष्ट-2 सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) जी हां। महाविद्यालय द्वारा उक्त परीक्षा के आयोजन हेतु समिति का गठन किया गया है। समिति का गठन सम्बन्धित कालेज के प्राचार्य द्वारा प्रशासनिक दृष्टि से किया जाता है एवं सदस्यों के पद अनुसार नामों की सूची परिशिष्ट-3 सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(4) महाविद्यालय के व्याख्याता तथा संचालन हेतु गठित समिति के सदस्यों को दिये गये मानदेय का सदस्यवार व वर्षवार विवरण परिशिष्ट-4 सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

डेगाना के अकाल प्रभावित किसानों को मुआवजा

121. श्री अजय सिंह (डेगाना) : क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री अजय सिंह)

(1) क्या यह सही है कि डेगाना विधान सभा क्षेत्र में कम वर्षा के कारण वर्ष 2012 की खरीफ की लगभग 90 प्रतिशत फसलें नष्ट होने से अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई है?

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा कराई गई गिरदावरी से भी अकाल की स्थिति की पुष्टि हुई है? यदि हां, तो सरकार क्षेत्र के किसानों को कब तक मुआवजा व अन्य सुविधायें देने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) डेगाना विधान सभा क्षेत्र के 207 ग्रामों में से कम वर्षा के कारण वर्ष 2012 की खरीफ की फसल में 10 ग्रामों में 50 प्रतिशत से कम, 75 ग्रामों में 50 प्रतिशत से 74 प्रतिशत तक एवं 122 ग्रामों में 75 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक खराबा हुआ है।

(2) जी हां। दिनांक 04.01.2013 को जारी अधिसूचना से नागौर जिले के 1570 ग्रामों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है, जिनमें डेगाना विधान सभा क्षेत्र के 197 ग्राम भी सम्मिलित हैं। अभावग्रस्त घोषित ग्रामों में एस डी आर एफ/एन डी आर एफ मापदण्डानुसार राहत प्रदान की जावेगी। डेगाना विधान सभा क्षेत्र के पंचायत मुख्यालय के ग्राम, तिलानेस, मांजी, जाखेड़ा, सारसण्डा में ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से चारा डिपो खोलने की स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

राजाखेड़ा में चम्बल नदी से पेयजल आपूर्ति

122. श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश के किस-किस नगर को चम्बल नदी से पेयजल उपलब्ध कराने की योजना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त योजनान्तर्गत राजाखेड़ा शहर तथा विधान सभा क्षेत्र राजाखेड़ा के चम्बल नदी के समीपवर्ती ग्रामों को भी पेयजल उपलब्ध कराने का प्रावधान है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वांछित विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। चम्बल-धौलपुर-भरतपुर वृहद् पेयजल परियोजना की स्वीकृति के तहत भरतपुर जिले के खारे पानी की समस्या से प्रभावित तथा

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

भरतपुर एवं धौलपुर जिले के मुख्य ट्रांसमिशन पाइप लाइन के रास्ते में आने वाले ग्रामों को सम्मिलित किया गया है।

विधान सभा क्षेत्र राजाखेड़ा के शहर राजाखेड़ा एवं चम्बल नदी के समीपवर्ती ग्रामों में विभाग द्वारा की जा रही पेयजल आपूर्ति वर्तमान में सुचारु एवं संतोषप्रद होने के कारण इन हेतु चम्बल नदी पर आधारित अन्य कोई योजना बनाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट-अ

चम्बल नदी से वर्तमान में लाभान्वित एवं भविष्य में लाभान्वित किये जाने वाले शहरों सम्बन्धी विवरण

क्र. सं.	जिले का नाम	चम्बल से वर्तमान में लाभान्वित शहरों के नाम	भविष्य में चम्बल से लाभान्वित होने वाले शहर
1	2	3	4
1.	कोटा	कोटा	—
2.		रामगंजमण्डी	—
3.		सुकेत	—
4.		सातलखेड़ी	—
5.		उदपुरा	—
6.	बूंदी	—	बूंदी
7.	धौलपुर	धौलपुर	—
8.	भरतपुर	भरतपुर	—
9.		—	कुम्हेर
10.		—	डीग
11.		—	नगर
12.		—	कामां
13.	भीलवाड़ा	—	भीलवाड़ा
14.		—	शाहपुरा

1	2	3	4
15.	भीलवाड़ा	—	गंगापुर (भीलवाड़ा)
16.		—	माण्डल
17.		—	आसीन्द
18.		—	गुलाबपुरा
19.		—	जहाजपुर
20.		—	बिजोलिया
21.		—	माण्डलगढ़
22.	सवाईमाधोपुर	—	सवाईमाधोपुर
23.		—	गंगापुरसिटी
24.	करौली	—	करौली
25.		—	टोडाभीम

सपोटरा (करौली) तहसील में रजिस्ट्री के दस्तावेजों की तस्दीक अवधि

123. श्री रमेश चन्द मीणा (टोडाभीम) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 2011 एवं 2012 में जिला करौली की सपोटरा तहसील में किस-किस महीने में रजिस्ट्री हेतु कितने-कितने दस्तावेज दाखिल किये गये एवं कितनी तस्दीक की गई?

(2) उक्त दाखिल की गई रजिस्ट्री के दस्तावेजों में से वर्ष 2012 के दौरान कितने दस्तावेजों की तस्दीक करने में 15 दिन से अधिक समय लगा?

(3) जून, 2012 में करौली जिले की सपोटरा तहसील में किन-किन व्यक्तियों के दस्तावेज तस्दीक किये गये?

उत्तर

(1) वर्ष 2011-12 में जिला करौली की सपोटरा तहसील में महावार निम्नानुसार दस्तावेज दाखिल व तस्दीक किये गये :-

(राजस्व मंत्री)

वर्ष 2011		वर्ष 2012	
माह	**दस्तावेजों की संख्या**	**माह**	**दस्तावेजों की संख्या**
जनवरी	19	जनवरी	36
फरवरी	39	फरवरी	37
मार्च	27	मार्च	19
अप्रैल	17	अप्रैल	7
मई	24	मई	57
जून	85	जून	67
जुलाई	50	जुलाई	76
अगस्त	29	अगस्त	50
सितम्बर	26	सितम्बर	22
अक्टूबर	15	अक्टूबर	19
नवम्बर	31	नवम्बर	44
दिसम्बर	27	दिसम्बर	32

(2) वर्ष 2012 में प्रस्तुत दस्तावेजों को तस्दीक करने में एक भी दस्तावेज में 15 दिन से अधिक का समय नहीं लगा है।

(3) जून, 2012 में करौली जिले की सपोटरा तहसील में 67 दस्तावेज तस्दीक किये गये हैं। जिसकी सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

तालसर (बाड़मेर) के सरपंच द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच

124. श्री पदमाराम (चौहटन) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्तमान सरपंच ग्राम पंचायत तालसर पंचायत समिति चौहटन जिला बाड़मेर के विरुद्ध गबन का मुकदमा दर्ज हुआ है? यदि हां, तो कब एवं उक्त प्रकरण में जनवरी, 2013 तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या वर्तमान सरपंच ग्राम पंचायत तालसर के द्वारा पद पर रहते हुए अपने पुत्रों एवं पौत्रों के नाम से सरकारी भवन बनाये गये हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भवनों पर व्यय की गई सरकारी राशि सरपंच ग्राम पंचायत

(श्री पदमाराम)

तालसर से वसूल करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि बीआरजीएफ योजना में वर्तमान सरपंच ग्राम पंचायत तालसर द्वारा अपने पुत्र रोजगार सहायक सुजाराम की ढाणी के नाम 10 लाख की राशि का महिला सांस्कृतिक भवन बनाया है? यदि हां, तो क्या सरकार उस भवन की राशि रुपये 10 लाख सरपंच ग्राम पंचायत तालसर एवं उसके पुत्र रोजगार सहायक सूजाराम से वसूल करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि नरेगा में स्वीकृत बेरी निर्माण कार्यो में ग्राम पंचायत तालसर की बेरियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी होने के बाद स्वीकृत आदेश के संशोधन जारी किये गये हैं? यदि हां, तो संशोधन आदेश क्यों जारी किये एवं संशोधन के लिये कौन उत्तरदायी है? क्या उसके लिये कोई कार्यवाही की गई? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि जिला बाड़मेर में नरेगा योजना में स्वीकृत होने वाले समस्त कार्य प्लान अनुसार ही स्वीकृत किये जाते हैं? यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्लान अनुसार स्वीकृत कार्यों की रिपोर्ट तथा नहीं, तो ऐसे बिना प्लान स्वीकृत कार्यों के लिये कौन दोषी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जवाराराम सरपंच ग्राम पंचायत तालसर पंचायत समिति चौहटन के विरुद्ध पुलिस थाना सेड़वा में मुकदमा नम्बर 22/2011 दिनांक 16.04.2011 को धारा 409/34 भादसं में दर्ज हुआ इस मामले में थानाधिकारी सेड़वा ने आरोप पत्र संख्या 20120005/20120002 दिनांक 31.01.2012 को न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाड़मेर में पेश किया, जो न्यायालय में लम्बित है। इसकी प्रतिलिपि परिशिष्ट-अ संलग्न है।

(2) जी नहीं। सरपंच ग्राम पंचायत तालसर द्वारा पद पर रहते हुए अपने पुत्र एवं पौत्रों की ढाणियों के पास भूमि समर्पण करवाकर सार्वजनिक भवनों का निर्माण कराया गया है। ऐसी स्थिति में वसूली अपेक्षित नहीं है।

(3) जी नहीं। बीआरजीएफ योजनान्तर्गत वर्ष 2007-08 में महिला सांस्कृतिक एवं मनोरंजन भवन सुजाराम की ढाणी के पास वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 1147-49 दिनांक 25.05.2008 द्वारा सार्वजनिक उपयोग हेतु खसरा

(पंचायती राज मंत्री)

नम्बर 177 में समर्पित राजकीय भूमि (0.15 बिस्वा) पर 10.96 लाख की लागत से बनाया गया है। वित्तीय स्वीकृति आदेश एवं भूमि समर्पण सम्बन्धित कागजात परिशिष्ट-ब एवं स संलग्न है।

(4) जी हां। यह सही है कि नरेगा में स्वीकृत बेरी निर्माण कार्यों में ग्राम पंचायत तालसर की बेरियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी होने के बाद स्वीकृत आदेश में संशोधन जारी किया गया था। इस सम्बन्ध में कार्यकारी एजेंसी से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे कि ग्राम पंचायत तालसर में नरेगा में स्वीकृत बेरियों की स्वीकृति आदेश में ऐसे व्यक्तियों को भी शामिल कर लिया गया था, जिनके पूर्व में टांके स्वीकृत हो गये थे एवं उन टांकों का निर्माण भी करवा दिया गया था। अत: एक परिवार एक ही बार लाभांवित हो, इसलिए संशोधित स्वीकृति दी जाए। प्रस्तावित संशोधित स्वीकृति के प्रस्ताव में 24 बेरियों के खेत पास-पास में हैं एवं सेढ़े लगते हैं तथा अधिकांश संयुक्त खातेदार एवं नोशनल शेयर के खातेदार है। उसी ग्राम के निवासी, बी पी एल, एस सी, एस टी परिवार के लोगों के नाम प्रस्ताव अनुसार शामिल करते हुए संशोधित स्वीकृति जारी की गई थी। इसमें किसी भी प्रकार का अधिक वित्तीय भार योजना पर नहीं पड़ा। अत: कार्यवाही की जानी अपेक्षित नहीं है।

(5) जी हां। बाड़मेर जिले में नरेगा योजना में स्वीकृत होने वाले समस्त कार्य प्लान अनुसार ही स्वीकृत किये जाते हैं। गत तीन वर्षों में स्वीकृत कार्यों की रिपोर्ट परिशिष्ट-द संलग्न है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

बूंदी-खटकड़-नैनवां मार्ग हेतु बाइपास

125. श्री अशोक डोगरा (बून्दी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बून्दी से नैनवां वाया खटकड़ रोड पर वाहनों की संख्या में हो रही वृद्वि को देखते हुए क्या सरकार बून्दीज-खटकड़ रोड़ पर बाइपास बनाने का विचार रखती है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त मार्ग पर नई मण्डी को जोड़ते हुये बाइपास बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि नहीं, तो क्या सरकार बाइपास बनाने हेतु कोई योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। जी नहीं। बून्दी एन.एच.-12 से नई धान मण्डी (कुंआरती) होकर बून्दी खटकड़ सड़क पर बाइपास की योजना का विचार राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

राजसमन्द जिले में उद्यानिकी फसलों के विकास हेतु व्यय राशि

126. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजसमन्द जिले में मुख्य उद्यानिकी फसले (होर्टीकल्चर) कौन-कौनसी हैं तथा वर्ष 2012-13 एवं पूर्ववर्ती तीन वर्षों में इनका उत्पादन कितना था?

(2) जिले में उक्त अवधि के उद्यानिकी फ़सलों को प्रोत्साहित करने, उनका उत्पादन बढ़ाने एवं लाभप्रद बनाने के लिये क्या कार्य किये गये व इन कार्यों पर कितना व्यय हुआ तथा इन कार्यों के क्या परिणाम प्राप्त हुये?

(3) राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा उद्यानिकी विकास की कौन-कौनसी योजनायें वर्तमान में संचालित हैं तथा इन योजनाओं के मुख्य प्रावधान क्या हैं?

(4) राजसमन्द जिले में उद्यानिकी विकास की उक्त योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 एवं पूर्ववर्ती 4 वर्षों में क्या-क्या कार्य किये गये?

उत्तर

(1) जिले में मिर्च, धनिया, जीरा, अजवाइन, लहसून, मैथी, ककड़ी, प्याज आदि सब्जियां मुख्य उद्यानिकी फसलें हैं। वर्ष 2009-10 से 2012-13 तक उनके उत्पादन का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जिले में उद्यानिकी फसलों को प्रोत्साहित करने एवं उनका उत्पादन बढ़ाने के लिये नये बगीचों की स्थापना, जलस्त्रोतों का विकास, ग्रीन हाउस स्थापना, फव्वारा एवं ड्रिप सिंचाई संयंत्रों की स्थापना आदि कार्यक्रम क्रियान्वित किये गये हैं।

उक्त योजनाओं के व्यय एवं कार्यों के परिणाम से सम्बन्धित सूचना परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(कृषि मंत्री)

(3) उद्यान विकास के लिये राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा राजसमन्द जिले में निम्न योजनाएं चलाई जा रही हैं:-

1. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
2. राष्ट्रीय सूक्ष्म सिचांई मिशन
3. राष्ट्रीय बास मिशन

इन योजनाओं के मुख्य प्रावधान परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(4) राजसमन्द जिले में उद्यानिकी विकास की उक्त योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 एवं पूर्ववर्ती 4 वर्षों में किये गये कार्यों का विवरण परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर के कांवटिया चिकित्सालय में स्थापित जांच उपकरणों का उपयोग

127. **श्री मोहनलाल गुप्ता** (किशनपोल) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कांवटिया चिकित्सालय, जयपुर में टी.एम.टी. की मशीन खरीदी गई है? यदि हां, तो कब तथा उसको संचालित नहीं करने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकारी चिकित्सकों को पेन्शनरों आदि की डायरियों में जेनेरिक दवाइयां लिखने के स्पष्ट आदेश हैं? यदि हां, तो तत्संबंधी आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त चिकित्सालय के आपरेशन थियेटर, इमरजेन्सी कक्ष व उपकरणों की स्थिति खराब है? यदि हां, तो सरकार द्वारा विगत 2 वर्षों में आपरेशन थियेटर, इमरजेन्सी को सुदृढ़ करने के क्या-क्या उपाय किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) निदेशालय स्तर पर टीएमटी मशीन खरीद कर राजकीय कांवटिया चिकित्सालय जयपुर में दिनांक 06.06.2006 को उपलब्ध करवाई गई है जो संचालित है।

(2) जी हां। आदेशों की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(3) जी नहीं।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

शेखावाटी/बृज/मत्स्य विश्वविद्यालयों की स्थापना प्रकरण

128. श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार द्वारा बजट में घोषित शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर, बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर, मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर हेतु कुल कितना बजट अनुमोदित किया गया है तथा वर्ष 2012-13 में इस हेतु कुल कितनी राशि व्यय की गई व उक्त तीनों विश्वविद्यालय कब से संचालित हो जायेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त तीनों विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु राज्य सरकार स्तर पर प्रथम बार घोषणा कब की गई तथा इनकी स्थापना में विलम्ब क्यों हुआ व अब कब तक यू.जी.सी. के मानदण्डों के अनुसार उक्त तीनों विश्वविद्यालय विधिवत रूप से अपना कार्य प्रारम्भ कर देंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सरकार द्वारा बजट में घोषित शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर, बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर, मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर हेतु कुल अनुमोदित बजट राशि का विवरण तथा वर्ष 2012-13 में इस हेतु व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। विश्वविद्यालयों के अधिनियम पारित किये जा चुके हैं, भूमि आबंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। विश्वविद्यालयों के लिये आवश्यक पदों की स्वीकृति की जा चुकी है तथा विश्वविद्यालयों के पी.डी. खाते खोले जाने की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। ये विश्वविद्यालय शीघ्र ही संचालित हो सकेंगे।

(2) उक्त तीनों विश्वविद्यालयों की स्थापना की घोषणा बजट सत्र 2012-13 में की गई थी। विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है, ये तीनों विश्वविद्यालय शीघ्र ही कार्य प्रारम्भ करेंगे।

परिशिष्ट-अ

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	विश्वविद्यालय का नाम	31.1.2013 तक जारी राशि	31.1.2013 तक व्यय की गई राशि का विवरण
1.	बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर	14.55	0.00
2.	मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर	14.55	0.00
3.	शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर	14.55	1.42
	कुल योग	**43.65**	**1.42**

जन प्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों पर मुख्य सचिव के निर्देश की पालना

129. श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत) : क्या इन्दिरा गांधी नहर परियोजना राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मुख्यमंत्री/मुख्य सचिव ने समय-समय पर निर्देश जारी किये हैं कि जन प्रतिनिधियों के पत्र का उत्तर उन्हें दिया जावे? यदि हां, तो परिपत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) गत दो वर्षों में जल संसाधन एवं इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के संबंध में जिला बीकानेर के किन-किन अधिकारियों को क्षेत्रीय विधायक कोलायत द्वारा कब-कब पत्र लिखा गया और उस पर कब, क्या कार्यवाही की गई तथा उत्तर पत्र कब भेजा गया? प्राप्त पत्र एवं उत्तर की प्रति एवं उस पर कब क्या कार्यवाही की गई, की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(3) अधिकारियों द्वारा पत्र का उत्तर नहीं देने के क्या कारण रहे और क्या सरकार द्वारा उत्तर नहीं देने वाले दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही कर आरोप पत्र दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी हां। मुख्य सचिव ने समय-समय पर परिपत्रों द्वारा निर्देश जारी किये हैं कि जन प्रतिनिधियों के पत्र का उत्तर उन्हें दिया जावे। परिपत्रों की छाया प्रति परिशिष्ट-'क' पर संलग्न है।

(2) माननीय विधायक से गत दो वर्षों मे इन्दिरा गांधी नहर विभाग के बीकानेर जिले के अधिकारियों को प्राप्त पत्रों एवं दिये गये प्रत्युत्तरों की

(इन्दिरा गांधी नहर परियोजना राज्य मंत्री)

सूची परिशिष्ट-'1' पर प्राप्त पत्रों की प्रतियां परिशिष्ट-'2' पर तथा प्रत्युत्तरों की प्रतियां परिशिष्ट-'3' पर संलग्न है।

माननीय विधायक से गत दो वर्षों में जल संसाधन विभाग के बीकानेर जिले के अधिकारियों को प्राप्त पत्रों एवं दिये गये प्रत्युत्तरों की सूची परिशिष्ट-'4' पर, प्राप्त पत्रों की प्रतियां परिशिष्ट-'5' पर तथा प्रत्यत्तरों की प्रतियां परिशिष्ट-'6' पर संलग्न है।

(3) इन्दिरा गांधी नहर विभाग एवं जल संसाधन विभाग के बीकानेर जिले के अधिकारियों को माननीय विधायक द्वारा दिये गये पत्रों का जवाब समय-समय पर उन्हें प्रेषित किया जाता रहा है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

विद्युत दरों में प्रस्तावित वृद्धि

130. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में 31 मार्च, 2009 को विभिन्न श्रेणी में प्रति यूनिट बिजली की क्या-क्या दर और अन्य कर, शुल्क, सरचार्ज वगैरह निर्धारित थे? श्रेणीवार पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) 31 मार्च, 2009 से 31 जनवरी, 2013 तक श्रेणीवार बिजली की दरों अथवा अन्य करों में कब-कब और कितनी-कितनी बढ़ोतरी की गई? श्रेणीवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि 31 मार्च, 2009 से 31 जनवरी, 2013 की अवधि में सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के नये कर, यूजर चार्ज इत्यादि लगाये गये हैं? यदि हां, तो कब-कब और क्या-क्या? श्रेणीवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार के पास बिजली की दरों में बढ़ोतरी के संबंध में वर्तमान में प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि हां, तो कितनी बढ़ोतरी का और कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) दिनांक 31 मार्च, 2009 को विभिन्न श्रेणी में प्रति यूनिट बिजली की दर प्रपत्र-'1' पर उपलब्ध है। विद्युत कर कृषि श्रेणी के अलावा सभी श्रेणियों के लिए विद्युत कर 40 पैसे प्रति यूनिट, कृषि श्रेणी (मीटर सप्लाई) 4 पैसे प्रति यूनिट एवं कृषि श्रेणी के (फ्लेट रेट श्रेणी) में फ्लेट रेट दर का 5 प्रतिशत

(ऊर्जा मंत्री)

आदेश संख्या जे पी आर 5-209 के तहत लिया जाना निर्धारित था। विद्युत कर के अतिरिक्त अन्य कर सरचार्ज दिनांक 31 मार्च, 2009 को प्रभावी नहीं थे। आदेश की प्रति प्रपत्र-'2' पर उपलब्ध है।

(2) दिनांक 31 मार्च, 2009 से दिनांक 31 जनवरी, 2013 तक श्रेणीवार बिजली की दरों (ऊर्जा प्रभार, स्थाई प्रभार) एवं अन्य करों में बढ़ोतरी का विवरण प्रपत्र-'3' अ, ब एवं स पर उपलब्ध है।

(3) जी हां। दिनांक 31 मार्च, 2009 से दिनांक 31 जनवरी, 2013 की अवधि में आदेश संख्या जेपीआर 5-563 के प्रावधानानुसार बिलिंग माह सितम्बर, 2009 से 10 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से वाटर सैस, आदेश संख्या जे पी आर 5-601 एवं 5-603 के तहत अरबन सैस बिलिंग माह मई, 2010 से 10 पैसे प्रति यूनिट की दर से जबकि दिनांक 9 मार्च, 2011 से आदेश संख्यार जे पी आर 5-616 के तहत अरबन सैस 15 पैसे प्रति यूनिट, आदेश संख्या जे पी आर 5-209 के तहत विद्युत कर बिलिंग माह जुलाई, 2004 से 40 पैसे प्रति यूनिट कृषि श्रेणी के अतिरिक्त सभी श्रेणियों से तथा कृषि श्रेणी (मीटर सप्लाई) 4 पैसे प्रति यूनिट एवं कृषि श्रेणी के (फ्लेट रेट श्रेणी) में फ्लेट रेट दर का 5 प्रतिशत, माइल्ड स्टील को काम में लेने वाली औद्योगिक इकाइयों से जे पी आर 5-613 के तहत बिलिंग माह जनवरी, 2011 से 52 पैसे प्रति यूनिट की दर से, आदेश संख्या जे पी आर 658 के तहत यूजर चार्जेज जयपुर व जोधपुर जिलों में घरेलू, अघरेलू, औद्योगिक मय मिश्रित भार श्रेणी के उपभोक्ताओं से द्विमासिक बिल के आधार पर बिलिंग माह सितम्बर, 2012 से, आदेश संख्या जे पी आर 5-686 के तहत माह अप्रैल, 2012 से माह जून, 2012 तक की अवधि के उपभोग के लिए सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं से 16 पैसे प्रति यूनिट की दर से ईंधन अधिभार। उपरोक्त सभी कर/उप कर लिया जाना वर्तमान में प्रभावी है। आदेशों की प्रतियां क्रमश: प्रपत्र-'4' से '7', '2' एवं '8' से '10' पर उपलब्ध हैं।

(4) जी हां। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के समक्ष वर्ष 2013-14 के लिए विद्युत दरों के संबंध में याचिका प्रस्तुत की गई है। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के इस संबंध में जारी आदेश के उपरान्त आयोग द्वारा अनुमोदित दरें प्रभावी होंगी। प्रस्तावित याचिका की प्रति प्रपत्र-'11' पर उपलब्ध है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

कुंचलवाड़ा (भीलवाड़ा) ग्राम की चरागाह भूमि का मिट्टी खनन प्रकरण

131. श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 12 के फोरलेन निर्माण के समय अर्थ वर्क के लिए संवेदक द्वारा भीलवाड़ा जिले की जहाजपुर तहसील के ग्राम कुंचलवाड़ा कलां की बीसलपुर विस्थापितों के लिए आरक्षित चरागाह भूमि खसरा नं. 1509 रकबा 192 बीघा में से भारी मात्रा में मिट्टी खनन करने से कई जगह काफी गहरे खड्डे कर दिये गये हैं तथा खेतों पर जाने के रास्ते भी बन्द कर दिये गये हैं? यदि हां, तो इस हेतु संवेदक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त मिट्टी खनन कार्य के लिए कमेटी का गठन कर जांच करवाने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम कुंचलवाड़ा कलां की गै.मु. आराजी नं. 1797/1509 रकबा 193.15 बीघा भूमि बीसलपुर परियोजना के विस्थापितों के कृषि एवं पुनर्वास कालोनी के प्रयोजनार्थ आरक्षित है। उक्त भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 (फोरलेन) बाईपास देवली से लगी हुई है। मौका जांच रिपोर्ट अनुसार उक्त आराजी के उत्तर पूर्व की साइड में करीबन 15 बीघा भूमि में 15 फीट गहरे खड्डे बने हुए हैं, जो मिट्टी निकासी के कारण हुए हैं। इस कारण कुंचलवाडा जाने का रास्ता अवरुद्ध हुआ है।

सरपंच एवं सचिव, ग्राम पंचायत ऊंचा द्वारा मिट्टी उठाने के सम्बन्ध में पटेल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. गुजरात के नाम रसीद संख्या 45 दिनांक 28.07.2010 से 21000 रुपये जमा कर एन ओ सी जारी की हुई है। रसीद की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। प्रथम दृष्टया पंचायत द्वारा जारी की गई एन ओ सी के आधार पर उक्त भूमि से मिट्टी उठाना पाया गया है। इस सम्बन्ध में विस्तृत जांच के उपरान्त संवेदक के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जावेगी।

(2) उक्त मिट्टी दोहन के सम्बन्ध में प्रशासनिक जांच हेतु जिला कलक्टर भीलवाड़ा के द्वारा जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है। जांच कमेटी में उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार व विकास अधिकारी जहाजपुर तथा अधिशासी अभियन्ता, सा. नि. विभाग खण्ड शाहपुरा को नियुक्त किये गये हैं। आदेश की प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

पाली जिले की समन्वित जलग्रहण प्रबन्धन परियोजना हेतु आबंटित एवं व्यय राशि

132. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले की पंचायत समिति रोहट की किस-किस ग्राम पंचायत में समन्वित जलग्रहण प्रबंधन परियोजना के कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि कब-कब स्वीकृत की गई?

(2) उक्त योजना के तहत कौन-कौनसा कार्य प्रारम्भ कर दिया गया एवं कौन-कौनसा कार्य, कितनी-कितनी अवधि से किन-किन कारणों से शुरू नहीं किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) केन्द्र सरकार द्वारा उक्त कार्यों हेतु राशि जिला परिषद को कब-कब हस्तान्तरित की गई एवं जिला परिषद द्वारा उक्त राशि पंचायत समिति को कब-कब हस्तान्तरित की गई?

(4) उक्त परियोजना में अन्य कौन-कौन से प्रस्ताव केन्द्र सरकार को स्वीकृति हेतु कब-कब भिजवाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार स्वीकृत कार्य को प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो किन कारणों से?

उत्तर

(1) पाली जिले की पंचायत समिति रोहट में समन्वित जलग्रहण प्रबन्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम पंचायतवार स्वीकृत राशि का अवधिवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उक्त योजना के तहत मार्गदर्शिका के अनुरूप परियोजनावार प्रारम्भ किये गये कार्यों का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। परियोजनावार कार्य शुरू नहीं होने का विवरण एवं कारण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(3) केन्द्र सरकार द्वारा एस.एल.एन.ए. के माध्यम से जिला परिषद में स्थापित वाटरशैड सेल कम डाटा सेंटर के खाते में हस्तान्तरित की गई राशि एवं वाटरशैड सेल कम डाटा सेंटर द्वारा परियोजना क्रियान्वयन संस्था एवं उप समिति (जलग्रहण) को हस्तान्तरित की गई राशि का विवरण परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(4) समन्वित जलग्रहण प्रबन्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत पंचायत समिति रोहट में उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त अन्य कोई प्रस्ताव केन्द्र को स्वीकृति हेतु नहीं भिजवाये गये हैं।

(पंचायती राज मंत्री)

(5) जी हां। समन्वित जलग्रहण प्रबन्धन कार्यक्रम हेतु भारत सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुरूप समस्त कार्य क्रियान्वित किये जा रहे हैं। इन परियोजनाओं की अवधि 5-7 वर्ष है, जिसमें इन्हें पूर्ण करने हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया गया है, जिनका विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

शेरगढ़ के डामरीकृत सड़क रहित राजस्व ग्राम

133. श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में राष्ट्रीय पेयजल सर्वे 2003 में चयनित ढाणियों की जनसंख्या को आधार बनाकर एकल व समूह (कलस्टर) 500 तक की हेबीटेशन को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत डामर सड़कों का कार्य प्रारम्भ किया गया है? यदि हां, तो प्रदेश में कितनी सड़कें उक्त योजना में स्वीकृत की गई? स्वीकृत की गई सड़कों के एकल व बनाये गये समूह (कलस्टर) का स्पष्ट विवरण, ढाणी व ढाणी की जनसंख्या सहित कुल समूह की जनसंख्या जिसके लिए सड़क स्वीकृत की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जोधपुर जिले में एकल ढाणी की जनसंख्या 430 होने पर ही नजदीक की ढाणी को जोड़ने पर 500 तक की जनसंख्या वाली हेबीटेशन को सड़क से जोड़ने के लिए उक्त योजना में स्वीकृतियां जारी की गई हैं? यदि हां, तो कहां-कहां?

(3) क्या यह सही है कि उक्त समूह के अतिरिक्त जिले में अन्य समूह व कलस्टर की कार्य योजना नहीं बनाई गई है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या सरकार प्रदेश के अन्य जिलों में 500 तक की जनसंख्या को सड़कों से जोड़ने के लिए 2 से अधिक ढाणियों की जनसंख्या को जोड़कर समूह के लिए उक्त योजना में सड़क स्वीकृति के आधार पर जोधपुर जिले में भी समूह (कलस्टर) बनाकर सड़कें स्वीकृत करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार जोधपुर जिले में मरुस्थलीय क्षेत्रों में 250 तक की जनसंख्या के लिए एकल व समूह की हेबीटेशन को उक्त योजना में सड़कों से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

(6) जोधपुर जिले के उपखण्ड क्षेत्र शेरगढ़ में कितने राजस्व गांव डामर सड़क से जुड़ने से वंचित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या सरकार उक्त राजस्व गांवों को डामर सड़क से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत ऐसी स्वीकृत सड़कों का मय ढाणी का नाम, ढाणी की जनसंख्या सहित कुल समूह की जनसंख्या इत्यादि का विवरण परिशिष्ट-1 व 2 पर प्रस्तुत है।

(2) जी नहीं। जोधपुर जिले में योजना की गाइड लाइन के अनुरूप 500 से अधिक आबादी वाले कलस्टरों की स्वीकृति प्रदान की गई है। सूची परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है।

(3) जी नहीं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की गाइड लाइन के अनुसार 500 तक की आबादी के कलस्टर बनाये गये थे। जिनकी स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। 400 से 499 आबादी समूह के प्रस्ताव भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजे जा चुके हैं। स्वीकृति शीघ्र अपेक्षित है। 250 से 399 आबादी समूह के प्रस्ताव तैयार कर भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भिजवाया जाना प्रस्तावित है।

(4) जोधपुर जिले में समूह बनाकर स्वीकृत सड़कों का विवरण परिशिष्ट-4 पर प्रस्तुत है।

(5) जी हां। जोधपुर जिले में 500 तक की आबादी/आबादी समूह की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। 400 से 499 तक आबादी/आबादी समूह को जोड़ने हेतु प्रस्तावों पर भारत सरकार की एम्पावर्ड कमेटी बैठक दिनांक 02.01.2013 में विचार किया जा चुका है। स्वीकृति शीघ्र अपेक्षित है एवं 250-399 तक की आबादी/आबादी समूह की बसावटों को जोड़ने हेतु प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं जिनको स्वीकृति हेतु शीघ्र भारत सरकार को भिजवाया जाना प्रस्तावित है।

(6) जोधपुर जिले के उपखण्ड क्षेत्र शेरगढ़ में जनगणना 2001 पर आधारित डामर सड़क से जुड़ने से 4 राजस्व गांव वंचित हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट-5 पर प्रस्तुत है।

(7) उक्त राजस्व गांवों को डामर सड़क से जोड़ना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

लोहावट में संचालित पशु चिकित्सा केन्द्र

134. श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर (लोहावट) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 2008 से जनवरी, 2013 तक विधान सभा क्षेत्र लोहावट जिला जोधपुर में कुल कितने नवीन पशु उप केन्द्र व चिकित्सालय किन-किन स्थानों पर खोले गये?

(2) विधान सभा क्षेत्र लोहावट में उक्तावधि में कुल कितने पशु उप केन्द्रों को पशु चिकित्सालयों में कहां-कहां क्रमोन्नत किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र लोहावट में वर्ष 2008 से जनवरी 2013 तक ग्राम पल्ली में एक पशु चिकित्सा उपकेन्द्र खोला गया है।

(2) विधान सभा क्षेत्र लोहावट में वर्ष 2008 से जनवरी, 2013 तक पशु औषधालय कोलू पाबूजी तथा पशु चिकित्सा उप केन्द्र चोरडिया को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया गया।

प्रदेश में जनजाति उपयोजना क्षेत्र में संचालित योजनाओं पर व्यय राशि

135. श्री बाबूलाल खराड़ी (झाड़ोल) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जनजाति उपयोजना क्षेत्र में विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं? यदि हां, तो गत 5 वर्षों में कितनी योजनाओं में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। राज्य सरकार द्वारा जनजाति उपयोजना क्षेत्र में विभिन्न योजनाऐं चलाई जा रही हैं। योजनाओं पर गत 5 वर्षो का वर्षवार व्यय राशि का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

(राशि रुपये लाखों में)

वर्ष	व्यय राशि
2007-08	12505.86
2008-09	14108.64
2009-10	13361.17
2010-11	16708.97
2011-12	23275.03

व्यय राशि का मदवार विवरण परिशिष्ट अ पर संलग्न है।

तहसीलवार व्यय संधारित नहीं किया जाकर जिलेवार व्यय का संधारण किया जाता है। जनजाति कल्याण निधि विशेष केन्द्रीय सहायता एवं संविधान की धारा 275 (1) मदों में संचालित योजनाओं का जिलेवार व्यय विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

लक्ष्मणगढ़ (अलवर) में राजकीय महाविद्यालय की स्वीकृति

136. श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार तहसील मुख्यालय लक्ष्मणगढ़ (अलवर) में राजकीय महाविद्यालय आगामी वित्तीय वर्ष में खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। राज्य सरकार के सीमित संसाधनों के कारण आगामी वित्तीय वर्ष में तहसील मुख्यालय लक्ष्मणगढ़ (अलवर) में राजकीय महाविद्यालय खोला जाना प्रस्तावित नहीं है।

राजस्थान कैनाल को आबंटित पानी पर पंजाब सरकार द्वारा रोक

137. श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान कैनाल (आई जी एन पी) के हिस्से का पानी पंजाब सरकार ने रखा हुआ है? यदि हां, तो कब से व कितना तथा किन-किन कारणों से? कारणों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री पवन कुमार दुग्गल)

(2) क्या सरकार राजस्थान के हिस्से का 0.6 M A S पानी पंजाब सरकार से वापस लेने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं सरकार द्वारा इस हेतु क्या-क्या प्रयास किये गये एवं उसके क्या परिणाम रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1981 के रावी-व्यास नदियों के अधिशेष पानी के वितरण हेतु हुए समझौते में राजस्थान को 8.6 एम.ए.एफ. पानी आबंटित किया गया था। इन्दिरा गांधी नहर परियोजना को पानी रावी व्यास नदियों के अधिशेष पानी में से उपलब्ध करवाया जाता है। बी.बी.एम.बी. द्वारा 8.0 एम.ए.एफ. के अनुसार ही राजस्थान को पानी आबंटित किया जा रहा है। वर्ष 1981 के इस जल समझौते में यह प्रावधान था कि जब तक राजस्थान अपने हिस्से के पूरे पानी को उपयोग करने की क्षमता अर्जित नहीं कर लेता तब तक पंजाब राजस्थान के हिस्से का 0.6 एम.ए.एफ. पानी का उपयोग कर सकेगा।

(2) जी हां। राजस्थान वर्ष 1991 से ही अपने पूर्ण हिस्से का पानी उपयोग करने की स्थिति में है तथा 0.6 एम.ए.एफ. पानी को रिस्टोर करवाने के लिए राज्य सरकार एवं मुख्यमंत्री स्तर से लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। राजस्थान सरकार द्वारा प्रेषित किये गये पत्रों की सूची परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है। वर्ष 2004 में पंजाब सरकार द्वारा पंजाब टर्मीनेशन आफ एग्रीमेंट एक्ट, 2004 पारित कर रावी व्यास नदियों से संबंधित सभी समझौतों, जिसमें वर्ष 1981 का समझौता भी शामिल है, को उनके निष्पादन की दिनांक से निरस्त कर दिया था। महामहिम राष्ट्रपति जी ने इस अधिनियम की संवैधानिक वैधता पर संविधान के अनुच्छेद 143 के अन्तर्गत राय हेतु प्रकरण दिनांक 22.07.2004 को उच्चतम न्यायालय भेजा, जो अभी तक माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है।

परिशिष्ट- “अ”

राजस्थान सरकार द्वारा किये गये प्रयासों हेतु प्रेषित किये गये पत्रों का विवरण

क्र. सं.	पत्र दिनांक	पत्र जिसके द्वारा प्रेषित किया गया	पत्र जिसको प्रेषित किया गया
1	2	3	4
1.	07.10.1994	मुख्यमंत्री, राजस्थान	केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री, भारत सरकार
2.	17.04.1998	मुख्यमंत्री, राजस्थान	प्रधानमंत्री, भारत सरकार
3.	23.12.1998	मुख्यमंत्री, राजस्थान	प्रधानमंत्री, भारत सरकार
4.	21.09.1999	मुख्यमंत्री, राजस्थान	मुख्यमंत्री, पंजाब सरकार
5.	29.04.2000	सिंचाई मंत्री, राजस्थान	केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री, भारत सरकार
6.	09.11.2000	सचिव सिंचाई, राजस्थान	अध्यक्ष, भाखडा व्यास प्रबन्धन मण्डल
7.	01.03.2001	मुख्यमंत्री, राजस्थान	प्रधानमंत्री, भारत सरकार
8.	08.01.2003	मुख्यमंत्री, राजस्थान	केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री, भारत सरकार
9.	08.05.2003	सचिव सिंचाई, राजस्थान	सचिव, जल संसाधन, भारत सरकार
10.	24.01.2004	मुख्यमंत्री, राजस्थान	केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री, भारत सरकार
11.	18.03.2004	मुख्यमंत्री, राजस्थान	केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री, भारत सरकार
12.	29.12.2004	सिंचाई मंत्री, राजस्थान	केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री, भारत सरकार
13.	23.05.2005	मुख्यमंत्री, राजस्थान	प्रधानमंत्री, भारत सरकार
14.	25.05.2005	सिंचाई मंत्री, राजस्थान	केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री, भारत सरकार

1	2	3	4
15.	03.11.2005	मुख्यमंत्री, राजस्थान	केन्द्रीय गृह मंत्री, भारत सरकार
16.	01.09.2006	मुख्यमंत्री, राजस्थान	केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री, भारत सरकार
17.	12.06.2007	मुख्यमंत्री, राजस्थान	प्रधानमंत्री, भारत सरकार
18.	12.06.2007	मुख्यमंत्री, राजस्थान	केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री, भारत सरकार
19.	09.06.2009	मुख्यमंत्री, राजस्थान	प्रधानमंत्री, भारत सरकार
20.	02.04.2010	मुख्यमंत्री, राजस्थान	प्रधानमंत्री, भारत सरकार
21.	06.07.2012	मुख्यमंत्री, राजस्थान	प्रधानमंत्री, भारत सरकार
22.	27.09.2012	मुख्यमंत्री, राजस्थान	केन्द्रीय विधि एवं न्याय मंत्री, भारत सरकार
23.	10.01.2013	मुख्यमंत्री, राजस्थान	केन्द्रीय विधि एवं न्याय मंत्री, भारत सरकार

अतारांकित प्रश्नोत्तर

बयाना (भरतपुर) की क्षतिग्रस्त पेयजल पाइप लाइनें

119. श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बयाना विधान सभा क्षेत्र के कस्बा बयाना की नई आवासीय कालोनियों में पेयजल की समस्या है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कालोनियों हेतु पानी की पाइप लाइन डलवाने का विचार रखती है? हां, तो कब तक?

(2) क्या यह सही है कि कस्बा बयाना की पुरानी कालोनियों में पानी की पाइप लाइन बहुत पुरानी एवं क्षतिग्रस्त है? यदि हां, तो क्या सरकार पुरानी पाइप लाइनों को बदलवाने का विचार रखती है? हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। नगरपालिका मण्डल, बयाना से प्राप्त सूचना के अनुसार नगरपालिका क्षेत्र बयाना में विगत 20 वर्षों से कोई भी आवासीय कालोनी विकसित नहीं हुई है। विधान सभा क्षेत्र बयाना के विभागीय पाइप्ड जल योजना से लाभान्वित बयाना कस्बे में 14 नलकूप एवं 2 खुले कुओं के माध्यम से निर्धारित मानक मात्रा एवं गुणवत्ता के अनुरूप प्रतिदिन (दिन में दो बार) पेयजल आपूर्ति होने के कारण कस्बे में पेयजल की वर्तमान में कोई समस्या नहीं है।

राज्य के शहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि पर विकसित एवं विकास प्राधिकरण/नगर विकास न्यास/नगर परिषद्/नगरपालिका आदि द्वारा अनुमोदित आवासीय कालोनियों में जन सहभागिता योजना अन्तर्गत पेयजल योजना प्रस्तावित करने एवं योजना क्रियान्वयन के सम्बन्ध में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा उक्त योजना की नीति जारी की हुई है, जो कि प्रचलन में है। इसके अतिरिक्त राज्य के शहरी क्षेत्रों में पेयजल परियोजनाओं से नहीं जुड़े हुए क्षेत्रों (अलाभान्वित क्षेत्रों) में टैंकर या कामन पाइन्ट पर नल/सिंगल फेज नलकूप के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया हुआ है।

(2) जी नहीं। बयाना कस्बे में समय-समय पर विस्तार होने एवं आबादी बढ़ने के फलस्वरूप बढ़ी हुई पेयजल मांग की पूर्ति हेतु विभाग द्वारा

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

कालान्तर में पेयजल स्रोत संवर्धन/पाइप लाइन सम्बन्धी कार्य पूर्ण कराये जाकर पेयजल आपूर्ति सामान्य एवं सुचारु रखी गई। कस्बे में विभाग द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप पेयजल आपूर्ति वर्तमान में सुनिश्चित की जा रही है।

बाड़मेर जिले में पाक विस्थापितों को आबंटित भूमि

120. श्री पदमाराम (चौहटन) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले में 1965 एवं 1971 में आये पाक विस्थापितों को भूमि आबंटन की गई है? यदि हां, तो किसके द्वारा, कहां एवं कितनी-कितनी? तत्सम्बन्धी दस्तावेज सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त आबंटित भूमि का प्रत्येक आबंटी को कब्जा दिया जा चुका है? यदि हां, तो कब एवं किसके द्वारा? तत्संबंधी दस्तावेज सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या ऐसे कोई आबंटी अब भी शेष हैं, जिनको कब्जा दिया जाना शेष है? यदि हां, तो किस कारण से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। बाड़मेर जिले में 1965 एवं 1971 में आये पाक विस्थापितों को भूमि आबंटित की गई थी। उक्त भूमि उप खण्ड अधिकारियों एवं 1971 में अतिरिक्त कलक्टर, बाड़मेर के द्वारा निम्नानुसार तहसीलवार भूमि आबंटित की गई थी :-

नाम तहसील	परिवार संख्या	आवंटित भूमि (बीघा)
सेड़वा	595	27287.11
चौहटन	1516	78975.00
शिव	1874	139734.07
बाड़मेर	42	3093.00
रामसर	318	14622.05
गुडामालानी	2	70.00

(राजस्व मंत्री)

इसी प्रकार उपनिवेशन विभाग, बीकानेर द्वारा इ.गा.न.प. उपनिवेशन क्षेत्र में निम्नानुसार उपनिवेशन तहसीलों में सम्बन्धित आबंटन अधिकारियों द्वारा पाक विस्थापितों को भूमि का आवंटन किया गया है :-

क्र. सं.	नाम उपनिवेशन तहसील	पाक विस्थापितों की संख्या	भूमि का विवरण (हैक्टेयर)		
			कमाण्ड	अनकमाण्ड	योग
1	2	3	4	5	6
1	कोलायत नं. 1	1307	6774	1249	8023
2	कोलायत नं. 2	280	1508	214	1722
3	कोलायत नं. 3	165	979	29	1008
4	पूगल- प्रथम चरण	76	396	80	476
	द्वितीय चरण	1336	6632	1741	8373

चूंकि प्रश्न में चाही गई तत्सम्बन्धी दस्तावेजों की सूचना 40 वर्ष से भी अधिक पुरानी है एवं 7000 से अधिक दस्तावेज होने से इनकी प्रतियां व्यावहारिक रूप से उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं हो पा रही हैं।

(2) जी हां। तहसील चौहटन के 6 एवं तहसील शिव के 29 परिवारों को छोड़कर शेष सभी आवंटित भूमि का कब्जा सम्बन्धित क्षेत्र के तहसीलदारों/पटवारियों द्वारा दिया जा चुका है। चूंकि प्रश्न में चाही गई तत्सम्बन्धी दस्तावेजों की सूचना 40 वर्ष से भी अधिक पुरानी है एवं 7000 से अधिक दस्तावेज होने से इनकी प्रतियां व्यावहारिक रूप से उपलब्ध कराया जाना सम्भव नही हो पा रही हैं।

(3) तहसील चौहटन के 6 एवं तहसील शिव के 29 व्यक्तियों को कब्जा दिया जाना शेष है। कब्जा नहीं दिये जाने का कारण मौके पर भूमि की अनुपलब्धता, दोहरा आबंटन तथा राष्ट्रीय मरू उद्यान के क्षेत्र में आबंटित क्षेत्र आ जाने से शेष रहे है। कब्जा दिये जाने से शेष की सूची परिशिष्ट "अ" एवं "ब" पर सलंग्न है।

परिशिष्ट "अ"

कब्जा देने में शेष व्यक्तियों की सूची
तहसील चौहटन जिला बाड़मेर

क्र. सं.	नाम ग्राम	नाम आबंटी मय पिता पति का नाम	आवप्ति खसरा नम्बर	रकबा	कब्जा नहीं होने के कारण
1.	गोहड़ का तला	विशना/राणा मेघवाल	101 103 41/44 3	23-17 14-11 12-12 51-00	DOUBLE आबंटन होने से इसी भूमि का आबंटन मोटू/मेहरण मेघवाल को हुआ था जिसका अमलदरामद हो चुका है एवं कब्जा भी दिया जा चुका है।
2.	गोहड़ का तला	पांचा/राणा मेघवाल	219	50-00	रेकार्ड में भूमि दर्ज है लेकिन मौके पर भूमि नहीं होने से कब्जा नहीं दिया गया है।
3.	बावड़ी कला	विशना/सुखा मेघवाल	174	50-00	आबंटी फौत होने से
4.	बावड़ी कला	सालू/सूखा मेघवाल	284	50-00	पूर्व में अन्य व्यक्तियों को आबंटन होने से रेकार्ड में भूमि उपलब्ध नहीं थी। (न्यायालय में मामला विचाराधीन था)
5.	बावड़ी कला	हमीरा/ गुणेशा मेघवाल	402	50-00	भूमि गोचर होने से अन्य भूमि आबंटन की गई थी जिसमें एक खसरा का नामकरण अन्य के नाम आबंटन होने से अमलदरामद होने से कब्जा नहीं दिया गया।
6.	रमजान की गफन	रिजू/ सीताराम दरोगा	89 2	51-02	आबंटन आदेश में दर्ज खसरा नम्बर की भूमि सिवायचक में नहीं होने से कब्जा नहीं दिया जाने के कारण।

परिशिष्ट “ब”

तहसील क्षेत्र शिव में वर्ष 1965 व 1971 के पाक शरणार्थी जिन्हें भूमि आवंटन की गयी किन्तु कब्जा नहीं दिया जा सका

क्र. सं.	नाम जिन्हें भूमि आबंटन की गयी	ग्राम नाम जहां भूमि आबंटन	खसरा नम्बर	कब्जा नहीं दिये जाने का कारण
1	2	3	4	5
1.	नारणा वल्द शेरा मेगवाल	रोहड़ी	3022	वक्त आबंटन आबंटी द्वारा कब्जा प्राप्त नहीं किया तत्पश्चात डी.एन.पी. घोषित होने से कब्जा दिया जाना सम्भव नहीं है।
2.	लिछमण वल्द शेरा मेगवाल	रोहड़ी	2964	वक्त आबंटन आबंटी द्वारा कब्जा प्राप्त नहीं किया तत्पश्चात डी.एन.पी. घोषित होने से कब्जा दिया जाना सम्भव नहीं है।
3.	प्रहलाद वल्द भुरा मेगवाल	रोहड़ी	4477	वक्त आबंटन आबंटी द्वारा कब्जा प्राप्त नहीं किया तत्पश्चात डी.एन.पी. घोषित होने से कब्जा दिया जाना सम्भव नहीं है।
4.	हंजु पत्नि कानजी मेगवाल	रोहड़ी	4477	वक्त आबंटन आबंटी द्वारा कब्जा प्राप्त नहीं किया तत्पश्चात डी.एन.पी. घोषित होने से कब्जा दिया जाना सम्भव नहीं है।
5.	जैता वल्द रिडमल मेगवाल	रोहड़ी	3536	वक्त आबंटन आबंटी द्वारा कब्जा प्राप्त नहीं किया तत्पश्चात डी.एन.पी. घोषित होने से कब्जा दिया जाना सम्भव नहीं है।

1	2	3	4	5
6.	उगा वल्द रिडमल मेगवाल	रोहड़ी	3539	वक्त आबंटन आबंटी द्वारा कब्जा प्राप्त नहीं किया तत्पश्चात डी.एन.पी. घोषित होने से कब्जा दिया जाना सम्भव नहीं है।
7.	मिश्रा वल्द रिडमल मेगवाल	रोहड़ी	3552	वक्त आबंटन आबंटी द्वारा कब्जा प्राप्त नहीं किया तत्पश्चात डी.एन.पी. घोषित होने से कब्जा दिया जाना सम्भव नहीं है।
8.	गोरखा वल्द दामा मेगवाल	रोहड़ी	3024	वक्त आबंटन आबंटी द्वारा कब्जा प्राप्त नहीं किया तत्पश्चात डी.एन.पी. घोषित होने से कब्जा दिया जाना सम्भव नहीं है।
9.	भमरा वल्द दामा मेगवाल	रोहड़ी	3024	वक्त आबंटन आबंटी द्वारा कब्जा प्राप्त नहीं किया तत्पश्चात डी.एन.पी. घोषित होने से कब्जा दिया जाना सम्भव नहीं है।
10.	पनु वल्द सतराम मेगवाल	रोहड़ी	3532	वक्त आबंटन आबंटी द्वारा कब्जा प्राप्त नहीं किया तत्पश्चात डी.एन.पी. घोषित होने से कब्जा दिया जाना सम्भव नहीं है।
11.	रणछा वल्द लीला मेगवाल	रोहड़ी	2986	वक्त आबंटन आबंटी द्वारा कब्जा प्राप्त नहीं किया तत्पश्चात डी.एन.पी. घोषित होने से कब्जा दिया जाना सम्भव नहीं है।
12.	दयाराम वल्द देदाराम मेगवाल	द्राभा	2851	वक्त आबंटन आबंटी द्वारा कब्जा प्राप्त नहीं किया तत्पश्चात डी.एन.पी. घोषित होने से कब्जा दिया जाना सम्भव नहीं है।

1	2	3	4	5
13.	कृष्ण वल्द भूरा मेगवाल	द्राभा	523	वक्त आबंटन आबंटी द्वारा कब्जा प्राप्त नहीं किया तत्पश्चात डी.एन.पी. घोषित होने से कब्जा दिया जाना सम्भव नहीं है।
14.	दयाराम वल्द कुभाराम मेगवाल	द्राभा	660	वक्त आबंटन आबंटी द्वारा कब्जा प्राप्त नहीं किया तत्पश्चात डी.एन.पी. घोषित होने से कब्जा दिया जाना सम्भव नहीं है।
15.	कालु वल्द रिडमल मेगवाल	द्राभा	660	वक्त आबंटन आबंटी द्वारा कब्जा प्राप्त नहीं किया तत्पश्चात डी.एन.पी. घोषित होने से कब्जा दिया जाना सम्भव नहीं है।
16.	भमरा वल्द महेशा मेगवाल	द्राभा	3377	वक्त आबंटन आबंटी द्वारा कब्जा प्राप्त नहीं किया तत्पश्चात डी.एन.पी. घोषित होने से कब्जा दिया जाना सम्भव नहीं है।
17.	राणा वल्द मासिंगा मेगवाल	द्राभा	374	वक्त आबंटन आबंटी द्वारा कब्जा प्राप्त नहीं किया तत्पश्चात डी.एन.पी. घोषित होने से कब्जा दिया जाना सम्भव नहीं है।
18.	पूजा वल्द कस्तूरा मेगवाल	द्राभा	354	वक्त आबंटन आबंटी द्वारा कब्जा प्राप्त नहीं किया तत्पश्चात डी.एन.पी. घोषित होने से कब्जा दिया जाना सम्भव नहीं है।
19.	वीरीया वल्द हकीम मेगवाल	नोपाट	463	वक्त आबंटन कब्जा प्राप्त नहीं किया।
20.	अगरा वल्द हकीम मेगवाल	नोपाट	463	वक्त आबंटन कब्जा प्राप्त नहीं किया।
21.	भुरदान वल्द माधुदान चारण	धारवीखुर्द	46/1	न्यायालय निर्णय अनुसार अन्य व्यक्ति के पक्ष में खातेदारी घोषित होने से।

1	2	3	4	5
22.	पुनमा वल्द उतमा गरूडा	पीथाकर	1015	वक्त आबंटन कब्जा प्राप्त नहीं किया।
23.	अर्जुन वल्द मेह्ला मेगवाल	पीथाकर	1015	वक्त आबंटन कब्जा प्राप्त नहीं किया।
24.	वीरमा वल्द भलु मेगवाल	पीथाकर	1023	वक्त आबंटन कब्जा प्राप्त नहीं किया।
25.	मूला वल्द आम्बा सुथार	पीथाकर	1003	वक्त आबंटन कब्जा प्राप्त नहीं किया।
26.	तोगा वल्द आम्बा सुथार	पीथाकर	1003	वक्त आबंटन कब्जा प्राप्त नहीं किया।
27.	मगा वल्द गोरधन सुथार	पीथाकर	1008	वक्त आबंटन कब्जा प्राप्त नहीं किया।
28.	बगता वल्द खेता सुथार	पीथाकर	1008	वक्त आबंटन कब्जा प्राप्त नहीं किया।
29.	सुखा वल्द किरता सुथार	पीथाकर	1016	वक्त आबंटन कब्जा प्राप्त नहीं किया।

तहसीलदार शिव

राजस्व न्यायालयों में लम्बित मुकदमों के त्वरित निस्तारण हेतु कार्य योजना

121. डा. फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्तमान में राज्य के राजस्व न्यायालयों में कितने मुकदमे लम्बित हैं एवं क्यों?

(2) राजस्व न्यायालयों में शीघ्र न्याय के लिए सरकार की क्या कार्य योजना है?

उत्तर

(1) राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर व जिलों की प्रशासनिक अदालतों में बकाया राजस्व प्रकरणों की वर्तमान कुल संख्या 3,65,836 है। जिनका विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

लम्बे समय तक प्रकरण लम्बित रहने के निम्न कारण हैं :-

1. अभिभाषकों द्वारा बार-बार न्यायिक कार्य का स्थगन
2. सरकार द्वारा सामयिक रूप से संचालित कार्यक्रम यथा राजस्व अभियान, अकाल राहत कार्य इत्यादि
3. पीठासीन अधिकारियों का प्रशासनिक कार्य में व्यस्त रहना
4. सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत आवेदन आने व उनके निस्तारण में लगने वाला समय
5. वाद पक्षकारान की मृत्यु हो जाने से उनके कायम मुकामान की लम्बे समय तक तलबी नहीं होना
6. राजस्व मण्डल में सदस्यगणों के पद रिक्त होना
7. पीठासीन अधिकारियों के समय-समय पर पद रिक्त रहना
8. पीठासीन अधिकारियों को आवश्यकतानुसार रीडर/स्टेनों/ स्टाफ की कमी होना

(2) राजस्व न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिये निम्न कदम उठाये गये हैं:-

1. राज्य में 50 नये सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) न्यायालय खोले गये।

(राजस्व मंत्री)

2. पीठासीन अधिकारी को सप्ताह में न्यूनतम 3 दिवस न्यायिक कार्य के लिये पाबन्द किया गया।
3. पीठासीन अधिकारियों के रिक्त पदों को नियमित भर्ती एवं पदोन्नति से भरा गया।
4. मण्डल द्वारा पीठासीन अधिकारियों द्वारा किये गये राजस्व प्रकरणों के निस्तारण पर त्रैमासिक/वार्षिक समीक्षा जारी कर ग्रेडिंग दी गई।
5. पीठासीन अधिकारियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में भी राजस्व प्रकरणों के निस्तारण का कालम जोड़ा गया है।

परिशिष्ट "अ"

क्र. सं.	नाम जिला	कुल बकाया
1	2	3
1.	राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर	59143
2.	अजमेर	8415
3.	अलवर	35894
4.	बांसवाड़ा	1309
5.	बारां	5903
6.	बाड़मेर	9791
7.	भरतपुर	20676
8.	भीलवाड़ा	13846
9.	बीकानेर	6405
10.	बून्दी	7252
11.	चित्तौड़गढ़	8693
12.	चूरू	4865
13.	दौसा	11935

1	2	3
14.	धौलपुर	2796
15.	डूंगरपुर	1396
16.	गंगानगर	7733
17.	हनुमानगढ़	7716
18.	जयपुर	34046
19.	जैसलमेर	958
20.	जालौर	4663
21.	झालावाड़	5258
22.	झुंझुनूं	10012
23.	जोधपुर (प्राप्ति दिनांक 22.2.13)	10497
24.	करौली (संशोधित)	4234
25.	कोटा	9215
26.	नागौर	12594
27.	पाली	9431
28.	प्रतापगढ़	3132
29.	राजसमन्द	4702
30.	स. माधोपुर	6275
31.	सीकर	17887
32.	सिरोही	2345
33.	टोंक	8044
34.	उदयपुर (संशोधित)	8775
	योग	**365836**

केशोरायपाटन में नहरों के जीर्णोद्धार कार्य पर व्यय राशि

122. श्री सी. एल. प्रेमी (केशोरायपाटन) : क्या सिंचित क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 2008 से दिसम्बर, 2012 तक सिंचित क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में कितनी लागत के कार्य करवाये गये? कार्यों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2012-13 के बजट में नहरों के जीर्णोद्धार हेतु स्वीकृत 1274 करोड़ रु. के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में कितनी लागत के व कौन से कार्य स्वीकृत किये गये व वर्ष 2012 में विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में नहरों के जीर्णोद्धार में कितनी राशि व्यय की गयी व कितने कार्यों की निविदा जारी की जा चुकी हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2008 से दिसम्बर, 2012 तक सीएडी विभाग, कोटा द्वारा विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में भूमि विकास वृत के अन्तर्गत राशि रुपये 1122.71 लाख तथा सिंचाई वृत के अन्तर्गत राशि रुपये 2705.22 लाख के कार्य सम्पादित करवाये गये। कार्यों की सूची क्रमश: परिशिष्ट "अ" एवं "ब" पर संलग्न है।

(2) माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2012-13 के बजट में नहरों के जीर्णोद्धार हेतु 1934.00 लाख रुपये के कार्य विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में स्वीकृत किये गये, जिनका विवरण परिशिष्ट "स" पर उपलब्ध है। वर्ष 2012 में विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में नहरों के जीर्णोद्धार में कोई व्यय नहीं किया गया। तीन कार्यों की निविदा प्रक्रियाधीन है। कार्यों की सूची परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रमान्तर्गत कार्यरत संविदा कर्मियों का स्थायीकरण

123. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

(1) क्या सरकार एन.आर.एच.एम. संविदा कर्मियों को स्थायी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त संविदा कर्मियों को नियमित करने के सम्बन्ध में तथा संविदा कर्मियों को मानदेय में अभिवृद्धि की मांग समय-समय पर की जाती है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी नहीं। अपितु एन आर एच एम के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा अन्य विभागों में विभिन्न केडर के 20985 नियमित पदों का रेप्सर एक्ट के अन्तर्गत सृजन किया गया है। इन पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जिनमें एन आर एच एम के तहत कार्यरत कार्मिकों को भी अवसर प्राप्त होंगे। प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। इन संविदा कार्मिकों के मानदेय में वर्ष 2010 में वृद्धि की गई है तथा नियमानुसार प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत तक मानदेय अभिवृद्वि किये जाने का प्रावधान है एवं समय-समय पर एन आर एच एम कर्मियों को वेतन वृद्धि दी जा रही है। जिनकी अभिवृद्धि बकाया है उन्हें भी नियमानुसार जारी करने के निर्देश जारी कर दिये गये हैं। जारी निर्देशों की प्रति परिशिष्ट-ब, स एवं द पर संलग्न है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों में कार्मिक/चिकित्सकों के रिक्त पद

124. श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में सरकारी चिकित्सा संस्थानों में कितने विशेषज्ञ चिकित्सक तथा चिकित्साधिकारी कार्यरत हैं? चिकित्सा संस्थानवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में सरकारी चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सा अधिकारी तथा श्रेणीवार विशेषज्ञ चिकित्सक के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं तथा उनमें से कितने-कितने पद रिक्त हैं? श्रेणीवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) चिकित्सा संस्थानों में डाक्टर व नर्स का क्या अनुपात निर्धारित

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

है तथा इसके विपरीत प्रदेश में चिकित्सा संस्थानों में वर्तमान स्थिति क्या है? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) प्रदेश में प्रति चिकित्सक तथा प्रति नर्स जनसंख्या का अनुपात कितना है? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत आने वाले चिकित्सकों के स्वीकृत, कार्यरत/पदस्थापित एवं रिक्त पदों का चिकित्सा संस्थानवार संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्व चिकित्सालयों में कार्यरत/पदस्थापित चिकित्सकों का संस्थानवार संख्या विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत आने वाले चिकित्सकों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का संख्या विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालयों में चिकित्सकों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का संख्या विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) चिकित्सा संस्थानों में डाक्टर व नर्स के अनुपात का कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं है।

प्रदेश में वर्तमान में कार्यरत/पदस्थापित चिकित्सकों एवं नर्स के अनुपात का जिलेवार संख्या विवरण परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(4) प्रदेश में वर्ष 2013 की अनुमानित जनसंख्या के आधार पर प्रति चिकित्सक एवं प्रति नर्स का जिलेवार संख्या विवरण परिशिष्ट-य पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सहाड़ा के चिकित्सालयों में विद्युत आपूर्ति हेतु कार्य योजना

125. श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सहाड़ा विधान सभा क्षेत्र के पंचायत मुख्यालयों पर संचालित किन-किन सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आयुर्वेद चिकित्सालयों में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी)

(2) क्या सरकार उक्त चिकित्सा केन्द्रों पर समुचित व्यवस्था पर मरीजों को इलाज सुलभ कराने की दृष्टि से 24 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन सहाड़ा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं। उक्त सभी में विद्युत कनेक्शन उपलब्ध है। जिसकी सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

सहाड़ा विधान सभा के अन्तर्गत पंचायत मुख्यालयों पर स्थित आयुर्वेद औषधालयों में 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति कि व्यवस्था है। जिसकी सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड भीलवाड़ा की सूचना के अनुसार वर्तमान में सभी पंचायत मुख्यालयों पर 24 घण्टे सिंगल फेस विद्युत आपूर्ति का निगम का प्रावधान है एवं लगभग 21-22 घण्टे विद्युत आपूर्ति दी जा रही है।

परिशिष्ट "अ"

विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में विद्युत कनेक्शन उपलब्ध है अथवा नहीं के संबंध में विवरण निम्न प्रकार है

क्र. सं.	पंचायत समिति का नाम	ग्राम पंचायत/ नगरपालिका का नाम	चिकित्सा संस्थान का नाम	विद्युत कनेक्शन हां/नहीं
1	2	3	4	5
1.	सहाड़ा	नगरपालिका गंगापुर	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गंगापुर	हां
2.	सहाड़ा	सहाड़ा	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सहाड़ा	हां
3.	सहाड़ा	पोटला	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पोटला	हां
4.	सहाड़ा	कोशीथल	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कोशीथल	हां

1	2	3	4	5
5.	सहाड़ा	महेन्द्रगढ़	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र महेन्द्रगढ़	हां
6.	सहाड़ा	आमली	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आमली	हां
7.	सहाड़ा	लाखोला	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लाखोला	हां
8.	रायपुर	रायपुर	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रायपुर	हां
9.	रायपुर	झाड़ोल	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र झडोल	हां
10.	रायपुर	कोट	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कोट	हां
11.	रायपुर	मोखुन्दा	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मोखुन्दा	हां
12.	रायपुर	आशाहोली	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आशाहोली	हां
13.	सुवाणा	हमीरगढ़	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हमीरगढ़	हां
14.	सुवाणा	गुरला	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गुरला	हां
15.	सुवाणा	कारोई	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र करोई	हां

परिशिष्ट "ब"

विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के अन्तर्गत आने वाले आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में विद्युत कनेक्शन उपलब्ध है अथवा नहीं के संबंध में विवरण निम्न प्रकार है :—

क्र. सं.	पंचायत समिति का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	चिकित्सा संस्थान का नाम	विद्युत कनेक्शन हां/नहीं
1	2	3	4	5
1.	सहाड़ा	सरगांव	सरगांव	हां
2.	रायपुर	देवरिया-रा	देवरिया-रा	हां
3.	रायपुर	बोराणा	बोराणा	हां
4.	रायपुर	सगरेव	सगरेव	हां

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

1	2	3	4	5
5.	सुवाणा	कारोई	कारोई	हां
6.	सुवाणा	भोपालगढ़ (गाडरमाला)	गाडरमाला	हां
7.	सुवाणा	औज्झाडा	तख्तपुरा	हां
8.	सुवाणा	हमीरगढ़	हमीरगढ़	हां

सवाईमाधोपुर जिले के पेंशनर्स को अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु कार्य योजना

126. **श्री अलाउद्दीन आजाद** (सवाई माधोपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पेंशनर्स को मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना से मुफ्त दवा देने के आदेश हैं?

(2) क्या यह सही है कि मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना में दवा उपलब्ध न होने पर दिनांक 8 अक्टूबर, 2011 के आदेश द्वारा दवा उपलब्ध कराने का प्रावधान है?

(3) क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर जिले में पेंशनर्स को 18 माह से दवाइयां उपलब्ध नहीं हो रही हैं? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि उक्त जिले में सभी उपभोक्ता भण्डार बन्द होने से पेंशनर्स को अनुपलब्धता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हो रहे हैं?

(5) क्या सरकार सवाई माधोपुर जिले के पेंशनर्स को समय पर नि:शुल्क वांछित दवाएं उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। सर्वाधिक उपयोग में आने वाली आवश्यक दवाइयां सभी मरीजों को (पेंशनर्स सहित) मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना के अन्तर्गत नि:शुल्क उपलब्ध कराई जा रही है।

(2) दिनांक 08.10.2011 का कोई आदेश नहीं है। परन्तु दिनांक 08.11.2011 के आदेशानुसार मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना में दवा अनुपलब्ध होने पर शेष दवाइयां उपभोक्ता संघ/भण्डार द्वारा पेंशनर्स को नि:शुल्क उपलब्ध करवाने का प्रावधान है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(3) पेंशनर्स को सवाई माधोपुर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार द्वारा पिछले 18 महीने से नहीं अपितु लगभग 8 माह से दवाइयां उपलब्ध नहीं करवाई जा रही हैं, क्योंकि भण्डार की बकाया लेनदारी बढ़ने से पर्याप्त फण्ड वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, परन्तु मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना के अन्तर्गत सर्वाधिक उपयोग में आने वाली आवश्यक दवाइयां पेंशनर्स को अस्पताल के द्वारा नि:शुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

उपरोक्त 8 महीनें से दवाइयां उपलब्ध नहीं होने के कारणों की जांच संभागीय आयुक्त द्वारा करवायी जा रही है।

(4) उपभोक्ता भण्डार की सभी दुकानें विगत 8 माह से बन्द होने के कारण अनुपलब्धता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं।

(5) जी हां। राज्य सरकार सवाई माधोपुर जिले के पेंशनर्स को समय पर नि:शुल्क दवाएं उपलब्ध कराने का विचार रखती है। सवाई माधोपुर जिले में उपभोक्ता होलसेल भण्डार की दुकानें बन्द हो जाने के कारण निविदाएं आमंत्रित कर प्राईवेट दवा की दुकानों से दवा उपलब्ध करवाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

बाड़मेर जिले में कार्यरत अतिरिक्त महिला स्वास्थ्यकर्ताओं का स्थानान्तरण प्रकरण

127. **श्री गोपाल मीणा** (जमवारामगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विभागीय स्थानान्तरण आदेश क्रमांक : अ.रा.ज./सामान्य/09/647 दिनांक 22 अक्टूबर, 2009 के क्र.सं. 274 द्वारा श्रीमती ममता मीणा, अतिरिक्त महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, रेलों की ढाणी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पादरू, जिला बाड़मेर का स्थानान्तरण रानीपुरा (टोंक) में किया गया था, किन्तु इनका पदस्थापन बाडमेर में होने के कारण इन्हें कार्यमुक्त नहीं किया गया था जबकि अन्य अतिरिक्त महिला स्वास्थ्यकर्ता पदमनी शर्मा, कृष्णा शर्मा, सुशीला साहू इत्यांदि को बाडमेर से टोंक के लिये एवं बबीता मीणा को बाड़मेर से अजमेर के लिये स्थानान्तारण पर कार्य मुक्त कर दिया गया था? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 2009, 2010 एवं 2011 में प्रतिबंधित जिलों से अतिरिक्त महिला स्वास्थ्यकर्ताओं के किये गये स्थानान्तरण पर कार्य

(श्री गोपाल मीणा)

मुक्त करने हेतु कोई प्रतिबन्ध नहीं था जबकि वर्तमान में कार्यमुक्त करने पर प्रतिबन्ध है? यदि हां, तो आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त जिलों से अतिरिक्त महिला स्वास्थ्यकर्ताओं की परेशानियों को देखते हुए प्रतिबन्ध हटाकर उक्त जिलों से किये गये स्थानान्तरण आदेशों के तहत सम्बन्धितों को कार्यमुक्त करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। निदेशालय के आदेश क्रमांक अ.रा.ज./सामान्य/09/647 दिनांक 22.10.2009 के क्रम संख्या 274 के द्वारा श्रीमती ममता मीणा का स्थानान्तरण उपकेन्द्र, रानीपुरा (टोंक) किया गया था। किन्तु श्रीमती मीणा बाड़मेर में अतिरिक्त महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर कार्यरत होने के कारण उक्त आदेश की शर्त संख्या 2 की पालना में इन्हें कार्यमुक्त नहीं किया गया।

उक्त के अलावा अन्य अतिरिक्त महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता जिनका स्थानान्तरण बाड़मेर/जैसलमेर जिले के अलावा अन्य जिलों में किये गये हैं, उनके स्थानान्तरण निदेशालय के आदेश क्रमांक अराज/सामान्य/2012/1630 दिनांक 31.12.2012 के द्वारा निरस्त किये जा चुके हैं। प्रति परिशिष्ट/-अ पर प्रस्तुत है।

श्रीमती पदमनी कुमारी जिला जैसलमेर में नियमित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर कार्यरत होने के कारण इन्हें कार्यमुक्त कर दिया गया ।

(2) राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.2(2) चिकि. एवं स्वा./ग्रुप-3/2009 दिनांक 26.08.2009 के द्वारा स्थानान्तरण हेतु निर्धारित परिधि के बिन्दु संख्या 9 में स्पष्ट निर्देश हैं कि जैसलमेर एवं बाड़मेर जिले के लिए स्वीकृत अतिरिक्त महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का अन्यत्र स्थानान्तरण नहीं किया जावे। प्रति परिशिष्ट-ब पर प्रस्तुत है।

(3) राज्य सरकार के द्वारा वर्ष 2005 में केवल बाड़मेर एवं जैसलमेर जिले के लिये ही अतिरिक्त महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के नियमित पद सृजित किये गये हैं। इन जिलों के अतिरिक्त प्रदेश में अन्य जिलों में यह पद सृजित नहीं है। इसलिए इनको कार्यमुक्त किया जाना सम्भव नहीं है।

परिशिष्ट-अ

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : अराज/सामान्य/2012/1630 दिनांक : 31.12.2012

आदेश

निदेशालय के विभिन्न आदेशों के तहत बाड़मेर एवं जैसलमेर जिले में कार्यरत निम्न अतिरिक्त महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के स्थानान्तरण आदेश प्रशासनिक कारणों से तुरन्त प्रभाव से निरस्त किये जाते हैं :—

क्र. सं.	निदेशालय के आदेश क्रमांक/दिनांक	नाम कर्मचारी	पूर्व पदस्थापन स्थान
1	2	3	4
1.	647/03.05.2008	भागमति यादव	सा. स्वा. केन्द्र, सिवाना, बाड़मेर
2.	15/06.01.2010	कृष्णा शर्मा	उपकेन्द्र, रोहिडी, शिव, बाड़मेर
3.	294/09.03.2010	मनोज कुमारी	उपकेन्द्र, खेड, बालोतरा, बाड़मेर
4.	667/21.04.2010	सीमा	उपकेन्द्र, तिरसिगी, बालोतरा, बाड़मेर
5.	825/26.05.2010	सुमन	उपकेन्द्र, बिठुजा, बालोतरा, बाड़मेर
6.	888/18.06.2010	मंजु	उपकेन्द्र, फुलन, सिवाना, बाड़मेर
7.	879/19.06.2010	बबीता मीणा	उपकेन्द्र, ढोक, चौहटन, बाड़मेर
8.	885/18.06.2010	अनिल कुमारी	उपकेन्द्र, हडवा, शिव, बाड़मेर
9.	965/08.07.2010	सुशिला मीणा	उपकेन्द्र, खारची, शिव, बाड़मेर
10.	1218/08.09.2010	अंगुरी देवी	उपकेन्द्र, पराडिया, चौहटन, बाड़मेर
11.	925/28.07.2009	सुनिता	उपकेन्द्र, सराणा, बालोतरा, बाड़मेर
12.	1403/18.11.2009	मंजु	उपकेन्द्र, जुना, पतरासर, बाड़मेर
13.	1273/23.09.2010	पुष्पा देवी राजपुत	उपकेन्द्र, गुठली, सिवाना, बाड़मेर
14.	888/12.04.2007	उर्मिला माहेश्वरी	उपकेन्द्र, तिलवाडा, बालोतरा, बाड़मेर

1	2	3	4
15.	694/22.03.2007	कंचन सांखला	उपकेन्द्र, घडसी का बाड़ा बालोतरा, बाड़मेर
16.	647/22.10.2009	सुशीला देवी	उपकेन्द्र, मीरवाला जैसलमेर
17.	650/22.10.2009	प्रेमलता	उपकेन्द्र, छायण, जैसलमेर

ह./-
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राजस्थान जयपुर

परिशिष्ट-ब

राजस्थान सरकार

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग

क्रमांक पं. 2(2) चिकि. एवं स्वा./ग्रुप-3/2000 जयपुर, दिनांक 26.08.09

आदेश

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के समस्त अराजपत्रित कर्मचारियों के सत्यापन किये जाने की पंक्तियों का विकेन्द्रीकरण प्रतिबन्ध खुलने की स्थिति में निम्नलिखित अधिकारियों को शक्तियां एतद् द्वारा प्रदत्त की जाती है :-

1. जिले में पदस्थापित कर्मचारियों का - जिला का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
2. सम्भाग में एक जिले से दूसरे जिले के कार्मिकों का - सम्भाग के संयुक्त निदेशक
3. निदेशालय में पदस्थापित कार्मिकों का - एक निदेशक (प्रशासक)
4. एक सम्भाग से दूसरे सम्भाग में पदस्थापित कार्मिकों का - निदेशक (एड्स)

स्थानान्तरण राज्य सरकार के पूर्व में जारी व पश्चातवर्ती आदेशों का पालन करते हुए निम्नलिखित परिधि में किये जावे :-

1. किसी भी कार्मिक को प्रतिनियुक्ति के नहीं रखा जावे।
2. किसी भी कार्मिक को आदेश की प्रतीक्षा में नहीं रखा जावे।
3. रिक्त पद पर/परस्पर स्थानान्तरण पर डी पदस्थापित किया जावे।
4. पति-पत्नी की एक ही जिले में पदस्थापित किया जाना चाहिये।

5. शिकायत/प्रशासनिक कारणों से स्थानान्तरण किये जा सकते है।
6. जिनकी सेवानिवृत्ति में एक वर्ष का समय शेष रह गया हो स्थानान्तरण नहीं किये जावे।
7. संविदा के कर्मचारियों का स्थानान्तरण नहीं होगा।
8. ग्रामीण सर्विस नियम 2008 के तहत नियुक्त नर्सिंग स्टाफ केवल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर होगा एवं पैरामेडिकल स्टाफ का पदस्थापन मेडिकल कालेज एवं जिला मुख्यालयों पर नहीं होगा।
9. जैसलमेर, बाडमेर के लिए स्वीकृत अतिरिक्त ए.एन.एम. का स्थानान्तरण नहीं किया जावे।

(आर.के. मीणा)

प्रमुख शासन सचिव

सूरसागर के चिकित्सालय भवनों के विस्तार कार्य हेतु जारी स्वीकृतियां

128. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में सेटेलाइट अस्पताल, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड और सिटी डिस्पेन्सरी, सूरसागर में चिकित्सालय भवन विस्तार कार्य हेतु राशि स्वीकृत की गई है? यदि हां, तो कब-कब एवं कितनी-कितनी?

(2) क्या उक्त कार्यों के लिए फेज वार नक्शे एवं तकमीने बनाये जा चुके हैं? यदि हां, तो दोनों ही कार्यों की तकनीकी स्वीकृति, नक्शा और प्रस्तावित कार्य की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त स्वीकृत राशि से कार्य निष्पादन हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, निविदा प्रकाशन एवं कार्यादेश कब-कब एवं कितनी-कितनी राशि के जारी किये गये? उक्त प्रक्रिया के प्रत्येक चरण को पूर्ण करने की निर्धारित समयावधि क्या थी और उक्त कार्यों को पूर्ण करने में निर्धारित समयावधि से कितना विलम्ब हुआ? विलम्ब के क्या कारण रहे और इस सम्बन्ध में कौन दोषी हैं?

(4) उक्त दोनों निर्माण कार्य अब कब तक प्रारम्भ कर दिये जायेंगे और कब तक पूर्ण कर दिए जाएंगे?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 18.10.2012 के द्वारा राजकीय चिकित्सालय चौपासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर के भवन निर्माण हेतु कुल प्रस्तावित राशि रुपये 250.00 लाख का 40 प्रतिशत राशि रुपये 100.00 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई। तत्पश्चात संशोधित स्वीकृति दिनांक 26.12.2012 के द्वारा भवन निर्माण हेतु कुल प्रस्तावित राशि रुपये 250.00 लाख में से चालू वित्तीय वर्ष में 40 प्रतिशत राशि रुपये 100.00 लाख एवं वर्ष 2013-14 में शेष 60 प्रतिशत राशि रुपये 150.00 लाख की स्वीकृति जारी की गई है।

राज्य सरकार के आदेश दिनांक 08.10.2012 के द्वारा राजकीय सिटी डिस्पेन्सरी सूरसागर जोधपुर के भवन निर्माण हेतु कुल प्रस्तावित राशि रुपये 118.15 लाख का 40 प्रतिशत राशि रुपये 47.26 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई। तत्पश्चात संशोधित स्वीकृति दिनांक 26.12.2012 के द्वारा भवन निर्माण हेतु कुल प्रस्तावित राशि रुपये 118.15 लाख में से चालू वित्तीय वर्ष में 40 प्रतिशत राशि रुपये 47.26 लाख एवं वर्ष 2013-14 में शेष 60 प्रतिशत राशि रुपये 70.89 लाख की स्वीकृति जारी की गई है।

(2) उक्त दोनों कार्यों के सम्पूर्ण नक्शे तैयार कर अनुमोदन करवाये जा चुके है, जिनकी छायाप्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

पूर्व में प्राप्त स्वीकृति अनुसार राजकीय चिकित्सालय चौपासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर का तकमीना तैयार कर सक्षम अधिकारी से स्वीकृत करवाया जा चुका था, जिसकी प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

सिटी डिस्पेन्सरी सूरसागर का तकमीना तैयार किये जाने का कार्य प्रगति पर था। इस दौरान संशोधित स्वीकृति प्राप्त होने पर संशोधित तकमीने तैयार किये जा रहे हैं।

(3) राजकीय चिकित्सालय चौपासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर के भवन निर्माण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि रुपये 100.00 लाख की दिनांक 18.10.2012 के द्वारा जारी की गई। प्रस्तावित राशि अनुसार सम्पूर्ण नक्शे तैयार कर अनुमोदन करवाये गये एवं स्वीकृत राशि अनुसार कार्य का तकमीना तैयार कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन करवाया गया, जो परिशिष्ट-अ एवं ब पर संलग्न है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

उक्त कार्य हेतु अधीक्षण अभियन्ता, सा.नि.वि. वृत जोधपुर द्वारा निविदा सूचना संख्या 6/2012-13 जारी की गयी है, जिसकी निविदा दिनांक 22.02.2013 तक विक्रय की जाकर दिनांक 26.02.2013 को खोली जानी नियत थी, इसी दौरान दिनांक 26.12.2012 के द्वारा संशोधित स्वीकृति राशि रुपये 250.00 लाख जारी की गई। तदानुसार कार्य का संशोधित तकमीना तैयार कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन करवाया जावेगा। अब उक्त कार्य की निविदा दिनांक 11.03.2013 से 10.04.2013 तक विक्रय की जाकर दिनांक 12.04.2013 को अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता. कार्यालय में पोटेन्शियल बीड खोला जाना नियत है। अत: इस प्रकार उक्त कार्य में विलम्ब हेतु कोई दोषी नहीं है।

राजकीय सिटी डिस्पेन्सरी सूरसागर जोधपुर के भवन निर्माण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि रुपये 47.26 लाख की दिनांक 08.10.2012 के द्वारा जारी की गई। प्रस्तावित राशि अनुसार सम्पूर्ण नक्शे तैयार करने हेतु मुख्य वास्तुविद् जयपुर को भेजी जाकर ड्राइंग डिजाइन तैयार करवायी गयी एवं कार्य का तकमीना तैयार किये जाने का कार्य प्रगति पर था। इसी दौरान दिनांक 26.12.2012 के द्वारा संशोधित स्वीकृति राशि रुपये 118.15 लाख की जारी की गई। तदानुसार कार्य का संशोधित तकमीना तैयार कर शीध्र निविदा वृत स्तर पर जारी की जा रही है। अत: इस प्रकार उक्त कार्य में विलम्ब हेतु कोई दोषी नहीं है।

(4) उक्त दोनों कार्य की सफलतम निविदा प्राप्त होने पर माह मई 2013 तक कार्य प्रारम्भ किये जाने की पूर्ण संभावना है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

स्वाइन फ्लू पर नियंत्रण हेतु कार्य योजना

129. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में वर्ष 2009 से जनवरी, 2013 तक स्वाइन फ्लू से कितने रोगियों की मृत्यु हुई? उक्त अवधि में स्वाइन फ्लू संक्रमण के कितने रोगियों का उपचार किया गया? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त अवधि में स्वाइन फ्लू की रोकथाम के लिए क्या प्रयास किये गये एवं क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

(3) स्वाइन फ्लू से उदयपुर संभाग में जिला अनुसार उक्त अवधि में संक्रमित रोगियों की संख्या, उपचारित रोगियों की संख्या एवं मृत रोगियों की संख्या कितनी-कितनी रही है? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान में 01 अप्रैल, 2009 से 31 जनवरी, 2013 तक स्वाइन फ्लू से हुई मृत्यु एवं उपचार किये गये रोगियों का वर्षवार संख्या विवरण निम्न प्रकार है :-

वर्ष	स्वाइन फ्लू से हुई मृत्यु	उपचार किये गये रोगियों की संख्या
2009-10	198	3373
2010-11	105	1384
2011-12	20	100
2012-13 (31.1.2013)	119	639

(2) राज्य में स्वाइन फ्लू की रोकथाम के लिए निम्न प्रयास किए गए एवं किए जा रहे हैं :-

- राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कालेजों, जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्वाइन फ्लू की नि:शुल्क दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।
- राज्य के सभी राजकीय मेडिकल कालेजों के संलग्न अस्पतालों, जिला अस्पतालों, अधिकृत निजी अस्पतालों पर स्वाइन फ्लू के मरीजों के लिये अलग से आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं जहां पर स्वाइन फ्लू के पाजिटिव मरीजों को अलग से रखा जाता है।
- राज्य के सभी मेडिकल कालेजों के संलग्न अस्पतालों, जिला अस्पितालों व अधिकृत निजी अस्पतालों में स्वाइन फ्लू के

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

गम्भीर रोगियों हेतु वेंटिलेटर अलग से आरक्षित किये गये है।

- जिला अस्पंतालों, सेटेलाइट अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर सर्दी, जुखाम, खांसी, बुखार, गले में खराश जैसे लक्षण वाले मरीजों को संभावित रोगी मानते हुए स्वाइन फ्लू का उपचार नि:शुल्क उपलब्ध करवाया जाता है।
- जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सेटेलाइट अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्वाइन फ्लू के गम्भीर मरीजों को तुरन्तक सम्भागीय मेडिकल कालेजों के संलग्न अस्पतालों के लिए रेफर किया जाता है।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सेटेलाइट अस्पतालों, जिला अस्पतालों से मेडिकल कालेजों के संलग्न अस्पतालों को रेफर किये गये मरीजों की ट्रेकिंग करने के निर्देश दिये गये हैं ताकि पता चल सके कि मरीज मेडिकल कालेजों के संलग्न अस्पतालों में जाकर उपचार प्राप्त कर रहा है अथवा नहीं।
- सभी सरकारी मेडिकल कालेज, डीएमआरसी जोधपुर व तीन अधिकृत निजी लेब क्रमश: डा. लाल पेथ लेब, एरोप्रोब लेब व एस.आर.एल. लेब में स्वाइन फ्लू रोग की जांच सुविधा उपलब्ध है।
- सभी जिला अस्पतालों पर स्वाइन फ्लू संभावित मरीजों के जांच नमूने लेने हेतु संग्रहण केन्द्र बनाया हुआ है ताकि संदिग्ध स्वाइन फ्लू के रोगियों के सेम्पल लेकर सम्भागीय मेडिकल कालेजों में जांच हेतु भिजवाए जा सकें।
- स्वाइन फ्लू जांच रिपोर्ट में पाजिटिव केस आने पर अथवा स्वाइन फ्लू से मृत्यु हो जाने पर मरीज के निजी सम्पर्क में आने वाले परिवार के सदस्यों एवं उनके घर के आस-पास के 100 घरों का सर्वेक्षण करके इन्फ्लूएन्जा लाइक इलनेस (आईएलआई) लक्षण वाले रोगियों को स्वाइन फ्लू का उपचार नि:शुल्क उपलब्ध करवाया जा रहा है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

- सभी जिला स्तर व ब्लाक स्तर पर रेपिड रेस्पोन्सई टीम (आरआरटी) का गठन किया हुआ है जो स्वाइन फ्लू पाजिटिव केस/स्वाइन फ्लू से मृत्यु होने पर उसके घर के आस-पास के 100 घरों का सर्वेक्षण उपचार प्रचार-प्रसार स्वाइन फ्लू से बचाव आदि के बारे में आवश्यक जानकारियां उपलब्ध करवाते हैं।
- अधिकृत निजी अस्पतालों को उनकी मांग पर स्वाइन फ्लू के उपचार हेतु स्वाइन फ्लू की दवाइयां नि:शुल्क उपलब्ध करवाई जाती हैं।
- राज्य स्तर पर तथा जिला स्तर पर कन्ट्रोल रूम एवं टोल फ्री नं. 104 कार्यरत है जिनके द्वारा स्वाइन फ्लू के बारे में आवश्यक जानकारियां/लक्षण, बचाव व उपचार आदि के बारे में जानकारियां उपलब्ध करवाई जाती हैं।
- मेडिकल कालेजों के संलग्न अस्पतालों/जिला अस्पतालों/ सेटेलाइट अस्पतालों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर (ए.एन.सी) चेकअप के लिए आने वाली गर्भवती महिलाओं में सर्दी जुखाम, बुखार आदि लक्षण पाये जाने पर संभावित मानते हुए स्वाइन फ्लू का उपचार नि:शुल्क उपलब्ध करवाया जा रहा है।
- राज्य सरकार द्वारा 05 वर्ष से छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं, 65 वर्ष से अधिक आयु वाले बुजुर्ग, बी.पी.एल. परिवार के सदस्यों को व अस्पताल में भर्ती मरीजों तथा कैन्सर स्टेज-2 से पीड़ित, किडनी व लीवर फेलियर मरीजों को जांच की सुविधा नि:शुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है।
- आई.ई.सी. -
- प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से स्वाइन फ्लू के लक्षण, उपचार व बचाव के बारे में जन साधारण को आवश्यक जानकारियां उपलब्ध कराई जा रही हैं।
- इलैक्ट्रोनिक मीडिया, दूरदर्शन व अन्य माध्यम से स्वाइन फ्लू के बारे में आवश्यक जानकारियां जन साधारण को उपलब्ध कराई जा रही हैं।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

- पम्पलेटों के माध्यम से भी जन साधारण को स्वाइन फ्लू के बारे में आवश्यक जानकारियां उपलब्ध कराई जा रही हैं।
- रेपिड रेस्पोंस टीमों द्वारा भी सर्वेक्षण के समय जन साधारण को स्वाइन फ्लू के बारे में आवश्यक जानकारियां दी जा रही हैं।
- प्रशासन गांवों के संग के अन्तर्गत लगने वाले कैंपों में स्वाइन फ्लू के प्रचार-प्रसार व उपचार के बारे में आवश्यक जानकारियां दी जा रही हैं।
- राज्य के सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारियों को निदेशालय स्तर से आईसोलेशन वार्ड, आईसीयू वार्ड, वेन्टीलेटर, आवश्यक दवाइयां, नियंत्रण कक्ष, जांच की सुविधा एवं नि:शुल्क उपचार की सुविधा सुनिश्चित करने हेतु पुन: दिशा-निर्देश दिये गये हैं।
- निदेशालय स्तर से समय-समय पर अतिरिक्त निदेशक (ग्रामीण स्वास्थ्य), संयुक्त निदेशक (ग्रामीण स्वास्थ्य) तथा संयुक्त निदेशक (मलेरिया) को स्वाइन फ्लू की मोनिटरिंग एवं प्रभावी निगरानी हेतु जोधपुर, कोटा, उदयपुर एवं बीकानेर संभाग में भेजा गया।
- दिनांक 26.1.2013 से 28.1.2013 तक जोधपुर जिले में स्वाइन फ्लू की मोनिटरिंग एवं समीक्षा हेतु निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा भ्रमण किया गया :-

  अ. प्रमुख शासन सचिव, (चिकित्सा शिक्षा) विभाग, राजस्थान जयपुर।

  ब. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।

  स. निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर।

  द. अतिरिक्त निदेशक (ग्रामीण स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर।

  य. संयुक्त निदेशक (ग्रामीण स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

- दिनांक 26.1.2013 से 28.1.2013 तक निदेशक (एड्स) द्वारा बीकानेर जिले का भ्रमण कर स्वाइन फ्लू की मानिटरिंग एवं समीक्षा की गई तथा मिशन निदेशक (एनआरएचएम) के द्वारा दिनांक 01.02.2013 को बीकानेर में स्वाईन फ्लू की मॉनिटरिंग एवं समीक्षा की गई।
- मेडिकल कालेज जयपुर से भी विशेषज्ञों द्वारा जोधपुर मेडिकल कालेज से संलग्न अस्पतालों में स्वाइन फ्लू के रोगियों की समीक्षा की गई।

  समय-समय पर माननीय मुख्य मंत्री महोदय, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय, माननीय चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय, माननीया संसदीय सचिव महोदया एवं मुख्य सचिव महोदय के द्वारा भी स्वाइन फ्लू के सम्बन्ध में समीक्षा करने हेतु बैठक आयोजित कर स्वाइन फ्लू रोकथाम हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

(3) स्वाइन फ्लू से उदयपुर संभाग में 01 अप्रैल, 2009 से 31 जनवरी, 2013 तक कुल 352 पाजिटिव रोगी पाए गए तथा 352 संक्रमित रोगियों को उपचारित किया गया एवं 37 रोगियों की मृत्यु हुई है। जिसका जिलेवार एवं वर्षवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

परिशिष्ट "अ"

Districtwise Statement of Positive Cases, Treated & Deaths of Influenza A (H1 N1) of Udipur Zone from 01.04.2009 to 31.01.2013

S. No.	District	01.04.09 to 31.03.10			01.04.10 to 31.03.11			01.04.11 to 31.03.12			01.04.12 to 31.01.13		
		Positive	Treated	Death	Positive	Treated	Death	Positive	Treated	Death	Positive	Treated	Death
1.	Udaipur	137	137	5	115	115	10	0	0	0	27	27	5
2.	Banswara	2	2	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0
3.	Chittorgarh	25	25	5	19	19	5	0	0	0	2	2	1
4.	Dungarpur	1	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
5.	Pratapgarh	0	0	0	3	3	1	0	0	0	0	0	0
6.	Rajsamand	8	8	3	7	7	1	0	0	0	2	2	0
Total		**173**	**173**	**13**	**148**	**148**	**18**	**0**	**0**	**0**	**31**	**31**	**6**

No. of Total Positive Cases from 01.04.2009 to 31.01.2013=352
No. of Total Treated Patients from 01.04.2009 to 31.01.2013=352
No. of Total Deaths from 01.04.2009 to 31.01.2013=37

प्रदेश के सरकारी व निजी ब्लड बैंकों के निरीक्षण हेतु कार्य योजना

130. श्री अनिल जैन (खानपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश के किस-किस जिले में कितने सरकारी तथा निजी ब्लड बैंक संचालित हैं? जिलेवार, नाम पते सहित सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) ब्लड बैंकों में खून संरक्षित करने तथा संक्रमण से बचाने की तकनीक के नवीनीकरण एवं सतत् निरीक्षण हेतु क्या प्रक्रिया एवं नियम निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार ब्लड बैंकों में आमजन की सुविधा हेतु ब्लड समूहों की मात्रा तथा उपलब्धता का सूचना पट्ट लगवाने के निर्देश जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में 48 सरकारी तथा 40 निजी ब्लड बैंक संचालित हैं। जिलेवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) राज्य में संचालित ब्लड बैंकों में खून संरक्षित करने एवं संक्रमण से बचाने के लिए ब्लड बैंकों द्वारा अपनाये जाने वाले मानदण्डों का विवरण औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के नियम 1945 के शिड्यूल एफ के पार्ट 12-बी में उल्लिखित है जिसकी प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

ब्लड बैंकों का निरीक्षण औषधि नियंत्रण अधिकारी/सहायक औषधि नियंत्रक एवं ब्लड सेफ्टी आफिसर (एड्स कन्ट्रोल सोसायटी) द्वारा किया जाता है।

(3) राजस्थान स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन कौंसिल ने पत्र क्रमांक 3342 दिनांक 02.11.2010 के द्वारा पूर्व में ही राज्य के सभी ब्लड बैंकों को ब्लड बैंक में संग्रहित ब्लड यूनिटों के स्टाक की जानकारी ब्लड बैंक के बाहर युक्तियुक्त स्थान (दैनिक सूचना पट्ट) पर डिस्पले करवाने के निर्देश जारी कर दिये गये हैं। प्रति परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सिवाना के चिकित्सालयों में रिक्त पद

131. श्री कानसिंह कोटड़ी (सिवाना) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री कानसिंह कोटड़ी)

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा गत चार वर्षों में विधान सभा क्षेत्र सिवाना में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले गए व क्रमोन्नत किये गये हैं? यदि हां, तो 1 जनवरी, 2009 से 31 दिसम्बर, 2012 तक कितने नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले व क्रमोन्नत किये गये? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र सिवाना के उप स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर दिनांक 1 जनवरी, 2009 व 31 दिसम्बर, 2012 को अधिकारियों/चिकित्सकों व कर्मचारियों के स्वीकृत/कार्यरत व रिक्त पदों का पृथक्-पृथक् विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सिवाना में 1 जनवरी, 2009 से 31 दिसम्बर, 2012 तक कुल 21 उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किये गये हैं। स्वीकृत किये गये उप स्वास्थ्य केन्द्रों के नामों का स्वीकृति वर्ष सहित संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

विधान सभा क्षेत्र सिवाना में उक्त अवधि में उप स्वास्थ्य केन्द्र को क्रमोन्नत नहीं किया गया है।

(2) विधान सभा क्षेत्र सिवाना के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों में स्टाफ के स्वीकृत, कार्यरत/पदस्थापित एवं रिक्त पदों का दिनांक 1 जनवरी, 2009 की स्थिति में चिकित्सा संस्थानवार संख्या विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

विधान सभा क्षेत्र सिवाना के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों में स्टाफ के स्वीकृत, कार्यरत/पदस्थापित एवं रिक्त पदों का दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 की स्थिति में चिकित्सा संस्थानवार संख्या विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर जिले में निर्मित सड़कों की गुणवत्ता की जांच

132. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार द्वारा सड़क निर्माण हेतु गुणवत्ता के मानदण्ड निर्धारित हैं? यदि हां, तो क्या-क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

(2) क्या सरकार द्वारा गत चार वर्षों में जयपुर में सड़क गुणवत्ता की समय-समय पर जांच की गई है? यदि हां, तो कहां-कहां पर एवं कहां-कहां पर अनियमितताएं पाई गई तथा सम्बन्धित ठेकेदार के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा की गई जांच में पाई गई अनियमितता में किसी कम्पनी एवं ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किया गया है? यदि हां, तो किस-किस को व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सड़क निर्माण हेतु गुणवत्ता के मानदण्ड इण्डियन रोड कांग्रेस की विशिष्टियों के अनुरूप निर्धारित है। जिनका विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। गत चार वर्षों में जयपुर जिले में स्वीकृत समस्त 497 सड़क कार्यों की गुणवत्ता की समय-समय पर जांच की गई है, जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई जिसके फलस्वरूप किसी भी ठेकेदार के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(3) जांच में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई है, अत: किसी भी कम्पनी एवं ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अलवर जिले में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत निर्मित सड़कें

133. **डा. जसवन्त सिंह यादव** (बहरोड़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील बहरोड़, जिला अलवर में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत गत पांच वर्ष में कौन-कौनसी सड़कें स्वीकृत हुई एवं कौन-कौनसी सड़कों का निर्माण किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त सड़कों की गारंटी अवधि क्या है तथा गारंटी अवधि में उक्त सड़कों की मरम्मत/सुदृढ़ीकरण किस अधिकारी की मोनिटरिंग में की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त सड़कें काफी क्षतिग्रस्त एवं मरम्मत

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

योग्य हैं? यदि हां, तो पेचवर्क/मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण कार्य कब तक करवा दिया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) तहसील बहरोड़ जिला अलवर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत गत पांच वर्ष में कुल 3 सड़कें स्वीकृत हुई हैं। विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) उक्त सड़कों की गारण्टी अवधि कार्य पूर्ण होने के पश्चात पांच वर्ष है। गारण्टी अवधि में सड़कों की मरम्मत/सुदृढ़ीकरण की मोनीटरिंग अधिशासी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड बहरोड़ द्वारा की जा रही है। विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(3) जी नहीं। उक्त सड़क संवेदक की गारण्टी अवधि में है तथा संवेदक के द्वारा मरम्मत एवं संधारण का कार्य समय-समय पर आवश्यकतानुसार किया जा रहा है।

परिशिष्ट-1

तहसील बहरोड़ जिला अलवर में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत पांच वर्ष में स्वीकृत सड़कों का विवरण

क्र. सं.	सड़क का नाम	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृत लम्बाई (किमी)	स्वीकृत राशि (रु. लाख)	गारन्टी अवधि	विशेष विवरण
1.	सुदृढ़ीकरण एवं रिनीवल कांकर से शाहजहांपुर कि.मी. 0/0 से 10/150	2008-09	10.15	259.39	06.04.15	निर्माण कार्य दिनांक 07.04.2010 को पूर्ण हुआ तथा सड़क वर्तमान में संवेदक की गारन्टी अवधि में है।
2.	सम्पर्क सड़क डी.एच. नांगल	2012-13	1.55	36.02	—	कार्य की निविदा प्राप्त कर ली गई है तथा स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।
3.	सम्पर्क सड़क कुन्दनसिंहपुरा	2012-13	1.50	40.49	—	

बूंदी के धार्मिक स्थलों हेतु सड़क निर्माण कार्य

134. श्री अशोक डोगरा (बूंदी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र बूंदी में गत चार वर्षों में विधायक की अनुशंसा पर धार्मिक स्थलों को सड़क से जोड़ने की योजना में कितनी सड़कें कितनी-कितनी राशि की स्वीकृत हुईं?

(2) ग्राम पंचायत लीलेडा व्यासान में गांव के स्कूल से रक्त्या भैरूजी तक सड़क का निर्माण कब प्रारम्भ हुआ था तथा कब तक पूरा हो जावेगा?

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा गत वर्षों में प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 16 किमी. सड़कों के प्रस्ताव मांगे गये थे, जिसमें से विधान सभा क्षेत्र बूंदी में 8 किमी. सडकों के ही कार्य हुए हैं तथा शेष 8 किमी. की सड़क का कार्य कब प्रारम्भ हो जावेगा तथा कब तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बूंदी में विधायक की अनुशंसा पर धार्मिक स्थलों को सड़क से जोड़ने की योजना में 2 सड़क कार्य निम्नानुसार स्वीकृत हुये थे:-

क्र. सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (रु. लाख)	स्वीकृत लम्बाई (किमी.)
1	नीम का खेड़ा से झरोली माताजी	59.73	3.00
2	लीलेड़ा व्यासान से बाबा रक्त्या भैरुजी	65.23	2.60
	योग	**124.96**	**5.60**

(2) ग्राम पंचायत लीलेडा ब्यासान में गांव के स्कूल से रक्त्या भैरुजी तक सड़क का निर्माण कार्य दिनांक 06.08.2011 को प्रारम्भ किया गया था, जो दिनांक 30.04.2013 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

(3) जी हां। विधान सभा क्षेत्र बूंदी में शेष 8 कि.मी. लम्बाई की मिसिंग लिंक सड़कों की चतुर्थ बार निविदायें दिनांक 05.02.2013 को आमंत्रित की गई हैं, जो कि दिनांक 26.02.2013 को प्राप्त की जानी हैं। निविदा स्वीकृति पश्चात् कार्य प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

टोडा-मालपुरा रोड (बूंदी) का निर्माण कार्य

135. **श्री रणवीर पहलवान** (मालपुरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दूदू-छान वाया मालपुरा-टोडारायसिंह स्टेट हाइवे पर टोडारायसिंह उपखण्ड अन्तर्गत टोडा-मालपुरा रोड का कार्य अभी तक शुरू नहीं किया गया है? यदि हां, तो उक्त कार्य का ठेका किस फर्म को कब दिया गया? सम्बन्धित फर्म द्वारा उक्त कार्य को क्यों नहीं किया जा रहा है? अब यह कार्य कब तक पूर्ण कर दिया जावेगा?

(2) क्या यह सही है कि उक्त मार्ग के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कार्य पूर्ण किया जा चुका है? यदि हां, तो इस तरह के कार्य को लम्बे समय से शुरु नहीं करने वाले ठेकेदार/फर्म के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। दूदू-छान वाया मालपुरा टोडारायसिंह स्टेट हाइवे पर टोडारायसिंह उपखण्ड के अन्तर्गत टोडा-मालपुरा सड़क पर स्टेट हाइवे (प्लान) योजनान्तर्गत कार्य प्रगति पर है तथा मैसर्स राठौड़ कान्ट्रेक्टर टोडारायसिंह द्वारा अनुबन्धानुसार 13 कि.मी. लम्बाई में दिनांक 20.04.2013 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

(2) जी हां। उक्त मार्ग पर उपखण्ड मालपुरा के अन्तर्गत स्टेट हाइवे (प्लान) योजनान्तर्गत कि.मी. 16/0 से 58/0 के भाग में 31.50 कि.मी. लम्बाई में से मैसर्स बी. गौतम ने 29.50 कि.मी. लम्बाई में कार्य पूर्ण कर दिया है। शेष 2 कि.मी. का कार्य अनुबन्धानुसार मार्च, 2013 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

सीकर जिले की जीणमाता से मन्डोली सड़क की प्रस्तावित चौड़ाई

136. **श्री बंशीधर खण्डेला** (खण्डेला) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला सीकर के हर्ष पहाड़ को काट कर सड़क को चौड़ा कर संभावित दुर्घटनाओं को रोकने का प्रयास किया गया है? यदि हां, तो कब?

(2) क्या सरकार जीणमाता से माण्डोली, हर्ष एवं सीकर जाने वाले कम चौड़ाई के रास्ते को चौड़ा कर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जिला सीकर में स्थित हर्ष पहाड़ को यातायात की सुगमता हेतु वर्ष 2008-09 में 2.50 मीटर चौड़ाई में काटकर, सीकर-हर्ष सड़क को 3.00 मीटर से 5.50 मीटर में चौड़ाइकरण करके डामरीकरण का कार्य पी.एम.जी.एस.वाई. (अपग्रेडेशन) योजनान्तर्गत किया गया है।

(2) जी हां। जीणमाता से माण्डोली हर्ष एवं सीकर जाने वाले रास्ते में पहाड़ी क्षेत्र में डामर सड़क की चौड़ाई 3.75 मीटर तथा लम्बाई 2.70 कि.मी. है। यातायात की सुगमता हेतु इसका चौड़ाइकरण राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में नियमित विद्युत आपूर्ति हेतु कार्य योजना

137. श्री ओम बिरला (कोटा-दक्षिण) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) दिसम्बर, 2008 से जनवरी, 2013 तक प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू बिजली (सिंगल फेज) औसतन कितने घंटे उपलब्ध करायी गई? डिस्कामवार, माहवार, जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) दिसम्बर, 2008 से जनवरी, 2013 तक कृषि कार्यों के लिए किसानों को प्रतिदिन कितने घंटे के हिसाब से औसतन बिजली उपलब्ध करायी गई? डिस्कामवार/वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) कृषि कार्यों के लिए विद्युत आपूर्ति का समय किस प्रकार से तय किया जाता है तथा उसके अन्तर्गत औसतन कितने घंटे बिजली रात्रि के समय किसानों को उपलब्ध कराई गई? डिस्कामवार मार्च, 2011 से जनवरी, 2013 तक का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा अप्रैल, 2013 तक राज्य के सभी गांवों में शहरों की भांति 24 घंटे घरेलू बिजली उपलब्ध कराना व कृषि कार्यों के लिए किसानों को 8 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से निरन्तर व नियमित बिजली उपलब्ध कराये जाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो तत्सम्बन्धी निर्णय/योजना की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) प्रदेश में कितने गांव/ढाणियों का विद्युतीकरण किया जाना शेष है? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि सरकार के संकल्प अनुसार दिसम्बर, 2013 तक प्रदेश के सभी गांव/ढाणियों का विद्युतीकरण किया जाना प्रस्तांवित है?

(श्री ओम बिरला)

यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? तत्सम्बन्धी योजना की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) दिसम्बर, 2008 से जनवरी, 2013 तक प्रदेश के तीनों विद्युत वितरण निगमों के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में की गई विद्युत आपूर्ति (सिंगल फेज) का विवरण प्रपत्र-'अ' पर उपलब्ध है।

(2) दिसम्बर, 2008 से जनवरी, 2013 तक प्रदेश के तीनों विद्युत वितरण निगमों के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्यों के लिए किसानों को की गई विद्युत आपूर्ति का विवरण प्रपत्र 'ब' पर उपलब्ध है।

(3) कृषि कार्यों के लिए विद्युत आपूर्ति का समय विद्युत उपलब्धता एवं स्थापित विद्युत तंत्र की क्षमता अनुसार राज्य के सभी क्षेत्रों में समान रूप से तय किया जाता है। वर्तमान में कृषि कार्य हेतु रात्रि के समय में औसतन 7 घंटे विद्युत उपलब्ध कराई जा रही है।

कृषि कार्यों के लिए विद्युत आपूर्ति का समय राज्य के सभी जिलों में माह मार्च, 2011 से माह जनवरी, 2013 तक का विवरण प्रपत्र 'स' पर उपलब्ध है।

(4) वर्तमान में सभी ग्रामों में उपलब्धतानुसार सामान्यत: 24 घण्टे सिंगल फेज विद्युत आपूर्ति की जा रही है एवं कृषि कार्य हेतु (थ्री फेज) 6-7 घण्टे निरन्तर विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

राज्य में लगातार विद्युत उत्पादन बढ़ाकर व विद्युत तंत्र का सुदृढ़ीकरण कर विद्युत आपूर्ति समय भी बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(5) जनगणना 2001 के अनुसार राजस्थान राज्य में कुल 41,353 गांव हैं जिनमें 39,753 आबाद व 1,600 गैर आबाद ग्राम हैं। कुल 39,753 आबाद ग्रामों में से 39,268 ग्राम माह जनवरी, 2013 के अन्त तक विद्युतीकृत हैं तथा शेष 485 आबाद ग्राम अविद्युतीकृत हैं। 1600 गैर आबाद ग्रामों में से 814 गैर आबाद ग्राम विद्युतीकृत हैं व शेष 786 ग्राम अविद्युतिकृत हैं। जिलेवार संख्या विवरण प्रपत्र 'द' पर उपलब्ध है।

(6) 154 आबाद अविद्युतीकृत ग्रामों का विद्युतीकरण स्वीकृत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत किया जाना शेष है जो योजना कार्यकाल माह मार्च, 2013 तक किया जाना प्रस्तावित है। 110 आबाद अविद्युतीकृत ग्राम राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा विद्युतीकृत किये जाने

ऊर्जा मंत्री)

प्रस्तावित हैं। उनमें से 42 गांव सोलर घरेलू ऊर्जा संयत्रों द्वारा विद्युतीकृत किये जा चुके हैं तथा शेष 68 गांव केन्द्र सरकार की रूरल एरिया एक्सेस प्रोग्राम-प्रथम के जारी होने पर विद्युतीकृत किये जा सकेंगे। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में स्वीकृत 221 ग्राम वन क्षेत्र/डूब क्षेत्र/आबाद से गैर आबाद हुये ग्रामों का विद्युतीकरण करना सम्भव नहीं है। इसके अतिरिक्त 786 गैर आबाद ग्रामों का ही विद्युतीकरण करना सम्भव नहीं है।

राज्य में ढाणियों का कोई अधिकृत समंक (रिकार्ड) उपलब्ध नहीं है तथापि पेयजल विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय (भारत सरकार के अधीन) के राष्ट्रीय हैबीटेशन सर्वे, 2003 के अनुसार राज्य में कुल 1,10,633 ढाणियां चिन्हित की गई हैं। इनमें से 78,791 ढाणियां माह जनवरी, 2013 तक विद्युतीकृत हो चुकी हैं तथा शेष 31,842 ढाणियां अविद्युतीकृत हैं। विस्तृत विवरण प्रपत्र 'य' पर उपलब्ध है।

पूर्व में स्वीकृत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में सम्मिलित होने से वंचित रह गई शेष सभी अविद्युतीकृत ढाणियों को पूरक राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में प्रस्तावित की जा रही है। पूरक राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को वास्तविक सर्वे आधार पर बनाने हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड की सह कम्पीनी आरईसी-पीडीसीएल को कार्यादेश जारी किये गये हैं। योजनाएं बनाने का कार्य प्रगति पर है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड से इन योजनाओं की स्वीकृति के बाद ही इनमें सम्मिलित ढाणियों का विद्युतीकरण किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बाड़मेर जिले के ग्रिड सब-स्टेशनों के संचालन/रख-रखाव हेतु नियुक्त कार्मिक

138. कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बाड़मेर जिले में कितने ग्रिड सब-स्टेशन संचालित हैं? विधान सभा क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) एक ग्रिड सब-स्टेशन पर रख-रखाव एवं संचालन हेतु मानदण्डानुसार कितने तकनीकी एवं गैर तकनीकी कार्मिकों की आवश्यकता होती है?

(कर्नल सोनाराम चौधरी)

(3) बाड़मेर जिले में उक्त कार्य हेतु कितने कार्मिक कार्यरत हैं? ग्रिड सब-स्टेशनवार/विधान सभा क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या जिले में मानदण्डानुसार कार्मिक पर्याप्त हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार उक्त कार्मिकों को आवश्यक सुरक्षा सामग्री समय पर उपलब्ध करवाने एवं रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले में 400 केवी का एक, 220 केवी के दो, 132 केवी के बारह ग्रिड एवं 33 केवी के 173 सब स्टेशन संचालित हैं। जिनका विधान सभावार विवरण प्रपत्र-'अ' पर उपलब्ध है।

(2) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम के नियमानुसार एक ग्रिड सब स्टेशन पर रख-रखाव व संचालन हेतु कार्मिकों (तकनीकी) की संख्या निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	ग्रिड सब स्टेशन	कार्मिक
1	400 केवी	30
2	220 केवी	24
3	132 केवी	14

ग्रिड सबस्टेशन परिसर की सुरक्षा हेतु भूतपूर्व सैनिकों की सेवाएं ली जाती हैं।

33/11 केवी सब स्टेशन पर रख-रखाव एवं संचालन के लिए अधिकतम दो तकनीकी कर्मचारियों की प्रति पारी (8-8 घंटे) आवश्यकता होती है।

(3) बाडमेर जिले में राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड में 134 कार्मिक कार्यरत हैं। जिनका विधान सभावार/ग्रिड सब स्टेशनवार विवरण प्रपत्र-'ब' पर उपलब्ध है।

बाड़मेर जिले में जोधपुर डिस्काम में वर्तमान में 989 कार्मिक कार्यरत हैं। विधान सभा क्षेत्रवार/सब स्टेशनवार कार्यरत कार्मिकों का संख्या विवरण प्रपत्र-'स' पर उपलब्ध है।

(4) बाड़मेर जिले में ग्रिड सब स्टेशनों पर कार्मिकों की संख्या मानदण्ड

(ऊर्जा मंत्री)

के सापेक्ष में कुछ कम है। उक्त. रिक्तियों को नियमानुसार भरा जाना प्रक्रियाधीन है।

(5) ग्रिड सब-स्टेशनों पर नियुक्त कार्मिकों को आवश्यक सुरक्षा सामग्री समय पर उपलब्ध करवायी जाती है। रिक्त पदों का नियमानुसार भरा जाना प्रक्रियाधीन है। उक्ति प्रक्रिया पूर्ण होने पर नये हैल्पर लगाने की कार्यवाही की जायेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीगंगानगर जिले में विद्युत आपूर्ति एवं मांग का अनुपात

139. श्री दौलतराज समेजा (रायसिंहनगर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में किसानों को नवम्बर, 2009 से 01 फरवरी, 2013 तक कृषि कार्यो हेतु कुल कितने घंटे औसत विद्युत की आपूर्ति की गई?

(2) जिला श्रीगंगानगर के किसानों को उक्त समयावधि में कृषि कार्य हेतु कुल कितने घंटे औसत विद्युत आपूर्ति की गई?

(3) क्या यह सही है कि जिला श्रीगंगानगर में विद्युत आपूर्ति एवं मांग में काफी अन्तर है? यदि हां, तो कितना प्रतिशत?

(4) क्या सरकार इस अन्तर को शीघ्र समाप्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में किसानों को माह नवम्बर, 2009 से दिनांक 01 फरवरी, 2013 तक कृषि कार्यों हेतु की गई औसतन विद्युत आपूर्ति का विवरण प्रपत्र-'अ' पर उपलब्ध है।

(2) जिला श्रीगंगानगर के किसानों को माह नवम्बर, 2009 से दिनांक 01 फरवरी, 2013 तक कृषि कार्यों हेतु की गई औसतन विद्युत आपूर्ति का विवरण निम्नानुसार है :-

(ऊर्जा मंत्री)

माह	आपूर्ति की अवधि	माह	आपूति की अवधि
नव. 09 से मार्च 10	6.30 से 7 घंटे	नव. 11	5 से 6 घंटे
अप्रैल 10 से मई 10	4 से 5 घंटे	दिस. 11 से मार्च. 12	6 घंटे
जुन 10 से जुलाई 10	4 घंटे	अप्रैल 12 से सित. 12	5 घंटे
अगस्त 10 से सित. 10	4 से 5 घंटे	अक्टू. 12 से दिस. 12	6 घंटे
अक्टू. 10 से मार्च 11	6.30 से 7 घंटे	जन. 13 से फर. 13	6 से 7 घंटे
अप्रैल 11 से अक्टू. 11	5 घंटे	—	—

(3) जी नही। वर्तमान में श्रीगंगानगर जिले में विद्युत आपूर्ति एवं मांग में ज्यादा अन्तर नहीं है। विद्युत आपूर्ति सामान्य एवं निर्बाध रूप से दी जा रही है।

(4) वर्तमान में विद्युत आपूर्ति एवं मांग में ज्यादा अन्तर नहीं है। समय-समय पर मांग के अनुसार विद्युत उपलब्धतानुसार आपूर्ति करने के प्रयास किये जाते हैं।

प्रपत्र "अ"

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER (S & M) RDPPC JAIPUR

NO/RDPPC/S&M/JAIPUR/D1822 DATE-16.02.13

THE SUPERINTENDING ENGINEER (RDPPC)
AVVNL, JAIPUR

SUB- REPLY OF QUESTION NO 1296/ENERGY/UN-STARRED ASKED BY SH. DAULAT RAJ SAMEJA HON'BLE MEMBER OF VIDHAN SABHA

MONTH	AGRICULTURE BLOCK SUPPLY
1	2
Nov-09	06.30 TO 07.00 Hrs
Dec-09	06.30 TO 07.00 Hrs
Jan-10	06.30 TO 07.00 Hrs

1	2
Feb-10	06.30 TO 07.00 Hrs
Mar-10	06.30 TO 07.00 Hrs
Apr-10	04.00 TO 05.00 Hrs
May-10	04.00 TO 05.00 Hrs
Jun-10	04.00 Hrs
Jul-10	04.00 Hrs
Aug-10	04.00 TO 05.00 Hrs
Sep-10	04.00 TO 05.00 Hrs
Oct.-10	06.30 TO 07.00 Hrs
Nov-10	06.30 TO 07.00 Hrs
Dec-10	06.30 TO 07.00 Hrs
Jan-11	06.30 TO 07.00 Hrs
Feb-11	06.30 TO 07.00 Hrs
Mar-11	06.30 TO 07.00 Hrs
Apr-11	05.00 Hrs
May-11	05.00 Hrs
Jun-11	05.00 Hrs
Jul-11	05.00 Hrs
Aug-11	05.00 Hrs
Sep-11	05.00 Hrs
Oct.-11	05.00 Hrs
Nov-11	05.00 TO 06.00 Hrs
Dec-11	06.00 Hrs
Jan-12	06.00 Hrs
Feb-12	06.00 Hrs
Mar-12	06.00 Hrs
Apr-12	05.00 Hrs
May-12	05.00 Hrs
Jun-12	05.00 Hrs
Jul-12	05.00 Hrs

1	2
Aug-12	05.00 Hrs
Sep-12	05.00 Hrs
Oct.-12	05.00 TO 06.00 Hrs
Nov-12	06.00 Hrs
Dec-12	06.00 Hrs
Jan-13	06.00 TO 7.00 Hrs
Feb-13	06.00 TO 7.00 Hrs

जोधपुर शहर के विद्युत तंत्र में सुधार हेतु जारी कार्यादेश की जांच

140. श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा जोधपुर शहर में विद्युत तंत्र सुधार हेतु कार्य आदेश जारी किये गये हैं? यदि हां, तो किन-किन फर्म को, किस-किस दर पर, कहां-कहां के लिए?

(2) क्या उक्त कार्य आदेश में श्रम मय सामग्री दिया गया है? यदि हां, तो निगम की वर्तमान बी.एस.आर. से कितने प्रतिशत उच्च दर पर दिया गया? विवरण कार्य आदेश की प्रति सहित सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त कार्यादेश जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की वर्तमान बी.एस.आर. से उच्च दर पर देने का क्या औचित्य रहा है, जबकि सेन्ट्रल लेबर रेट कान्टेक्ट (सी.एल.आर.सी.) पर उच्च गुणवत्ता का कार्य वर्तमान में संवेदक कर रहे हैं?

(4) क्या यह सही है कि निगम की बी.एस.आर. दर से उच्च दर पर कार्यादेश फर्मों को देने से निगम को आर्थिक हानि हुई है? यदि हां, तो इसके लिये कौन दोषी है?

(5) क्या सरकार निगम की बी.एस.आर. दर पर ही कार्य करने वाले संवेदको से कार्य करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जोधपुर शहर में विद्युत तंत्र सुधार हेतु जारी कार्य आदेश, फर्मों के नाम, दरें एवं स्थानों का विवरण प्रपत्र-'अ' पर उपलब्ध है।

(ऊर्जा मंत्री)

(2) जी हां। उक्त कार्य में प्रयुक्त होने वाली सामग्री की आपूर्ति एवं संस्थापन की वर्तमान में निगम में कोई बी.एस.आर. प्रचलित नहीं है। अत: कार्यादेश मूल्यों की बी.एस.आर. के संदर्भ में प्रतिशत की गणना सम्भव नहीं है। कार्य आदेश की प्रतियां प्रपत्र-'ब' पर उपलब्ध हैं।

(3) जोधपुर सहित प्रदेश के सभी बडे शहरों यथा जयपुर, कोटा, अजमेर एवं बीकानेर जहां स्काडा (SCADA) प्रतिस्थापित किया जा रहा है, में विद्युत तंत्र सुधार के कार्य टर्न-की के आधार पर कराये जाने का निर्णय तीनों डिस्काम की डिस्काम कार्डीनेशन फोरम (DCF) द्वारा लिया गया था। तदानुसार व्यापक प्रसार एवं प्रचार किये जाने के उपरान्त संविदा प्राप्त करके कार्यादेश दिये गये हैं।

(4) जी नहीं।

(5) वर्तमान में निगम में उक्त विद्युत कार्यों से सम्बन्धित कोई बी.एस.आर. प्रचलित नहीं है। अत: तीनों डिस्काम की डिस्काम कार्डीनेशन फोरम (DCF) के निर्णय अनुसार अधिक महत्व एवं मात्रा के कार्य टर्न की आधार पर एवं अपेक्षाकृत कम मात्रा के कार्य सी.एल.आर.सी. पर कराये जा रहे हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बारां जिले में संचालित पशु चिकित्सा केन्द्र

141. श्रीमती निर्मला (किशनगंज) व **श्री प्रमोद जैन "भाया"** (अन्ता-बारां) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बारां जिले में माह दिसम्बर, 2008 से अब तक किस-किस स्थान पर नये पशु चिकित्सा केन्द्र खोले गये? स्वीकृति आदेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में उक्त अवधि में किस-किस पशु चिकित्सा केन्द्र को किस-किस दिनांक को किस-किस श्रेणी में क्रमोन्नत किया गया? स्वीकृति आदेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त नये स्वीकृत व क्रमोन्नत पशु चिकित्सा केन्द्र किस-किस दिनांक से प्रारम्भ हो चुके हैं एवं इनमें किस-किस संवर्ग के कितने-कितने पद स्वीकृत हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) माह दिसम्बर, 2008 के बाद बारां जिले में पूर्व से कार्यरत किस-

(श्रीमती निर्मला)

किस पशु केन्द्र में किस-किस दिनांक को कौन-कौन से नये पद स्वीकृत हुए? स्वीकृति आदेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बारां जिले में माह दिसम्बर 2008 से जनवरी 2013 तक ग्राम आटोन, मऊ, करनाहेडा, मामोनी, सहजनपुर, खडेला जागीर, सेतकोलू, बैंगना मालबम्बोरी व भटवाडा में नवीन उपकेन्द्र खोले गए हैं। स्वीकृति आदेश की प्रति अनुसंलग्न अ पर उपलब्ध है ।

(2) जिले में उक्त अवधि के दौरान उपकेन्द्र बडा, शेरगढ, आटोन, फलिया, पाली, मिरजापुर को पशु चिकित्सालयों में, उपकेन्द्र सोरसन, कस्बाथाना, बमोरीकलां, रामगढ़, फुलबडोदा व सुखनेरी को पशु औषधालयों में तथा पशु चिकित्सालय मांगरोल शाहाबाद किशंनगज व अटरू को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किया गया है। स्वीकृति आदेश की प्रति अनुसंलग्नक ब पर उपलब्ध है ।

(3) नव स्वीकृत उपकेन्द्रों में से उपकेन्द्र मामोनी व मऊ दिनांक 16.07.2012 से तथा करनाहेडा दिनांक 11.09.2012 से संचालित हुये हैं।

नव स्वीकृत उपकेन्द्रों में 1 पशुधन सहायक एवं 1 जलधारी का पद स्वीकृत है।

पशु औषधालय सुखनेरी दिनांक 14.02.2011 से कस्बाथाना दिनांक 08.09.2012 से तथा फुलबड़ोदा व रामगढ़ दिनांक 03.03.2011 से संचालित हुये हैं।

क्रमोन्नत हुये पशु औषधालय में 1 पशु चिकित्सा सहायक व 1 पद पशुधन परिचर का स्वीकृत है ।

क्रमोन्नत पशु चिकित्सालय बडा दिनांक 29.03.2011 से, फलीया दिनांक 05.12.11 से, पाली दिनांक 06.09.12 से, मिरजापुर दिनांक 29.10.12 से, आटोन दिनांक 31.12.12 से शेरगढ़ दिनांक 22.01.13 से संचालित है।

क्रमोन्नत पशु चिकित्सालय में 1 पद पशु चिकित्सा अधिकारी, 1 पद पशुधन सहायक, 1 पद पशुधन परिचर तथा 1 पद जलधारी का स्वीकृत है।

क्रमोन्नत प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय मांगरोल, शाहाबाद, किशनगंज व अटरू दिनांक 13.05.2011 से क्रियाशील हैं जिनमें 1 पद वरिष्ट पशु चिकित्सा अधिकारी, 1 पद पशु चिकित्सा सहायक, 1 पद पशुधन सहायक, 1 पद पशुधन परिचर तथा 2 पद जलधारी स्वीपर के स्वीकृत हैं।

(पशुपालन मंत्री)

(4) माह दिसम्बर 2008 के पश्चात किसी भी पशु चिकित्सा संस्था में कोई नवीन पद स्वीकृत नहीं हुए हैं।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

श्रीगंगानगर जिले में पंजीकृत व अपंजीकृत गौ-शालाएं

142. श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला श्रीगंगानगर में कुल कितना पशुधन है? तहसीलवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला श्रीगंगानगर में कुल कितनी पंजीकृत व अपंजीकृत गौशालाएँ हैं? तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा वर्तमान में उक्त जिले में संचालित गौशालाओं को क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की जाती हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला श्रीगंगानगर में 18वीं पशुगणना वर्ष 2007 के अनुसार कुल 16,81,746 पशुधन हैं। जिसका तहसीलवार विवरण निम्नानुसार है :-

तहसील का नाम	कुल पशुधन
श्रीगंगानगर	163149
श्री करणपुर	98017
पदमपुर	219075
रायसिंहनगर	162988
अनूपगढ़	190213
घड़साना	177786
श्री विजयनगर	131416
सूरतगढ़	418844
सादुलशहर	120258
कुल	**1681746**

(पशुपालन मंत्री)

(2) जिला श्रीगंगानगर में कुल तहसीलवार पंजीकृत व अपंजीकृत गौशालाओं का विवरण निम्नानुसार है :-

तहसील का नाम	पंजीकृत गौशालाएं	अपंजीकृत गौशालाएं
श्रीगंगानगर	5	3
श्री करणपुर	2	2
पदमपुर	7	2
रायसिंहनगर	3	5
अनूपगढ़	1	3
घड़साना	3	5
श्री विजयनगर	3	2
सूरतगढ़	4	2
सादुलशहर	3	1
कुल	**31**	**25**

(3) पशुपालन विभाग द्वारा गौशालाओं में आवश्यकतानुसार पशु चिकित्सा टीकाकरण, बधियाकरण, कृत्रिम गर्भाधान व समय-समय पर गौशालाओं का भ्रमण कर बीमार पशुओं का रोग निदान/उपचार करना व चारा विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत बीज/मिनीकिट वितरण, प्रबन्धन परामर्श व प्रशिक्षण आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

प्रदेश में चल पशु चिकित्सा इकाई की स्थापना

143. श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में पशुओं के लिये नि:शुल्क दवाई योजना प्रारम्भ करने की तथा प्रत्येक तहसील में मोबाइल वेटरनरी यूनिट की घोषणा कब की गई तथा घोषणानुसार कब इन योजनाओं को वास्तविक रूप में लागू किया जायेगा व इस हेतु कितना बजटीय प्रावधान किया गया है?

(2) प्रदेश में पशु चिकित्सकों व पशु सहायकों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं तथा इनमें से कितने-कितने पद कहां-कहां रिक्त हैं व कितने नये पदों का सृजन वर्ष 2012-13 में किया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

(3) विधान सभा क्षेत्र बानसूर (अलवर) तारानगर (चूरू) में कुल कितने-कितने पशु चिकित्सालय व पशु चिकित्सा उपकेन्द्र स्थापित हैं तथा इनमें कितने-कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में पशुओं के लिये मुख्य मंत्री पशुधन नि:शुल्क दवा योजना प्रारम्भ करने की बजट घोषणा वर्ष 2012-13 में की गई। योजना का लाभ दिनांक 15.08.2012 से पशुपालकों को दिया जा रहा है। जिसके लिए वर्ष 2012-13 में कुल 60 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

प्रत्येक तहसील मे मोबाइल वेटरनरी यूनिट की घोषणा दिनांक 13.12.2012 को की गई है। जिसका लाभ वर्ष 2013-14 से प्राप्त होगा।

तहसील स्तरीय मोबाइल यूनिट के लिए आवश्यक उपकरण/फर्नीचर आदि क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 में 288 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं।

(2) प्रदेश में पशु चिकित्सा अधिकारियों व जिलेवार पशुधन सहायकों के स्वीकृत/रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है ।

वर्ष 2012-13 में पशु चिकित्सकों के 240 तथा पशुधन सहायकों के 442 पद सृजित किये गये हैं।

(3) विधान सभा क्षेत्र बानसूर (अलवर) व तारानगर (चूरू) में स्थापित पशु चिकित्सा संस्थाओं एवं उनमें रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

विधान सभा क्षेत्र	**पशु चिकित्सालय की संख्या**	**पशु औषधालय**	**उपकेन्द्र**	**रिक्त पद**	
				पशु चिकित्सा अधिकारी	**पशुधन सहायक**
तारानगर (चूरू)	11	1	4	3	7
बानसूर (अलवर)	8	1	16	3	3

परिशिष्ट-अ

प्रदेश में जिलेवार पशु चिकित्सा अधिकारियों व पशुधन सहायकों के स्वीकृत/रिक्त पदों का विवरण

क्र. सं.	जिला	पशु चिकित्सा सहायक		पशुधन सहायक		पशु चिकित्सक	
		स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1.	अजमेर	40	12	140	36	106	29
2.	अलवर	46	7	176	23	99	10
3.	बांसवाड़ा	30	2	125	7	73	45
4.	बारां	22	15	75	23	47	15
5.	बाड़मेर	20	17	152	63	86	41
6.	भरतपुर	38	12	151	10	85	21
7.	भीलवाड़ा	47	22	170	37	100	38
8.	बीकानेर	46	33	143	47	98	13
9.	बूंदी	26	14	66	10	35	4
10.	चित्तौड़गढ़	36	22	124	42	62	22
11.	चूरू	28	18	108	33	66	16
12.	दौसा	25	11	80	19	55	10
13.	धौलपुर	24	6	55	10	42	12
14.	डूंगरपुर	26	0	136	14	63	29
15.	हनुमानगढ़	29	11	100	17	56	9
16.	जयपुर	89	10	280	22	203	17
17.	जैसलमेर	18	11	75	24	44	22
18.	जालौर	30	19	89	19	58	27

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	झालावाड़	25	16	82	33	49	20
20.	झुन्झुनूं	41	21	159	32	107	21
21.	जोधपुर	55	18	178	22	135	45
22.	करौली	26	12	60	8	43	6
23.	कोटा	26	15	84	5	57	7
24.	कुचामनसिटी	28	11	102	23	58	18
25.	नागौर	29	15	101	20	62	22
26.	पाली	36	15	150	22	87	45
27.	प्रतापगढ़	17	2	62	7	29	20
28.	राजसमन्द	31	18	97	28	55	29
29.	सवाई माधोपुर	21	10	71	13	37	9
30.	श्रीगंगानगर	33	19	121	34	65	9
31.	सीकर	44	9	199	19	105	20
32.	सिरोही	26	14	77	29	43	20
33.	टोंक	22	9	97	27	58	18
34.	उदयपुर	40	10	227	60	114	46
कुल		**1126**	**466**	**4112**	**838**	**2482**	**745**

पाली जिले में पशु चिकित्सा केन्द्र हेतु निर्मित भवन

144. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले में किन-किन स्थानों पर पशु चिकित्सालय हैं एवं इनमें कौन-कौन से चिकित्सालय में किस-किस श्रेणी के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं एवं इनमें से कितने पद कब-कब से रिक्त हैं?

(2) जिले में पशु चिकित्सालय के किन-किन स्थानों पर भवन तो

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

निर्मित हैं, परन्तु किन-किन कारणों से, कितने-कितने समय से इनमें पशु चिकित्सा कार्य शुरू नहीं किया गया?

(3) क्या सरकार पशु चिकित्सालय हेतु पूर्व में निर्मित भवनों में पशु चिकित्सक एवं अन्य चिकित्सा कर्मी के पद स्वीकृत करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) पाली जिले में संचालित पशु चिकित्सालय तथा उनमें श्रेणीवार स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-''अ'' में उपलब्ध है।

(2) पाली जिले में ऐसा कोई पशु चिकित्सालय नहीं है। जहां भवन तो निर्मित है, परन्तु पशु चिकित्सा कार्य शुरू नहीं किया गया है।

(3) पाली जिले में समस्त पशु चिकित्सालयों में पशु चिकित्सा सेवाऐं उपलब्ध हो रही हैं। रिक्त पदों को उपलब्धानुसार भरा जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जहाजपुर (भीलवाड़ा) पंचायत समिति में विभिन्न योजनाओं के तहत स्वीकृत कार्यों का निरीक्षण एवं मूल्यांकन

145. श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) : क्या पंचायतीराज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भीलवाड़ा जिले की जहाजपुर पंचायत समिति में वर्तमान में सहायक अभियन्ता एवं कनिष्ठ अभियन्ता के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं तथा इनमें कितने पद भरे हुए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या पंचायत समिति जहाजपुर में विभिन्न योजनाओं के तहत स्वीकृत कार्यों की जांच निरीक्षण एवं मूल्यांकन सम्बन्धी कार्यों का विभाजन कनिष्ठ अभियन्ताओं में किया हुआ है? यदि हां, तो दिनांक 1 जनवरी, 2011 से 31 जनवरी, 2013 तक कार्य विभाजन सम्बन्धी आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि पंचायत समिति के विभिन्न योजनाओं के कार्यों की जांच एवं मूल्यांकन का कार्य एक ही कनिष्ठ अभियन्ता से करवाया जा रहा है? यदि हां, तो इसके क्या कारण है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति, जहाजपुर (भीलवाड़ा) में वर्तमान में निम्नानुसार सहायक अभियन्ता एवं कनिष्ठ अभियन्ता के पद स्वीकृत एवं भरे हुए है:-

(पंचायती राज मंत्री)

क्र. सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	रिक्त पद
1.	सहा. अभि. महानरेगा	2	2	-
2.	सहा. अभि. जलग्रहण	1	-	1
3.	कनिष्ठ अभियन्ता पचांयती राज	8	1	7
4.	कनिष्ठ अभियन्ता जलग्रहण	1	-	1

(2) जी हां। कार्य विभाजन सम्बन्धी 5 आदेशों की प्रतियां परिशिष्ट-''अ'' पर संलग्न हैं।

(3) जी नहीं। पंचायत समिति, जहाजपुर में एक ही कनिष्ठ अभियन्ता कार्यरत होने के कारण ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं का कार्य पंचायत समिति में कार्यरत एक कनिष्ठ अभियन्ता से करवाया जा रहा है।

नरेगा योजना से सम्बन्धित कार्य सहायक अभियन्ता (नरेगा) एवं कनिष्ठ तकनीकी सहायक (नरेगा) से करवाया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पाली जिले में मुख्य मंत्री ग्रामीण बी.पी.एल. आवास योजनान्तर्गत निर्मित आवास

146. श्रीमती संजना आगरी (सोजत) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले में मुख्यमंत्री ग्रामीण बी.पी.एल. आवास योजना में वर्ष 2010-11 व 2011-12 में कितनी राशि व्यय की गई? तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र सोजत में उक्त योजनान्तर्गत कितने भवनों का निर्माण हुआ तथा कितने अपूर्ण हैं? पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मुख्य मंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना वर्ष 2011-12 से ही प्रारम्भ की गई है। अत: 2010-11 में कोई व्यय नहीं किया गया है। पाली जिले में मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना अन्तर्गत वर्ष 2011-12 में किये गये व्यय राशि का तहसीलवार विवरण निम्नानुसार है :-

(ग्रामीण विकास मंत्री)

तहसील	**स्वीकृत (लाखों में)**	**व्यय (लाखों में)**
बाली	1162.60000	1064.15500
देसूरी	223.55000	207.38500
जैतारण	503.05000	449.33500
मारवाड जं.	463.55000	404.00000
पाली	356.80000	323.44000
रायपुर	725.35000	617.60500
रानी	277.90000	247.24000
रोहट	386.45000	352.41000
सोजत	406.45000	354.08500
सुमेरपुर	472.10000	431.74000
कुल राशि	**4977.80000**	**4451.39500**

(2) विधान सभा क्षेत्र सोजत में उक्त योजना अन्तर्गत 702 भवनों का निर्माण हुआ एवं 895 अपूर्ण हैं जो कि प्रगतिरत हैं। पंचायतवार सूची परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

परिशिष्ट-''अ''

क्र. सं.	वर्ष	विधान सभा क्षेत्र	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	स्वीकृत लाभार्थियों की संख्या	कार्य की स्थिति	
						पूर्ण	अपूर्ण
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	2011-12	सोजत	रायपुर	झुठां	51	33	18
2	2011-12	सोजत	रायपुर	बांसीया	5	5	0
3	2011-12	सोजत	रायपुर	कुशालपुरा	163	137	26
4.	2011-12	सोजत	रायपुर	मोहरा कलां	70	43	27
5	2011-12	सोजत	रायपुर	बिराटियां कलां	50	38	12
6	2011-12	सोजत	रायपुर	पिपलियां कलां	90	56	34
7	2011-12	सोजत	रायपुर	निम्बेड़ा कलां	30	6	24
8	2011-12	सोजत	रायपुर	लिलाम्बा	44	17	27
9	2011-12	सोजत	रायपुर	हाजीवास	52	26	26
10	2011-12	सोजत	रायपुर	रायपुर	122	26	96

1	2	3	4	5	6	7	8
11	2011-12	सोजत	रायपुर	रामपुरा कलां	13	0	13
12	2011-12	सोजत	रायपुर	देवली कलां	56	52	4
13	2011-12	सोजत	सोजत	बोयल	15	13	2
14	2011-12	सोजत	सोजत	चण्डावल स्टेशन	77	24	53
15	2011-12	सोजत	सोजत	धाकड़ी	14	8	6
16	2011-12	सोजत	सोजत	धीनावास	10	7	3
17	2011-12	सोजत	सोजत	खारिया नींव	19	12	7
18	2011-12	सोजत	सोजत	खोखरा	11	4	7
19	2011-12	सोजत	सोजत	रूपावास (सोजत)	14	4	10
20	2011-12	सोजत	सोजत	घुरासनी	17	6	11
21	2011-12	सोजत	सोजत	बगड़ी नगर	49	16	33
22	2011-12	सोजत	सोजत	भैसाणा	17	9	8
23	2011-12	सोजत	सोजत	चण्डावल नगर	20	5	15

1	2	3	4	5	6	7	8
24	2011-12	सोजत	सोजत	चाड़वास	9	7	2
25	2011-12	सोजत	सोजत	गागुड़ा	19	10	9
26	2011-12	सोजत	सोजत	गुड़ा कलां	51	12	39
27	2011-12	सोजत	सोजत	खारिया सोडा	32	14	18
28	2011-12	सोजत	सोजत	सरदारसमंद	22	11	11
29	2011-12	सोजत	सोजत	अटबड़ा	10	8	2
30	2011-12	सोजत	सोजत	केलवाद	23	7	16
31	2011-12	सोजत	सोजत	बिलावास	13	7	6
32	2011-12	सोजत	सोजत	चौपड़ा	55	5	50
33	2011-12	सोजत	सोजत	गुड़ा बिंजा	20	7	13
34	2011-12	सोजत	सोजत	झुपेलाव	18	0	18
35	2011-12	सोजत	सोजत	खेडिया	10	3	7
36	2011-12	सोजत	सोजत	मंडला	14	0	14
37	2011-12	सोजत	सोजत	मेव	37	6	31

1	2	3	4	5	6	7	8
38	2011-12	सोजत	सोजत	रायरा कलां	16	0	16
39	2011-12	सोजत	सोजत	रेपड़ावास	25	7	18
40	2011-12	सोजत	सोजत	सोजत रोड	22	10	12
41	2011-12	सोजत	सोजत	सुरायता	39	9	30
42	2011-12	सोजत	सोजत	गुडा रामसिंह	17	9	8
43	2011-12	सोजत	सोजत	हरियामाली	22	7	15
44	2011-12	सोजत	सोजत	सांडिया	29	8	21
45	2011-12	सोजत	सोजत	राजोला कलां	15	0	15
46	2011-12	सोजत	सोजत	रेंदड़ी	22	2	20
47	2011-12	सोजत	सोजत	सियाट	14	0	14
48	2011-12	सोजत	सोजत	शिवपुरा	17	0	17
49	2011-12	सोजत	सोजत	करमावास पट्टा	8	3	5
50	2011-12	सोजत	सोजत	बालना	9	3	6
				योग	**1597**	**702**	**895**

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, पाली

किशनगढ़ बास में प्राकृतिक आपदा/आगजनी से पीड़ित परिवारों को सहायता

147. श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास) : क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में गत चार वर्षों में प्राकृतिक आपदा एवं आगजनी से कुल कितने परिवारों को क्या-क्या नुकसान हुआ है? परिवार एवं गांव के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त परिवारों को किसी प्रकार की सहायता दी गई है? यदि हां, तो कितनी-कितनी एवं कब-कब व नहीं, तो क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में प्राकृतिक आपदा के तहत गत चार वर्षों में आगजनी से तहसील किशनगढ़ बास में 131 एवं तहसील कोटकासिम में 37 परिवारों का आगजनी से नुकसान हुआ। सूची परिशिष्ट- "अ" पर संलग्न है।

(2) सरकार द्वारा उक्त परिवारों को एसडीआरएफ/एनडीआरएफ मापदण्डानुसार सहायता प्रदान की गई, जिसका विवरण भी परिशिष्ट-"अ" में ही अंकित है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

बसेड़ी में विधायक कोष से स्वीकृत कार्य

148. श्री सुखराम (बसेड़ी) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बसेड़ी विधान सभा क्षेत्र में जनवरी, 2009 से जनवरी, 2013 तक विधायक कोष निधि के द्वारा कहां-कहां पर कितनी-कितनी राशि के किस-किस ग्राम पंचायत में क्या-क्या, कार्य करवाये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त निधि कोष के द्वारा स्वीकृत कितने कार्य पूर्ण एवं अपूर्ण हैं? पूर्ण एवं अपूर्ण कार्यों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बसेड़ी विधान सभा क्षेत्र में जनवरी, 2009 से जनवरी, 2013 तक विधायक कोष निधि के ग्राम पंचायत में करवाये गये कार्य की सूची परिशिष्ट-''अ'' पर उपलब्ध है।

(ग्रामीण विकास मंत्री)

(2) उक्त निधि कोष के द्वारा स्वीकृत कार्यों में से पूर्ण एवं अपूर्ण कार्यों की स्थिति संलग्न परिशिष्ट-''अ'' के कालम संख्या 9 पर उपलब्ध है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

धौलपुर जिले के स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में रिक्त पद

149. श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि धौलपुर जिले के स्नातकोत्तर महाविद्यालय में लम्बे समय से कुछ पद रिक्त चल रहे हैं? यदि हां, तो कितने पद किस-किस श्रेणी के रिक्त हैं और कितने पद स्वीकृत हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पदों के रिक्त होने के कारण इसका असर महाविद्यालय की शिक्षण व्यवस्था पर पड़ रहा है?

(3) क्या सरकार रिक्त पदों को शीघ्र भरकर महाविद्यालय की शिक्षण व्यवस्था को सुचारु रूप से कायम करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) धौलपुर जिले में स्नातकोत्तर महाविद्यालय के विभिन्न विषयों के व्याख्याताओं के कुल 47 पद स्वीकृत हैं, जिनमें 40 व्याख्याता कार्यरत हैं तथा 07 पद रिक्त हैं। राजकीय विधि महाविद्यालय, धौलपुर में व्याख्याताओं के 04 पद स्वीकृत हैं, जिनमें 02 व्याख्याता कार्यरत हैं एवं 02 पद रिक्त हैं, सूची परिशिष्ट-"ए" पर उपलब्ध है। धौलपुर जिले के स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य एवं अशैक्षणिक कर्मचारी के पदों का वांछित विवरण परिशिष्ट-"बी" पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं। सभी विषयों के अध्यापन हेतु व्याख्याता कार्यरत हैं, जिनके द्वारा अतिरिक्त कार्य कर शिक्षण कार्य पूर्ण कराया जाता है।

(3) जी हां। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा उपलब्ध होने पर रिक्त पद भरे जा सकेंगे।

परिशिष्ट "A"

राजकीय महाविद्यालय एवं राजकीय विधि महाविद्यालय, धौलपुर में व्याख्याताओं के स्वीकृत पद कार्यरत व्याख्याता एवं रिक्त पदों की स्थिति

राजकीय महाविद्यालय, धौलपुर

क्र. सं.	विषय	स्वीकृत पद	कार्यरत			रिक्त
			RES	RVRES	CONTRACT	
1.	अर्थ शास्त्र	4	3	1	—	0
2.	अंग्रेजी	2	2	—	—	0
3.	भूगोल	3	1	—	—	2
4.	हिन्दी	5	3	2	—	0
5.	इतिहास	5	4	—	—	1
6.	राजनीति विज्ञान	4	2	1	—	1
7.	समाज शास्त्र	2	2	—	—	0
8.	वनस्पति शास्त्र	5	4	—	—	1
9.	रसायन शास्त्र	6	6	—	—	0
10.	गणित	2	1	—	—	1
11.	भौतिक शास्त्र	2	2	—	—	0
12.	प्राणी शास्त्र	4	2	—	1	1
13.	ए.बी.एस.टी.	1	1	—	—	0
14.	व्या. प्रशासन	1	1	—	—	0
15.	ई.ए.एफ.एम.	1	1	—	—	0
	योग	**47**	**35**	**4**	**1**	**7**

राजकीय विधि महाविद्यालय, धौलपुर

1.	विधि	4	2	—	—	2

संयुक्त निदेशक (प्रशा.)

परिशिष्ट "बी"

क्र. सं.	पद का नाम	राजकीय महाविद्यालय, धौलपुर			राजकीय विधि महाविद्यालय, धौलपुर		
		स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1.	प्राचार्य	1	—	1	1	—	1
2.	उपाचार्य	1	—	1	—	—	—
3.	पी.टी.आई.	1	1	—	—	—	—
4.	पुस्तकालयाध्यक्ष	1	—	1	—	—	—
5.	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	1	—	— (I-Kept in Abeyance)	—	—	—
6.	कार्यालय सहायक/वरिष्ठ लिपिक	1	1	—	—	—	—
7.	कनिष्ठ लिपिक	4	5	1	—	—	—
8.	वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक/प्रयोगशाला सहायक	5	2	2 (I-Kept in Abeyance)	—	—	—
9.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	7	6	1	—	—	—
10.	बुकलिफ्टर	2	1	1	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	प्रयोगशाला वाहक	3	-	3	-	-	-
12.	एनिमल केचर	1	1	—	—	—	—
13.	मेकेनिक	1	—	— (I-Kept in Abeyance)	—	—	—
14.	गैसमेन	1	—	— (I-Kept in Abeyance)	—	—	—
15.	वाहन चालक	1	—	1	—	—	—

संयुक्त निदेशक
कालेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर

प्रदेश में तहसील मुख्यालयों पर निजी जन सहभागिता योजनान्तर्गत महाविद्यालय हेतु अनुदान

150. **श्री बनवारी लाल सिंघल** (अलवर शहर) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में तहसील मुख्यालयों पर सार्वजनिक निजी सहभागिता के आधार पर नये महाविद्यालय खोले जाने की योजना बनाई गई है? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के तहत प्रदेश में कितने महाविद्यालय खोले जाना प्रस्तावित हैं? तहसीलवार, जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा उक्त महाविद्यालय खोले जाने हेतु स्थानों का चयन कर लिया गया है? यदि हां, तो उक्त महाविद्यालय कहां-कहां खोले जाने प्रस्तावित हैं? तहसीलवार, जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार द्वारा उक्त महाविद्यालय को खोले जाने हेतु अनुदान भी दिया गया है? यदि हां, तो किस-किस महाविद्यालय को कितना-कितना? आबंटित अनुदान का मदवार, तहसीलवार, जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सूचना/विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) बजट घोषणा वर्ष 2012-13 में जन सहभागिता योजनान्तर्गत 49 महाविद्यालय विहीन तहसील मुख्यालयों पर एवं 56 शेष तहसील मुख्यालयों पर महाविद्यालय खोले जाना प्रस्तावित हैं। सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) भाग-2 के अनुसार।

(4) जी नहीं। अनुदान योजना अनुसार शर्तें पूरी करने पर देय होगा।

(सूचना पुस्तकालय में रखी गयी)

जैसलमेर जिले में खादी ग्रामोद्योग इकाइयों के संचालन हेतु अनुदान

151. **श्री छोटू सिंह भाटी** (जैसलमेर) : क्या खादी एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार द्वारा प्रदेश में खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग में लोगों को किस-किस प्रकार की सहायता स्वीकृत की जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(श्री छोटू सिंह भाटी)

(2) जैसलमेर जिले में वर्ष 2009 से जनवरी, 2013 तक कितनी इकाईयों/व्यक्तियों को सरकार एवं बोर्ड द्वारा कितनी-कितनी सहायता राशि प्रदान की गई? वर्षवार नामवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) उक्त स्वीकृति हेतु कितने-कितने आवेदन प्राप्त हुए तथा कितने आवेदन पत्रों में अनुदान राशि का भुगतान किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) जैसलमेर विधान सभा क्षेत्र के लिये कितनी इकाइयों/व्यक्तियों को सहायता/अनुदान दिये जाने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं एवं उक्त प्रस्तावों पर कब तक निर्णय लिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार ने ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में ग्रामोद्योग स्थापित करने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना (PMEGP) खादी और ग्रामोद्योग आयोग (नोडल एजेन्सी) के माध्यम से वर्ष 2008-09 से लागू कर रखी है। उक्त योजना के तहत उद्यम स्थापित करने के लिए 15 प्रतिशत से 35 प्रतिशत तक विशेष अनुदान का प्रावधान है। खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा जारी योजना का ब्रोशर परिशिष्ट-1 संलग्न है।

खादी क्षेत्र अन्तर्गत व्यक्तिगत प्रकरणों में किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराई जाती है।

(2) जैसलमेर जिले में वर्ष 2008-09 से जनवरी 2013 तक मार्जिन मनी/अनुदान नोडल बैंकों के माध्यम से दिया गया है, जिसकी क्रियान्वन एजेन्सी अनुसार सूचना निम्नानुसार है। तथा वर्षवार व नामवार सूची क्रियान्वन एजेन्सी अनुसार परिशिष्ट-2 से 4 पर संलग्न है।

क्र. सं.	क्रियान्वयन एजेन्सी	अनुदान स्वीकृत आवेदन पत्र	प्रदत्त राशि
1.	आयुक्त, उद्योग	126	65.17 लाख
2.	खादी बोर्ड	61	59.23 लाख
3.	खादी आयोग	9	9.90 लाख

(खादी एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री)

(3) जैसलमेर जिले में उक्त योजनान्तर्गत वर्ष 2008-09 से वर्ष 2012-13 तक (जनवरी 2013 तक) क्रियान्वन एजेन्सी अनुसार प्राप्त कुल आवेदन पत्र एवं उनमें से प्राप्त अनुदान की सूचना निम्नानुसार है। विवरण परिशिष्ट 2 पर संलग्न है।

क्र.सं.	क्रियान्वयन एजेन्सी	प्राप्त आवेदन पत्र	अनुदान प्राप्त आवेदक
1	आयुक्त, उद्योग	1440	126
2	खादी बोर्ड	337	61
3	खादी आयोग	27	9

(4) जिला स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी द्वारा अनुमोदित आवेदन पत्रों में से, जैसलमेर विधान सभा क्षेत्र के बैंकों को प्रेषित आवेदन पत्र, स्वीकृति हेतु बैंकों में विचाराधीन हैं, जिन पर 31 मार्च, 2013 के पूर्व तक बैंकों द्वारा निर्णय किया जाना अपेक्षित है। खादी बोर्ड के बकाया प्रकरणों का विवरण परिशिष्ट-5 पर संलग्न है।

क्र.सं.	क्रियान्वयन एजेन्सी	अनुदान स्वीकृति हेतु लम्बित आवेदन पत्र
1	आयुक्त, उद्योग	5
2	खादी बोर्ड	38
3	खादी आयोग	2

(ब्रोशर पुस्तकालय में रखा गया)

मारवाड़ जंक्शन में मनरेगा योजनान्तर्गत निर्मित अडामरीकृत सड़कें

152. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) : क्या ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत जनवरी, 2009 से जनवरी, 2013 तक कौन-कौनसी ग्रेवल सड़कें कहां-कहां कितनी राशि व्यय कर कितनी दूरी की निर्मित की गई? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त ग्रेवल सड़कों पर डामरीकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मारवाड जंक्शन में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत जनवरी, 2009 से जनवरी, 2013 तक निर्मित ग्रेवल सड़कों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत उक्त ग्रेवल सड़कों पर डामरीकरण किए जाने का कोई प्रस्ताव योजनान्तर्गत अनुमत नहीं होने के कारण विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

करौली एवं सवाई माधोपुर जिलों में मनरेगा योजना में करवाये गये कार्यों की जांच

153. श्री रमेश चन्द मीणा (टोडाभीम) : क्या ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) मनरेगा योजनान्तर्गत जिला करौली एवं जिला सवाई माधोपुर में वर्ष 2008 से 2012 तक कौन-कौन से कार्य कब-कब करवाये गये? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त योजनान्तर्गत किये गये कार्य का समय-समय पर अवलोकन किया गया? यदि हां, तो जिला करौली एवं जिला सवाई माधोपुर में कब-कब किन-किन अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा किया गया?

(3) क्या उक्त योजनान्तर्गत किये गये कार्यों में अनियमितताएं पाई गई? यदि हां, तो उसके लिये कौन-कौन से अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार रहे एवं सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत जिला करौली एवं सवाई माधोपुर में वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक कराए गए कार्यों का ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कराए जा रहे कार्यों का नियमानुसार समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है। जिला करौली एवं सवाई माधोपुर में किए गए निरीक्षणों का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी हां, महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कराए गए कतिपय कार्यों में अनियमितताएं पाई गई है। पाई गई अनियमितताओं तथा अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-109 का विवरण)

परिशिष्ट-अ

कार्यालय जिला कलक्टर (भू.अ.) अलवर

क्रमांक : भू.अ./सॉ./ओला/13/525 दिनांक 16.02.2013

श्रीमान शासन उप सचिव महोदय
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग,
जयपुर (राजस्थान)

विषय :—ओलावृष्टि एवं वर्षा से हुए नुकसान की सूचना के क्रम में।

महोदय,

दिनांक 16/02/2003 को प्रात: 8.00 बजे तक तहसीलवार ओलावृष्टि एवं वर्षा से हुए नुकसान की स्थिति निम्नानुसार है :—सर्वे कार्य जारी है।

क्र. सं.	तहसील	रेनगेज स्टेशन	वर्षा	तहसील के कुल ग्राम	ओलावृष्टि से प्रभावित ग्राम	नुकसान प्रतिशत
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.	अलवर	1 अलवर	47	214	213	5 ग्राम-35 से 40 109 ग्राम-15 से 25 99 ग्राम-10 से कम
		2 मालाखेड़ा	53			
		3 बहादुरपुर	13			

1	2	3	4	5	6	7
2.	रामगढ़	4 रामगढ़	34	178	26	2 ग्राम-50 से अधिक 24 ग्राम-20 से 25
3.	राजगढ़	5 राजगढ़	48	245	—	—
4.	लक्ष्मणगढ़	6 लक्ष्मणगढ़	8	207	66	33 ग्राम-5 से 10 26 ग्राम-15 से 25 7 ग्राम-25 से 30
		7 गोविन्दगढ़	16			
5.	कठूमर	8 कठूमर	23	152	—	—
6.	थानागाजी	9 थानागाजी	27	161	—	—
7.	किशनगढ़बास	10 किशनगढ़बास	78	115	23	17 ग्राम-50 से 75 6 ग्राम-30 से 35
8.	कोटकासिम	11 कोटकासिम	44	117	—	—
9.	मुण्डावर	12 मुण्डावर	58	146	41	26 ग्राम-10 से 20 2 ग्राम-25 से 30 11 ग्राम-30 से 40 2 ग्राम-70 से 80

1	2	3	4	5	6	7
10.	तिजारा	13 तिजारा	48	217	19	7 ग्राम-35 से 40 6 ग्राम-40 से 50 6 ग्राम-50 से 70
		14 टपूकड़ा	12			
11.	बहरोड़	15 बहरोड़	32	183	20	20 ग्राम-5
		16 नीमराना	20			
12.	बानसूर	17 बानसूर	30	147	23	4 ग्राम-35 से 40 19 ग्राम-10 से 15
		कुल	**588**	**2082**	**408**	
		औसत		**34.59**		

जिला कलक्टर (भू.अ.)
अलवर